नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF
CIVIL AVIATION

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

विजन

आम जनता को विश्वस्तरीय विमानन अवसंरचना सहित सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती हवाई सम्पर्क सेवाओं का लाभ उठाने के लिए समर्थ बनाना

मिशन

- विश्वस्तरीय नागर विमानन अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराना
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरक्षा सहित प्रभावी विनियामक रूपरेखा स्थापित करना
- वर्तमान में देश के अप्रचालित क्षेत्रों को जोड़ना
- क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार कुशल मानव संसाधन विकसित करना
- प्रयोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि सुनिश्चित करना/ग्राहक संतुष्टि को ईष्टतम करना

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	मुख्य–मुख्य बातें	1–11
2.	नागर विमानन मंत्रालय	12–26
3.	नागर विमानन महानिदेशालय	27–70
4.	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	71–87
5.	रेल संरक्षा आयोग	88–97
6.	विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो	98–101
7.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	102–115
8.	विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	116–131
9.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	132–137
10.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	138–151
11.	एअर इंडिया लिमिटेड	152–177
12.	पवन हंस लिमिटेड	178–189
13.	मंत्रालय में लेखा प्रणाली	190–194
14.	महिला कल्याण	195–198
15.	अक्षम व्यक्तियों के लिए सुविधाएं	199–202
16.	आईसीएओ की काउंसिल में भारत के प्रतिनिधि	203–212

1. मुख्य मुख्य बातें

1.1 क्षेत्रीय सम्पर्क योजना:

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 में क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्कता की परिकल्पना की गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने 21.10.2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) शुरू की। आरसीएस-उड़ान, नागर विमानन मंत्रालयका एक प्रमुख कार्यक्रम है।

आरसीएस-उड़ान का प्रमुख उद्देश्य, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुगम बनाना/प्रोत्साहित करना है और इसे (1) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और हवाई अड्डे के संचालकों द्वारा एयरलाइन की लागत को कम करने जैसे उपायों के माध्यम से जनता के लिए किफायती बनाना है। (2) क्षेत्रीय मार्गों पर प्रचालन/अन्य सहायता उपायों और एयरलाइन संचालन की लागत और ऐसे मार्गों पर अपेक्षित राजस्व के बीच अंतर, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) करना।

बोली के चार दौर पूरे होने के बाद; 2023-24 तक आरसीएस उड़ानों के प्रचालन के लिए उड़ान के तहत 14 वाटर-एयरोड्रोम और 36 हेलीपैड/हेलीपोर्ट सहित 154 (अप्रचालित और अल्पप्रचालित) हवाई अड्डों की पहचान की गई है।

'उड़ान' के तहत जुड़े नए नगर युग्म: भौगोलिक रूप से ये मार्ग काफी विस्तृत हैं, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करते हुए देश भर में संपर्क प्रदान करते हैं।

पर्यटन मार्ग: अब तक, 48 मार्गों को आवंटित किया जा चुका है और 31 मार्गों के प्रचालन से विदेशी पर्यटकों के आगमन और विदेशी मुद्रा आय में लगातार वृद्धि हुई है।

आरसीएस सीटों की संख्या: अब तक पूरे किए गए 'उड़ान' के 4 दौर के आधार पर वर्षवार 1 करोड़ से अधिक आरसीएस सीटें मुहैया कराई जाएंगी।

आरसीएस-उड़ान 4.0

बोली प्रक्रिया के चौथे दौर में, 5 नए गंतव्यों हेलीपोर्ट्स (गेलेकी और मीसा), वाटर एरोड्रोम (कवरत्ती और मिनिकॉय) और अल्प परिचालित एयरपोर्ट (अगत्ती) को जोड़ते हुए 92 आरसीएस मार्ग अवार्ड किए गए हैं। 40 आरसीएस मार्ग आरंभ हो चुके हैं और 6 आरसीएस एयरपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम प्रचालनीकृत हो चुके हैं।

आरसीएस-उड़ान 4.1

बोली के विशेष दौर में, 6 नए हवाई अड्डोंयथा विजया पुरा, शिवमोग्गा, रीवा, तुरा, रंगीलुंडा, फुर्सतगंज और मेघालय के 3 हेलीपोर्ट्स सोहरा, डावकी और विलियमनगर को जोड़ने वाले 168 आरसीएस मार्ग अवार्ड किए गए हैं। 14 आरसीएस मार्ग आरंभ हो चुके हैं।

आरसीएस के तहत, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 3 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 12 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 31 लाख यात्रियों को लाभ हुआ, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 15 लाख यात्रियों को लाभ हुआ और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आज की तारीख तक 23 लाख यात्रियों को लाभ हुआ।

अब तक उड़ान भरने वाले कुल यात्री 83 लाख (लगभग)

1.2 हेलीकॉप्टर प्रचालनों को बढ़ावा देना

नागर विमानन मंत्रालय ने मांग और बढ़त पैदा करते हुए हेलीकॉप्टर प्रचालनों को प्रोत्साहित करने के लिए 8 अक्टूबर, 2021 को **'हेलीकॉप्टर प्रचालनों को बढ़ावा देने के लिए नीति'**जारी की है। यह नीति हेलीकॉप्टर प्रचालकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए तैयार की गई है। नीति का उद्देश्य सुविधा प्रदान करने और व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करने का प्रयास करके हेलीकॉप्टर प्रचालन को व्यवहार्य बनाना भी है। यह नीति जनता के लिए दुर्गम स्थानों/पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर से जाने के नए अवसर खोलेगी।

1.2.1 हेली-सेवा पोर्टल

हेलीपैड प्रचालन के लिए सूचना साझा करने और अनुमति का अनुरोध करने के लिए प्रचालकों को निर्बाध सिंगल-विंडो डिजिटल एक्सेस प्रदान करने के लिए 8 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का उपयोग जिला प्रशासन द्वारा सहमति/अस्वीकार करने के लिए भी किया जाएगा। पोर्टल प्रासंगिक सटीकता और डेटा गुणवत्ता के साथ हेलीपैड जानकारी का एक केंद्रीय भंडार (रिपोजिटरी) तैयार करेगा जो उड़ान योजना में सहायता करने और संचालन में आसानी को जोड़ने के लिए प्रचालकों और पायलटों के लिए उपलब्ध होगा। पोर्टल में संग्रहीत हेलीपैडों की डेटा गुणवत्ता के कारण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के ढांचे के भीतर हेलीपैड के बारे में व्यापक जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। राज्य आपदा प्रबंधन योजना के हिस्से के रूप में जिले हेलीपैड पर सूचना की गुणवत्ता और गहराई सुनिश्चित करने के लिए एक मानकीकृत इंटरफेस के माध्यम से हेलीपैड निर्देशिका को पोर्टल में भरेंगे। इसके अलावा, जनता शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले इस पोर्टल के माध्यम से ऑपरेटरों और हेलीकॉप्टरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगी। पोर्टल हेलीकॉप्टर यातायात और हेलीपैड पर यात्री भार से संबंधित डेटा भी रिकॉर्ड करेगा जिसका विश्लेषण रुझानों और विकास को समझने के लिए किया जा सकता है। यह जिला प्रशासन में कई विभागों के साथ समन्वय करके हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को सुचारू हेलीकॉप्ट प्रचालन की सुविधा प्रदान करेगा।

1.2.2 हेली-दिशा

मंत्रालय ने सिविल हेलीकॉप्टर प्रचालनों पर प्रशासनिक मार्गदर्शन सामग्री के लिए एक पुस्तिका, **हेली-दिशा,** भी जारी की है। हेली-दिशा जिला प्रशासन स्तर पर प्रसार के लिए तैयार किया गया एक संक्षिप्त और सटीक मार्गदर्शन सामग्री दस्तावेज है। यह दस्तावेज़ विनियामक पहलुओं को सरल और विघटित करता है ताकि जिला प्रशासन नागरिक वायु विनियमों के अनुरूप नियंत्रण उपायों और प्रथाओं के साथ हेलीकॉप्टर संचालन की सुविधा में आसानी से सुधार कर सके। **हेली-दिशा** नागर विमानन अपेक्षाओं को प्रतिस्थापित किए बिना एक मार्गदर्शन सामग्री के रूप में कार्य करती है और लैंडिंग साइटों की आवश्यकताओं की व्याख्या करती है, इस प्रकार हेलीकॉप्टरों की सीधी अनुमति और प्रचालन के लिए

इसके उपयोग के बारे में स्पष्टता प्रदान करती है। पुस्तिका के प्रसार और अपनाने से अनुमति की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

हेलीकॉप्टर उद्योग की सुविधा के लिए मंत्रालय में एक हेलीकाप्टर त्वरित प्रकोष्ठ भी बनाया गया है।

1.3 डिजी यात्रा

विकास के अनुमानों, यात्री यात्रा पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव, बुनियादी ढांचे की लागत और यात्री प्रोसेसिंग की गति और दक्षता पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, नागर विमानन मंत्रालय ने बेहतर और लागत प्रभावी समाधानों के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी की तलाश के लिए पारंपरिक "अधिक यात्रियों को प्रबंधित करने के लिए एक बड़ा हवाई अड्डा बनाएं" से परे भारत में घरेलू हवाई यात्रा की फिर से संकल्पना करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है।

नवप्रयोग और प्रौद्योगिकी के लिए इस मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलों में से एक "डिजी यात्रा" है, जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक घरेलू हवाई यात्री को एक सहज, परेशानी मुक्त और कागज रहित यात्रा का अनुभव देना है। अत्याधुनिक पहचान प्रबंधन और "चेहरा पहचान" प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए, इसका उद्देश्य टर्मिनल एंट्री गेट, चेक-इन / बैग ड्रॉप, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग गेट से हवाई अड्डे के विभिन्न चेक पॉइंट पर यात्री प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

डिजी यात्रा के साथ, यात्रियों को अब हवाईअड्डे के कई चेक प्वाइंटों पर अपने टिकट/बोर्डिंग पास और अपने भौतिक पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे कतारों में प्रतीक्षा समय कम होगा, प्रसंस्करण समय और सरल प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।

डिजी यात्रा के कार्यान्वयन में निम्नलिखित दो घटक हैं:

- डिजी यात्रा में पंजीकरण के लिए एक मोबाईल एप्प आधारित डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (डीवाईसीई)। मोबाईल एप्प को 'डिजी यात्रा फाउंडेशन' द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो हवाईअड्डा प्रचालकों (एएआई, डायल, बीआईएएल, एचआईएएल, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) का एक संयुक्त उद्यम है।

- हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम (डीवाईबीबीएस) का कार्यान्वयन संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा किया जाएगा।

1.4 हवाईअड्डों पर बहु-स्तरीय सुरक्षा प्रदान करने वाली बायोमीट्रिक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली

बायोमेट्रिक एईपी पर आधारित सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को पूरे भारत में 20 बीसीएएस क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में लागू किया गया है और वर्ष 2021 में 88,573 बायोमेट्रिक आधारित एईपी जारी किए गए हैं।

1.5 यात्रियो की संख्या में वृद्धि

घरेलू मार्ग:

वर्ष 2021 (जनवरी-नवंबर) के दौरान, अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों ने पिछले वर्ष 2020 (जनवरी-नवंबर) के दौरान कुल 55.6 मिलियन अनुसूचित यात्रियों का वहन करने वाली 4.78 लाख अनुसूचित उड़ानों की तुलना में वर्ष 2021 (जनवरी-नवंबर में) कुल 71.6 मिलियन अनुसूचित यात्रियों को वहन करने वाली कुल 6.44 लाख अनुसूचित उड़ानें प्रचालित कीं। । अनुसूचित घरेलू भारतीय वाहक द्वारा घरेलू यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष **2020 (30 नवंबर तक)** की तुलना में वर्ष 2021 में 28.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

1.6 एयर बबल

वाणिज्यिक यात्राओं को फिर से शुरू करने के उद्देश्य से विदेशों के साथ अस्थायी व्यवस्था को भी औपचारिक रूप दिया गया है। 08.01.2022 की स्थिति के अनुसार, हमने **35 देशों**, यथा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतर, रवांडा, रूस, सऊदी अरब, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विटजरलैंड, तंजानिया, यूएई, यूके, यूक्रेन, यूएसए और उजबेकिस्तान के साथ एयर बबल व्यवस्था की है। ये एयर बबल 100 से अधिक देशों के लिए प्रत्यक्ष/घुमावदार संपर्क प्रदान करते हैं।

1.7 पायलट प्रशिक्षण संस्थान और एफटीओ

1. एएआई ने बेलगावी (कर्नाटक), जलगांव (महाराष्ट्र), कलबुर्गी (कर्नाटक), खजुराहो (मध्य प्रदेश) और लीलाबाड़ी (असम) में पांच हवाई अड्डों पर स्थापित होने वाले नौ एफटीओ के लिए 31 मई 2021 और 29 अक्टूबर 2021 को अवार्ड लेटर जारी किए हैं।

उदारीकृत नीति के तहत 15 अगस्त 2021 को कलबुर्गी में दो एफटीओ का सॉफ्ट लॉन्च किया गया।

2. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नवंबर 2021 से एएमईऔर फ्लाइट क्रू (एफसी) उम्मीदवारों के लिए नई ऑनलाइन ऑन डिमांड परीक्षा (ओएलओडीई) शुरू की है। ये लाइसेंस परीक्षा उम्मीदवारों को परीक्षा में उपलब्ध स्लॉट पर उसकी पसंद के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने की तारीख और समय चुनने का अवसर प्रदान करते है।

3. डीजीसीएने एफटीओमें उड़ान प्रशिक्षकों को उड़ान प्रचालन को प्राधिकृत करने के अधिकार के साथ सशक्त बनाने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है। यह प्रत्येक एफटीओ में उड़ान के घंटे और विमान के उपयोग को बढ़ाने में मदद करेगा और सीपीएल आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करने में सहायक होगा।

4. भारत की सबसे बड़ी उड़ान अकादमी - अमेठी (उत्तर प्रदेश) में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ) - को गोंदिया (महाराष्ट्र) और कलबुर्गी (कर्नाटक) में पायलट प्रशिक्षण करने की अनुमति दी गई है ताकि इसके उड़ान घंटे और विमान उपयोग को बढ़ाया जा सके, जो दृश्यता के मुद्दों के कारण सर्दियों के महीनों के दौरान गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।

5. भारत ने 31 दिसंबर 2021 तक 863 सीपीएल जारी किए, जो सर्वकालिक सर्वाधिक हैं। यह वृद्धि कोविड की दूसरी लहर की वजह से अप्रैल-जून 2021 में गंभीर व्यवधानों, यास तूफान, तौकते तूफान, मानसून की शीघ्र आगमन और आयातित विमानन ईंधन की बढ़ती लागत के बावजूद भी हुई है।

6. 31 दिसम्बर 2021 को भारतीय एफटीओ द्वारा तैयार किए गए सीपीएल धारकों की संख्या 505 है, जो सर्वकालिक सर्वाधिक है।

1.8 इग्रुआ

1. इग्रुआ ने 2021 में 18 विमानों के साथ 19,019 घंटों का सर्वकालिक सर्वाधिक आंकड़ा छुआ है। इससे पहले का सर्वाधिक घंटे, वित्तीय वर्ष 2013-14 में 24 विमानों के साथ 18,776 थे।

2. मार्च 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, इग्रुआ ने सप्ताह के सभी दिन उड़ान प्रशिक्षण आरंभ किया है। इससे इसके प्रचालनिक घंटों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

1.9 एयरसेवा

1. एयरसेवा 3.0 वेब प्लेटफार्म को 2 अक्टूबर 2021 को लाइव किया गया है। एयरसेवा 3.0 की नई विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- क) प्रयोक्ताओं द्वारा अथवा *सेवा स्तर करार* (एसएलए) समाप्ति पर शिकायतें उठाना
- ख) हितधारकों के बीच शिकायतों का अंतरण
- ग) नोडल अधिकारियों के लिए संवर्धित भूमिकाएं और अनुमतियां
- घ) संवर्धित उड़ान सूचना और उड़ानों की ट्रैकिंग
- ङ) विचार-विमर्श के लिए सार्वजनिक मंच
- च) नोडल अधिकारियों के लिए मोबाइल एप्प

2. एयरसेवा पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए 80 से अधिक हवाई अड्डों पर रणनीतिक स्थानों पर स्टैंडियों, उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली (एफआईडीएस) आदि के माध्यम से एयरसेवा क्यूआर कोड प्रदर्शित किया गया है।

3. एयरसेवा क्यूआर कोड एयरलाइनों के बोर्डिंग पासों और टिकटों पर प्रिंट किया गया है।

4. एयरसेवा पोर्टल पर लंबित शिकायतों की संख्या 20 जुलाई 2021 की 1,354 की तुलना में घटकर 31 दिसंबर 2021 को 37 हो चुकी है (97% कमी)

1.10 मानवरहित विमान प्रणाली (ड्रोन)-

भारत को ड्रोन के अनुसंधान और विकास, परीक्षण, निर्माण और प्रचालन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, केंद्रीय सरकार ने 25 अगस्त 2021 को ड्रोन नियम2021 अधिसूचित की है।

1. ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 30 सितंबर 2021 को ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अधिसूचित की है।

2. डिजीटलस्काईप्लेटफॉर्म को अपडेट किया जा रहा है जो ड्रोन संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। ड्रोन के लिए हवाई क्षेत्र का नक्शा 24 सितंबर 2021 को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है जो ड्रोन पायलटों को अपनी प्रस्तावित उड़ान योजना बनाने में मदद करेगा और आसानी से उस क्षेत्र की पहचान करेगा जिसके भीतर यह आता हो, ताकि यह आकलन किया जा सके कि

उन्हें पूर्वानुमोदन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है या नहीं। डिजीटलस्काईप्लेटफॉर्मकी एप्लीकेशन्स की सुचारू कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा।

3. डीएसपी, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित में भी सहायक है: -

क) ड्रोनों का टाइप प्रमाणीकरण
ख) यूनीक पहचान संख्या (यूआईएन) का पंजीकरण
ग) यूएएस का हस्तांतरण या अपंजीकरण
घ) यूएएस के प्रचालन
ङ) यूएएस यातायात प्रबंधन (यूटीएम)
च) रिमोट पायलट लाइसेंस का मुद्दा
छ) रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) का प्रधिक्करण
ज) शुल्क, बीमा, अपराध, जुर्माना, अपील आदि;

4. 31 दिसंबर 2021 तक, 22 मॉडलों को अनंतिम रूप से अनुमोदित किया गया है और 558 विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) जारी किए गए हैं। डिजीटलस्काईप्लेटफॉर्म के माध्यम से 30 नवंबर 2021 तक जारी किए गए ड्रोन पावती नंबर (डीएएन) की संख्या 29,459 है। नौ ड्रोन स्कूलों को मंजूरी दी गई है। ड्रोन के जटिल प्रचालनों को सक्षम बनाने के लिए, यूटीएमहवाई क्षेत्र में समग्र सुरक्षा बढ़ाने और हितधारकों को स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करने के लिए, मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) यातायात प्रबंधन (यूटीएम) नीति रूपरेखा, 2021 24 अक्टूबर 2021 को जारी की गई है।

1.11 इंडिया एयर कार्गो

नई एयर कार्गो सुविधा:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणकी एक सहायक कंपनीएएआईसीएलएएस,नागर विमानन मंत्रालयने राजमुंदरी, तिरुपति और हुबली हवाई अड्डों पर घरेलू एयर कार्गो सुविधाओं को चालू किया है।

कोलकाता हवाई अड्डे पर ईसीसीएस सुविधा के साथ अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल चालू किया गया है।

विस्तार:

जुलाई 2021 में भोपाल हवाई अड्डे पर एक नई कोल्ड स्टोरेज सुविधा शुरू की गई है और अप्रैल 2021 में चेन्नई हवाई अड्डे पर नवनिर्मित गोदाम जोड़े गए हैं।

टीकाकरण अभियान:

एएआईसीएलएएस ने एएआईसीएलएएसमुख्यालय, नई दिल्ली में "ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर (ओसीसी)" की स्थापना की है और सभी एयरलाइंस, एयर कार्गो टर्मिनल ऑपरेटरों, एयरपोर्ट ऑपरेटरों, राज्य सरकार के अधिकारियों, स्वास्थ्य अधिकारियों, सीरम संस्थान, आईसीएमआरसंबंधित फॉरवर्डिंग एजेंटों, सीआईएसएफऔर एमओसीए, आदि के बीच घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा है।

एएआईसीएलएएस ने लगभग 75 करोड़ (लगभग) टीके की खुराक की आवाजाही के लिए सुविधा प्रदान की है। एएआई के माध्यम से जनवरी '2021 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान देश भर में 35 हवाई अड्डों का प्रबंधन किया।

इस वर्ष कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान, दिल्ली हवाई अड्डे ने 27 अप्रैल, 2021 से 25 मई, 2021 के बीच 200कोविड-19 राहत उड़ानों को सफलतापूर्वक संभाला है, जिससे 36 से अधिक देशों से सहायता प्राप्त हुई है।

संभलाई किया गया टनभार:

एएआईसीएलएएस वित्त वर्ष 2021-22 (अप्रैल, 2021 से अप्रैल 2021 तक) के दौरान भारतीय हवाई अड्डों द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो के प्रचालन में 45.6% की सकारात्मक वृद्धि और भारतीय हवाई अड्डों द्वारा घरेलू हवाई कार्गो के प्रचालन में (अप्रैल; 2021 से नवंबर;2021) वर्ष 2020 में 08 महीनों की इसी अवधि की तुलना में 44.7% की सकारात्मक वृद्धि का हिस्सा रहा है।

1.12 विमानों की लीजिंग और वित्तपोषण

क) गिफ्ट सिटी, भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी, भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं (आईएफएससी), बैंकिंग, पूंजी बाजार, फंड प्रबंधन, विमान पट्टे, बीमा इत्यादि जैसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में अवसरों की व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। यह केंद्र प्रमुख वैश्विक और घरेलू बैंकों द्वारा आईएफएससीमें प्रतिष्ठान स्थापित करने के साथ भारत में आउटबाउंड और इनबाउंड पूंजी प्रवाह के लिए एक पसंदीदा प्रवेशद्वार के रूप में तेजी से उभर रहा है।

ख) गिफ्ट सिटी में केंद्र आईएफएससी के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत, आईएफएससी वित्तीय सेवाओं के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है।

ग) आईएफएससी से विमान पट्टे और वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने आईएफएससी में विमान पट्टे पर देने वाली संस्थाओं के लिए प्रतिस्पर्धी व्यवस्था प्रदान की है:

i पहले 15 वर्षों के ब्लॉक में से लगातार 10 वर्षों की अवधि के लिए 100% कर माफी।

ii कर माफी (वित्त अधिनियम, 2021) के दौरान विमान के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ के लिए कर माफी अवधि बढ़ाई गई।

iii गैर-निवासियों को विमान पट्टे पर देने वाली संस्थाओं द्वारा किया गया ब्याज और रॉयल्टी भुगतान कर योग्य नहीं है। (वित्त अधिनियम, 2021)

iv राजस्व विभाग ने उक्त अधिसूचना के तहत भारत में पट्टेदार द्वारा आईजीएसटी के भुगतान के संबंध में मौजूद विसंगति को दूर करने के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 50/2017 की शर्त 102 में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के बाद, भारतीय आयातक/पट्टेदार को शून्य आईजीएसटी आयात शुल्क मिलता रहेगा यदि लीज सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान आईएफएससीए आधारित पट्टेदार द्वारा फॉरवर्ड चार्ज तंत्र के तहत किया जाता है।

v विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपनी आयात नीति के तहत आईएफएससीआधारित विमान पट्टे पर देने वाली संस्थाओं को डीजीएफटीसे आयात लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना विमान आयात करने की अनुमति दी।

vi गुजरात सरकार ने आईएफएससी में विमान पट्टे और वित्तपोषण के संबंध में स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की है।

घ) भारत में आईएफएससीमें एक अनुकूल नियामक संरचना प्रदान करने और विमान संचालन पट्टे के व्यवसाय को सक्षम करने के लिए, 19 फरवरी, 2021 को आईएफएससीएने 'विमान प्रचालन पट्टों के लिए संरचना' जारी किया। इस संरचना के तहत, सात पट्टे पर देने वाली संस्थाओं ने आईएफएससीएके साथ पंजीकृत किया है (इसके अलावा, 3 संस्थाओं को सैद्धांतिक मंज़ूरी प्रदान की जाती है) और इनमें से कुछ संस्थाएं पहले ही इस ढांचे के तहत पट्टे के लेनदेन को निष्पादित कर चुकी हैं।

1.13 भारत को विमान अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) के लिए हब बनाना

सरकार ने विमान एमआरओ सेवाओं के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 1 सितंबर, 2021 को संशोधित अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

i. रॉयल्टी सहित किसी भी अभिव्यक्ति में रियायत शुल्क, मौजूदा अनुबंधों के नए/नवीनीकरण पर नहीं लगाया जाएगा।

ii. नए एमआरओ अनुबंधों के लिए युक्तियुक्त भूमि/स्थान किराये के तहत भूमि/स्थान के आवंटन के लिए एजेंसी और प्रक्रियाओं का चयन और मौजूदा एमआरओ अनुबंधों का नवीनीकरण, एएआई द्वारा ई-निविदा के माध्यम से होगा।

iii. एमआरओ सेवा प्रदाताओं/विमान अनुरक्षण संगठनों (एएमओ) के मौजूदा भूमि पट्टों/स्थान लाइसेंस का नवीनीकरण, बोली के आधार पर किया जाएगा जिसमें मौजूदा पट्टेदार/लाइसेंसधारी को पहले इनकार का अधिकार (आरओएफआर) दिया जाएगा ताकि वह चयन मानदण्डों के अनुसार प्रथम रैंक बिड से मेल खा सके, बशर्ते इसकी बोली प्राप्त सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी बोली के 15% के भीतर हो।

iv. उद्धृत/स्वीकृत पट्टा शुल्क प्रत्येक तीसरे वर्ष के बाद 15% की दर से बढ़ाया जाएगा।

v. भूमि/स्थान के आवंटन के लिए अनुबंध, नया या नवीनीकरण की अधिकतम अवधि साइट सौंपने की तिथि से 30 वर्ष होगी।

2. नागर विमानन मंत्रालय

2.1 संगठन

नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित संगठन हैं:-

संबद्ध कार्यालय/संगठन

- नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)
- नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस)
- रेल सरंक्षा आयोग (सीआरएस)
- विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी)

स्वायतशासी निकाय

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ)
- विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
- राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आजीएनएयू)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा)
- एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल)
- पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल)

2.1.1 नागर विमानन मंत्रालय देश में नागर विमानन क्षेत्र के विकास और विनियमन हेतु राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रतिपादन के लिए उत्तरदायी है। यह देश में वायुयान अधिनियम, 1934, वायुयान नियम, 1937 तथा विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अन्य विधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

2.1.2 नीति निर्धारण संबंधी प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त, मंत्रालय अपने संगठनों को नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में मार्ग-दर्शन प्रदान करता है, उनकी गतिविधियों की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करता है और संसद के साथ उनका इंटरफेस भी मुहैया कराता है। मंत्रालय संगठनों द्वारा सरकार के विशेष कार्यक्रमों, विशेषकर समाज के कमजोर तबकों के लिए बनाये गये कार्यक्रमों, के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण भी करता है।

2.1.3 सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की सहायता के लिए पाँच संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, एक संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, निदेशक/उप-सचिव/वित्त नियंत्रक, एक उप महानिदेशक स्तर के सात अधिकारी तथा अवर सचिव/सहायक वित्त नियंत्रक स्तर के तेरह अधिकारी हैं। मंत्रालय के कार्यों का आबंटन इसके सत्रह अनुभागों के बीच किया गया है।

संबद्ध कार्यालय के प्रमुख

- नागर विमानन महानिदेशालय : श्री अरुण कुमार, महानिदेशक
- नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो : श्री नासिर कमल डी.जी.
- रेल संरक्षा आयोग : श्री शलैश कुमार पाठक, सीसीआरएस
- विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो : श्री अरबिंदो हांडा, डी.जी.

स्वायत्तनिकाय के प्रमुख

- विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण : श्री बी. एस. भुल्लर, अध्यक्ष
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी : श्री कृष्नेन्दु गुप्ता, निदेशक
- राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय : श्री नलिन कुमार टंडन, कुलपति

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्री संजीव कुमार, अध्यक्ष
- एअर इंडिया लिमिटेड : श्री राजीव बंसल, सीएमडी
- पवन हंस लिमिटेड: श्रीमती संजीव राजदान, सीएमडी

नागर विमानन मंत्रालय का संगठनात्मक संरचना

श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
नागर विमानन मंत्री

जनरल (डा.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत)
नागर विमानन राज्य मंत्री

श्री राजीव बंसल
सचिव, नागर विमानन

श्री पीयूष श्रीवास्तव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
संयुक्त सचिव

श्री विमलेन्द्र आनंद पटवर्धन
संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार

श्रीमती उषा पाढ़ी
संयुक्त सचिव

श्रीमती रुबीना अली
संयुक्त सचिव

श्री अम्बर दुबे
संयुक्त सचिव

श्रीमती चन्दन मिश्रा द्विवेदी
मुख्य वित्तीय नियंत्रक

2.2 रिकार्ड प्रबंधन

नागर विमानन मंत्रालय के मौलिक कार्यों से संबंधित रिकार्ड की रिकार्ड प्रतिधारण अनुसूची सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ई-एचआरएमएस का क्रियान्वयन

सेवा रिकॉर्ड, छुट्टी, एलटीसी, अग्रिम एवं प्रतिपूर्ति, इत्यादि जैसे विभिन्न स्थापना संबंधी कार्यों का रिकॉर्ड रखने तथा रखरखाव हेतु डीओपीटी द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में एक ऑनलाइन प्रणाली, अर्थात ई-एचआरएमएस शुरू की गई है। नागर विमानन मंत्रालय चुनिन्दा मंत्रालयों में से एक है जिसे पहली चरण में ई-एचआरएमएस की क्रियान्वयन हेतु चुना गया है।

संगठन एवं पद्धति

प्रस्तुति के चैनल (Channel of Submission) को डीएआर एवं पीजी की इस मामले में संशोधित दिशानिदेशों के अनुसार जुलाई 2021 में संशोधित किया गया था तथा निपटान के स्तरों को अधिकतम मामलों में 4 स्तरों तक कम कर दिया गया है। संशोधित प्रस्तुति के चैनल तथा विभागों के बीच कार्य विभाजन, मंत्रालय को आवंटित कार्य एवं विभागों के बीच इनका विभाजन तथा संगठन चार्ट, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुपालन में इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2.3 एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

एकल उपयोग प्लास्टिक को नागर विमानन मंत्रालय और उसके अनुषंगी कार्यालयों के परिसर में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

2.4 स्वच्छ भारत मिशन 2.0

स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत, माननीय नागर विमानन मंत्री की विशेष देखरेख एवं मार्गदर्शन में नागर विमानन मंत्रालय में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, अक्तूबर से दिसंबर 2021 तक मंत्रालय में विभिन्न कार्यकलापों जैसे किपुराने फाइलों/रिकॉर्ड की बड़े पैमाने पर छटाई, वृक्षारोपण, श्रमदान, इत्यादि किया गया। इस अवधि के दौरान, मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों ने प्रत्येक शुक्रवार सांय 5.00 से 8.00 बजे तक कार्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान में तत्परता से भाग लिया। इसके

फलस्वरूप, लगभग 13 टन फाइलें/कागज़ों की छटाई करके उन्हें रिसाइक्लिंग यूनिट भेजा गया, तथा लगभग 1562 वर्ग फुट जगह खाली की गई।

2.5 लोक शिकायत निवारण तंत्र

केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS), जो कि एक वेब-आधारित सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा प्रारंभ और विकसित किया गया था। 01.01.2008 से शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निपटान के लिए यह प्रणाली मंत्रालय में लागू की गई है। वर्ष 2021 में, कुल 16,496 सार्वजनिक शिकायत मामले ऑन-लाइन प्राप्त हुए, जिनमें से 15,406 मामले, यानी लगभग 93.39 %, CPGRAMS के माध्यम से निपटाए गए हैं। एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को मंत्रालय में "लोक शिकायत अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले सभी संगठनों के पास संबंधित नामित "नोडल अधिकारियों" की अध्यक्षता वाली सार्वजनिक शिकायत निवारण मशीनरी भी है।

2.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन सूचना तक विश्वस्त पहुंच प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। यह प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही और साथ ही साथ नागरिकों के अनुरोध का समय पर निपटान करने को भी बढ़ावा देता है।

अधिनियम को लागू करने के लिए इस मंत्रालय में 13 सीपीआईओ और 9 अपीलीय अधिकारियों को नामित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में लोगों में बढ़ती जागरूकता के साथ, इस वर्ष ऑनलाइन / मेल के माध्यम से बड़ी संख्या में आवेदन / अपील प्राप्त हुए। वर्ष 2020 के दौरान कुल 1432 आवेदन और 42 अपील प्राप्त हुईं। इन आवेदनों और अपीलों को निर्धारित समय के भीतर निपटाने के लिए सभी प्रयास किए गए।

2.7 सतर्कता गतिविधियां

इस मंत्रालय के सतर्कता अनुभाग की अध्यक्षता केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से नियुक्त संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है,जो सतर्कता संबंधी

ढांचे में नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)को निदेशक/उपनिदेशक,अवर सचिव और सतर्कता अनुभागसहयोग उपलब्ध कराते हैं। सतर्कता अनुभाग अन्य बातों के साथ-साथ इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी निकायों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों की मॉनीटरिंग और समन्वय करता है।

इस मंत्रालय के तहत सभी सार्वजनिक उपक्रमों में पूर्णकालिक सीवीओ विद्यमान हैं, जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एअर इंडिया लिमिटेड और पवन हंस लिमिटेड, जिन्हें एसीसी द्वारा नियुक्त किया जाता है। जबकि, मंत्रालय (मुख्य) और डीजीसीए में अंशकालिक सीवीओ होते हैं, जिन्हें सीवीसी के परामर्श से नियुक्त किया जाता है।

निवारक सतर्कता पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाता है,जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर प्रमुख बल दिया जाता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस संबंध में समय-समयपर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है ।

'सहमत सूची-2021' और'संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची-2021' को तैयार किया गया है और इसे सीबीआई के साथ साझा किया गया।

2.7.1 अनुशासनात्मक मामले

कैलेंडर वर्ष2021 के लिए,अनुशासनात्मक मामले का प्रारंभिक शेष (ओबी)01 था, वर्ष2021 के दौरान एक लधु अस्ति कार्रवाई शुरू की गई थी और इसे वर्ष2021 में आरोपित अधिकारी पर मामूली जुर्माना लगाकर समाप्त किया गया था। इस प्रकार, दिनांक31.12.2021 को मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग में केवल01 अनुशासनात्मक मामला लंबित था।

2.7.2 शिकायतें

कैलेंडर वर्ष2021 के लिए, शिकायतों का प्रारंभिक शेष (ओबी)13 था और वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें40 थीं, निपटाई गई शिकायतों की संख्या41 थी और शिकायतों का समापन शेष12 था।

2.7.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021का आयोजन

- मंत्रालय (मुख्य) के साथ-साथ इस मंत्रालय के अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में "**स्वतंत्र भारत के75 वर्ष: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता**" विषय के साथ दिनांक26अक्टूबर से दिनांक01नवंबर2021तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया था।

- इसका आरंभ दिनांक26.10.2021 को नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को सुबह11:00 बजे माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री द्वारा दिलाई गई'सत्यनिष्ठा शपथ'के साथ शुरू किया गया था।

- उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय की वेबसाइट पर ई-शपथ (जो सीवीसी वेबसाइट पर उपलब्ध थी) के लिए एक लिंक भी प्रदान किया गया था और मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इस अवसर पर कार्यालय के प्रमुख स्थलों/स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे।
- अधिकारियों के बीच जागरूकता फैलाने और उन्हें सतर्कता कार्यों के साथ जोड़ने के लिए मंत्रालय के सतर्कता विभाग ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों में मंत्रालय के अधिकारियों के लिए निबंध लेखन, क्विज़, पोस्टर बनाना और स्लोगन लेखन प्रतियोगिताएं शामिल थीं।

2.7.4 सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता संगोष्ठी:

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान,दिनांक29.10.2021 को भारतीय विमानन अकादमी, वसंत कुंज, नई दिल्ली में सतर्कता जागरूकता पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। संगोष्ठी का आयोजन,नागर विमानन मंत्रालय द्वारा*'आजादी का अमृत महोत्सव'* मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के एक भाग के रूप में किया गया था। संगोष्ठी का उद्देश्य,भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को खत्म करने के तरीकों की रणनीति बनाना था।

- माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में संगोष्ठी में भाग लिया। संगोष्ठी में सीवीसी, सीबीआई के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इसके अलावा, संगोष्ठी में नागर विमानन के सचिव, और नागर विमानन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ डीजीसीए, बीसीएएस, भाविप्रा, एआई, पीएचएल आदि के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
- संगोष्ठी के दौरान, "CompendiumofSystematicImprovements" नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक मंत्रालय के सतर्कता विभाग और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा गहन जांच के आधार पर किए गए केस स्टडीज का संकलन है और व्यवस्थित सुधार का सुझाव देती है।
- संगोष्ठी के दौरान नागर विमानन मंत्रालय के तत्वावधान में विभिन्न संगठनों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया।पैनलिस्टों ने "निवारक सतर्कता", "शिकायत प्रबंधन तंत्र", "सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक चूक", "कार्यों / खरीद की गहन परीक्षा", "दंडात्मक सतर्कता" जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।चर्चा का उद्देश्य मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के तरीकों की रणनीति बनाना था।

2.7.5 डीटी अनुभाग का निरीक्षण

सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीवीओ से निवारक सतर्कता के उपाय के रूप में आवधिक/औचक निरीक्षण करने की अपेक्षा की जाती है। उसी के अनुसरण में दिनांक29.09.2021 को डीटी अनुभाग, नागर विमानन मंत्रालय का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण, "वर्ष-2021 के दौरान अनुसूचित / गैर-अनुसूचित ऑपरेटरों को एनओसी जारी करने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने" से संबंधित था। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि वर्ष2021 में कुल छह ऑपरेटरों ने गृह मंत्रालय की सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन किया था। इन सभी06 ऑपरेटरों से संबंधित फाइलों की विस्तार से जांच की गई है।

2.7.6 सामान्य अनुभाग का निरीक्षण

30.12.2021 को सामान्य अनुभाग, नागर विमानन मंत्रालय का निरीक्षण किया गया था। यह निरीक्षण "वित्त वर्ष2020-21 के दौरान जीईएम(Government E Marketplace) की बजाय बाहर की गई खरीद" से संबंधित था। निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि2020-21 के दौरान जीईएमके बाहर कुल109

वस्तुओं/सेवाओं की खरीद की गई थी। इन109 मदों में से कुछ यादृच्छिक मदों को विस्तृत संवीक्षा के लिए चुना गया था।

2.8 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ संगठनों की सेवाओं तथा पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी संपर्क कार्य की देखरेख एक समर्पित प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है। मंत्रालय के विभिन्न संगठनों में भी इसी प्रकार के प्रकोष्ठ कार्य करते हैं। आरक्षित वर्गों से संबंधित सरकारी आदेशों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा बनाए गए आरक्षण रोस्टरों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों को लागू कराए जाने के लिए सभी संगठनों के ध्यान में लाया जाता है। इस बारे में सभी आवधिक विवरणियां नियमित रूप से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाती हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों/उनके संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों/शिकायत याचिकाओं की जांच की जाती है तथा उन पर आवश्यकता अनुसार उपचारी कार्रवाई की जाती है।

2.9 वरिष्ठ नागरिक कल्याण

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी तथा ''वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय नीति'' में यथा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में अविलम्ब, निष्पक्ष तथा मानवीय दृष्टिकोण से कार्रवाई करना सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। निम्नलिखित के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं:-

- सभी एयरपोर्टों पर तथा एयरलाइन तक सुगम प्रवेश, आवाजाही तथा निकासी की सुविधा के लिए सभी प्रत्यक्ष बाधाओं को दूर करना;
- सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे फ्रिस्किंग बूथों में ढांचागत बदलाव लाए जाएं ताकि वृद्धों को सुरक्षा जांच के दौरान चढ़ना-उतरना न पड़े;
- इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हवाई अड्डों पर यात्रियों के गाड़ी से उतरने के बाद, विशेषकर चेक-इन काउंटरों पर पहुंचने तक, हर प्रकार की सहायता/मदद दी जाए;

- एयरलाइनों के बुकिंग कार्यालयों तक पहुंचने में भी वृद्ध व्यक्तियों तथा जिन यात्रियों को, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए;
- एयरलाइनों में आरक्षण तथा सीटों के चयन में भी इन्हें वरीयता दी जाए;
- पति की मृत्यु हो जाने पर विधवाओं को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति/देय सुविधाओं के मामलों को विशेष अग्रता देते हुए निपटाया जाए; तथा
- पेंशन, भविष्य निधि, उपदान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को निपटाने में होने वाली किसी प्रकार की देरी के बारे में जवाबदेही नियत की जाए।

2.10 पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निदेर्शों को ध्यान में रखते हुए, इस मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालयों को पर्यावरण संरक्षण के निर्देश दिए गए हैं।

2.11 संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

नागर विमानन मंत्रालय, संघ की राजभाषा नीति को कारगर ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और किए गए इन प्रयासों से मंत्रालय में राजभाषा का प्रयोग, लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2021-22 में किए गए प्रयासों और उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण, नीचे दिया जा रहा है:-

2.11.1 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

अपर सचिव स्तर के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के प्रभारी अधिकारीहैं। मंत्रालय में एक निदेशक, एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, दो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, दो सहायक अनुभाग अधिकारी, दो वरिष्ठ सचिवालय सहायक, एक अवर श्रेणी लिपिक और एक आशुलिपिक के स्वीकृत पदों वाला एक राजभाषा प्रभाग है।

राजभाषा प्रभाग, मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की विधिवत निगरानी करता है।

प्रभाग द्वारा, संसदीय और बजटीय मामलों के अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त होने वाली विविध सामग्री, जैसे कि सामान्य आदेश, नियम, मानक प्रपत्र, अधिसूचना, संकल्प, मंत्रिमंडल टिप्पणियां (अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुबंधों को छोड़कर) माननीय मंत्री

महोदय की ओर से तथा वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से लिखे जाने वाले अ.शा. पत्रों, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टों और प्रेस विज्ञप्तियों आदि का अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करके, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है।

2.11.2 हिन्दी सलाहकार समिति

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन, दिनांक 25 जनवरी, 2021 को कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री जी हैं। इसके 15 गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। (संसदीय कार्य मंत्रालय से 4 सांसद, संसदीय राजभाषा समिति से 2 सांसद, राजभाषा विभाग से 3 हिंदी विद्वान, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद से एक प्रतिनिधि, हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़ी संस्था से एक प्रतिनिधि तथा मंत्रालय से चार प्रतिनिधि नामित किए जाते हैं)। इसके अलावा सरकारी सदस्यों में मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुख तथा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और इसके ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी शामिल होते हैं। समिति की बैठक, दिनांक 25 अगस्त, 2021 को आयोजित की गई थी।

2.11.3 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में, राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुख तथा मंत्रालय के उप सचिव तथा इसके ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी इसके सदस्य हैं। समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में, आयोजित की जाती है। बैठक में, मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है और हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए जाते हैं।

2.11.4 तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्य में, हिन्दी में किए गए कार्य का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रभागों से आंकड़े एकत्र करके तिमाही प्रगति रिपोर्ट समेकित की जाती है और नियमित आधार पर राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। इसी प्रकार, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। इसके साथ-साथ मंत्रालय के सभी सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्राप्त कर उनकी समीक्षा भी की जाती है।

2.11.5 नकद पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएं

मंत्रालय में, भारत सरकार, राजभाषा विभाग की,'सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना' लागू की जा रही है। इसके अलावा एक विशेष प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत हिन्दी में टिप्पण और आलेखन के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

2.11.6 आजादी का अमृत महोत्सव और हिन्दी दिवस (14 सितंबर) और हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

मंत्रालय में प्रत्येक वर्ष की भांति, इस वर्ष भी 14 सितंबर, 2021-30 सितंबर, 2021 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया तथा 4 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कार्मिको ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। इस वर्ष के भारत की आजादी के 75वें वर्ष होने के नाते इस बार पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई प्रतियोगिताओं पर आजादी के अमृत महोत्सव की झलक दिखाई दी।

दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान आदरणीय सचिव महोदय के कर-कमलों से सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

इसके अलावा, सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष भर में हिंदी में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार तथा गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सचिव महोदय द्वारा शील्ड प्रदान की गई।

पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सचिव, नागर विमानन महोदय श्री राजीव बंसल जी, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार महोदय, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, संबद्ध कार्यालयों के प्रमुखों और पुरस्कार विजेताओं के साथ

आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सेनानियों तथा हिंदी साहित्यकारों को श्रद्धांजलि दी जा रही है।

2.11.7 हिन्दी कार्यशालाएं

कर्मचारियों की, सरकारी कामकाज हिन्दी में करने में आने वाली झिझक को दूर करने के लिए वर्ष के दौरान चार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

2.11.8 राजभाषा निरीक्षण

वर्ष के दौरान, मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के निरीक्षण दल द्वारा मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों और सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निरीक्षण किया गया।

2.11.9 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के भुवनेश्वर, बेंगलुरू, लेह, श्रीनगर, जम्मू, गोवा, दीव तिरुपति, गंगटोक, बागडोगरा, गुवाहाटी, कोलकाता, नागपुर, पुणे के कार्यालय का, एअर इंडिया के लेह और हैदराबाद और पवन हंस के मुंबई तथा डीजीसीए के, मुंबई कार्यालय का निरीक्षण किया गया।

2.11.10 अन्य क्रिया कलाप

इस वर्ष प्रत्येक तिमाही में महान साहित्यकारों पर निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

2.11.11 काव्यांजलि

मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 'काव्यांजलि' के नाम से स्वरचित काव्यपाठ प्रतियोगिता दिनांक 30 जुलाई, 2019 को आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सचिव, नागर विमानन के कर कमलों से किया गया। प्रतिभागियों की कविताओं का संकलन भी,'काव्यांजलि' के नाम से 2021 में प्रकाशित कर दिया गया है।

2.11.12 राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

मंत्रालय में राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नागर विमानन मंत्रालय को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित किया गया। दिनांक 14 सितंबर को हिंदी दिवस केभव्य अवसर पर यह पुरस्कार माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर-कमलों द्वारा तत्कालीन सचिव, नागर विमानन मंत्रालय श्री प्रदीप सिंह खरोला जी को विज्ञान भवन में प्रदान किया गया।

हिंदी दिवस के भव्य अवसर पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री प्रदीप सिंह खरोला, तत्कालीन सचिव, नागर विमानन मंत्रालय।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिलने पर तत्कालीन सचिव, नागर विमानन मंत्रालय श्री प्रदीप सिंह खरोला जी, राजभाषा प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों को बधाई देते हुए।

3. नागर विमानन महानिदेशालय

3.1 प्रस्तावना

नागर विमानन महानिदेशालय नागर विमानन के क्षेत्र में वायुयान संशोधन अधिनियम, 2020 के अंतर्गत सांविधिक स्थिति प्राप्त प्रमुख विनियामक निकाय है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ समन्वय किए जाते हैं तथा यह भारत/से/के/ भीतर विमान परिवहन सेवाओं के संरक्षा विनियमन, सिविल विमान विनियमन, विमान संरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले मानकों एवं अनुशंसित उत्तम व्यवहारों के अनुसार उड़न-योग्यता मानकों के निर्धारण एवं प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है।

3.2 संगठन

नागर विमानन महानिदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संगठन के प्रमुख महानिदेशक, नागर विमानन हैं जिनकी सहायता के लिए संयुक्त महानिदेशक वउप-महानिदेशक हैं। महानिदेशक के नियंत्रणाधीन विभिन्न निदेशालय हैं, जो भिन्न-भिन्न कार्यों को करने में उनकी सहायता करते हैं।

3.3 कार्य

नागर विमानन महानिदेशालय का प्रमुख कार्य नागर विमानन संबंधी सभी विषयों का विनियमन करना है। इसके कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं;

i विदेशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करारों और सरकार की नीतिगत उदघोषणाओं सहित वायुयान नियम, 1937 के उपबंधों के अनुसार भारत से / के लिए/ के भीतर विमान परिवहन सेवाओं का विनियमन;

ii सिविल विमानों का रजिस्ट्रीकरण;

iii भारत में रजिस्ट्रीकृतसिविल वायुयानों के लिए उड़नयोग्यता अपेक्षाओं को निर्धारित करना और ऐसे वायुयानों को उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र की मंजूरी देना;

iv पायलटों,वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरों को लाइसेंस देना तथा उड़ानकर्मी दल मानकों की निगरानी करना;

v विमान क्षेत्रों व विमानवाहकों को लाइसेंस देना;

vi नागर विमानन संबंधी विषयों पर सरकार को परामर्श देना;

vii शिकागो अभिसमय और उसके उपबंधों तथा विमानन से संबंधित अन्य अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों के उपबंधों को भारत में लागू करने की दृष्टि से वायुयान अधिनियम, 1934 और वायुयान नियम, 1937 व विमानन से संबंधित अन्य अधिनियमों के संशोधनों पर कार्रवाई करना;

viii अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन संबंधी कार्यों का समन्वय करना और अन्य एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात राष्ट्रों के पत्रों का उत्तर भेजना;

ix विमान दुर्घटनाओं एवं घटनाओं का अन्वेषण करना तथा जांच न्यायालयों/समितियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना;

x उड़ान/ ग्लाइडिंग क्लबों की प्रशिक्षण गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना; और

xi वायुयान का टाइप प्रमाणन।

3.4 अंतरराष्ट्रीय संबंध

3.4.1 विमान सेवा करार

विश्व भर में व्याप्त कोविड-19 की स्थितियों के कारण 23 मार्च, 2020 से अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित यात्री विमान परिवहन सेवाएं स्थगित होने के कारण भारत सरकार द्वारा यात्री यातायात की सुगम आवाजाही के लिए अन्य देशों के साथ "परिवहन बबल" करार के नाम से सामान्यत: ज्ञात द्विपक्षीय अस्थाई विमान यात्रा व्यवस्थाएं की गई हैं। "परिवहन बबल" करार पर 35 देशों नामत: अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इथियोपिया, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, कज़ाकिस्तान, केन्या, कुवैत, मालदिव, मॉरीशस, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतर, रूस, रवांडा, सऊदी अरब, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, यूक्रेन, यूएई, यूके, यूएसए तथा उज्बेकिस्तान के साथयात्रियों को भारत से/के लिए हवाई यात्रा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दूसरे और देशों के साथ यात्रियों के आवाजाही को आसान बनाने के लिए ऐसे और समझौते होने की संभावना है।

3.4.2 विधायन

वैधानिक प्रावधानों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष रखने तथा नागर विमानन के क्षेत्र में नवीनतम विकास के लिये, वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 को अधिनियमित किया गया है तथा वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 में संशोधन के आलोक में वित्तीय दंड लगाने एवं अपराध-शमन से संबन्धित प्रावधानों को वायुयान नियम, 1937 में शामिल किया गया है। नया नियम अर्थात ड्रोन नियम, 2021 को ड्रोन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए लागू किया गया है।

3.5 विमान परिवहन

3.5.1 अनुसूचित प्रचालक

दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार एअर इंडिया लिमिटेड, एलाइंस एयर और एअर इंडिया चार्टर्स लिमिडेट के अतिरिक्त ग्यारह (11) निजी अनुसूचित/अनुसूचित कम्यूटर प्रचालक अर्थात स्पाइस जेट लिमिटेड, गो एयरलाइंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो), एयर एशिया प्राइवेट लि., टाटा एस आई ए एयरलाइंस लि. (विस्तारा), टर्बो मेघा एयरवेज प्रा. लि. (ट्रू जेट), घोड़ावत इंटरप्राइजेज प्रा. लि. (स्टारएयर), हेरिटेज एविएशन प्रा. लि., एविएशन कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड (एयर टैक्सी), बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड (फ़्लाइ बिग), पवन हंस लि. घरेलू क्षेत्र में उड़ानों की वृहद रेंज के साथ भारत के विभिन्न भागों में विमान सेवाओं का प्रचालन कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, एक कार्गो एयरलाइन यथा ब्लूडार्ट एविएशन लि. भी है जो देश में अनुसूचित कार्गो सेवाएं प्रचालित कर रही है। इसके अतिरिक्त,स्पाइस जेट द्वारा भीपांच (5) बी 737 मालवाहक वायुयानों के साथ कार्गो संचालन प्रचालित किए गए थे।

3.5.2 अनुसूचित प्रचालकों (05.01.2022 को उपलब्ध डेटा के अनुसार) द्वारा वहन किए गए यात्री

घरेलू मार्गः

वर्ष **2021 (जनवरी-नवंबर)** के दौरान अनुसूचित घरेलू एयर लाइनों ने 6.44 लाख अनुसूचित उड़ानें प्रचालित की जिनमें कुल 71.6 मिलियन यात्री वहन किए गए जबकि पिछले वर्ष **2020 (जनवरी-नवम्बर)** के दौरान 4.78 लाख उड़ानें प्रचालित की गई जिनमें कुल 55.6 मिलियन यात्री वहन किए गए थे। पिछले वर्ष अर्थात **2020 (30 नवम्बर तक)** की तुलना में, वर्ष 2021 में अनुसूचित घरेलू भारतीय वाहकों द्वारा वहन किए गए घरेलू यात्रियों की संख्या में 28.9प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अंतरराष्ट्रीय मार्गः

अनूसूचित भारतीय /विदेशी वाहकों द्वारा **जनवरी से सितम्बर, 2021** की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर 9.8 मिलियन यात्री वहन किए गए जबकि 2020 में इसी अवधि के दौरान 14.9 मिलियन यात्री वहन किए गए थे जिससे कुल -34.2% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई है। **जनवरी से सितंबर, 2021** के दौरान 9.8

मिलियन यात्रियों में से 5.1 मिलियन यात्री अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा वहन किए गए जबकि 4.7 मिलियन यात्री अनुसूचित विदेशी वाहकों द्वारा वहन किए गए।

3.5.3 गैर अनुसूचित प्रचालक परमिट

जनवरी से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान तीन (3) नये गैर अनुसूचित प्रचालक परमिट प्रदान किए गए तथा दिनांक 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, गैर-अनुसूचित प्रचालक परमिट धारक कंपनियों की कुल संख्या 94 है जबकि दिनांक 31.12.2020 को इनकी संख्या 102 थी।

3.5.4 पर्यटक चार्टर्स

कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए वीजा/यात्रा प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए जनवरी से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान भारत से आने- जाने के लिए समावेशी यात्रा पैकेज (आईटीपी) चार्टर उड़ानों प्रचालन नहीं किया जा सका। गोवा के लिए समावेशी यात्रा पैकेज (आईटीपी) चार्टर उड़ाने पुन: शुरू हो गई है तथा कुल 11 उड़ाने संचालित हुई जिससे कुल 2108 यात्री भारत आए।

3.6 उड़नयोग्यता

उड़नयोग्यता निदेशालय, मुख्यालय द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलाप नीचे की तालिका में सूचीबद्ध हैं:-

क्र सं	कार्य-कलाप	संख्या
1.	**विमान का पंजीकरण**	
	वर्ष 2021 में पंजीकृत विमानों की कुल संख्या	115
2.	**जारी / परिवर्तित किए गए एएमई लाईसेंस**	
	वर्ष 2021 में जारी किए गए एएमई लाईसेंसों की संख्या	487
	वर्ष 2021 में पृष्ठांकित किए गए कुल एएमई लाईसेंसों की संख्या	657
	वर्ष 2021 में नागर विमानन अपेक्षा 66 के अनुसरण में परिवर्तित एएमई लाईसेंस	09
3.	**वर्ष 2021 में अनुमोदित किए गए संगठन**	

	क) अनुरक्षण संगठन I. घरेलू II. विदेशी **ख) टाइप प्रशिक्षण संगठन** I. घरेलू II. विदेशी **ग) विमान अनुरक्षण संस्थान (मूल) . 147** **घ) नागर विमानन अपेक्षा- एम उप-भाग-एफ के अधीन अनुरक्षण संगठन** **ङ) सतत उड़नयोग्यता प्रबंधन संगठन (उपभाग.जी)** **च) ईंधन स्नेहक एवं विशेष पेट्रोलियम उत्पाद संगठन** **छ) कुल नागर विमानन अपेक्षा-21 उत्पादन संगठन**	13 22 03 06 02 शून्य 08 01 शून्य
4.	**वर्ष 2021 में दूर की गई जन शिकायतें**	97

3.7 विमानकर्मी दल प्रशिक्षण एवं लाइसेंसिंग

प्रशिक्षण एवं लाइसेंसिंग निदेशालय का कार्य सीपीएल/एटीपीएल/सीएचपीएल/पीपीएल/ एफएटीए लाइसेंस जारी करना/ परिवर्तित करना तथा विमानकर्मी दल लाइसेंसों के नवीकरण/ पृष्ठांकन से संबंधित कार्य है।

दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान संबंधित अपेक्षित सूचना नीचे टेबुलर कॉलम में दी गई है:-

क्र.सं.	**लाइसेंस का नाम**	**जारी किए गए लाइसेंसों की कुल संख्या**
1.	वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (विमान/ (हेलीकॉप्टर)	863
2.	विमान परिवहन पायलट लाइसेंस (विमान/(हेलीकॉप्टर)	485

3.	प्राइवेट पायलट लाइसेंस (विमान/(हेलीकॉप्टर)	11
4.	इंस्ट्रूमेंट रेटिंग (विमान/(हेलीकॉप्टर)	889
5.	उड़ान रेडियो टेलीफोनी आपरेटर लाइसेंस [एफआरटीओएल तथा एफआरटीओएल (आर)]	1827
6.	उड़ान विमानकर्मी अस्थाई प्राधिकार (एफएटीए) (प्रारंभिक) +विस्तार)	21+167
7.	उड़ान अनुदेशक रेटिंग(एफआईआर)	16
8.	सहायक उड़ान अनुदेशक रेटिंग (एएफआईआर)	56

दिनांक 01 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान पृष्ठांकनों/नवीकरण की कुल संख्या नीचे प्रस्तुत की गई है:-

1.	एयरक्राफ्ट रेटिंग का विस्तार (पृष्ठांकन)	1434
2.	लाइसेंसों का नवीनीकरण एवं रेटिंग	10855

3.8 उड़ान मानक

उड़ान मानक निदेशालय द्वारा वर्ष 2021 में किए गए प्रमुख सुधार/उपलब्धियां इस प्रकार है:

- कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुए स्थिति से निपटने के लिए पायलटों, केबिन क्रू, फ्लाइट डिस्पैचर, अनुदेशक (सिमुलेटर/भू-तल), लोड एंड ट्रिम पर्सनल तथा एफएसटीडी के संबंध में आवर्ती प्रशिक्षण तथा जांच जो समाप्त हो गई थी या समाप्त हो रही थी, के लिए कुछ खास क्षेत्रों में विस्तार की मंजूरी प्रचालकों द्वारा एक स्तर को पूरा कर लेने के अधीन दी गई थी।
- दूरस्थ शिक्षा प्रचालकों एवं एटीओ दोनों के लिए प्रशिक्षण देने से संबन्धित विकल्पों में वृद्धि प्रदान करती है। इसलिए कोविड महामारी के कारण उत्पन्न हुए स्थिति के कारण विमानकर्मी दल, फ्लाइट डिस्पैचर, भू-अनुदेशक, लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, वायुयान अनुदेशक एवं केबिन क्रू हेतु मूल्यांकन सहित ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण योजना शुरू की गई।
- सुरक्षा के निरंतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कॉकपिट, रैम्प, डीई मॉनिटरिंग के संबंध में निगरानी निरीक्षण किया गया।
- धारा-7, श्रेणी-बी, भाग-XX के तहत नागर विमानन अपेक्षाओं का प्रकाशन।

- धारा-7, श्रेणी-जे, भाग-IV के तहत नागर विमानन अपेक्षाओं का प्रकाशन।
- सिंथेटिक उड़ान परीक्षकों को शामिल करने हेतु धारा-7, श्रेणी-आई, भाग-I के तहत नागर विमानन अपेक्षाओं में संशोधन।
- रनवे की सतह की स्थिति के लिए नये वैश्विक रिपोर्टिंग प्रारूप पर 2021 का प्रचालन परिपत्र 01 जारी किया गया तथा रनवे की सतह की स्थिति एवं स्नोटम जारी करने के लिए नये वैश्विक रिपोर्टिंग प्रारूप-स्नोटम को जारी किया गया।
- सामान्य वायुयान टाइप रेटिंग एवं डिफरेंशियल ट्रेनिंग के लिए 2021 का प्रचालन परिपत्र 02 जारी किया गया।

3.9 विमान क्षेत्र मानक

विमान क्षेत्र मानक निदेशालय द्वारा एयरोड्रोम/हेलीपोर्टों के निरीक्षण और लाइसेसिंग/ प्राधिकार और विमान क्षेत्रों पर वायुयान प्रचालनों की निगरानी के साथ-साथ इस निदेशालय द्वारा अनुमोदित/लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डों एवं हेलीपोर्टों पर उपलब्ध सेवाओं के कार्यों की देखरेख भी की जाती है। वर्ष 2021 के दौरान, निदेशालय द्वारा किए गए क्रियाकलापों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

प्रारंभिक उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्तकर्ता (सार्वजनिक उपयोग):-

i अदानी अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
ii केशोड हवाई अड्डा
iii बिरसी हवाई अड्डा, गोंडिया
iv अदानी लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
v सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा
vi अदानी मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
vii कुशीनगर हवाई अड्डा
viii कुरनूल हवाई अड्डा

नवीनीकरण :- दुर्गापुर हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, रांची हवाई अड्डा, कोयंबटूर हवाई अड्डा, राजकोट हवाई अड्डा, इम्फाल हवाई अड्डा, तिरुपति हवाई अड्डा, कडपा हवाई अड्डा, एचएएल ओजर नासिक, नैनी-सैनी पिथौरागढ़, कालीकट हवाई अड्डा, मिहान नागपुर, तूतीकोरिन हवाई अड्डा, बारापानी हवाई अड्डा, राउरकेला हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, सेलम हवाई अड्डा, जमशेदपुर हवाई अड्डा, लीलाबाड़ी हवाई

अड्डा, अगरतला हवाई अड्डा, हुबली हवाई अड्डा, केशोड हवाई अड्डा, रोहिणी हवाई अड्डा, शिरडी हवाई अड्डा, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, किशनगढ़ हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, कलबुर्गी हवाई अड्डा, कांडला हवाई अड्डा, भावनगर हवाई अड्डा, देहरादून हवाई अड्डा, बेलगावी हवाई अड्डा, राजमुंड्री हवाई अड्डा, वाराणसी हवाई अड्डा, पंतनगर हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा, जलगांव हवाई अड्डा, कांगड़ा हवाई अड्डा, विजयवाड़ा हवाई अड्डा, पुडुचेरी हवाई अड्डा, एसवीपीआईए हवाई अड्डा, गया हवाई अड्डा, कोल्हापुर हवाई अड्डा, पोरबंदर हवाई अड्डा, शिमला हवाई अड्डा, कुल्लू- मनाली हवाई अड्डा, शिरडी हवाई अड्डा, अमृतसर हवाई अड्डा, अगात्ती हवाई अड्डा, नैनी-सैनी हवाई अड्डा, बलडोटा कोप्पल हवाई अड्डा, लुधियाना हवाई अड्डा, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

नवीनीकरण/ विस्तार / प्रचालनात्मक प्राधिकारिता-निजी उपयोग : ब्यास विमान क्षेत्र, रावा हेलीपोर्ट, जेएसपीएल रायगढ़ हवाई अड्डा, बिरलाग्राम हवाई अड्डा, कल्याण हेलीपैड त्रिशूर, सुवली हेलीपोर्ट

निगरानी निरीक्षण: - कालीकट हवाई अड्डा, जबलपुर हवाई अड्डा, झारसुगुडा हवाई अड्डा, बैंगलोर हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा, भोपाल हवाई अड्डा, बिलासपुर हवाई अड्डा, हुबली हवाई अड्डा, लीलाबाड़ी हवाई अड्डा, रायपुर हवाई अड्डा, वडोदरा हवाई अड्डा, इंदौर हवाई अड्डा, सलेम हवाई अड्डा, कलबुर्गी हवाई अड्डा, जिंदल विजयनगर हवाई अड्डा, कांडला हवाई अड्डा, राजमुंड्री हवाई अड्डा, वाराणसी हवाई अड्डा, अमृतसर हवाई अड्डा, बेलगावी हवाई अड्डा, भावनगर हवाई अड्डा, कन्नूर हवाई अड्डा, पुडुचेरी हवाई अड्डा, राजकोट हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा, राउरकेला हवाई अड्डा, किशनगढ़ हवाई अड्डा, अगरतला हवाई अड्डा, जमशेदपुर हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा, भुवनेश्वर हवाई अड्डा, ओजर नासिकहवाई अड्डा, गया हवाई अड्डा, जलगाँव हवाई अड्डा, कांगड़ा हवाई अड्डा, कोल्हापुर हवाई अड्डा, मैंगलोर हवाई अड्डा, पंतनगर हवाई अड्डा, विजयवाड़ा हवाई अड्डा, नैनी-सैनी पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, मुंद्रा हवाई अड्डा, पकयोंग हवाई अड्डा, पोरबंदर हवाई अड्डा, दुर्गापुर हवाई अड्डा, अगात्ती हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा, जुहू हवाई अड्डा, लुधियाना हवाई अड्डा, मदुरै हवाई अड्डा, शिमला हवाई अड्डा, तेजू हवाई अड्डा, हिसार हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा, इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुल्लू भुंतर हवाई अड्डा, कूचबिहार हवाई अड्डा,

डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, मिहान नागपुर हवाई अड्डा, आरजीआई शमशाबाद हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा, तूतीकोरिन हवाई अड्डा, उदयपुर हवाई अड्डा, देहरादून हवाई अड्डा, अहमदाबाद हवाई अड्डा, औरंगाबाद हवाई अड्डा, चेन्नई हवाई अड्डा, दीमापुर हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा।

कोविड-19 के महामारी के मद्देनजर हवाईअड्डामानक निदेशालय से सीमित संभावित निगरानी गतिविधियों के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश

स्वीकृति/अन्य:

- राजा भोज हवाई अड्डा, भोपालपर रनवे-30 के मौजूदा आईएलएस के लोकलाइज़र और ग्लाइड पाथ का नई प्रणाली के साथ प्रतिस्थापन और एलपीडीएमई के स्थानांतरण की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)।
- एसवीपीआई हवाई अड्डे अहमदाबाद पर शोल्डर सहित रनवे एवं टैक्सीवे की विशेष मरम्मत के लिए रनवे 05/23 को बंद करने की स्वीकृति।
- इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रनवे 11/29 एवं जीए एप्रन के साथ टैक्सीवे एसोसिएशन के पुन: नामकरण की स्वीकृति।
- बिलासपुर हवाई अड्डे पर क्यू400 बॉम्बार्डियर की पार्किंग की सुविधा के लिए एप्रनके पुन: चिह्नांकन की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- दीमापुर हवाईअड्डे पर परिचालन क्षेत्र के अंदर रनवे के उत्तर की ओर बरसाती जल निकासी के निर्माण की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- सीएस लखनऊ हवाई अड्डे पर नए एप्रन को रनवे 09-27 से जोड़ने के लिए लिंक टैक्सीवे के निर्माण की स्वीकृति, नोटम के लिए अनुरोध।
- सीएसएमआई हवाई अड्डे, मुंबई पर विशेष मरम्मत/मानसून पूर्व निवारक अनुरक्षण कार्यों के लिए रनवे 14/32 को बंद करने की स्वीकृति।
- सीएसएमआई हवाई अड्डे, मुंबई पर रनवे 27 के आरईएसए के सुधार और उन्नयन के लिए लंबित कार्य की स्वीकृति।
- इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टैक्सीवे डी-जी जंक्शन कार्य, एप्रन 1 को बंद करने और अस्थायी स्टैंड 20 को फिर से चालू करनेकी स्वीकृति।
- इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली पर चरणबद्ध (4 एवं 5) तरीके से टैक्सीवे के पुन: नामकरण की स्वीकृति (निष्पादन और कमीशनिंग स्तर पर)।
- एलजीबीआई हवाई अड्डे, गुवाहाटी पर अन्य संबद्ध कार्यों के साथ-साथ रनवे 20 के लिए न्यू थ्रेसहोल्ड लाइटिंग सिस्टम और रनवे 20 के एसएएलएस के लिए

इंटरलीविंग सर्किट के साथ रनवे 02 के लिए एंड लाइट के प्रावधान की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।

- तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर रनवे के दोनों ओर रनवे स्ट्रिप की ग्रेडिंग और लेवलिंग की स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर पर)।
- त्रिची हवाई अड्डे के रनवे-09 पर सिंपल अप्रोच लाइटिंग सिस्टम की स्थापना की स्वीकृति। (अवधारणा / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- जीएचआईएएल शमशाबाद हवाई अड्डे पर टैक्सीवे ए1, ए2, ए3, ए8, ए9 और ए10 के साथ-साथ टैक्सीवे ए1 से ए3 के बीच और ए8 से ए10 के बीचरनवे 09आर-27एलके कुछ हिस्सों को विमानों की टैक्सी हेतु फिर से चालू करने की स्वीकृति।
- जीएचआईएएल शमशाबाद हवाई अड्डे पर टैक्सीवे-सी को जोड़ने वाली टैक्सीलेन J1 के विस्तारित हिस्से को चालू करने की स्वीकृति।
- राजकोट हवाई अड्डे पर सीएफटी की आवाजाही हेतु कोनों पर चारदीवारी सड़क के चौड़ीकरण की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- किशनगढ़ हवाई अड्डे पर रनवे 05 के लिए पीएपीआई लाइटों को स्थानांतरित करने की स्वीकृति।
- आईएएच-हिसार हवाई अड्डे की सुरक्षा मूल्यांकन रिपोर्ट की स्वीकृति।
- मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएपीआई के लिए इंटरलीविंग सर्किट और रनवे गार्ड लाइट के लिए अलग सर्किट के प्रावधान की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- सूरत हवाई अड्डे पर एप्रन के विस्तार और समानांतर टैक्सी ट्रैक (फेज-II) के निर्माण की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर रनवे 07-25 को जोड़ने वाले टैक्सीवे आर के शेष भाग को रनवे 12-30 और एन टैक्सीवे (शेष भाग) से जोड़ने की स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर)।
- अगात्ती हवाई अड्डे पर रनवे के पुनर्निर्माण की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- सीएसएमआई हवाई अड्डे, मुंबई पर टैक्सीवे @7 के जंक्शन पर टैक्सीवे-एन के पुनर्निर्मित हिस्से को चालू करने की स्वीकृति।
- महाराणा प्रताप हवाईअड्डा उदयपुर पर टैक्सीवे ए, बीई एवं एफ पर रनवे गार्ड लाइट के प्रावधान की स्वीकृति। (अवधारणा / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।

- जलगांव हवाई अड्डे पर डीसीडब्ल्यूआईएस (एमईटी उपकरण) की स्थापना की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- देहरादून हवाई अड्डे पर (i) पुनर्निर्मित फायर पिट और II) आपातकालीन पहुंच मार्ग को चालू करने की स्वीकृति।
- वाराणसी हवाई अड्डे पर रनवे 27 के लिए आरईएसए के निर्माण की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर रनवे 07 एफ2ए को जोड़ने वाले टैक्सीवे-आर (पश्चिम की ओर) के हिस्से और लिंक टैक्सी की स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर)।
- एलबीएसआई वाराणसी हवाई अड्डे पर परिचालन क्षेत्र में सुरक्षा निगरानी टावर सं. 3 4 6 एवं 9 के स्थानांतरण तथा कार्गो बिल्डिंग के नजदीक परिचालन चारदीवारी का निर्माण और फायर पिट के चारों ओर पहुँच मार्ग के निर्माण की स्वीकृति।
- सीएसएमआई हवाई अड्डे, मुंबई पर टैक्सीवे 'डबल्यू 7' के जंक्शन पर टैक्सीवे 'एन' के पुनर्निर्मित हिस्से को चालू करने की स्वीकृति।
- महाराणा प्रताप हवाई अड्डे, उदयपुर पर टैक्सीवेए, बी, ई&एफ़पर रनवे गार्ड लाइट के प्रावधान को स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- जलगांव हवाई अड्डे पर डीसीडब्ल्यूआईएस (एमईटी उपकरण) की स्थापना की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- देहरादून हवाई अड्डे पर (i) पुनर्निर्मित फायर पीट और (ii) आपातकालीन पहुंच मार्ग को चालू करने की स्वीकृति।
- वाराणसी हवाई अड्डे पर रनवे 27 के लिए आरईएसए के निर्माण की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर टैक्सीवे आर (पश्चिम की ओर) और लिंक टैक्सी कनेक्टिंग रनवे 07 एफ2ए (टैक्सीवे एस के रूप में नामित) के हिस्से की स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर)।
- मैसूर हवाई अड्डे पर मौजूदा टैक्सीवे 'ए' और 'एल' के लिए शोल्डर के निर्माण की स्वीकृति (अवधारणा / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- एलबीएसआई वाराणसी हवाई अड्डे पर परिचालन क्षेत्र में सुरक्षा निगरानी टावर सं. 3 4 6 एवं 9 के स्थानांतरण तथा कार्गो बिल्डिंग के नजदीक परिचालन चारदीवारी का निर्माण और फायर पिट के चारों ओर एप्रोच पथ का निर्माण।
- वडोदरा हवाई अड्डे पर रनवे 04 के डिस्प्लैस्ड थ्रेशोल्ड पोर्शन (212 मीटर) के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।

- रनवे के दोनों छोर पर डबल्यूडीआई के प्रावधान की स्वीकृति (हुबली हवाई अड्डे पर रनवे के दोनों सिरों के लिए अतिरिक्त हवा दिशा संकेतक का प्रावधान (कमीशनिंग स्तर)।
- लखनऊ हवाई अड्डे पर कोड-ई, बी777-300ईआर वायुयान के संचालन के लिए स्वीकृति।
- विजयवाड़ा हवाईअड्डे पर मौजूदा एप्रन पर सुपर इम्पोज्ड मार्किंग पैटर्न के साथ अस्थायी कोड-ई पार्किंग स्टैंड को शामिल करने की स्वीकृति।
- अगात्ती हवाई अड्डे पर रनवे के पुनर्निर्माण की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- डीबीएआई हवाई अड्डा, नागपुर पर रनवे-14 के थ्रेशोल्ड के 455 मीटर की अस्थायी विस्थापन के लिए स्वीकृति(निष्पादन स्तर) ।
- एलजीबीआई हवाई अड्डे, गुवाहाटी पर लोकलाईजर एवं ग्लाइड पाथ के स्थानांतरण, विद्युत कार्य की स्वीकृति (अवधारणा / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- सीसीएसआई हवाई अड्डे, लखनऊ पर ए330-200 टाइप के विमानों की पार्किंग के लिए मौजूदा आइसोलेशन बे के विस्तार की स्वीकृति।
- कांडला हवाई अड्डे पर रनवे 05 और 23 के लिए सीडब्ल्यूआईएस उपकरण और ट्रांसमिसोमीटर के स्थापना की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- पोरबंदर हवाई अड्डे पर रनवे 27 के लिए सीडब्ल्यूआईएस (एमईटी पार्क) की स्थापना की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- सूरत हवाई अड्डे पर रनवे-22 के लिए सीडब्ल्यूआईएस (एमईटी पार्क) की स्थापना की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- मैसूर हवाई अड्डे पर मौजूदा टैक्सीवे 'ए' के लिए शोल्डर के निर्माण तथा टैक्सीवे 'एल' पर शोल्डर एरिया की ग्रेडिंग और टैक्सीवे एज लाइट के प्रावधान को स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- सूरत हवाई अड्डे पर डीबीओएम आधार पर विमान हैंगर और एप्रन के निर्माण और विकास के लिए स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)
- भावनगर हवाई अड्डे पर परिचालन क्षेत्र में परिधि एवं सर्विस सड़कों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- मैसर्स बेलागवी हवाईअड्डे पर पाइल फाउंडेशन के ऊपर लोकलाइजर प्लेटफॉर्म के निर्माण की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)।

- सेलम हवाई अड्डे पर एप्रन के विस्तारकी स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- मंगलुरु हवाई अड्डे पर रनवे 06 के आरंभ में मौजूदा थ्रेशोल्ड कम एंड लाइट इनसेट फिटिंग में परिवर्तन को स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- राजकोट हवाई अड्डे पर जीपी साइट पर काउंटरपोइज़ लगाने की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- सीसीएसआई हवाई अड्डे, लखनऊ पर आईओसीएल टर्मिनल से आईओसीएल एएफएस तक एटीएफ पाइपलाइन बिछाने की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)।
- वडोदरा हवाई अड्डे पर स्वचालित मौसम अवलोकन प्रणाली (एडबल्यूओएस) डिजिटल करंट वेदर इंडिकेशन सिस्टम (एमईटीपार्क) की स्वीकृति (अवधारणा / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- विजयवाड़ा हवाईअड्डे पर रनवे-26 के लिए कैट-I एप्रोच लाइटिंग के प्रावधान की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर) ।
- बेलगावी हवाईअड्डे पर रनवे, टर्न पैड, टैक्सीवे, फायर पिट से परिधि मार्ग तक पहुँच मार्ग की मरम्मत के लिए स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)।
- मंगलुरु हवाई अड्डे पर पीएपीआई पर इंटरलीविंग सर्किट और रनवे गार्ड लाइट के लिए अलग सर्किट के प्रावधान की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर) ।
- सीएसएमआई हवाई अड्डे, मुंबई पर रनवे14/32 के लिए वैमानिकी ग्राउंड लाइट (एजीएल) के पृथक्करण के लिए आरसीसी डक्ट रूट (फेज-1) के निर्माण की स्वीकृति।
- एसवीपीआईए हवाई अड्डे, अहमदाबाद पर दिनांक 10 नवंबर 2021 से 31 मई 2022 तक रनवे 05/23 के बृहत पुनरुद्धार के लिए रनवे और टैक्सीवे को बंद करने की स्वीकृति(अवधारणा / डिजाइन और निष्पादन स्तर) ।
- अगात्ती हवाई अड्डे पर रनवे-22 के अंत में आपातकालीन पहुंच मार्ग के लिए स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर) ।
- राजा भोज हवाई अड्डे पर बे नंबर-7 पर पीबीबी, एवीडीजीएस और फिक्स्ड रोतंड के लिए स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर)।

- कोल्हापुर हवाई अड्डे पर डीसीडब्ल्यूआईएस (एमईटी पार्क) की स्थापना के लिए स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- त्रिची हवाई अड्डे पर लोकलाइज़र/ग्लाइड पाथ के ट्रांस-इंस्टॉलेशन के लिए स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर) ।
- हुबली हवाई अड्डे पर इंडिगो विमान पंजीकरण वीटी-आईवाईएक्सकी मरम्मत के लिए अस्थायी हैंगर निर्माण की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- सीएसएमआई हवाई अड्डे, मुंबई पर टैक्सीलेन-एल के हिस्से और टैक्सीवे एल1, एल, एल3 और एल4 के हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति।
- जिंदल विजयनगर विमान क्षेत्र पर रनवे विस्तार परियोजना के लिए स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- बेलगावी हवाई अड्डे पर परिधि प्रकाश व्यवस्था के प्रावधान के लिए स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- राउरकेला हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- सूरत हवाई अड्डे पर रनवे पट्टी के स्थिरीकरण के लिए स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- डीबीएआई हवाई अड्डे, नागपुर पर रीकार्पेटेड टर्मिनल एप्रन को चालू करने का स्वीकृति।
- सीसीएस लखनऊ हवाई अड्डे पर कैट-IIIबी (फेज-II) प्रकाश व्यवस्था के प्रावधान सहित रनवे 09-27 के रिकार्पेटिंग के लिए स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर) ।
- बारापानी शिलांग हवाई अड्डे पर नए एटीसी टावर सह फायर स्टेशन और फायर एप्रोच रोड के निर्माण की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)।
- वाराणसी हवाई अड्डे के गैर पीबीबी बे पर एवीडीजीएस की स्वीकृति(कमीशनिंग स्तर)।
- भावनगर हवाई अड्डे पर रनवे-25 के लिए सीडब्ल्यूआईएस उपकरण और ट्रांसमिसोमीटर (एमईटी पार्क) की स्थापना के लिए स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर) ।

- भावनगर हवाई अड्डे के रनवे और टैक्सीवे के प्रतिच्छेदन पर रनवे/एज लाइट के लिए इनसेट टाइप फिटिंग के प्रावधान के लिए स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु पर कोड-सी विमान पार्किंग स्टैंड के 87, 88 और 89 की स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर)।
- महाराणा प्रताप हवाई अड्डे, उदयपुर पर रनवे गार्ड लाइट के लिए स्वीकृति(कमीशनिंग स्तर)।
- वडोदरा हवाई अड्डे पर वायु सेना स्थापना की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हवाई अड्डे के चारों ओर 20 किमी 48 करोड़ आर्मोर्ड ओएफसी और 10 किमी जेएफसी केबल बिछाने और पुराने हवाई अड्डे से नोडल केंद्र (आईएएफ) तक एफटीटीएच ओएफसी केबल बिछाने की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन) स्तर)।
- स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे, रायपुर पर पीएपीआई के स्थानांतरण और रनवे-06 के लिए एसएपीएल के प्रावधान की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- बी.एम. हवाई अड्डा, रांची पर करंट वेदर इंस्ट्रूमेंट सिस्टम (सीडब्ल्यूआईएस) की स्थापना के लिए स्वीकृति। (अवधारणा / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- डीबीएआई हवाई अड्डे, नागपुर पर रनवे-14 के लिए थ्रेशोल्ड के अस्थायी विस्थापन को 455 मीटर तक चालू करने की स्वीकृति।
- कालीकट हवाई अड्डे पर टैक्सीवे पट्टिकाओं के निर्माण, टैक्सीवे के बिटुमिनस कारपेटिंग और संबंधित विद्युत कार्यों की स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर)
- जीएचआईएएल, शमशाबाद हवाई अड्डे पर टैक्सीवे बी3 से बी6 के बीच सेकेंडरी रनवे (09/27आर) के हिस्से पर आपातकालीन मरम्मत एवं चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार के द्वारा रनवे पेवमेंट के सुधार के लिए स्वीकृति।
- मेसर्स स्काईनेक्स एयरो प्रा. लिमिटेड जलगांव हवाई अड्डे पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना के लिए हैंगर और उससे जुड़े एप्रन के निर्माण की स्वीकृति (अवधारणा / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर नए फायर पिट के लिए स्वीकृति(कमीशनिंग स्तर)।
- कालीकट हवाई अड्डे पर रनवे-10 के लिए डीडब्ल्यूआईएस मास्ट (विंड सेंसर) की स्थापना के लिए स्वीकृति(कमीशनिंग स्तर) ।

- एमबीबी हवाई अड्डा, अगरतला पर 2 मेगावाट-पीक ग्राउंड माउंटिड ऑन ग्रिड सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर एसएपीएल, पीएपीआई तथा अन्य कार्यों सहित विविध-डीजीसीए के जीएलएफ के कार्य प्रावधान के तहत रनवे एज लाइट को स्थानांतरित करने की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- कैट-II/III के संचालन को फिर से शुरू करने और टैक्सीवे बी, डी, ईऔर स्टैंड 01 से 10 पर कैट -III संचालन शुरू करने की स्वीकृति।
- एलबीएसआई वाराणसी हवाई अड्डे पर रनवे के रीकार्पेटिंग, रनवे 27 के टर्न पैड को चौड़ा करने और टैक्सीवे ए, बी,& डीके फ़िललेट/शोल्डर को चौड़ा करने की स्वीकृति(कमीशनिंग स्तर)।
- मदुरै हवाई अड्डे पर रनवे 27 की शुरुआत में टर्न पैड के निर्माण की स्वीकृति(कमीशनिंग स्तर)।
- आरजीआई हवाई अड्डे शमशाबाद पर टैक्सीवे ब्रावो 5 (सेकन्डरी रनवे 09एल-27आरऔर टैक्सीवे ई के बीच) के पेवमेंट के पुन: सतहीकरण कार्य के बाद पुन: चालू करने की स्वीकृति।
- एलबीएसआई हवाई अड्डा, वाराणसी पर बी777-300ईआर टाइप के विमानों के लिए लिंक टैक्सी ट्रैक के लिए टर्न पैड और फ़िललेट्स के निर्माण की स्वीकृति (अवधारणा/डिज़ाइन और निष्पादन स्तर)।
- कलबुर्गी हवाईअड्डे पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना के लिए हैंगर और उससे जुड़े एप्रन के निर्माण की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- सेल-राउरकेला हवाई अड्डे पर नए टैक्सीवे और एप्रन के निर्माण की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन एवं निष्पादन स्तर)।
- लीलाबाड़ी हवाई अड्डे पर एफटीओ हेतु विमान हैंगर और एप्रन के निर्माण और विकास के लिए स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर, उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए डीजीसीए को मंज़ूरी।
- हुबली हवाई अड्डे पर पुन: संरेखित विमान पार्किंग स्थानों 1,2,3,4 के साथ पुराने एप्रन, टैक्सी होल्डिंग पोजिशन और टैक्सीवे का नाम बदलने के लिए स्वीकृति (कमीशनिंग स्तर)।

- मैसर्स स्काईनेक्स एयरो प्राइवेट लिमिटेड जलगांव हवाई अड्डे परकंक्रीट पक्के क्षेत्र पर (02) अस्थायी स्टैंड के प्रावधान को स्वीकृति जिसे एफटीओ, की प्रशिक्षण उड़ान द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- खजुराहो हवाई अड्डे पर एफटीओ के लिए हैंगर, एप्रन और लिंक टैक्सी ट्रैक के निर्माण की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे-09 के लिए फ्रैंजिबल लैटिसमैस्ट पर विमानन मौसम अवलोकन प्रणाली (एडबल्यूओएस) की स्थापना के लिए स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर) ।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर बरसाती जल निकासी में परिवर्तन के लिए स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- मैसूरु हवाई अड्डे पर डीसीडबल्यूआईएस (मेट इंस्टालेशन) की स्थापना के लिए स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- एलबीएसआई हवाई अड्डा, वाराणसी पर 02 की संख्या में कोड-4सी टाइप के वायुयानों के लिए एप्रन के विस्तार को चालू करने की स्वीकृति।
- बेलगावी हवाईअड्डे पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना के लिए हैंगर, लिंक टैक्सीवे और उससे जुड़े एप्रन के निर्माण की स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- शिलांग हवाईअड्डे पर दोनों क्रैश गेट्स से रनवे 22 और 04 की ओर आपातकालीन पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर संबद्ध विद्युत कार्यों सहित रनवे, आरईएसए, टैक्सीवे, एप्रन, आइसोलेशन बे के विस्तार के लिए स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर बरसाती जल निकासी में परिवर्तन के लिए स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- कोल्हापुर हवाई अड्डे के मौजूदा रनवे, टैक्सीवे और एप्रन के पुनर्निर्माण एवं सुदृढीकरण के लिए स्वीकृति(कमीशनिंग स्तर) ।
- महाराणा प्रताप हवाई अड्डे, उदयपुर में (i) लोकलाइज़र (एलएलजेड) के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ग्रेडिंग कार्य, (ii) फ्रैंजिबल जीपी और एलएलजेड हट का निर्माण और (ii) रनवे 08 की तरफ आरईएसए के निर्माण के लिए स्वीकृति (अवधारणा / डिजाइन और निष्पादन स्तर)।

- इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली पर संबद्ध टैक्सीवे को चालू करने और पुन:नामकरण करने के साथ-साथ रनवे 09/27 को फिर से चालू करने के लिए स्वीकृति।
- त्रिची हवाई अड्डे पर रनवे-09 पर सिंपल अप्रोच लाइटिंग सिस्टम लगाने के लिए स्वीकृति(कमीशनिंग स्तर) ।
- कोल्हापुर हवाई अड्डे पर एटीसी टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक सह फायर ब्लॉक के निर्माण के लिए स्वीकृति (अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- औरंगाबाद हवाई अड्डे पर बी777-300ईआर टाइप के विमानों के लिए लिंक टैक्सीवे के लिए टर्निंग पैड और फ़िललेट्स के विस्तार के लिए स्वीकृति (अवधारणा/डिज़ाइन और निष्पादन स्तर)।
- जलगांव हवाई अड्डे पर रनवे-09 के उत्तर की तरफ पर एफटीओ के लिए लिंक टैक्सी ट्रैक के निर्माण की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- आईएएच-हिसार हवाई अड्डे पर रनवे से नए एप्रन को जोड़ने वाले टैक्सीवे के निर्माण की स्वीकृति(अवधारणा/डिजाइन और निष्पादन स्तर)।
- अगरतला हवाई अड्डे पर नए एप्रन और टैक्सीवे के निर्माण की स्वीकृति(कमीशनिंग स्तर)।

3.10 विमान संरक्षा

विमान सुरक्षा निदेशालय को निगरानी/विनियामक सुरक्षा ऑडिट एवं घटना अन्वेषणों को संचालित करते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा निदेशालय द्वारा निष्पादित गतिविधियां निम्नवत हैं:

3.10.1की गई जांच (नवंबर, 2021 तक)

- डीजीसीए ने वायुयान नियम 2017 के नियम 13(1) के अधीन 16 घटनाओं के मामलों में जाँच संस्थापित की है।
- क्षेत्रीय विमान सुरक्षा कार्यालय द्वारा एयरलाइनों के स्थायी जाँच बोर्ड की अपने प्रचालित विमानों की घटनाओं के मामले में घटनाओं की जाँच को निर्देशित किया गया है।
- 25 एयरप्राक्स घटनाओं की जाँच की गई।
- 1495 वन्यजीव हमलों की घटनाओं की जानकारी मिली है जिन्हें डेटाबेस में दर्ज किया गया है।

- विभिन्न विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच से उत्पन्न सुरक्षा सिफारिशों के साथ संबंधित एजेन्सियों के द्वारा इनके क्रियान्वयन का अनुगमन किया गया जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं/दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

3.10.2संचालित किये गये निगरानी/विनियामक सुरक्षा ऑडिट

- डीजीसीए द्वारा वार्षिक निगरानी कार्यक्रम तैयार किया जाता है जो कि डीजीसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्ष 2020-22 के दौरान अनुसूचित एयरलाइनों एवं विभिन्न गैर-अनुसूचित एयरलाइनों तथा प्राइवेट प्रचालकों के संबंध में 22 ऑडिट (विनियामक ऑडिट/ संरक्षा ऑडिट) और 455 निगरानी जांच की गई हैं।इन जांचों में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की जानकारी प्रचालकों को दे दी गई है ताकि वे इस संबंध में उचित सुधार उपाय करें।
- उपरोक्त के अतिरिक्त,20 विशेष ऑडिट भी किए गए हैं।

3.10.3 जारी की गई नागर विमानन अपेक्षाएं/परिपत्रः

- “साइकोएक्टिव पदार्थों के सेवन के संबंध में विमानन कार्मिकों की जांच की प्रक्रिया”पर नागर विमानन अपेक्षाएं खंड 5 श्रृंखला च भाग V का अंक दिनांक 27.9.2021 को जारी कर दिया गया है।
- “शराब के सेवन के संबंध में विमान कार्मिकों की चिकित्सा जांच की प्रक्रिया”पर नागर विमानन अपेक्षाएं खंड 5 श्रृंखला च भाग III का अंक III संशोधन 2, दिनांक 15.12.2021 को जारी कर दिया गया है।
- "स्वैच्छिक संरक्षा रिपोर्टिंग सिस्टम" पर विमान सूचना परिपत्र 16/2021 दिनांक 23.09.2021 को जारी किया गया है।
- कम दृश्यता की स्थिति में मैदान पर टैक्सी के दौरान उड़ान क्रू द्वारा फॉलो मी जीप का प्रयोग”पर वायु संरक्षा परिपत्र 02/2021 दिनांक 01.06.2021 को जारी कर दिया गया है।
- “रक्षा वायु क्षेत्र और रात्रि के दौरान लैंड करते समय सावधानियों”पर संरक्षा बुलेटिन संख्या 01/2021 दिनांक 15.06.2021 को जारी कर दिया गया है।

3.10.4 राज्य संरक्षा कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

- अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अभिसमय के अनुबंध 19 में निहित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन मानक और अनुशंसित व्यवहार (

एसएआरपी) में यह अपेक्षा की गई है कि देश अपनी नागर विमानन प्रणाली के आकार और जटिलता के अनुरूप राज्य संरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी) को तैयार करें और उसका अनुपालन करें।

- राज्य संरक्षा कार्यक्रम/संरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानक और अनुशंसित व्यवहार (एसएआरपी) के अनुपालन में नागर विमानन महानिदेशालय ने वर्ष 2010 में एक जोखिम आधारित संरक्षा तंत्र को अपनाने की प्रक्रिया शुरू की है। राज्य संरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी) भारत का प्रथम संस्करण सचिव,नागर विमानन मंत्रालय के अनुमोदन से वर्ष 2010 में जारी किया गया था।
- भारत में नागर विमानन के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए, प्राथमिक विमानन कानून, विशेष प्रचालन विनियमों, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुबंध 19 के दूसरे संस्करण और वैश्विक विमानन संरक्षा योजना (जीएएसपी) में निहित मानक और अनुशंसित व्यवहार (एसएआरपी),राज्य संरक्षा कार्यक्रम,संस्करण 2 को तैयार किया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि राज्य समुचित प्रकार से प्रासंगिक प्राधिकरणों और एजेंसियों की स्थापना करें जिनमें पर्याप्त और योग्य कार्मिकों की नियुक्ति की जाए तथा संरक्षा का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। भारत मेंनागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, भारत मौसम विज्ञान विभाग,एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी संरक्षा प्रबंधन संबंधी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए संरक्षा कार्यों और लक्ष्यों को निर्दिष्ट किया है।
- राज्य से यह अपेक्षा है कि वह एक ऐसा उपयुक्त समन्वय समूह तैयार करें जिसमें एसएसपी के कार्यान्वयन और अनुरक्षण से संबंधित उत्तरदायित्व वाले विमानन प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व हो। इस समूह में दुर्घटना जांच प्राधिकरण और मिलिट्री विमान प्राधिकरण भी शामिल हैं।एसएसपी में, इस समन्वय समूह को एसएसपी परिचालन समिति के नाम से जाना जाता है जिसकी अध्यक्षता सचिव, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा की जाती है।नागर विमानन महानिदेशालय अधिकतर एसएसपी उत्तरदायित्वों के लिए जिम्मेदार है, तदनुसार यह एसएसपी के कार्यकलापों के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।
- अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुबंध 19 के ,संस्करण 2,अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन डीओसी 9859 संस्करण IV, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन वैश्विक विमानन संरक्षा योजना (जीएएसपी) 2020-22 और विमान अधिनियम,1934, विमान नियम, 1937, विमान (दुर्घटना और घटनाओं की

जांच) नियम,2017 में नवीनतम संशोधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य संरक्षा कार्यक्रम, संस्करण 2 तैयार किया गया है।

- एसएसपी दस्तावेज भारत में **एक्सेप्टेबल लेवल सेफ्टी ऑफ परफॉर्मेंस (एएलओएसपी)** की पहचान करता है । इसके अंतर्गत संरक्षा प्राथमिकताओं,संरक्षा निष्पादन संकेतकों, लक्ष्यों और संरक्षा निष्पादन मापन को समाहित करते हुए राष्ट्रीय विमानन संरक्षा योजना को तैयार करना अनिवार्य है।
- **एएलओएसपी**के माध्यम से राज्य के विमानन संरक्षा निष्पादन के लक्ष्य के बारे में पता चलता है जो कि जिसकी विमानन प्रणाली के तहत सुपुर्दगी और निष्पादन होना चाहिए। संरक्षा जोखिम के मौजूदा स्तर और संरक्षा जोखिम प्रबंधन के लिए वास्तविक और स्पष्ट लक्ष्यों को तय करने के लिए सार्वजनिक प्रत्याशाओं के संबंध में इस पर विचार किया जाता है।
- डीजीसीए द्वारा स्थापित**एएलओएसपी**ने भारत में सभी सेवारत विमानन सेवा प्रदाताओं के लिए एक टॉप डाउन **संरक्षा निष्पादन संकेतक (एसपीआई) और संरक्षा निष्पादन लक्ष्य (एसपीटी)** प्रणाली को सुगम बनाया है।यह एक ऐसा माध्यम है जिससे सेवा प्रदाता और डीजीसीए कार्यशील संरक्षा निष्पादन को अपनाते हैं तथा अपेक्षित सुधारात्मक कार्य शुरू करते हैं।
- एसएसपी दस्तावेज का उद्देश्य भारत में सभी हितधारकों के साथ नागर विमानन के लिए राज्य संरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी) के बारे में सूचित करना है। यह मुख्य रूप से सभी हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व के साथ-साथ नागर विमानन के क्षेत्र में संरक्षा के लिए उत्तरदायी नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्र करता है।
- **राष्ट्रीय विमानन संरक्षा योजना**के अंतर्गत राष्ट्रीय संरक्षा उद्देश्य,लक्ष्य,प्रमुख संरक्षा प्राथमिकताओं और संरक्षा निष्पादन संकेतकों (एसपीआई) से संबंधित प्रचालन संरक्षण जोखिम,अन्य संरक्षा संबंधी मुद्दे और संरक्षा कार्य योजनाएं सम्मिलित हैं। प्रमुख संरक्षा प्राथमिकताओं के अंतर्गत संपूर्ण विमानन क्षेत्र आता है। इस योजना की नियमित समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि मौजूदा संरक्षा जोखिम का पता चल सके।
- प्रत्येक राज्य संरक्षा प्राथमिकताओं के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है और**वार्षिक संरक्षा समीक्षा**में उसे शामिल किया जाता है तथा इसका संरक्षा संवर्धन के एक भाग के रूप में प्रकाशन किया जाता है।
- **राष्ट्रीयविमानन संरक्षा टीम:**आरएएसजी-एपीएसी/ एपीआरएएसटी/एसए आरएएसटी द्वारा तैयार की गई संरक्षा प्रोत्साहन पहलों (एसईआई) के संबंध में समुचित

कार्यान्वयन कार्रवाई करने तथा राष्ट्रीय संरक्षण मुद्दों को हल करने के लिए सीओएससीएपी-एसए परिचालन समिति निर्णय को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विमानन संरक्षा टीम (एनएएसटी) का गठन किया गया है। एनएएसटी में डीजीसीए और विमानन क्षेत्र के अधिकारी शामिल होते हैं।

- सुरक्षा मुद्दों का प्रभावी समाधान करने के लिए**प्रवर्तन प्रक्रिया मैनुअल**में प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण किया गया है।**डीजीसीए की प्रवर्तन नीति**विमानन क्षेत्र का नियमन करने के लिए संबंधित नियमों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करना सुनिश्चित करती है।
- **संरक्षा निगरानी तंत्र,**भारत में विमानन के क्षेत्र में संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक आधारभूत घटक है। डीजीसीए नागर विमानन कार्यकलापों के क्षेत्र में सभी अपेक्षित क्षेत्रों की निगरानी करता है और भारत में विमानन कार्यकलापों के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करता है। संरक्षा निगरानी तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि प्रचालन में संरक्षा को बढ़ावा देने वाली स्वीकार्य संरक्षा व्यवहार और प्रक्रियाओं का अनुरक्षण किया जाए। निगरानी कार्यकलापों के अंतर्गत नियमित योजनागत और गैर-योजनागत ऑडिट और निरीक्षण, विदेशी एयरक्राफ्ट की निगरानी (एसओएफए), रात्रिकालीन निगरानी, रैंप चेक्स, अनुमोदित विदेशी अनुरक्षण संगठनों की निगरानी; डाटा एकत्र करना, डाटा का आदान-प्रदान करना, डेटा विश्लेषण और सूचना प्रबंधन शामिल हैं।

3.11 वायुयान इंजीनियरिंग निदेशालय

क. एरो इंजीनियरिंग डिवीजन

1. डिजाइन संगठनों का अनुमोदन (डीओए):

डिजाइन संगठनों का अनुमोदन(डीओए) विमानन क्षेत्र में वैमानिक उत्पादों,कलपुर्जों और एप्लीकेशन को डिजाइन करने और उन्हें विकसित करने के लिए संगठनों को सक्षम बनाता है। सीएआर 21 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2021 में सतत उड़नयोग्यता के लिए विमान,पुर्जों और एप्लीकेशन के डिजाइन और विकास के लिए कार्यरत निम्नलिखित डिजाइन संगठनों को अनुमोदन प्रदान किया गया है:

क्रम स.	संगठन का नाम	अनुमोदन प्रदान किया गया
1	मैसर्स तनेजा एयरोस्पेस	पी 68 सीरीज एयरक्राफ्ट 3को सतत उड़नयोग्यता

	प्राइवेट लिमिटेड	सहायता के लिए सीएआर 21 सबपार्ट जेए के अंतर्गत डीओए
2	मैसर्स एयरोस्पेस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	विमान होजेज और सील के डिजाइन विकास और निर्माण के लिए सीएआर 21 सबपार्ट जेबी के अंतर्गत डीओए

II)विमान का टाइप प्रमाणन

टाइप प्रमाणन मुख्यत: टाइप डिजाइन अनुमोदन है जो भारत में विमान तैयार करने के लिए संगठन को अनुमोदन देता है। वर्तमान में निम्नलिखित परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है जिसके लिए भारतीय डिजाइन संगठनों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं:

क्रम सं.	**एयरक्राफ्ट**	**संगठन**	**प्रगति**
1.	हिंदुस्तान 228-201 (19 सीट वाला एयरक्राफ्ट)	ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर (टीएआरडीसी), एचएएल,कानपुर	i.कम गति के टैक्सी ट्रायल को पूरा कर लिया गया है ii. तेज गति के टैक्सी ट्रायल को पूरा कर लिया गया है iii. एयरक्राफ्ट की पहली परीक्षण उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है ।
2.	लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (एलयूएच)	रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर (आरडब्ल्यूआरडीसी),एचएएल, बेंगलोर	शुरुआती चरण अर्थात टाइप प्रमाणन बेसिस को अंतिम रूप दे दिया गया है ।
3.	सारस एमके-II	सीएसआईआर-राष्ट्रीय एयरोस्पेस	शुरुआती चरण अर्थात

	(19 सीट वाला एयरक्राफ्ट)	लैबोरेट्रीज,बेंगलोर	टाइप प्रमाणन बेसिस को अंतिम रूप दे दिया गया है ।

III) विमान प्रोटोटाइप को तैयार किया गया:

मैसर्स टीएआरडीसी,एचएएल,कानपुर द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए हिंदुस्तान 228-201 का प्रोटोटाइप टाइप प्रमाणन हेतु उड़ान परीक्षण/ ग्राउंड परीक्षण के लिए तैयार किया गया है।

IV) परीक्षण पायलटों को अनुमोदन प्रदान किया गया

हिंदुस्तान 228-201,एएलएच और हंसा 3 एयरक्राफ्ट की उड़ान परीक्षणों/ ग्राउंड परीक्षणों के लिए 12 परीक्षण पायलटों को अनुमति प्रदान की गई है।

V) एयरक्राफ्ट में बड़े स्तर पर बदलाव तथा उड़नयोग्यता निदेश को जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया:नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच- ध्रुव), हंसा 3 और डोर्निएर-228-201 उन्नत(सिविल) एयरक्राफ्ट में 29 बड़े बदलाव को अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, एएलएच के लिए एक उड़नयोग्यता निदेश जारी किया गया है।

VI) आईटीएसओए:

आईटीएसओ की अनुमति के तहत कोई भी संगठन ऐसे कलपुर्जे/उपकरण का निर्माण कर सकता है जिन्हें नागरिक वायुयान में इंस्टॉल किया जा सके। डीजीसीए ने निम्नलिखित संगठनों को भारतीय तकनीकी मानक अनुमति आदेश (आईटीएसओए) जारी किया है:

क्रम सं.	संगठन	पार्ट्स एंड एप्लायंसेज
1.	मैसर्स एयरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सालेम	i. एयरोस्पेस फ्यूल, इंजन आयल और हाइड्रोलिक फ्लुएड असेंबलीज होसेस ii. वायुयान सील्सके लिए दो आईटीएसओए
2.	एसएलआरडीसी, एचएएल हैदराबाद	ओएटी प्रोब के साथ एयर डाटा कंप्यूटर (एडीसी) के लिए एक आईटीएसओए

VII) वैमानिक उत्पादों की टाइप स्वीकृति/ उनके टाइप डिजाइन में बदलाव

क.विदेशी नागर विमानन प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित वैमानिक उत्पादों जैसे कि वायुयान, इंजन और प्रोपेलर्स के टाइप डिजाइन का मूल्यांकन किया गया तथा भारत में प्रचालन के लिए डिजाइन के मद्देनजर निम्नलिखित टाइप एक्सेप्टेंस को अनुमति प्रदान की गई है :

क्रम संख्या	वैमानिक उत्पाद	टाइप स्वीकृति की संख्या
1	वायुयान	19
2	इंजन	12
3	प्रोपेलर	02
4	हॉट एयर बैलून	20

ख.विदेशी नागर विमानन प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित टाइप डिजाइन में सप्लीमेंटल टाइप प्रमाणन/ बदलाव का मूल्यांकन किया गया तथा भारत में प्रचालित वायुयान में बदलाव लाने के लिए डिजाइन के मद्देनजर कुल 40 एसटीसी टाइप एक्सेप्टेंस को अनुमति प्रदान की गई है।

VIII) ई-शासन:

डीजीसीए के डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन के अंतर्गत आवेदकों के लिए सेवाओं को आसान बनाने के उद्देश्य निम्नलिखित एईडी सेवाएं ई-जीसीए प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं:

- सप्लीमेंटल टाइप प्रमाणपत्र (एसटीसी) को जारी करना
- टाइप प्रमाणपत्र/ प्रतिबंधित टाइप प्रमाणपत्र/ एसटीसी की टाइप स्वीकृति
- टाइप प्रमाणपत्र/प्रतिबंधित टाइप प्रमाणपत्र/एसटीसी में बदलाव की टाइप स्वीकृति
- उड़ानयोग्यता निदेश को जारी करना
- भारतीय तकनीकी मानक अनुमति आदेश
- वायुयान के डिजाइन की स्वीकृति
- डिजाइन संगठन का अनुमोदन
- बदलाव का अनुमोदन
- सीवीआर/एफडीआर की नियमित निगरानी
- उड़ानों की समय सारणी का अनुमोदन
- उड़ानों की अनुमोदित समय सारणी में संशोधन
- प्रचालन की संरक्षा पर वित्तीय दबाव के प्रभाव का आकलन
- वायु यातायात डाटा का विश्लेषण
- समयबद्ध निष्पादन की निगरानी
- नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों का अनुमोदन

ख.विमानन पर्यावरणीय इकाई :

- कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की सेट कार्य योजना तैयार की गई थी और जिसे आईसीएओ की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था जिसके अंतर्गत भारतीय एयरलाइंस और विमानपत्तनों द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताया गया है जिससे अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विमानन दोनों क्षेत्र लाभान्वित हो सकें ।
- वर्ष 2020 में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वर्ष 2019 के लिए सभी अनुसूचित एयरलाइंस के अंतरराष्ट्रीय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन डाटा को एकत्रित,सत्यापित किया गया तथा इस संबंध में आईसीएओ को सूचित किया गया था ।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में एसएएफ का पता लगाने और इसके उत्पादन के लिए एक बायो-एटीएफ समिति का गठन किया है,डीजीसीए इस समिति का एक सदस्य है और इसने समिति को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई हैं ।

- सीएईपी,सीओआरएसआईए और एलटीएजी पर आईसीएओ विभिन्न समितियों में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा वर्चुअल बैठकों तथा वर्किंग पेपर्स के माध्यम से विकास से देशों के लाभ के लिए जानकारियां उपलब्ध कराई हैं।

ग. एरो प्रयोगशाला प्रभाग

निम्नलिखित जांच की गई हैं :

क्रम सं.	कार्यकलाप	संख्या
1	वायुयान के कलपुर्जों में खराबी का मुख्य कारण पता लगाने तथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होने के लिए वायुयान के खराब कलपुर्जों का विस्तार से अध्ययन किया गया था और तदनुसार रिपोर्ट तैयार की गई ।	09
2	अनुसूची के अनुसार सीवीआर तथा एफडीआर की निगरानी की गई	497
3	दुर्घटना और घटना से संबंधित सीवीआर तथा एफडीआर की जांच की गई	02
4	ईंधन के नमूनों का परीक्षण किया गया	60
5	वीवीआइपी उड़ान, दुर्घटना और घटना,ईंधन टैंक कमीशनिंग और गुणवत्ता नियंत्रण निगरानी के लिएईंधन परीक्षण किया गया	1000 से ज्यादा
6	ज्वलनशीलता परीक्षण किए गए तथा परीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई	45

घ.वायु यातायात प्रभाग

निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :

क्रम सं.	कार्यकलाप	संख्या
1	ग्रीष्म और शीतकालीन अनुसूची में अनुमोदित घरेलू उड़ानों की सूची	7,22,368 उड़ाने
2	घरेलू वायु यातायात डाटा का प्रकाशन	12
3	वीआईपी मामलों का प्रबंधन	75 (लगभग)
4	संसदीय प्रश्नों का उत्तर	70 (लगभग)
5	उड़ान सूचियों के संशोधन का अनुमोदन	1200 से ज्यादा उड़ानें
6	आरटीआई का उत्तर	600 (लगभग)
7	एटीडी- एईडी से संबंधित अदालती मामलों का प्रबंधन	30 (लगभग)

3.12 एयर स्पेस एवं विमान दिक्कचालन सेवाएं

एयरस्पेस और विमान दिक्कचालन सेवा निदेशालय सक्षम और सुरक्षित विमान प्रचालनों के सुनिश्चय के लिए दिक्कचालन सेवाओं की विश्वसनीयता के उच्चतर स्तरों की प्राप्ति के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत रहता है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति निरीक्षण ऑडिट तथा सुदृढ़ रिपोर्टिंग की तंत्र व्यवस्था एवं विभिन्न हवाई अड्डा प्रचालकों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय मौसम विभाग इत्यादि अन्य अनेकों से प्राप्त सूचनाओं के एकीकरण की अधिसूचना व्यवस्था से की जाती है। दिनांक 16.12.2021 की स्थिति के अनुसार किए गए विस्तृत क्रियाकलापों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया है:-

दीव, गुवाहाटी, चेन्नई, बेगमपेट,शमशाबाद, त्रिवेंद्रम, पंतनगर,औरंगाबाद,पाक्योंग,बंगलौर,जयपुर और विजयवाड़ा विमानपत्तनों पर एटीएम सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण किया गया है।

- विजयवाड़ा, उदयपुर, वाराणसी, इंफाल,जम्मू,प्रयागराज और एएसओटीसी (सीएटीसी प्रयागराज), जबलपुर, कानपुर, लेंगपुई,रायपुर,इंदौर, सूरत, राजकोट, भोपाल, दुर्गापुर, अमृतसर, अहमदाबाद,बंगलौर,लखनऊ, जयपुर, दिल्ली,(केवल सीएटी-3 निरीक्षण), कोलकाता(केवल सीएटी-3 निरीक्षण) और चेन्नई (केवल स्पेस आधारित एडीएस-बी) पर सीएनएस सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण किया गया है।
- तूतीकोरिन, रायपुर, कोयंबटूर, तिरुपति, त्रिची ,भुवनेश्वर, इंफाल, वडोदरा, भोपाल,लेंगपुई,रांची, दीमापुर, चेन्नई, औरंगाबाद और मुंबई हवाई अड्डों पर एमईटी सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण किया गया है।
- फ्लाइट प्रोसीजर डिजाइन (एफपीडी) सेक्शन, एएआई, सीएचक्यू, दिल्ली मेंपीएएनएस-ओपीएस का निगरानी निरीक्षण किया गया है।
- आरसीसी कोलकाता और आरसीसी मुंबई में एसएआर सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण किया गया है।
- सीएआर सेक्शन 9 सीरीज 1 पार्ट-1- वैमानिक सूचना सेवाओं में संशोधन।
- सीएआर सेक्शन 9 सीरीज एम पार्ट-1-विमान दिक्कचालन के लिए मौसम संबंधी सेवामें संशोधन।
- सीएआर सेक्शन 9 सीरीज पी पार्ट-1- भारत में इंस्ट्रूमेंट उड़ान प्रक्रिया (आई एफपी) के डिजाइन, प्रमाणन और प्रचार का प्रकाशन/ जारी करना।
- सीएआर सेक्शन 9 सीरीज x पार्ट-1- डीजीसीए में संरक्षा निगरानी कार्यों को करने के लिए निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति में संशोधन।
- **पीएएनएस-प्रचालन**:वर्ष 2021 के दौरान अनुमोदित इंस्ट्रूमेंट उड़ान प्रक्रियाओं की सूची:

क्रम सं.	**प्रक्रिया का नाम**
01	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट- एनडीबी आरडब्ल्यूवाई 26 कोटा विमानपत्तन
02	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट- आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 22 वडोदरा विमानपत्तन

03	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट- आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 04 वडोदरा विमानपत्तन
04	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट- आईएलएस आरडब्ल्यूवाई 19 खजुराहो विमानपत्तन
05	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट- आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 19 खजुराहो विमानपत्तन
06	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट- आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 01 खजुराहो विमानपत्तन
07	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट- आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 27आर कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, बेंगलुरु
08	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट- आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 09एल कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, बेंगलुरु
09	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट- आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 14 तिरुअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, तिरुअनंतपुरम (वीओटीवी)
10	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट-आईएलएस जेड आरडब्ल्यूवाई 27 वाराणसी विमानपत्तन
11	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट-आईएलएस जेड आरडब्ल्यूवाई 26 विजयवाड़ा विमानपत्तन
12	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट-वीओआर आरडब्ल्यूवाई 26 विजयवाड़ा विमानपत्तन
13	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट-वीओआर आरडब्ल्यूवाई 06 झारसुगुरु विमानपत्तन
14	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट-आईएलएस आरडब्ल्यूवाई 26 हुबली विमानपत्तन
15	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट-आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 06 मंगलौर विमानपत्तन
16	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट-आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 24 मंगलौर विमानपत्तन
17	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट-वीओआर आरडब्ल्यूवाई 09 शिर्डी विमानपत्तन
18	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट-वीओआर आरडब्ल्यूवाई 27 शिर्डी विमानपत्तन

19	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट-आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 09 शिर्डी विमानपत्तन
20	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट-आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 27 शिर्डी विमानपत्तन
21	इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चार्ट-आरएनपी वाई आरडब्ल्यूवाई 11/29 कुशीनगर विमानपत्तन

क.उड़ान प्रशिक्षण

- . देश में वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस धारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत में वर्तमान में 34 उड़ान प्रशिक्षण संगठन कार्यात्मक हैं। दो नए उड़ान प्रशिक्षण संगठनों को 2021 में मंजूरी प्रदान की गई है।
- . 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 17 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों में निगरानी/जांच की गई है।
- . एफआईआर/एएफआईआर जारी करने/ नवीकरण करने के लिए 145 उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा की गई है।
- . ई-गवर्नेंस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 411 ई-फाइल शुरू की गई हैं।
- . नए उड़ान प्रशिक्षण संगठनों की स्थापना करने के लिए 05 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

3.14 प्रशासन

प्रशासन निदेशालय

ई 1 अनुभाग

कार्यालय	**समूह**		**श्रेणी**				
		कुल तैनात कार्मिक	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जन जाति**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**सामान्य**	**आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग**
उप महानिदेशक का कार्यालय, चैन्नई	**ख**	02	0	0	02	0	0
	ग	13	02	02	03	06	0
उप महानिदेशक	**ख**	02	0	0	0	02	0

उत्तरी क्षेत्र का कार्यालय	**ग**	28	05	02	06	15	0
उप महानिदेशक पूर्वी क्षेत्र का कार्यालय	**ख**	03	01	0	0	02	0
	ग	27	04	04	09	10	0
उप महानिदेशक पश्चिमी क्षेत्र का कार्यालय	**ख**	02	0	0	0	2	0
	ग	25	04	01	05	14	01
उप महानिदेशक का कार्यालय, बैंगलूरू	**ख**	02	01	00	00	01	0
	ग	07	01	0	04	02	0
कुल तैनात कार्मिक		111	18	09	29	54	01
समूह ख के कुल कर्मचारी		11	02	0	02	07	00
समूह ग के कुल कर्मचारी		100	16	09	27	47	01

भर्ती अनुभाग

चालू वर्ष के दौरान एफएए द्वारा डीजीसीए के अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट के मद्देनजर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में तकनीकी कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास किए गए और तदनुसार, विभिन्न श्रेणियों में 47 उड़ान प्रचालन निरीक्षकों (एफओआई)/परामर्शदाताओं (एफओआई) की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई और डीजीसीए में उनकी तैनाती की गई।

वर्ष 2021 के दौरान डीजीसीए के विभिन्न निदेशालयों में रिक्त पदों के लिए 41 से अधिक परामर्शदाताओं की भी नियुक्ति की गई। इन 41 परामर्शदाताओं में 35 परामर्शदाताओं की नियुक्ति उड़नयोग्यता निदेशालय के रिक्त पदों के लिए की गई।

सतर्कता अनुभाग

अनुशासनिक मामले: सतर्कता के दृटिकोण से वर्ष के दौरान कोई अनुशासनिक मामला प्रस्तुत नहीं हुआ है। तथापि, वर्ष 2021-22 के दौरान प्रशासनिक सतर्कता से संबंधित 03

(तीन) अनुशासनिक मामले प्रक्रियाधीन थे। इनमें से एक मामले का निस्तारण कर दिया गया है।अनुशासनिक प्रक्रिया का एक नया मामला प्रशासन निदेशालय द्वारा शुरू किया गया है और इस प्रकार 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार प्रशासन निदेशालय, डीजीसीए के अंतर्गत 03 अनुशासनिक मामले प्रक्रियाधीन हैं।

निवारक सतर्कताः वर्ष 2021-22 के दौरान विमान क्षेत्र मानक निदेशालय का एक व्यवस्थित सुधार अध्ययन/निरीक्षण किया गया है। विमान क्षेत्र मानक निदेशालय में बेहतर दक्षता और पारदर्शिता के लिए व्यवस्थित/प्रक्रियागत सुधार की संस्तुति करने वाली एक समेकित रिपोर्ट डीओएएस को प्रस्तुत की गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021: 26 अक्टूबर, 2021 से 01 नवम्बर, 2021 के दौरान डीजीसीए मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में"स्वंतत्र भारत@75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" की थीम पर आधारित सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन किया गया जिसमें लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर (पीआईडीपीआई) संरक्षण संकल्प पर विशेष ध्यान दिया गया। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे कि निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग, भाषाण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के एक भाग के रूप में लैंगिक संवेदीकरण और निवारक सतर्कता पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

आईटी आधारित प्रौद्धोगिकी समाधानः डीजीसीए की कार्य प्रक्रिया और कार्यप्रणाली के स्वचालन के लिए नागर विमानन ई-गवर्नेंस (ईजीसीए) परियोजना पूरी तरह से शूरू कर दी गई है। इस परियोजना में विभिन्न सॉफ्टवेयर एपलीकेशन, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क और सूचनाओं के वितरण तथा एक सुरक्षित माहौल में अपने हितधारकों को ऑनलाइन और तीव्र सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक 'पोर्टल' सहित आद्योपान्त समाधान के परिकल्पना की गई है। ईजीसीए आईटी अवसंरचना, सेवा वितरण फ्रेमवर्क के लिए एक सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराता है तथा इससे दक्षता का संवर्धन होगा, पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और डीजीसीए के सभी कार्यों की जवाबदेही तय होगी।

सामान्य अनुभाग

स्वच्छ भारत अभियानः डीजीसीए ने नवम्बर और दिसम्बर, 2021 के दौरान विशेष स्वच्छता अभियान के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान में योगदान दिया है। इस अभियान के अंतर्गत कुछ पुरानी फाइलों, पुराने/टूटे फर्नीचर/पुराने सामाचार पत्र जोकि स्थान की कमी के

कारण बाहर पड़े थे, उनकी पहचान की गई और उनका निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त दुर्घटना वाले पुराने वायुयान कलपुर्जों से भारे एक कक्ष को भी साफ किया गया और चूंकि अब इस सामान की आवश्यकता नहीं थी इसलिए इसका निष्तारण किया गया। इस प्रकार भविष्य में प्रयोग के लिए एक कक्ष उपलब्ध हो गया।
कोविड-19: कोविड-19 से लड़ाई के लिए सेनीटाइजर डिसपेंसर, ऑटोमेटिक सोप डिसपेंसर, मास्क डीजीसीए (मुख्यालय) और सीईओ (आर.के. पुरम) के अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराया गया है।

संसद एवं समन्वय अनुभाग

- 08 मार्च, 2021 को डीजीसीए में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। डीजीसीए के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 08.03.2021 को डीजीसीए की सभी महिला कर्मचारियों के लिए बांड टेक्नोलॉजीस द्वारा बोन डेनसिटी टेस्ट किया गया।
- डीजीसीए ने 15 से 31 अक्टूबर, 2021 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा मनाया और इसी के साथ बेकार पड़े सामान का निस्तारण करने के लिए एक माह लंबा विशेष अभियानभी चलाया गया जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित की गई, रिकार्ड प्रबंधन में सुधार किया गया अप्रयुक्त कागजात की समीक्षा की गई और उन्हें हटाया गया, अनावश्यक रद्दी और अप्रचिलित सामान का निस्तारण किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा और विशेष अभियान के दौरान निम्नलिखित कार्यकालापों का आयोजन किया गयाः-
    - शपथ ग्रहण समारोह
    - सभी निदेशालयों/अनुभागों/क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में फाइलों की छंटनी की गई-436 फाइलों की समीक्षा की गई और उन्हें हटाया गया
    - ड्राईंग/पोस्टर प्रतियोगिता
    - कोविड-19 महामारी के मद्देनजर हाऊस कीपिंग स्टाफ/गार्ड/माली/ड्राईवर को स्वच्छता और साफ-सफाई (सामुदायिक स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता) के महत्व के बारे में जागरूक किया गया
    - सभी निदेशालयों/रिस्पेशन में एकल प्रयोग प्लास्टिक/पोलीथीन का प्रयोग न करने और ई-वेस्ट प्रबंधन पहलों के बारे में पैमप्लेट/फ्लैक्स सन बौर्डो के माध्यम से जागरूकता फैलाना
    - सभी निदेशालयों/अनुभागों/क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में रद्दी सामान का निस्तारण -डीजीसीए (मुख्यालय) में रद्दी सामान के निस्तारण द्वारा 93500 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ

- सभी निदेशालयों/अनुभागों/क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में श्रमदान
  - सभी निदेशालयों/प्रभागों का समिति सदस्यों द्वारा निरीक्षण
  - निबंध प्रतियोगिता
  - विशेष अभियान के दौरान 133 लोक शिकायतों का निस्तारण किया गया
- नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों और मौलिक कर्तव्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डीजीसीए में 26 नवम्बर, 2021 को संविधान दिवस मनाया गया। डीजीसीए मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी अधिकारियों/पदाधिकारियों ने अपने-अपने कार्यालयों/कमरों में 26.11.2021 को भारत के संविधान की 'प्रस्तावना' को पढ़ा। डॉ आंनद कुमार, उप निदेशक (आर एंड आई) ने संविधान दिवस के अवसर पर "प्रस्तावना-भारतीय संविधान के लक्ष्य का वर्णन करने वाला प्रमुख अंग" विषय पर वेबीनार में अपने विचार व्यक्त किए।
- भारत @75-आजादी का अमृत महोत्सवः डीजीसीए भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त, 2022 (75 सप्ताह) के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव को मनाने के लिए हितधारकों सहित डीजीसीए के विभिन्न निदेशालयों द्वारा अनेक कार्यकलापों का आयोजन किया जा रहा है।

3.15 चिकित्सा सेवा निदेशालय (नागर विमानन)

चिकित्सा सेवा निदेशालय को चिकित्सा परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुबंध 1 में की गई अनिवार्यता के अनुसार मूल्यांकन की क्रियाओं से सम्बद्ध सभी चिकित्सा मामलों से जुड़े सभी वर्गों के कार्मिकों को प्रारंभिक एवं आवर्ती प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के परामर्शदाता के दायित्व सौंपे गए हैं।

इस निदेशालय का प्रबंधन चिकित्सा मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है जिसमें डीजीएमएस (एयर) जो एयरोस्पेस मेडिसिन विशेषज्ञ या एविएशन मेडिसन से संबंधित विषयो में प्रशिक्षित होते हैं और भारतीय वायुसेना की सक्रिय सेवा में हैं। चिकित्सा परीक्षक द्वारा की गई चिकित्सीय जांच के लिए चिकित्सा मूल्यांकन जारी करने का कार्य निदेशक/संयुक्तनिदेशक, चिकित्सा सेवाएं (नागर विमानन) द्वारा किया जाता है।

यह निदेशालय वायुयान नियम, 1937 के नियम 39 ख और नियम 39 ग में निहित उपबंधो के अनुसार उड़ान कर्मीदल को चिकित्सा निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए माध्यम है तथा वर्ष 2021 के लिए (31 दिसम्बर, 2021 तक) गतिविधियों का सांख्यिकीय रिकार्ड निम्नानुसारहैः

ई-जीसीए परियोजना
क्लास 2 प्रारंभिक और क्लास 2 नवीनीकरण चिकित्सा परीक्षण के प्रायोजन के लिए डीजीसीए इंपैनल्ड क्लास 1और 2 द्वारा ई-जीसीए पोर्टल के माध्यम से सीए फॉर्म 34/34ए का 100% अनुमोदन ।

कोविड/ विशेष/ अस्थाई अनफिट मामलों का शीघ्र निपटान
पायलटों की पुनः उड़ान के लिए - कोविड महामारी के दौरान पायलटों की पुनः उड़ान के लिए 'विशेष/ अस्थाई अनफिट मामलों का शीघ्र निपटान'के प्रयोजन से विशेष/ अस्थाई अनफिट मामलों का ई-पुनरीक्षण

	सिविल डॉक्टरों का इंपैनलमेंट/री-इंपैनलमेंट
(क)	सिविल विमानकर्मी दल की चिकित्सा अपेक्षाओं से संबंधित क्लास 1 प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण और विशेष/ विशिष्ट चिकित्सा परीक्षण को सुगम बनाने के लिए डीजीसीए द्वारा 7 वायु सेना अस्पताल को छठवें भारतीय वायु सेना बोर्डिंग केंद्र के रूप में इंपैनल्ड किया गया है ।
(ख)	डीजीसीए इंपैनल्ड क्लास 1 चिकित्सा परीक्षकों की संख्या 29 से बढ़ाकर 37 करने के लिए ' क्लास 1 चिकित्सा परीक्षकों के इंपैनलमेंट/री-इंपैनलमेंट की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए डीजीसीए का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

नीतियों का संशोधन	
1.	'विमानकर्मी दल/वायु यातायात नियंत्रक लाइसेंस और रेटिंग के लिए

	चिकित्सा अपेक्षाओं और परीक्षण' दिनांक 12 अक्टूबर,17 पर सीएआर, सेक्शन 7, सीरीज ग, इशू II का संशोधन एटीसीओ अपेक्षाओं को शामिल करते हुए दिनांक 5 अप्रैल, 2021 को किया गया ।
2.	21 अक्टूबर,21 को चिकित्सा निदेशालय (डीजीसीए) के प्रक्रिया और प्रशिक्षण मैनुअल में संशोधन किया गया (द्वितीय संशोधन)
3.	मैनुअल: एटीसीओ के चिकित्सा मूल्यांकन क्लास 3 की प्रक्रिया को जारी करना (10 सितंबर,21- इशू -1)

डीजीसीए हिंदी राजभाषा ट्रॉफी		
2021	चिकित्सा निदेशालय	
क्रम सं.	**वैश्विक महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचनाएं उपलब्ध कराना**	**दिनांक**
1.	'पोस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन के पश्चात उड़ान के लिए अस्थाई अनफिटनेस' पर डीजीसीए चिकित्सा प्रपत्र 01/2021 फा. सं. एवी/22025/25ए/डीएमएस/एमईडी द्वारा जारी किया गया।	9 मार्च, 21
2.	'वैश्विक महामारी कोविड-19 केपरिप्रेक्ष्यमें क्लास 1 विमानकर्मी दल के चिकित्सा परीक्षण का आयोजन' पर डीजीसीए सार्वजनिक सूचना (01/07/21 से 31/10/21 तक प्रभावी)चिकित्सा निदेशालय (डीजीसीए) के फा. सं.एवी/22025/37/डीएमएस/एमईडी द्वारा जारी किया गया।	18 मई, 21
3.	'ओवर दी काउंटर (ओटीसी) ड्रग्स और सेल्फ मेडिटेशन' पर डीजीसीए चिकित्सा	08 दिसंबर,

	परिपत्र 02/2021 फा. सं.एवी/22025/25ए/डीएमएस/एमईडी द्वारा जारी किया गया।	21
4.	'दिनांक 01 जुलाई,21 से 31 जुलाई,21 तक आयोजित आयु संबंधी आवधिक चिकित्सा परीक्षण के पश्चात आईएएफ बोर्डिंग केंद्र में नवीकृत चिकित्सा परीक्षण पर' डीजीसीए सार्वजनिक सूचना को एवी/22025/37/डीएमएस/एमईडी द्वारा जारी किया गया ।	15 दिसंबर, 21

क्रम सं.	**नामावली**	**कुल (21 दिसंबर,21 की स्थिति के अनुसार)**
1.	सिविल विमानकर्मी दल के किए गए चिकित्सा परीक्षण की कुल संख्या	31525 (ई-जीसीए पर 11,143 सहित)
2.	जारी किए गए कुल फिट चिकित्सा मूल्यांकन	31252
3.	क्लास 1 और क्लास 2 चिकित्सा परीक्षण के लिए जारी कुल अस्थाई अनफिट चिकित्सा मूल्यांकन	239
4.	सिविल विमानकर्मी दल के चिकित्सा परीक्षण के संबंध में जारी कुल कमियां/ अवलोकन	494 (ई-जीसीए पर 31 सहित)
5.	डीजीसीए क्लास 1 और 2 चिकित्सा परीक्षकों के लिए वार्षिक निगरानी ऑडिट किया गया (एएसएपी 2021 के अनुसार)	16
6.	जारी किए गए कुल अनापत्ति प्रमाणपत्र	9356 (ई-जीसीए पर 1475 सहित)

7.	निस्तारित की गई कुल आरटीआई	24
8.	असत्य घोषणा	03
9.	कुल स्थाई अनफिट मामले और अपील के मामले	34
10.	**क्लास 3 चिकित्सा परीक्षण (एटीसीओ)** **(जून 2021, से 21 दिसंबर 21 तक प्रभावी)** परिशिष्ट 'ख' (अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुरोध) परिशिष्ट 'ग' (अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुरोध) एटीसीओ के लिए जारी कुल फिट चिकित्सा मूल्यांकन अस्थाई अनफिट अवैध चिकित्सा परीक्षण	 71 28 866 05 01

3.16 विमान यातायात नियंत्रक लाइसेंस प्रभाग

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा नवम्बर 2017 में किए गए ऑडिट में उठाए गए मुद्दों के अनुपालन के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने विमान यातायात नियंत्रकों को भारत में लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया था तथा विमान यातायात नियंत्रकों के संरक्षा निगरानी सहित विनियामक के दायित्व का निर्वहन नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा किया जाएगा।

तदनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय में वर्ष 2018 में विमान यातायात नियंत्रक लाइसेंस विभाग की स्थापना वि.या.नि.ला. जारी करने, वि.या.नि.ला. प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने एवं अनुवर्ती निगरानी क्रियाकलापों के लिए भारत वि.या.नि.ला. के दायित्वों की देखरेख के लिए की गई है।

अवधि के दौरान किए गए कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है : -

- एटीसी लाइसेंस प्रभाग के प्रयासों द्वारा 1 मई, 2021 से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एटीसीओ को दी गई सभी छूट को निरस्त कर दिया गया और वायुयान नियम, 1937 के भाग XII और अनुसूची-III के सभी प्रावधानों तथा सेक्शन-9,

सीरीज-एल के अंतर्गत लागू नागर विमानन अपेक्षाओं को भारत में लागू कर दिया गया था।

- एटीसीओएल,एसएटीसीओएल और एटीएसटीओ के लिए आद्योपांत डिजिटल समाधान को सुगम बनाने के लिए ई-जीसीए सेवा शुरू की गई।
- वर्ष 2021 के दौरान 155 से ज्यादा वायु यातायात नियंत्रण लाइसेंस जारी किए गए।
- वर्ष 2021 के दौरान 20 से ज्यादा छात्र वायु यातायात नियंत्रण लाइसेंस जारी किए गए।
- डीजीसीए द्वारा जारी एटीसीओ लाइसेंस पर विमानक्षेत्र नियंत्रण, अप्रोच कंट्रोल प्रक्रिया, अप्रोच नियंत्रण निगरानी, क्षेत्र नियंत्रण प्रक्रिया, क्षेत्र नियंत्रण निगरानी और समुद्रीय नियंत्रण के रेटिंग्स को अनुमोदन प्रदान किया गया। (लगभग कुल 540 अनुमोदन)।
- सीएटीसी-प्रयागराज**,**एनआईएटीएएम-गोंडिया तथा एचटीसी-हैदराबाद में स्थित विमान यातायात सेवा प्रशिक्षण संगठनों के निगरानी निरीक्षण किए गए हैं। लगभग 10 (दस) पदधारकों को यथालागू स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।
- 2 एटीएसटीओ (सीएटीसी,इलाहाबाद और एचटीसी,हैदराबाद) के संबंध में प्रशिक्षण प्रक्रिया मैनुअल (टीपीएम), गुणवत्ता आश्वासन मैनुअल (क्यूएएम) और परीक्षण प्रक्रिया मैनुअल (ईपीएम) में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मैसूर, तिरुपति, मदुरई, अहमदाबाद, पटना, नागपुर, भोपाल, मंगलौर,गग्गल,गया और पंतनगर विमानपत्तन की सोलह (16) एटीएस इकाइयों का वास्तविक निगरानी निरीक्षण किया गया और इसके साथ-साथ अमृतसर, शमशाबाद, बेगमपेट, देहरादून, वाराणसी, रांची, कालीकट और खजुराहो की आठ (08) एटीएस इकाइयों का ऑनलाइन निगरानी निरीक्षण भी किया गया ।
- लगभग पैंतीस (35) रेटिंग वाले प्रशिक्षण मैनुअल (आरटीएम) के ऐसे सभी विमानपत्तनों को अनुमोदन प्रदान किया गया जहां से प्रतिदिन 30 से ज्यादा उड़ानें संचालित होती हैं । शेष विमानपत्तनों के अनुमोदन का विशेष आरटीएम जब तक प्रक्रियाधीन है तब तक जेनेरिक आरटीएम के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- एचटीसी, हैदराबाद और एनआईएटीएएम, गोंडिया में दो (02) विमानन अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण संगठन और परीक्षण सेवा प्रदाताओं (एईएलटीओ/टीएसपी) को अनुमोदन प्राप्त किया गया।

- विस्तृत अध्ययन के पश्चात,वायुयान नियम,1937 के नियम 97 और 112 (जैसे कि प्रशिक्षक और परीक्षक अनुमोदन,परीक्षा (लिखित/कौशल आधारित) के संचालन की प्रक्रिया,नवीन एटीएस इकाइयों की स्थापना के लिए अनुमति और अस्थाई कार्यभार) के अंतर्गत पांच (5) कार्यों को सौंपने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया । इस प्रक्रिया के अंतर्गत इन कार्यों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा गया।
- पैंतीस (35) विमानपत्तनों अर्थात आईजीआई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर, कोयंबटूर, भोपाल, मंगलूर, त्रिची, भुनेश्वर, तिरुअनंतपुरम, शमशाबाद, अमृतसर, मदुरई, लखनऊ, वाराणसी, राजकोट, वडोदरा, जयपुर, गुवाहाटी, तूतीकोरिन, सूरत, रायपुर, भावनगर, देहरादून, भुन्तर(कुल्लू), गग्गल, किशनगढ़, गया, दुर्गापुर, जबलपुर, अगरतला,पैकोंग,बारापानी, पटना और पंतनगर में एटीसीओ की दक्षता का आकलन करने के लिए निगरानी निरीक्षण किए गए।

3.17 प्रशिक्षण निदेशालय

नागर विमानन महानिदेशालय विमानन क्षेत्र में संरक्षा के सभी घटकों के लिए विनियामक है। विमानन उद्योग में संरक्षा के प्रति विनियामक के उत्तरदायित्व अनेक खंडों में विस्तारित हैं तथा तदनुसार, इसके लिए उच्चतर तकनीकी विशेषज्ञता एवं व्यावसायिक मानकों की अपेक्षा आवश्यक होती है।

वायुयान अधिनियम, 1934 तथा उसके अध्याधीन बनाए गए नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन करने के उद्देश्यों से नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों / कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

प्रशिक्षण निदेशालय की स्थापना उच्च व्यावसायिक उत्कृष्टता, ज्ञान एवं विशेषज्ञता / कौशल के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई है।

वर्ष 2021 के दौरान प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आयोजित किए गए मुख्य प्रशिक्षण / किए गए कार्यकलापों का विवरण निम्नानुसार है:

1. नागर विमानन महानिदेशालय के सभी निदेशालयों को शामिल करते हुए नागर विमानन महानिदेशालय के वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021-22 को विकसित करके इसका प्रकाशन किया गया है।
2. दिनांक 30.03.2021 से 02.04.2021 के दौरान साउथ कैरोलिना विश्वविद्यालय के सहयोग से एसएमएस प्रशिक्षण आयोजित किए गए ।

3. मुख्य तकनीकी सलाहकार (सीटीए) सीओएससीएपी- दक्षिण एशिया के सहयोग से डीजीसीए के अधिकारियों और उद्योग के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया ।
4. दिनांक 23.04.2021 से 24.04.2021 के दौरान बोइंग के साथ मानसून सीजन के प्रचालन पर गोलमेज पायलट विचार-विमर्श का आयोजन किया गया ।
5. **नए भर्ती हुए अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण:**क्षमता का उपयोग करने और आधिकारिक दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करने के उद्देश्य से डीजीसीए के नए भर्ती हुए अधिकारियों को 08.02.2021से 19.02.2021 तक प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया । ऑनलाइन प्रशिक्षण में कुल 43 अधिकारियों ने भाग लिया । कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण का ऑनलाइन आयोजन किया गया ।

आईएसटीएम दिल्ली में कैडर विशेष प्रशिक्षण:आईएसटीएम दिल्ली में कैडर विशेष प्रशिक्षण के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया और उसे डीजीसीए के वित्त प्रभाग को भेजा गया था लेकिन निधियों की कमी के कारण इसका संचालन नहीं किया जा सका,अब वर्ष 2022 के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना है।

3.18 ड्रोन निदेशालय

- भारत सरकार ने देश में ड्रोन उद्योग के नियमन और संवर्धन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (नागर विमानन मंत्रालय) में ड्रोन निदेशालय की स्थापना आदेश सं. ए 60011/1/2019-ईII अनुभाग- डीजीसीए दिनांक 13.10.2020 के माध्यम से की है।

- नागर विमानन महानिदेशालय और नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 25 अगस्त,2021 की अधिसूचना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए यूएएस नियम 2021 के स्थान पर लचीले ड्रोन नियम 2021 जारी किए हैं ।

- भारत को विश्व का ड्रोन केंद्र बनाने और कारोबारी सुगमता के लिए दिनांक 10.12.2021 को ड्रोन प्रशिक्षण परिपत्र डीटीसी 01/2021 का मसौदा तैयार किया गया और उसे अंतरराष्ट्रीय मानकों और बेहतर कार्य व्यवहार के अनुसार प्रशिक्षण के मानकीकरण के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है।

- पीएमओ स्वामित्व (भारत का सर्वेक्षण) 14 राज्य - पीएमओ केन्द्रीय सेक्टर स्कीम "स्वामित्व"के अंतर्गत 14 राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या वाले भूखंडों में सर्वेक्षण के लिए मैसर्स भारत के सर्वेक्षक (एसओई) और एयूएस की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को रिमोट चालित पायलट विमान सिस्टम (आरपीएएस)/ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

- दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कोरिडोर के लिए वेब आधारित जीआईएस प्लेटफार्म के मानचित्रण और कार्यान्वयन के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए मैसर्स राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी), दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो परियोजना।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-पीएमएफवाईबी के अंतर्गत कृषि बीमा और उनके दावों का निपटान करने के लिए 100 से ज्यादा जिलों में ड्रोन का उपयोग ।

- सेंट्रल विस्टा (सीपीडब्ल्यूडी और एसओआई) परियोजना की योजना बनाने और नक्शा तैयार करने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग।

- पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, नागालैंड, मेघालय तथा अंडमान में ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैक्सीन और जीवन रक्षक दवाओं को पहुंचाने की परियोजना को अनुमति प्रदान की गई ।

- एचएमसीए और तेलंगाना सरकार द्वारा जीवन रक्षक दवाओं और वैक्सीन आपूर्ति परियोजना के लिए दिनांक 13.09.2021 को शुरू की गई आकाश से दवा परियोजना के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई ।

- भारत ने ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन/ दवा/ आवश्यक दवाएं और अन्य सामानों की आपूर्ति के क्षेत्र में वैश्विक मार्गदर्शक बनने के क्रम में बीवीएलओएस- ब्यांड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन ऑपरेशन की ओर एक बड़ा फासला तय कर लिया है । दिनांक 16.06.2021 को नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय वायु सेना और उद्योग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जावरा गांव में ड्रोन द्वारा बीवीएलओएस प्रचालन आपूर्ति की पहली प्रायोगिक उड़ान का उद्घाटन किया।

- डीजीसीए द्वारा विभिन्न कंपनियों और संस्थानों को ड्रोन उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए 26 प्राधिकार प्रदान किए गए हैं।

3.19 केंद्रीय परीक्षा संगठन

डीजीसीए कार्यालय, आरके पुरम, नई दिल्ली ने**एएमईऔर एफसी**अभ्यर्थियों के लिए नियमित सत्र के अतिरिक्त, नयी**"ऑनलाइन ऑन डिमांड परीक्षा(ओएल ओडीई)"**शुरू की है । यह लाइसेंस परीक्षाएं अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा के लिए उपलब्ध स्लॉट में से अपनी पसंद के अनुसार तारीख और समय को निश्चित करने का अवसर प्रदान करती हैं । यह सीटें सीमित हैं और यह अभ्यर्थियों के लिए**पहले आओ पहले पाओ के आधार पर**उपलब्ध होंगी ।

"विमानकर्मी दल और वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर्स के लिए नयी ऑनलाइन ऑन डिमांड परीक्षा (ओएलओडीई)"को पहली बार दिनांक 22/10/2021 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से परीक्षा पोर्टल और डीजीसीए की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया है ।

केंद्रीय परीक्षा संगठन, डीजीसीए कार्यालय, आरके पुरम, नई दिल्ली ने नवंबर, 2021 के महीने में सिर्फ नई दिल्ली केंद्र पर 2021 की नयीऑनलाइन ऑन डिमांड परीक्षा (ओएलओडीई) के पहले सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया ।

तत्पश्चात,केंद्रीय परीक्षा संगठन, डीजीसीए कार्यालय, आरके पुरम, नई दिल्ली ने दिसंबर,2021 के महीने में नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता केंद्रों पर 2021 की नयी ऑनलाइन ऑन डिमांड परीक्षा (ओएलओडीई) के दूसरे सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया ।

4. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

4.1 परिचय

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी सी ए एस) नागर विमानन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है । बी सी ए एस का उद्देश्य गैर कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरूद्ध नागर विमानन प्रचालनों की सुरक्षा करना है । यह ब्यूरो, भारत से / को प्रचालित होने वाली नागर उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानक निर्धारित करने तथा नियमित निरीक्षणों तथा सुरक्षा ऑडिटों के माध्यम से उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है ।

बी सी ए एस का मुख्यालय नई दिल्ली में है । इसके शीर्ष अधिकारी महानिदेशक हैं, जो भारत के लिए राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम विकसित करने, उसका रखरखाव करने, उसे अद्यतन बनाने तथा कार्यान्वित करने तथा इस परिपेक्ष्य में सभी अंतरराष्ट्रीय कर्त्वयों के पूरा करने हेतु ''उपयुक्त प्राधिकारी'' हैं । यह ब्यूरो, समन्वयन करने, मॉनीटरिंग करने, निरीक्षण करने तथा विमानन सुरक्षा (एवसेक) के विषयों में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने, एवसेक गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा नागर विमानन को सुरक्षित करने हेतु प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने हेतु विनियामक प्राधिकरण है ।

वर्ष 2016 से पहले, इस ब्यूरो के आठ क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, अमृतसर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में स्थित थे जिनकी संख्या इम्फाल में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के बाद बढ़कर नौ हो गई है। वर्ष 2018 एवं 2019 में, ग्यारह नए क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, रांची, जयपुर, लखनऊ, पटना, रायपुर, श्रीनगर तथा तिरूवनन्तपुरम में स्थापित किए गए । प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय एक क्षेत्रीय निदेशक, बी सी ए एस के अधीन है जो अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विमानपत्तनों के विनियमन, मॉनीटरिंग तथा नियमित सुरक्षा निरीक्षणों एवं ऑडिट्स हेतु उत्तरदायी हैं ।

इस ब्यूरो द्वारा, अपहरण तथा अन्य गैर कानूनी हस्तक्षेपों से नागर विमानन प्रचालनों के लिए उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों से निबटने के लिए आपात योजनाएं तैयार की गई हैं।अन्य बातों के साथ-साथ इसके द्वारा प्रत्येक विमानपत्तन पर ऐरोड्रम समिति

की स्थापना की जाती है । किसी भी आपात स्थिति जैसे कि नागर विमानन की सुरक्षा को खतरा, आतंकवाद, अपहरण, विमान को गैर कानूनी रूप से ज़ब्त किया जाना आदि होने पर आपदा प्रबंधन प्रक्रियाओं को तत्काल लागू किया जाता है । परिवर्तनशील सुरक्षा परिदृश्य में प्रचालनात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, आपातकालीन योजना को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है और सभी संबंधित प्राधिकारियों को परिचालित किया गया है । आपातकालीन योजना तथा संबंधित अभिकरणों की प्रचालनात्मक तैयारी की प्रभावशीलता को परखने के लिए, विमानपत्तनों पर नियमित रूप से छद्म अभ्यासों का आयोजन किया जा रहा है ।

4.2 विमानपत्तनों पर सुरक्षा में सुधार के लिए की गई पहलें

4.2.1 सुरक्षा पुनरीक्षण एवं अनापत्ति:कई विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न विमानपत्तनों से सुरक्षा पुनरीक्षण प्रस्ताव बी सी ए एस मुख्यालय में प्राप्त हुए जिनकी बी सी ए एस के मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की गई और उन पर कार्यवाही की गई । कुल**207**पुनरीक्षण प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया जिसके परिणामस्वरूप अवसंरचना से संबंधित कई नए कार्य प्रारंभ हुए जिनसे यात्री सुविधाओं के साथ साथ वाणिज्यिक गतिविधियों में और विकास हुआ । इनमें आर सी एस विमानपत्तन के मामले भी शामिल हैं ।

4.2.2 कार्मिक बल:26 विमानपत्तनों के पुन: सर्वेक्षण के अनुसार सुरक्षा कार्मिक बल में बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव इस मुख्यालय में प्राप्त हुए जिनकी जांच की गई तथा भागीदारों के साथ पुन:सर्वेक्षण बैठक में भली भांति विचार विमर्श के पश्चात् उन्हें अंतिम रूप दिया गया तथा उसके बाद संबंधित विभागों को प्रस्तुत किया गया।इसके परिणामस्वरूप भी सुरक्षा और उन्ही विमानपत्तनों पर विमानन प्रचालनों के के स्तर में बढ़ोत्तरी हुई । इनमें आर सी एस विमानपत्तनों के मामले भी शामिल हैं ।

4.2.3 सुरक्षा ऑडिट / निरीक्षण :विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता की जांच के लिए पूरे देश में विमानपत्तनों के सुरक्षा ऑडिट एवं निरीक्षण किए गए । वर्ष 2021 में कुल 44 ऑडिट एवं 117 निरीक्षण किए गए ।

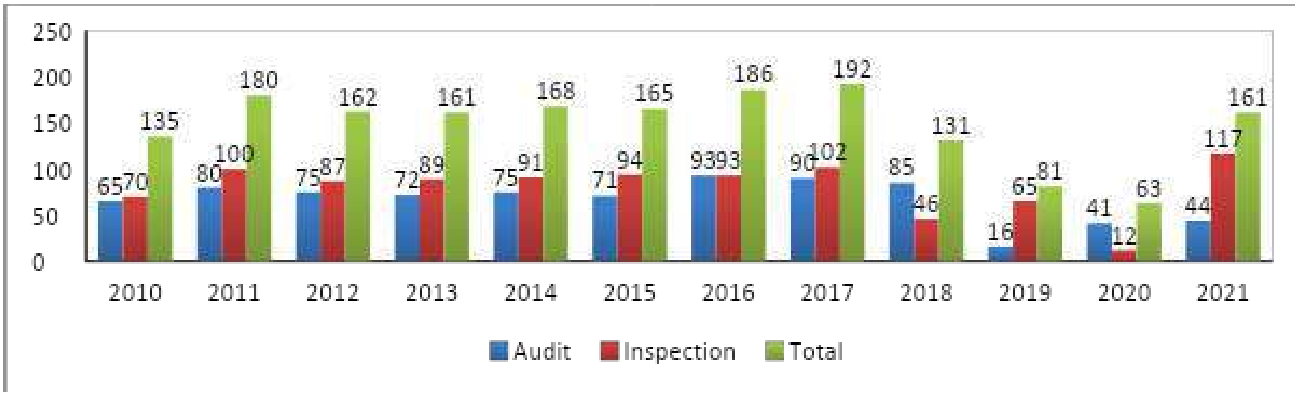

4.2.4 **ऐरोड्रम सुरक्षा कार्यक्रम :**विभिन्न विमानपत्तन प्रचालकों से कुल 06 ऐरोड्रम सुरक्षा कार्यक्रम प्रस्ताव प्राप्त हुए जिन्हें बी सी ए एस मानकों के अनुसार जांचा गया तथा तद्नुसार अनुमोदित किया गया ।

4.2.5 विमानन सुरक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित विनियमों को एवसेक आदेशों तथा एवसेक परिपत्रों के माध्यम से लागू किया जाता है । इस संबंध में वर्ष 2021 में कुल 29 एवसेक आदेश / परिपत्र तथा उनके परिशिष्ट / संशोधन पत्र जारी किए गए हैं । बी सी ए एस के विनियम अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मानकों तथा संस्तुत पद्धतियों का उनके नवीनतम संशोधनों सहित अनुपालन करते हैं ।

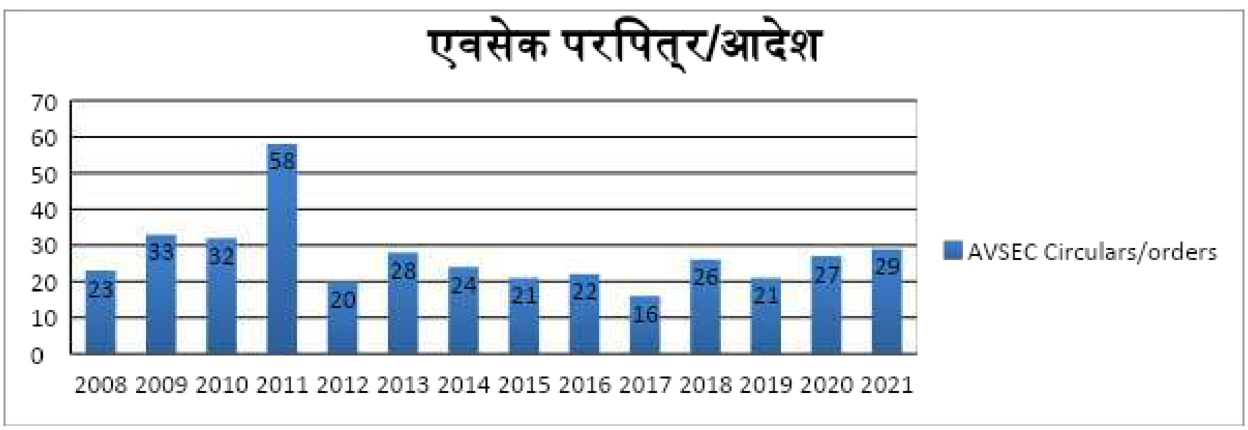

4.2.6 सुरक्षा कार्यक्रम**:** वर्ष 2021 में अनुमोदित किए गए सुरक्षा कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	**विवरण**	**अनुमोदित**
01	विमान प्रचालक सुरक्षा कार्यक्रम (अंतरराज्जीय) {नियोजित}	03
02	विमान प्रचालक सुरक्षा कार्यक्रम (विदेशी) {नियोजित}	17

03	आर ए का सुरक्षा कार्यक्रम	13
04	जी एच ए का सुरक्षा कार्यक्रम	68
05	सहायक सेवा प्रदाताओं का सुरक्षा कार्यक्रम	544
06	गैर अनुसूचित प्रचालकों का सुरक्षा कार्यक्रम	37
07	गैर सरकारी प्रचालकों का सुरक्षा कार्यक्रम	10
08	केटरिंग का सुरक्षा कार्यक्रम	10
09	रियायतप्राप्तकर्ता का सुरक्षा कार्यक्रम	334
10	नियोजित यात्री प्रचालक (एस सी ओ)	07
11	उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफ टी ओ)	--
12	ईंधन फार्म (एफ एफ एस पी) का सुरक्षा कार्यक्रम	44
13	रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉलिंग (एम आर ओ)	14

4.2.7 वर्ष 2021 के दौरान, 113 विमानपत्तनों पर अपहरण रोधी अभ्यास किए गए तथा 98 विमानपत्तनों पर बम जोखिम छद्म अभ्यास बैठकें की गईं । इनके अलावा वर्ष 2021 में 6 अपहरण रोधी आपात योजनाओं तथा 06 बम जोखिम आपात योजनाओं के प्रारूप अनुमोदित किए गए ।

4.2.8 कपड़ों के नीचे शरीर पर छुपाए गए धातु तथा गैर धातु चीज़ों का पता लगाने के लिए भारतीय विमानपत्तनों पर यात्रियों सहित सभी व्यक्तियों की जांच के लिए बॉडी स्कैनर की एक मानक प्रचालन प्रक्रिया एवसेक परिपत्र सं.**05/2019** दिनांक**08/04/2019**के माध्यम से लागू की गई । एवसेक परिपत्र **05/2019** का एक परिशिष्ट**16.11.2021** को प्रकाशित किया गया जिसमें अपेक्षित समय सीमा को मार्च 2022 तक बढ़ाया गया । अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील विमानपत्तनों पर परिशिष्ट जारी होने के एक वर्ष के भीतर तथा अन्य विमानपत्तनों पर परिशिष्ट जारी किए जाने के दो वर्षों के भीतर ।

4.2.9 वर्ष 2021 में, बी सी ए एस ने विमानपत्तनों को रेडियोधर्मी तथा आणविक खतरों / आपात स्थितियों से सुरक्षित बनाने के लिए रेडियोधर्मी जांच उपस्कर की स्थापना तथा कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया है । इन उपकरणों को सभी 14 विमानपत्तनों (चरण-I) पर स्थापित किया गया । रेडियोधर्मी आपात स्थितियों से बचाव के लिए भारतीय विमानपत्तनों पर रेडियोधर्मी जांच उपकरणों (आर डी ई) का कार्य प्रारंभ करने हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया एवसेक सं० 01/2020 द्वारा परिचालित किए गए हैं । बी सी ए एस ने नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे आर डी उपकरणों की समग्र प्रभावशीलता के लिए संबंधित विमानपत्तन प्रचालकों को निर्देश जारी करें।

4.2.10 20 बी सी ए एस क्षेत्रीय कार्यालयोंके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पूरे भारत में बायोमीट्रिक ए ई पी पर आधारित केन्द्रीयकृत पहुंच नियंत्रण प्रणाली लागू की गई है तथा 88,573 बायोमीट्रिक आधारित ए ई पी वर्ष 2021 में जारी किए गए हैं ।

4.2.11 एवसेक परिपत्र 02/2021 के रूप में विमानपत्तनों के लिए ड्रोन्स / यू ए वी एस की निगरानी, पता लगाने और निष्क्रिय करने हेतु आधारभूत अपेक्षाओं तथा तकनीकी विनिर्दिष्टताओं / ड्रोन रोधी तकनीक/उपाय क्यू आर समय सीमा के साथ जारी किए गए हैं । बी सी ए एस ने ए सी 02/2020 दिनांक 09/02/2021 का एक परिशिष्ट जारी किया है । राष्ट्रीय शठ ड्रोन नीति तथा दिशानिर्देश गृह मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है ।

4.2.12 विमानन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए विमानपत्तन की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए विमानपत्तनों पर आतंकवाद रोधी आपात स्थिति योजना (सी टी सी पी) पर एस ओ पी एवसेक आदेश सं० 02/2020 के माध्यम से जारी किए गए हैं ।

4.3 यात्री सुविधा

- **हैंड बैगेज टैग पर स्टैंप लगाना बंद किया जाना :**अब तक, 61 विमानपत्तनों पर हैंड बैगेज टैग पर स्टैंप लगाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है । इससे यात्रियों की अपेक्षाकृत तेज़ निकासी सुकर बन सकी है । बैगेज स्टैंपिंग को समाप्त किया जाना सभी प्रमुख विमानपत्तनों पर यात्रियों की सुविधा तथा सुरक्षा अपेक्षाओं की लगातार समीक्षा का परिणाम है । यात्री का बोर्डिंग कार्ड जांचना तथा उसके हैंड बैगेज के टैग पर स्टैंप होने को जांचना यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा था कि यात्री की तलाशी ले ली गई है और उसका सामान सुरक्षा कार्मिकों द्वारा जांच लिया गया है ।

- दिव्यांग तथा / अथवा चलने फिरने की शक्ति में कमी वाले यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने तथा इस प्रकार के यात्रियों और उनके साथ लाए गए चलने फिरने के सहायक यंत्रों तथा सहायक उपकरणों के जांच अनुभव में सुधार करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया(एस ओ पी) निर्धारित की गई है और सामान्य जनता के विचार जानने के लिए बी सी ए एस की वेबसाइट पर अपलोड की गई है । इससे हवाई यात्रा की जांच प्रक्रिया में सुधार होगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी यात्रियों के साथ गरिमा, आदर और शिष्टाचार का व्यवहार किया जाए चाहे उनकी निजी आवश्यकताएं और स्थिति कैसी भी हो ।

- ई टिकट / वेब अथवा कियोस्क चैक इन बार कोडिड बोर्डिंग पास (बी सी बी पी) लिए प्रस्थान करने वाले यात्रियों का सुरक्षा नियंत्रण । प्रस्थान प्रवेश द्वारों से टर्मिनल भवन के भीतर जाने के लिए ई टिकटों में स्मार्ट फोनो; टैबलेट पी सी अथवा लैपटॉप्स में इस प्रकार की टिकटों की सॉफ्ट कॉपी / तस्वीर होती है । इलैक्ट्रॉनिक उपकरण पर यात्रियों द्वारा दिखाई जाने वाली ई टिकट की तस्वीर विमान प्रचालकों द्वारा जारी की गई टिकट के समान होनी चाहिए । एस एम एस अथवा टिकट से संबंधित आंशिक जानकारी यात्री को विमानपत्तन टर्मिनल भवन में जाने का अधिकार नहीं देती है ।

- **कोविड-19 के कारण बी सी ए एस द्वारा की गई कार्रवाई : -** छूने / संपर्क में आने से कोविड-19 के फैलने को रोकने के लिए उपाय करने के लिए बी सी ए एस ने निम्नलिखित विषयों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं :

- यात्रियों की जांच के लिए एक विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की गई है ।

- कैरी ऑन बैगेज की जांच के लिए प्रक्रिया तैयार की गई है ।

- कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के कारण यात्रियों को बार बार हैंड सैनेटाइज़र का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है । अत: यह तय किया गया है कि किसी विमान पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने हैंड बैगेज में अथवा अपने साथ बी सी ए एस की 100 एम एल की पूर्व अनुमति के स्थान पर 350 एम एल तरल हैंड सैनेटाइज़र ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है ।

4.4 व्यापार की सुगमता

- **ऑनलाइन सुरक्षा अनापत्ति :**अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा अनापत्ति पोर्टल अर्थात् ई-सहज को विकसित करने के पश्चात् विमानपत्तनों पर कार्य करने वाले संस्थानों की सुरक्षा अनापत्ति को साकार रूप से ऑनलाइन में परिवर्तित कर दिया गया है । विभिन्न श्रेणियों जैसे कि कन्सेशनियर्स, केटरिंग, विनियमित एजेन्टों (आर ए), गराउंड हैंडलिंग एजेन्सी (जी एच ए) तथा सहायक सेवा प्रदाता के लिए कुल**863**सुरक्षा अनापत्तियों को**01.01.2021** से **31.12.2021**तक ई-सहज पोर्टल के माध्यम से अनुमोदित किया गया है ।

वर्ष 2021 के लिए ई सहज आवेदन (सुरक्षा अनापत्ति) की अनुमोदित सूची

क्रम सं०	श्रेणी	कुल
1.	रियायत प्राप्तकर्ता	204
2.	केटरिंग संस्थान	8
3.	सहायक सेवा प्रदाता	617
4.	आर ए	7
5.	जी एच ए	26
6.	ईंधन फार्म	1
7.	पी एस ए	1
	जोड़	863

- **अनुमोदन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण :**

(क). नागर विमानन ईको सिस्टम में शामिल भागीदारों की अबाध एवं आसान सहूलियत के लिए, विनियामक अनुपालनों की आवश्यकता को न्यूनतम बनाने तथा व्यापार करने की आसानी की परिकल्पना को अपनाने के प्रयोजन से, महानिदेशक, बी सी ए एस ने विभिन्न संस्थानों के सुरक्षा कार्यक्रम अनुमोदित करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक, बी सी ए एस को प्रत्यायोजित कर दिया है । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित संस्थानों को, जो पूरे भारत के विभिन्न विमानपत्तनों में काफीसंख्या में मौजूद हैं, इस कदम से काफी लाभ प्राप्त होगा :

- सहायक सेवा प्रदाता
- रिमोटली पायलेटिड एयरक्राफ्ट प्रचालक
- रियायतप्राप्त कर्ता / व्यापारिक संस्थान
- प्राधिकृत एजेन्ट /जी एस ए/जी एस एस ए/एफ सी ए
- पॉवर हैंग ग्लाइडर प्रचालक

- कस्टम हाउस एजेन्ट
- फ्रेट फॉरवर्डर

- क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर रियायतप्राप्तकर्ता / व्यापारिक संस्थान तथा सहायक सेवा प्रदाताओं के संबंध में भी अनंतिम सुरक्षा अनापत्ति प्रदान करने का यह प्रावधान किया गया है। इन पहलकदमियों से संस्थानों के लिए कम समय में विमानपत्तनों पर व्यापार प्रारंभ करना संभव बनाया है तथा यात्रियों की सहूलियत में भी योगदान मिला है ।

- विभिन्न हिस्सेदारों के अनुरोध के पश्चात्, महानिदेशक, बी सी ए एस ने यह अनुमोदित किया है कि ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस (व्यापार करने की सुगमता) के अंतर्गत, विमानपत्तनों के एस आर ए भाग में प्रचालन हेतु पहले से सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त कंपनी के बी ओ डी/भागीदार समान होने के मामले में गौण कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों को अनंतिम सुरक्षा अनापत्ति प्रदान की जा सकती है ।

- उन देशों के साथ जहां भारतीय कैरियर प्रचालन करते हैं प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु द्विपक्षीय करार : बी सी ए एस ने नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, सिंगापुर, यू ए ई और जर्मनी के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं के ऑडिट के लिए द्विपक्षीय करार/एम ओ यू करने का प्रस्ताव किया है । श्रीलंका तथा बांगलादेश के साथ करार/एम ओ यू अंतिम चरण पर हैं ।

- सांविधिक निकायों, पी एस यू तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के संबंध में ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के साथ साथ पृष्ठभूमि जांचों/ सुरक्षा अनापत्ति की नीति के सरलीकरण तथा कुशलता में सुधार हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस प्रकार का संगठन उपरोक्त तीन श्रेणियों में से किसी में भी आता है, जिसमें सरकार की 50 प्रतिशत भागीदारी है और निदेशक बोर्ड या तो पदेन सरकारी सेवक हैं अथवा (निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते समय) गृह मंत्रालय से सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त हैं, तब बी सी ए एस द्वारा उनके

सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन हेतु गृह मंत्रालय से सुरक्षा अनापत्ति एक पूर्वापेक्षा के रूप में अनिवार्य नहीं है ।

- अनुपालन के बोझ को कम करने के संबंध में ए ई पी की वैधता पूर्व में जो एक वर्ष थी, से बढ़ा कर तीन वर्ष कर दी गई है

- ई-बी०सी०ए०एस० परियोजना के प्रशिक्षण मॉड्यूल को मैनुअल ट्रेनिंग एपलीकेशन प्रक्रिया से ऑनलाइन पद्धति में परिवर्तित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है । इस परियोजना का प्रशिक्षण मॉड्यूल नागर विमानन मंत्रालय के डैशबोर्ड पोर्टल पर सभी भागीदारों के लिए उपलब्ध है। यह परियोजना, बी सी ए एस के गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग, प्रचालन प्रभाग, प्रशिक्षण एवं नीति विभाग द्वारा की गई एक पहल है । इस परियोजना के सभी मॉड्यूल पूरे हो जाने के पश्चात् विमानन क्षेत्र में कार्य कर रहे आवेदक की सी ए एस को दिए गए अपने आवेदन की स्थिति जान पाएंगे ।

4.5 आधुनिकीकरण

- बी सी ए एस ने आधुनिकीकरण तथा ऑटोमेशन के लिए एन आई सी को एक ई-गवर्नेंस योजना तैयार करने का कार्य सौंपा है । स्टॉफ के सभी सदस्यों को आधारभूत प्रचालन हेतु प्रशिक्षित किया गया है । सभी प्रकार के दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में कंप्यूटर पर तैयार किए जा रहे हैं ; जिसके परिणामस्वरूप डेटाबेस तथा इलैक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग विकसित तथा प्रशासित किया जा रहा है ।
- इंटरनेट तथा एनआइसीएनईटी तक तेज़ एवं सरल पहुँच संभव बनाने के लिए एन आई सी मुख्यालय से ब्यूरो तक आर एफ लिंक का उपयोग किया जा रहा है । वरिष्ठ अधिकारियों को ई-मेल की सुविधा दी गई है । अंतरराष्ट्रीय डेटाबेसिस तथा विमानन सुरक्षा संगठनों की विभिन्न वेबसाइटों को देखने के लिए इंटरनेट संपर्क उपलब्ध करवाया गया है ।
- बी सी ए एस के सभी अधिकारियों को एक आधिकारिक ई मेल आई डी दी गई है जिसका उपयोग उनके द्वारा सभी प्रकार के पत्राचार के लिए किया जा रहा है । इसके परिणामस्वरूप समय और श्रम के परिप्रेक्ष्य से

बड़ी बचत हो रही है । बी सी ए एस की वेबसाइट को यात्रियों के लिए संगत जानकारी देकर प्रयोक्ता हितैशी एवं द्विभाषी बनाया गया है।

- विमानपत्तन प्रवेश परमिट के अनुमोदन को स्वचालित बनाया गया है ।
- बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली के साथ साथ ई ऑफिस प्रणाली को बी सी ए एस मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिया गया है । सभी फाइलें / रसीदें इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से संसाधित की जा रही हैं ।
- बी सी ए एसव जी ई एम पोर्टल पर वर्ष 2016 से है और तब से सरकारी खरीद में पारदर्शिता,कुशलता तथा तेज़ी लाने में उस पर उपलब्ध उत्पाद / सेवाएं क्रय की जा रही हैं ।
- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ई सहज का कार्यान्वयन: सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ई सहज का कार्यान्वयन तथा बी सी ए एस मुख्यालय के साथ इसका समेकन कार्यान्वित कर दिया गया है और इससे संस्थानों की सुरक्षा अनापत्ति में कुशलता,तेज़ी तथा समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाएगा । विभिन्न संस्थानों के लिए सुरक्षा अनापत्ति का निर्धारित आवेदन प्रपत्र ई सहज पोर्टल में बी सी ए एस द्वारा संशोधित किया गया है, क्योंकि संस्थान तथा बी सी ए एस भी आवेदन प्रपत्र के पहले के फॉर्मेट अस्पष्टता के कारण आवेदन करने / संसाधित करने में कई कठिनाईयों का सामना कर रहे थे । संशोधित प्रपत्र के पश्चात् संस्थानों को यह बहुत सरल लग रहा है और वे इसे अत्यधिक प्रयोक्ता हितैशी पा रहे हैं और उन्हें उनके आवेदन बिना किसी कठिनाई के भरने में सरल निर्देश प्राप्त हो रहे हैं जिससे प्रक्रिया में न्यूनतम समय लग रहा है ।

4.6 बी सी ए एस की पुन:संरचना / सुदृढीकरण

- नागर विमानन के सुदृढ़ीकरण के लिए पूरे भारत में स्थापित किए गए सभी20 क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं । कास्लो कार्यालय भी कार्य कर रहे हैं ।
- पुन:संरचना के भाग के रूप में, विभिन्न ग्रेडों में449 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं ।31 दिसंबर, 2021को मौजूद स्थिति के अनुसार, बी सी ए एस में 593 की संस्वीकृत संख्या में से कुल 352 पर भर लिए गए हैं ।

4.7 एसवेक के लिए आर एंड डी डेटाबेस

बी सी ए एस को नेटवर्क डेस्क स्टेशन के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्टों, अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा रिपोर्टों, सुरक्षा ऑडिट रिपोर्टों के विवरण, घटना जांच आदि के विस्तृत दस्तावेज़ों का रखरखाव करता है । आने वाले समय में ब्यूरो का प्रस्ताव ई डी पी तथा आर एंड डी प्रयोजनों से भरोसेमंद डेटाबेस संचित करने का है ।

4.8 प्रदूषण नियंत्रण

सभी वाहनों का प्रदूषण परीक्षण सुनिश्चित किया जाता है और प्रदूषण नियंत्रित प्रमाणपत्र सभी बी सी ए एस वाहनों के विंड स्क्रीनों पर स्पष्टत: लगाया जाता है । बी सी ए एस की सभी कार्यालय इमारतें कर्मचारियों द्वारा स्वयं की गई पहलों तथा एक प्रदूषण मुक्त माहौल के लक्ष्य की ओर प्रयासों के योगदान के माध्यम से स्वच्छ तथा हरित कार्य पर्यावरण सुनिश्चित करती हैं।बी सी ए एस यह सुनिश्चित करता है कि सभी नए वाहन ''भारत -IV/ VI"प्रमाणित हों । ब्यूरो अपने कर्मचारियों को धूम्र मुक्त वातावरण भी उपलब्ध करवाता है ।

4.9 महिला कल्याण

महिला कर्मचारियों की समस्याएं, जब भी रिपोर्ट की जाती हैं, तो इस विषय पर सरकार की नीति की विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और उनका समाधान किया जाता है । कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए मंत्रालय में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है ।

4.10 प्रशिक्षण

- नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो भारत में विमानन सुरक्षा हेतु विनियामक इकाई है और बी सी ए एस ने भारत में विमानन क्षेत्र में कार्य करने वाले भागीदारों / संस्थानों के 29 विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को अनुमोदित किया है । यह ए एस टी आई अपने ए एस टी आई में महानिदेशक, बी सी ए एस के अनुमोदन के अनुसार विभिन्न विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण /कोर्स करवा रहे हैं । वे गैर सुरक्षा स्टॉफ के लिए भी एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं ।

- बी सी ए एस प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा एडवांस्ड एवसेक कोर्सों, स्क्रीनर्स (स्वायत तथा आई एल एच बी एस) के परीक्षण और प्रमाणन और एवसेक बेसिक कोर्स

के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर 2021 तैयार किया और तद्नुसार प्रशिक्षण कैलेंडर बी सी ए एस की वेबसाइट पर अपलोड किए गए और तद्नुसार कोर्स एवं परीक्षण आयोजित किए गए ।

- बी सी ए एस ने एन आई ई एल आई टी के सहयोग से भारत के विभिन्न शहरों में कोर्स के अंतिम दिन पर एवसेक बेसिक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलूरू और कोचीन में । तथापि, बी सी ए एस के क्षेत्रीय कार्यालयों के विशेष अनुरोध पर अथवा आवश्यकता के आधार पर, भारत के अन्य शहरों अर्थात् श्रीनगर (जम्मू कश्मीर), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार), रांची (झारखंड), में भी ए पी एस यू कार्मिकों के लिए परीक्षाएं आयोजित की गईं जहां एन आई ई एल आई टी के साथ ऑनलाइन टेस्ट आयोजित करवाने की सुविधा उपलब्ध थी ।

- बी सी ए एस ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अमृतसर, गुवाहाटी, बैंगलूरू और अहमदाबाद स्थित बी सी ए एस के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्क्रीनर्स (स्टैन्ड अलोन) का परीक्षण एवं प्रमाणन आयोजित किया । बी सी ए एस के दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलूरू तथा कोचीन में स्थिति क्षेत्रीय कार्यालयों में स्क्रीनर्स (आई एल एच बी एस) का परीक्षण एवं प्रमाणन।

- स्क्रीनर्स (स्टैन्ड अलोन) के परीक्षण एवं प्रमाणन के सामान्य अवसर के अलावा महानिदेशक, बी सी ए एस के अनुमोदन से स्क्रीनर्स (स्टैन्ड अलोन) के परीक्षण एवं प्रमाणन के विशेष अवसर इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटिड, स्पाइस जेट लि०, एयर इंडिया लि०, एयर एशिया (आई) लि०लि०, गो एयर, टर्बो मेहगा एविएशन लि०, के एस आई एस एफ (कर्नाटक राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल), सी आई एस एफ, टाटा एस आई ए एयरलाइन्स लि०, सी ई एल ई बी आई, डी सी एस सी आदि को प्रदान किए गए । स्क्रीनर्स (स्टैन्ड अलोन) के परीक्षण एवं प्रमाणन के कुल 42 विशेष अवसर विभिन्न संस्थानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुमोदित एवं आवंटित किए गए ।

- महानिदेशक, बी सी ए एस के अनुमोदन से स्क्रीनर्स (आई एल एच बी एस) के परीक्षण एवं प्रमाणन के विशेष अवसर सी आई ए एल, बी आई ए एल, एम आई ए एल, जी एच आई ए एल, डी आई एल तथा ए ए आई सी एल ए एस एस को प्रदान किए गए । स्क्रीनर्स (आई एल एच बी एस) के परीक्षण एवं

प्रमाणन के कुल 12 विशेष अवसर विभिन्न संस्थानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुमोदित एवं आवंटित किए गए ।

- एवसेक बेसिक कोर्स ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन एन आई ई एल आई टी के साथ समन्वयन के आधार पर किया जा रहा है तथा बी सी ए एस द्वारा द्विभाषी प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं और इसके अलावा विमानन द्वारा राजभाषा हिंदी के बढ़ते उपयोग को देखते हुए स्क्रीनर्स (स्टैन्ड अलोन) के परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए द्विभाषी प्रश्न पत्र तैयार किए गए ।

- एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ए एस टी सी), आई ए ए कैम्पस, नई दिल्ली में करवाए जाने वाले एडवांस्ड एवसेक कोर्सों के लिए नामांकन सभी भागीदारों से ई-बीसीएएस (ट्रेनिंग मॉड्यूल) में प्राप्त हो रहे हैं और तद्नुसार अर्हता मापदंडों की जांच की जाती है तथा महानिदेशक, बी सी ए एस के अनुमोदन के पश्चात् योग्यताप्राप्त प्रशिक्षुओं के लिए कोर्स आयोजित किए जाते हैं ।

- भारत में कोविड 19 महामारी की परिस्थिति के कारण और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एवसेक प्रशिक्षण को 15 अप्रैल से 31 जुलाई 2021 तक रोक दिया गया था और प्रशिक्षण 1 अगस्त 2021 से पुन: प्रारंभ किया गया । अत: कोविड 19 महामारी के कारण और वर्ष 2021 में लघु अवधि के लिए प्रशिक्षण को रोके जाने के कारण भी, पायलटों, फ्लाइट इंजीनियरों, एयर/केबिन कर्मीदल, गराउंड सिक्योरिटी हैंडलिंग स्टॉफ, एक्स रे स्क्रीनर्स (स्टैंड अलोन के साथ साथ आई एल एच बी एस), एवसेक इन्स्ट्रक्टर्स, एवसेक ऑडिटर्स और अन्य सभी संबंधित कोर्सों के संबंध में वैधता समाप्त हो जाने या हो रहे होने के मामले में शुरूआत में 20 मार्च 2020 से 20 जून 2020 तक की तीन महीनों की अवधि के लिए वैधता की समय सीमा को बढ़ाया गया और इसके आगे 30 सितंबर 2021तक समय सीमा को बढ़ाया गया तथा अब कोविड 19 की महामारी की स्थिति के कारण उत्पन्न हुए एससेक प्रशिक्षण के बैक लॉग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण की वैधता को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

- इसके अलावा, हमने ए एस टी सी, आई ए ए अकैडमी में बी सी ए एस द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर 2021 अनुसूचित नियमित कोर्सों के अलावा

एवसेक इन्स्ट्रक्टर कोर्स, एवसेक रिफ्रैशर कोर्स, एसवेक ऑडिटर कोर्स तथा एवसेक ऑडिटर रिफ्रैशर कोर्स के अतिरिक्त बैच आयोजित किए हैं ।

- प्रतिनियुक्ति पर नया कार्यभार संभालने वाले उपमहानिदेशकों, संयुक्त महानिदेशकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशकों, वरिष्ठ विमानन सुरक्षा अधिकारियों, सहायक सुरक्षा अधिकारियों के लिए एवसेक बेसिक कोर्स का विशेष बैच आयोजित किया गया । महानिदेशक, बी सी ए एस के अनुमोदन से ए एस टी सी, आई ए ए में बी सी ए एस के अधिकायों के लिए एवसेक इन्स्ट्रक्टर तथा एवसेक ऑडिटर्स के कोर्स भी आयोजित किए गए ।
- संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों और सहायक निदेशकों के लिए स्क्रीनर्स (स्टैंडअलोन के साथ-साथ आईएलएचबीएस) के परीक्षण और प्रमाणन के लिए पूर्व प्रमाणन पाठ्यक्रम नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरोअनुमोदित एएसटीआई डायल, दिल्ली में आयोजित किया गया था और प्रमाणन परीक्षा वर्ष 2021 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो,नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

वर्ष 2021 के दौरान विमानन क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरोद्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है: -

क्रम सं.	**एवसेक कोर्स का नाम**	**कोर्स की अवधि**	**बैच की संख्या**	**शामिल अभ्यर्थियों की संख्या**	**उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या**
1	गैर सुरक्षा कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण	01	2471	91271	91271
2	विमानन सुरक्षा प्रेरण पाठ्यक्रम	05	147	2644	2644
3	विमानन सुरक्षा बेसिक कोर्स	13	126	3990	2580
4	विमानन सुरक्षा बेसिक रिफ्रेशर कोर्स	03	364	8825	6122
5	स्क्रीनर्स का परीक्षण और प्रमाणन (अकेले खड़े हों)	02	245	6337	4393

6	इनलाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनर्स का परीक्षण और प्रमाणन	02	25	716	367
7	विमानन सुरक्षाकेबिन क्रीव कोर्स	06	52	881	768
8	विमानन सुरक्षाकेबिन क्रीवरिफ्रेशरकोर्स	02	525	12786	12580
9	विमानन सुरक्षा प्रशिक्षक पाठ्यक्रम	07	8	103	38
10	विमानन सुरक्षा प्रशिक्षक रिफ्रेशर पाठ्यक्रम	02	8	115	101
11	विमानन सुरक्षा ऑडिटर कोर्स	07	5	58	23
12	विमानन सुरक्षा ऑडिटर रिफ्रेशर कोर्स	02	4	57	41
13	विमानन सुरक्षासंकट प्रबंधन पाठ्यक्रम	05	1	14	9
14	विमानन सुरक्षापर्यवेक्षक पाठ्यक्रम	07	1	22	11
Total			**3982**	**127819**	**120948**

वर्ष 2021 में आयोजितविमानन सुरक्षा कोर्स के अभ्यर्थी

विमानन सुरक्षाजागरूकता प्रशिक्षण - 01 दिन:91,271

विमानन सुरक्षाप्रशिक्षण (विभिन्न कोर्स) 02-12 दिन: 36,548

कुल योग: **1,27,819**

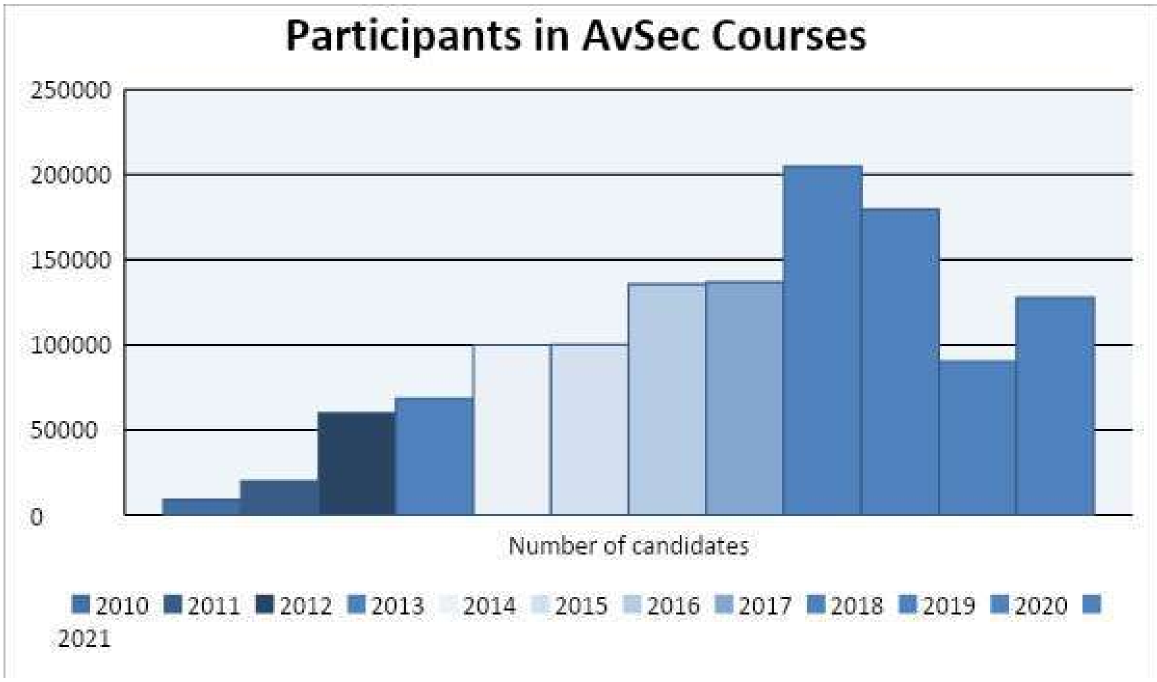

4.11 राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने एवसेक स्क्रीनर की परीक्षा द्विभाषी में आयोजित करने का निर्णय लिया है ताकि विमानन क्षेत्र के साथ-साथ भारत में स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी भाषा का उपयोग बढ़े। हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण किये गये तथा हिन्दी पर कार्यशालाओं के अतिरिक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये भी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

4.12 अनुसूचित जाति/ जनजाति और पिछड़ी जतियों का प्रतिनिधित्व

ब्यूरो इस विषय पर निर्धारित सरकारी नीतियों का पालन करता है और सरकार द्वारा अनिवार्य रूप में एक उप निदेशक स्तर के अधिकारी को अनुसूचित जाती/ जनजाति और पिछड़ी जतियोंके लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.13 कर्मचारी शिकायत प्रकोष्ठ

सरकारी निर्देशों के अनुसरण में, ब्यूरो में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने के लिए एक कर्मचारी शिकायत प्रकोष्ठ ब्यूरो में निदेशक (प्रशासन) के साथ कर्मचारी शिकायत अधिकारी के रूप में कार्य करता है। नागर विमानन सुरक्षा

ब्यूरो कर्मचारियों की कोई भी शिकायत, यदि कोई हो, तो उसपर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

4.14 लोक शिकायत निवारण

- वेब-सक्षम ऑनलाइन प्रणाली सीपीजीआरएएमके माध्यम से 2021 के दौरान कुल 63 शिकायतों का निपटारा किया गया।
- द्वितीय वर्ष 2021 के दौरान एयरसेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुल 138 शिकायतों का निपटारा किया गया।

5. रेल संरक्षा आयोग

5.1. संक्षिप्त इतिहास

ब्रिटिश काल के दौरान, रेलवे का निर्माण एवं परिचालन प्राइवेट कम्पनियों को सौंपा गया था। उन पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के अधीन परामर्शी इंजीनियर्स नियुक्त किए गए थे। जब सरकार के अधीन रेलवे का निर्माण आया, परामर्शी इंजीनियर्स सरकारी निरीक्षक के रूप में पद नामित किए गए। सन् 1883 में उनकी स्थिति सांविधिक मान्यता की थी। सरंक्षा नियंत्रण प्राधिकार की शक्ति रेलवे बोर्ड के पास रही और निरीक्षणालय उनके अधीन रखा गया था।

सन् 1939 में बिहटा आपदा के संबंध में गठित पैसिफिक लोकोमोटिव समिति ने सिफारिश की , कि रेल निरीक्षणालय को रेलवे बोर्ड से पृथक किया जाना चाहिए और यह पृथक्करण इस सिद्धांत पर किया जाए कि रेल के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी पदधारी रेल का प्रशासन करने वाले प्राधिकारी से स्वतंत्र हों, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 181(3) में व्यवस्था की गई है। इस सिफारिश को सन् 1939 में विधान मण्डल द्वारा और सन् 1940 में राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। तद्नुसार मई 1941 में, रेल निरीक्षणालय को रेलवे बोर्ड से पृथक कर दिया गया था। मुख्य सरकारी रेल निरीक्षक(मु.स.रे.नि.)का पद सृजित किया गया जिसके माध्यम से सरकारी रेल निरीक्षक(स.रे.नि.)सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रेल निरीक्षणालय को उस समय संचार विभागमें रखा गया था और अब नागर विमानन मंत्रालय(ना.वि.मं.)के अधीन है।

दिनाँक 01.11.1961 को मुख्य सरकारी रेल निरीक्षक का पदनाम रेल संरक्षा आयुक्त(रे.स.आ.)और सरकारी रेल निरीक्षक का पदनाम अपर रेल संरक्षा आयुक्त(अ.रे.स.आ.)कर दिया गया।

जून, 1979 से रेल संरक्षा आयुक्त का पदनाम मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त(मु.रे.सं.आ.)और अतिरिक्त रेल संरक्षा आयुक्त का पदनाम रेल संरक्षा आयुक्त में कर दिया गया।

रेल संरक्षा आयुक्तों की नियुक्ति आज भी भारतीय रेलवे (आई.आर.) के अधिकारियों में से की जाती है, किन्तु वे रेलवे में वापस नहीं जाते हैं और वे नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग में समायोजित हो जाते हैं।

5.2 संगठन परिचय -

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त (मु.रे.सं.आ.) का कार्यालय लखनऊ में स्थित है और नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.) का भाग है। उन सभी मामलों में जो आयुक्तों से संबंधित हैं, के लिए वह केन्द्र सरकार के लिए प्रधान तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।

विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे के कार्यों को देखने के लिए देशभर में विभिन्न स्थानों पर 09 रेल संरक्षा आयुक्त (सी.आर.एस.) और 01 मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सी.एम.आर.एस.) स्थित हैं। आयुक्तों के कार्यालय, परिमण्डल कार्यालय कहलाते हैं। प्रत्येक परिमण्डल कार्यालय में 9 से 11 कार्यालय स्टाफ होते है, जिसमें वरिष्ठ निजी सचिव (1), कार्यालय अधीक्षक (1), प्रवर श्रेणी लिपिक (2), अवर श्रेणी लिपिक (2) और मल्टी टास्किंग स्टाफ हैं।

प्रत्येक परिमण्डल के लिए उप रेल संरक्षा आयुक्त (उप.रे.सं.आ.) का एक पद स्वीकृत है और वे भारतीय रेलवे (आई.आर.) के विभिन्न विभागों से आते हैं। वर्तमान में -

- सिविलइंजीनियरिंगसेदक्षिणपरिमंडल, दक्षिण मध्य परिमंडल और दक्षिण पूर्व परिमंडल में,
- विद्युत इंजीनियरिंग से मध्य परिमंडल में, और
- सिगनल एवं दूरसंचार (सिग. एवं दूर.) इंजीनियरिंग से उत्तर परिमंडल, पूर्व परिमंडल, पू.सी. परिमंडल, पश्चिम परिमंडल और पूर्वोत्तर परिमंडल में उप रेल संरक्षा आयुक्त हैं।
- उपरोक्त के अलावा मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त की सहायता के लिए एक पद उप मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त का है।

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय में दो विंग हैं अर्थात रेल संरक्षा विंग और तकनीकी विंग।

रेल सरंक्षा विंग में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को दैनिक सरकारी कार्यों के साथ-साथ रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय से सम्पर्क बनाये रखने में सहायता के लिए एक उपायुक्त (सामान्य) हैं। इसमें वरिष्ठ निजी सचिव (1), अनुभाग अधिकारी (1), सहायक अनुभाग अधिकारी (5), वैयक्तिक सहायक (1), प्रवर लिपिक (1), अवर लिपिक (1) और मल्टी टास्किंग स्टाफ हैं।

तकनीकी विंग में मु.रे.सं.आ. और रे.सं. आयुक्तों को तकनीकी मामलों में आवश्कतानुसार सहायता करने के लिए लखनऊ मुख्यालय पर विभिन्न विभागों (यांत्रिक, सिग्नल दूरसंचार,

विद्युत, परिचालन) के 4 उप रेल संरक्षा आयुक्त है। यह रेल संरक्षा आयोग के लिए प्रबुद्ध मंडल तथा संस्थानीय स्मृति/शक्ति के रूप में कार्य करता है। तकनीकी विंग कार्यालय में आवश्यक स्टॉफ/अधिकारी की नियुक्ति की गई है जैसे एक सहायक निदेशक (राजभाषा), हिन्दी अनुवादक (1), तकनीकी सहायक (2), अवर लिपिक (2), आशुलिपिक (2), स्टाफ कार ड्राइवर (1) और मल्टी टास्किंग स्टाफ (4) हैं।

उप रेल संरक्षा आयुक्त सांविधिक प्राधिकारी नहीं हैं। वे रेलवे से प्रतिनियुक्ति के आधार पर आते हैं और प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी करने के बाद रेलवे में वापस चले जाते हैं।

5.3. कर्तव्य और उत्तरदायित्व

रेल अधिनियम, 1989 के अध्याय तीन, धारा 6 में दिए गए रेल संरक्षा आयुक्त (रे.सं.आ.) के कर्तव्य निम्नलिखित हैं

- नई रेलों का निरीक्षण यह निर्धारित करने के लिए करना कि क्या ये रेल लाइनें यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए खोले जाने के उपयुक्त हैं तथा जैसा कि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित हैं, केन्द्र सरकार को इस विषय में रिपोर्ट देना;
- केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार किसी रेलवे अथवा उस पर प्रयोग होने वाले किसी चल स्टाक का आवधिक अथवा अन्य निरीक्षण करना;
- रेलवे पर किसी भी दुर्घटना के कारणों की इस अधिनियम के अधीन जाँच करना;
- इस अधिनियम के अधीन या उनको सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का निष्पादन।

5.4. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के कार्य

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, रेल संरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों में, अधिकारियों की भर्ती, तैनाती एवं पदोन्नति, बजट एवं व्यय इत्यादि के बारे में केन्द्र सरकार को सलाह देता है। मुख्य आयुक्त निम्नलिखित कार्य करते हैं:-

(क) रेल संरक्षा आयुक्तों द्वारा नई लाइनों की निरीक्षण रिपोर्टों, वर्तमान लाइनों का दोहरीकरण, आमान परिवर्तन कार्य और रेलवे लाइन का विद्युतीकरण को मु.रे.स.आ. कार्यालय द्वारा केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु रेलवे बोर्ड को अग्रसारित की जाती है।

(ख) दुर्घटनाओं की सांविधिक जांचों (प्रारम्भिक और अंतिम) की प्रथम तीन रिपोर्टों, जो नए नियुक्त हुए आयुक्तों द्वारा की गई, की रेलवे बोर्ड को अग्रसारित करने से पहले जांच के लिए मु.रे.स.आ. को भेजी जाती है।

(ग) आयुक्त की सिफारिशों के साथ प्राप्त आई. आर. एस. ओ. डी. के लिए अतिलंघन की माफी से संबंधित रेलवे के प्रस्तावों की स्क्रूटनी की जाती और यदि सही पाया जाता है तब मु.रे.स.आ. की टिप्पणियों के साथ रेलवे बोर्ड को अग्रसारित की जाती है।

(घ) आर. डी. एस. ओ. से प्राप्त नए चल स्टाक की शुरूआत और मौजूदा चल स्टाक की गति में वृद्धि के सम्बन्ध में रेलवे के प्रस्तावों की जाँच की जाती और यदि यह सही पाया जाता है, तो उपयुक्त शर्तों के साथ रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाता है।

(ड.) चल स्टाक के मामलें में आई. आर. एस. ओ. डी. के लिए अतिलंघन के माफी के लिए अन्य कोई समान मामला भी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के सिफारिश पर रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(च) रेलवे बोर्ड के सामान्य नियमों के संशोधन के लिए, रेलवे को खोलने के लिए नियम, आयामों की अनुसूची इत्यादि के प्रस्तावों की जांच आयुक्तों के परामर्श में की जाती है और रेलवे बोर्ड को आयोग के विचारों को भेजा जाता है, जैसा कि संदर्भित है और

(छ) रेल संरक्षा आयुक्तों के क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

(ज) रेल संरक्षा से सम्बन्धित केन्द्र सरकार द्वारा सौपे गए कोई अन्य कार्य/कर्तव्य।

5.5.1 रेल संरक्षा आयुक्त के कार्य

नई लाइनों के खोलने का प्राधिकारः

रेल अधिनियम 1989, की धारा 6, मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 और खोलने के नियम, 2000 के अनुसार भारतीय रेलवे/मेट्रो रेलवे नई रेलवे लाइन खोलने, वर्तमान लाइनों के दोहरीकरण, आमान परिवर्तन कार्यों, रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के संबंध में संबंधित रेल संरक्षा आयुक्त से संस्वीकृति लेने के लिए आवेदन के साथ पहुंचते हैं।

खोलने के नियम में शर्तें हैं कि जब आयुक्त को रेल के निरीक्षण के संदर्भ में रेलवे लाइन या रेलवे लाइन के खण्ड को खोलने के लिए प्रस्तावित किया जाता है तो उस तारीख से एक माह पूर्व के अंदर आयुक्त को सभी संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।

आवेदन प्राप्त होने पर रेल संरक्षा आयोग आवेदन की जांच करेगा और यदि सब कुछ ठीक है तो निरीक्षण की तारीख निश्चित की जाती और रेलवे को सूचित की जाती है। निश्चित तारीख पर सम्बन्धित मंडल के मं.रे.प्र. द्वारा नेतृत्व के मंडल अधिकारी और क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय के साथ-साथ रेल संरक्षा आयुक्त अपनी टीम के साथ निरीक्षण करता है।

निरीक्षण के बाद, यदि आयुक्त नई रेलवे लाइन की यात्रियों की संरक्षा से संबंधित उपयुक्तता से संतुष्ट है तो नई रेलवे लाइन को खोलने की स्वीकृति देने के लिए उन्हें निश्चित और निरीक्षण रिपोर्टों को भी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजता है।

यदि रेल संरक्षा आयुक्त यात्रियों की संरक्षा से संतुष्ट नहीं है, वह निरीक्षण रिपोर्ट के साथ कार्य में विभिन्न कमियों को बताते हुए यात्रियों की संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भेजता है। यह रेल संरक्षा आयुक्त का विवेक है कि वह के रेलवे द्वारा पाई गई कमियों को दूर करने के लिए यात्रियों को परिवहन हेतु खोलने से पहले, संबंधित सेक्शन का दुबारा निरीक्षण करे या कमियों को दूर करने के बाद, संबंधित सेक्शन खोलने के लिए केन्द्र सरकार को प्राधिकृत करे।

5.5.2 लघु कार्यों के निष्पादन की स्वीकृति;

चालू लाइन पर गाड़ियों की संरक्षा को प्रभावित करने वाले सरंचनीय कार्यों जैसे अतिरिक्त पुलों का प्रावधान, पुननिर्माण या वर्तमान पुलों की रिगर्डिंग, स्टेशन यार्डों की रिमोडलिंग, सिगनलिंग की रूपान्तरण को रे.स.आ. से स्वीकृत लेने के बाद ही रेलवे द्वारा किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्रीय रेलवे समस्त संलग्नकों जैसे संयुक्त संरक्षा प्रमाण पत्र, रेलपथ प्रमाण पत्र, पुल प्रमाण पत्र, ओ.एच.ई. प्रमाण पत्र, अनु.अभि. एवं मा. संगठन गति प्रमाण पत्र, रेलवे बोर्ड की प्रथम संस्वीकृति, आयामों की अनुसूची के अतिलघंनों के लिए बोर्ड की छूट इत्यादिके साथ विभिन्न कार्यों के आवेदन देता है। ऐसे आवेदन के प्राप्त होने के बाद, रे.स.आ. विभिन्न मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार उनकी जांच करता है और यदि सही पाता है, उसके लिए संस्वीकृति देता है।

5.5.3 नए चल स्टाक के प्रांरभ और वर्तमान चल स्टाक की गति में वृद्धि;

01 अक्टूबर, 2018 के पूर्व में, ऐसे प्रस्ताव को रेल संरक्षा आयुक्त को प्रस्तुत किये गये थे जिसे जांच के पश्चात् ऐसे प्रस्ताव की रिपोर्ट सिफारिशों के साथ मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को भेजते थे। मु.रे.स.आ. प्रस्ताव की जांच करने के बाद यदि सही पाता था तो नये चल स्टाक को चलाने या मौजूदा चल स्टाक की गति को बढ़ाने की मंजूरी के लिए, रेल मंत्रालय के साथ या बिना किसी शर्त के उसकी सिफारिश करते थे। अब, रेल मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या-698 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के अनुसार यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन हेतु रेलवे को खोलने के नियम, 2000 में संशोधन किया है और इस प्रक्रिया को संशोधित किया है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, (नियम-28) आर. डी. एस. ओ. दोनो के लिए मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को भेजता है

- नये डिजाइनों के गति की मंजूरी
- मौजूदा चल स्टाक की गति में वृद्धि के लिए।

मु.रे.स.आ. प्रस्ताव की जांच करने के बाद यदि सही पाता है तो नये चल स्टाक को चलाने या मौजूदा चल स्टाक की गति को बढ़ाने की मंजूरी के लिए, रेल मंत्रालय के साथ या बिना किसी शर्त के उसकी सिफारिश करता है।

5.5.4 रेलवे बोर्ड ने अधिकतम, न्यूनतम एवं संस्तुति की गई आयामों की अनुसूची (संशोधित 2004) भारत के सभी रेलवे पर 1676 एम.एम. गेज का अनुपालन हेतु जारी किया है।भारतीय रेलवे के आयामों की अनुसूची (आई. आर. एस. ओ. डी.) (संशोधित 2004) की अनुसूची-1 में दिए गए इन आयामों को दो भागों में बांटा गया है; वर्तमान कार्यों और नए कार्यों के लिए।इन आयामों को भारतीय रेलवे पर सभी 1676 एम.एम. गेज पर लागू है जब तक कि नए कार्यों में निष्पादन के आई.आर.एस.ओ.डी. के द्वारा किए गए अतिलंघनों को रे.स.आ./मु.रे.स.आ. के माध्यम से रेलवे बोर्ड से संस्वीकृति प्राप्त नहीं होती।

01 अक्टूबर, 2018 से पहले, आयामों की अनुसूची में किसी अतिलंघन के लिए प्रस्ताव रे.स.आ. को प्रस्तुत किया जाता था। तब संरक्षा के दृष्टिकोण से रे.सं.आ. द्वारा इसकी छानबीन की जाती थी। जांच करने के पश्चात्, रे.सं.आ. अतिलंघन के छूट के लिए प्रस्ताव मु.रे.सं.आ. को भेजा जाता था। दोबारा मु.रे.स.आ. कार्यालय में प्रस्ताव की जांच की जाती थी और मु.रे.सं.आ. की सिफारिश के आधार पर रेलवे बोर्ड अतिलंघन की छूट पर संस्वीकृति देता था।

हालांकि,रेल मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या-698 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के अनुसार सार्वजनिक परिवहन हेतु रेलवे को खोलने के नियम, 2000 में संशोधन किया है और पैरा-22ए के अनुसार इस प्रक्रिया को संशोधित किया है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, अनूसूची के लिए किसी भी अतिलंघन के लिए प्रस्ताव रे.सं.आ. को प्रस्तुत किया जाता है जो तब संरक्षा के दृष्टिकोण से रे.सं.आ. द्वारा जांच की जाती है। प्रस्ताव की जांच करने के पश्चात्, यदि रे.सं.आ. संतुष्ट है कि रेल के संचालन के लिए अतिलंघन सुरक्षित है, तो वह शर्त के साथ या उसके बिना अतिलंघन माफी देता है। यदि प्रस्तावित अतिलंघन आई.आर.एस.ओ.डी. की अनुसूची-2 में परिभाषित सीमाओं से परे है तो पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नियमों के इस संशोधन से पहले की प्रक्रिया अर्थात दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से पहले का पालन किया जाता है।

5.5..5 कोई परेषण (कनसाइनमेंट) आई.आर.एस.ओ.डी. , 2004 के मानकों के अनुसार नहीं होता उसे अत्याधिक आयाम परेषण (ओ.डी.सी.) माना जाएगा। भारतीय रेलवे पर ओ.डी.सी. के चलन हेतु सक्षम अधिकारी की अलग से स्वीकृति आवश्यक है। रेलवे ओ.डी.सी. के चलन हेतु आवदेन संबंधित रे.स.आ. को देता है।

5.5.6 रेलवे की कार्यप्रणाली से अवगत रहने के लिए चालू लाइनों का निरीक्षण करना, और

5.5.7 गंभीर रेल दुर्घटनाओं की जाँच और अन्य रेल दुर्घटनाओं की रेलवे द्वारा की गई जाँचों की रिपोर्टों की समीक्षा।

5.6. क्रियाकलाप/उपलब्धियां

वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान मुख्य क्रियाकलापों का सार इस प्रकार हैः-

मुख्य क्रियाकलाप	2020-21(आं 01.01.20 से से 31.12 तक)	2021-22 (आंकडे 01.01 से से 31.12.21 तव	प्रतिशत में बदलाव
निरीक्षित और प्राधिकृत की लाइनें(कि.मी.)	गई		

अतिरिक्त लाइनें/दोहरीकरण	878.32	939.11	6.9 %
नई लाइनें	198.25	157-02	-47.1 %
आमान परिवर्तन	297.28	179-26	-9.5 %
विद्युतीकरण	2335.20	2169-53	-7.2 %
लघु निर्माण कार्यों के लिए संस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	4517	4162	8.5 %

चल स्टाक के स्वीकृत/अग्रेषित मामलों की संख्या**	**21**	**21**	**00**

5.7. हिन्दी के प्रयोग की प्रगति

वर्ष 2020-21 के दौरान आयोग के परिमण्डल कार्यालयों में अधिकतम पत्राचार हिंदी में किया गया है। इसके परिणामस्वरूप मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के निरन्तर प्रयासों के बाद 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र में स्थित परिमण्डल कार्यालय द्वारा हिन्दी में क्रमशः 100 प्रतिशत, 100 प्रतिशत एवं 88.5 प्रतिशत का उत्साह जनक लक्ष्य प्राप्त किया है। आयोग ने 14 सितम्बर, 2021 को अपनी हिंदी गृह पत्रिका 'सुरुचि' 2021 का प्रकाशन किया जिसकी नागर विमानन मंत्रालय के स्टाफ और अधिकारियों द्वारा विस्तृत रूप से सराहना की गई है। वर्ष 2021 में हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दक्षिण परिमण्डल को प्रथम स्थान के लिए राजभाषा शील्ड प्रदान किया गया। द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए क्रमशः पूर्वोत्तर एवं दक्षिण मध्य परिमंडल को पुरस्कार प्रदान किया गया।

5.8. स्वच्छता एवं प्रदूषण नियंत्रण

रेल संरक्षा आयोग के सभी कार्यालयों में प्रदूषण नियंत्रण के सभी संभावित कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यालय परिसर को सदैव स्वच्छ व सुव्यवस्थित रखा जाता है। कार्यालय परिसरों में धूम्रपान पूर्णरूप से निषेध है। वातावरण को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के लिए पौधे लगाये गये है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहन पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त हैं।

5.9. लिंग बजटीय आंकड़ा सहित महिला कल्याण

रेल संरक्षा आयोग के कार्यालय सामान्यतः रेलवे कार्यालय परिसरों में स्थित हैं और वे सुविधांए जो वहाँ दी जाती हैं जैसे प्रसाधन, शिशु-पालन और टिफन रूम इत्यादि, आयोग के महिला कर्मचारियों को भी प्राप्त हैं। महिला कर्मचारी रेलवे के महिला कल्याण संगठन की महिला समिति में प्रतिभागी भी हैं। जहाँ तक संभव है भारत सरकार द्वारा समय-समय पर महिला कर्मचारियों के कल्याण पर जारी अनुदेशों को क्रियान्वित किया जाता है।

5.10. लोक शिकायत निवारण मशीनरी

सामान्यतः रेल संरक्षा आयोग में आम लोगों से संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं तथापि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, रेल संरक्षा आयोग अन्य मंत्रालय द्वारा हस्तांरित (सी. पी. जी. आर. ए. एम. एस.) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निवारण करता है। रेल संरक्षा आयोग शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के लिए ई-आफिस स्तर पर भी कार्य करता है।

5.11 पूर्वोत्तर विकास के लिए चलायी जा रही गतिविधियों से संबंधित मुद्दे

रेल संरक्षा आयोग स्वयं किसी कार्य का निष्पादन नहीं करता। इसकी भूमिका निरीक्षणकर्ता एवं जाँचकर्ता की है।

5.12. 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार रेल संरक्षा आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व:

संगठन नाम	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति कर्मचारियों की की कुल सं.	प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की कुल सं.	प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों की कुल सं.	प्रतिशत
रेल संरक्षा आयोग	120	17	14.16	5	4.16	14	11.67

5.13. वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

रे. सं. आ. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। इसके अलावा, रे.सं.आ. ने दो सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को संविदा आधार पर पुनर्नियोजन किया है।

5.14. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं:

रे.सं.आ., भारत सरकार एवं नागर विमानन मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं देता है।

5.15. सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप:

रे. सं. आ. अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिमण्डलों के सतर्कता संबंधी क्रियाकलापों की निगरानी और समन्वय करते हैं।

5.16. नागरिक चार्टर

रे. सं. आ. अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिमण्डलों के सतर्कता संबंधी क्रियाकलापों की निगरानी और समन्वय करते हैं।हालांकि आर.टी.आई. के अन्तर्गत नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए आयोग के संगठन में ब्यौरा दिया गया है।

6. विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो

6.1. स्थापना और कार्य

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (**ICAO**) द्वारा जारी मानकों और अनुशंसित पद्धतियों (**SRP**) के अनुसार और नियामक कार्य से जांच कार्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से अलग एक ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय लिया।

भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम 2012 तैयार किए गए और दिनांक 5 जुलाई 2012 को इन्हें राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। इन नियमों के अनुसार और दुर्घटनाओं, गंभीर घटनाओं और घटनाओं की जांच करने के प्रयोजनों हेतु, भारत सरकार ने दिनांक 30जुलाई 2012 को नागर विमानन मंत्रालय के अधीन विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (**AAIB**) ब्यूरो की स्थापना की है।

6.2 संगठन

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (**ICAO**) के अनुबंध-13 के अनुसार, वर्ष 2012 में अधिसूचित नियमों को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था और विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) को नागर विमानन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। अब, संशोधित वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम 2017 के अनुसार जांच कार्य किया जा रहा है, क्योंकि विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) को न्यायिक निकायों या अन्य सरकारी प्राधिकरणों से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना सभी प्रासंगिक साक्ष्यों पर तत्काल और अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त हो गई है।

इस संगठन के लिए विमान दुर्घटना जांच प्रक्रियाओं से परिचित पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की उपलब्धता हेतु भर्ती नियमों को तैयार करने का कार्य प्रगति पर हैं।

6.3 कार्य विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB)द्वारा अनुबंध-13 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के प्रति भारत के दायित्व को पूरा करना अपेक्षित है, तथा यह संगठन विभिन्न कार्यों को निष्पादित करेगा, जिनमें शामिल हैं: -

क) नियम-9 के उप-नियम (1) के तहत या नियम-7 के उप-नियम (3) के तहत किसी प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों से नियम-9 के तहत प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु;

ख) घटना का वर्गीकरण करना और जांच प्रक्रिया को निष्पादित करना और औपचारिक जांच के मामले में, इन नियमों के तहत केंद्र सरकार को सहयोग प्रदान करना;

ग) जब भी आवश्यक हो, अन्वेषण के कार्य में जांच और प्रशासनिक कार्य को सुलभ बनाने हेतु;

घ) विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्टों का प्रसंस्करण, जिसमें शामिलहै:-

i. महानिदेशक, विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति तथा महानिदेशक, विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) द्वारा, जैसे वह ठीक समझे, रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से जारी करना;

ii. नियम 14 केउप-नियम (2) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अथवा विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी किए गए अंतिम रिपोर्ट को अनुलग्नक 13 के अंतर्गत राज्यों को अग्रेषित करना;

iii.केन्द्र सरकार अथवा विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सावर्जनिक रूप से जारी किए गए अंतिम रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) को अग्रेषित करना, यदि दुर्घटना अथवा घटना में शामिल विमान का वजन 5,700 किलो से अधिक हो।

ङ) समय-समय पर आयोजित सुरक्षा अध्ययनों के आधार पर, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नई तकनीक को शामिल करने के साथ सुरक्षा सिफारिश करना;

च) वास्तविक अथवा संभावित सुरक्षा त्रुटियों पर जानकारी के प्रभावी विश्लेषण हेतु दुर्घटनाएं एवं गंभीर घटना डेटा बेस को स्थापित तथा बनाए रखना;

छ) समय-समय पर संशोधित, दिनांक 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित अभिसमय के अनुलग्नक 13 के अंतर्गत केंद्रसरकार के दायित्वों को प्रक्रिया में लाना;

ज) जांच रिपोर्ट एवं सुरक्षा अध्ययन में की गई सिफारिशों को डीजीसीए एवं अन्य विनियामक प्राधिकरणों को उनकी अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अग्रेषित करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना;

झ) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) को वैश्विक महत्व की सुरक्षा सिफारिश(SRGC) जारी किए जाने तथा दिनांकित संचारण पत्राचार में इसके जवाबों के विषय में सूचित करना, भले ही उसे वैश्विक महत्व की सुरक्षा सिफारिश (SRGC) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) को संबोधित न किया गया हो; तथा

ञ) कोई अन्य कार्य, जिसे केंद्र सरकार इन नियमों के अंतर्गत विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो से समय-समय पर करने के लिए कह सकती है।

6.4 दुर्घटना / गंभीर घटना जांच

1. दिनांक 01 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पूरे किए गए जांच रिपोर्ट

➢ महानिदेशक, विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) द्वाराकुल 08 दुर्घटना रिपोर्ट, 20 गंभीर घटना रिपोर्ट तथा 01 घटना रिपोर्ट स्वीकार किया गया है। अंतिम जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से जारी कर दी गई है तथा उक्त रिपोर्ट विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) कीवेबसाइट (**www.aaib.gov.in**) परउपलब्धहै।

2. दिनांक 01 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक दिए गए जांच के आदेश

➢ विमान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं की जांच) नियम 2017 केनियम 11 के अंतर्गत महानिदेशक, विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) द्वाराकुल 09 दुर्घटनाओं, 06 गंभीर घटनाओं की जांच का आदेश दिया गयाहै।जांच के आदेश विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) वेबसाइट (**www.aaib.gov.in**) पर उपलब्ध हैं।

6.5 विविध

- सभी स्वीकृत रिपोर्टों की जांच समिति/अन्वेषक-प्रभारी द्वारा की गई सुरक्षा सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए डीजीसीए को अग्रेषित किया गया था।
- विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) को सुदृढ़ करने के लिए 29 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग को भेजा गया है।
- विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) में रिक्त पदों को भरने के लिए08 परामर्शदाताओं को संविदा पर लिया जा रहा है।
- "आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
- विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) के कार्यालय द्वारा "स्वच्छता पखवाड़ा" का आयोजन किया गया था।
- "हिंदी पखवाड़ा" भी विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) के कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया था।

7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

7.1 प्रस्तावना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी(इग्रुआ) नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्याधीन देश का एकमात्र राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान है। इग्रुआ की स्थापना 07 सितम्बर, 1985 में रायबरेली, उत्तर प्रदेश के निकट अमेठी जिले के फुरसतगंज में,देश के वाणिज्यिक पॉयलटों के उड़ान मानकों तथा स्थल प्रशिक्षण के परिमाण में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी।

अपनी स्थापना के पिछले तीन दशकों के दौरान इग्रुआ द्वारा देश के लिए उत्तम पॉयलट तैयार किए गए हैं जिससे भारतीय विमानन उद्योग के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया जा सका है।

7.2 संगठनात्मक ढांचा

इग्रुआ, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इग्रुआ सोसाइटी का अधिशासन, नागर विमानन मंत्रालय के सचिव की पदेन अध्यक्षता के तहत एक शासी परिषद द्वारा किया जाता है।

अकादमी का नेतृत्व निदेशक द्वारा किया जाता है और जिन्हें विभागीय/अनुभाग प्रमुखों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इग्रुआ को नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया जाता है।

7.3 लक्ष्य

इग्रुआ का मुख्य लक्ष्य, एयरोनॉटिक्स विज्ञान एवं नागर विमानन को राष्ट्रीय हित में प्रौन्नत करना तथा विकास करना और साथ ही ऐसी सेवाएं विदेशी नागरिकों को भी प्रदान करना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, अकादमी एयरलाइन सम्बद्ध उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है जो समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर के होते होते हैं। निम्नलिखित के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित आयोजित किए जाते हैं:

(क) फिक्स्ड विंग विमान के संबंध में शुरू से लेकर वाणिज्यिक पॉयलट लाइसेंस पाठ्यक्रम तक। उपकरण रेटिंग तथा मल्टी इंजन पृष्ठांकन, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं।

(ख) तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम जिसके तहत छत्रपति साहुजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से बी.एससी (विमानन) डिग्री प्रदान की जाती है।

(ग) मेसर्स ड्रोन डेस्टिनेशन के सहयोग से सूक्ष्म और लघु दोनों श्रेणियों के ड्रोन पर पेशेवर आरपीएएस पायलट बनने के लिए 5-दिवसीय डीजीसीए-प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

(घ) ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदित आरपीटीओ के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मेसर्स ड्रोन डेस्टिनेशन के सहयोग से आईजीआरयूए द्वारा 7 दिवसीय "प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करें" प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन।

(ड.) पायलट उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रवीणता (ईएलपी) प्रशिक्षण और परीक्षण।

(च) डीए 42 विमान पर सीआरएम एवं मल्टी क्रू कंवर्जन पाठ्यक्रम

(छ) भारतीय वाणिज्यिक पॉयलट लाइसेंस की प्राप्ति के लिए विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैडेटों के लिए कंवर्जन प्रशिक्षण।

(ज) नौसेना तथा तट रक्षकों को उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करना।

(झ) उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमाणित उड़ान अनुदेशकों तथा पॉयलट अनुदेशकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ।

(ट) सहायक उड़ान अनुदेशक रेटिंग (क) तथा उड़ान अनुदेशक रेटिंग (क) के लिए पाठ्यक्रम।

(ठ) इग्रुआ के भूतपूर्व विद्यार्थियों के लाइसेंस के नवीकरण के लिए अपेक्षाओं के आधार पर कौशल परीक्षण।

(ड) बाह्य विमानन एजेंसियों को उनकी पॉयलट चयन एवं साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए सिमुलेटर प्रशिक्षण तथा जांच एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना।

(ण) एयरोनॉटिक्ल एवं विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग के डिप्लोमा धारकों को विमान पर व्यावहारिक प्रशिक्षण।

इग्रुआ ने अगले कैलेंडर वर्ष के दौरान निम्नलिखित अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है: -

(क) विमान अनुरक्षण इंजीनियर (एएमई) बनने के इच्छुक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम।

(ख) पी.पी.एल/सी.पी.एल और ए.टी.पी.एल. के संबंध मं डीजीसीए के पेपर पास करने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए जमीनी प्रशिक्षण प्रदान करना।

7.4 अवसंरचना

- **अवलोकन :**अकादमी अत्याधुनिक प्रशिक्षण विमान, विज़ुअल सुविधा से युक्त एफएनपीटी तथा सीपीटी के रूप में आधुनिक सिमुलेटरों, प्रभावी स्थल प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक ऑडियोविज़ुअल प्रशिक्षण उपकरणों, पर्याप्त अध्ययन सामग्री से सुसज्जित दो पुस्तकालय, कम्प्युटरीकृत आंतरिक आंकलनों के लिए कम्प्युटरीकृत परीक्षा प्रकोष्ठ तथा अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है। विमानन एवं उड़ान प्रशिक्षण के क्षेत्र में दीर्घ अनुभव प्राप्त योग्य उड़ान एवं स्थल अनुदेशकों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। इग्रुआ का उद्देश्य न केवल उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करना है अपितु ऐसे पॉयलट भी तैयार करना है जो वैमानिकी के क्षेत्र में प्रभावी व्यवस्थापक प्रबंधक की भूमिका का निर्वाह भी कर सकें। अकादमी से उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ऐसे अपेक्षित मानकों से समृद्ध होते हैं जिनसे वे एयरलाइनों के कॉकपिट में सरलतापूर्वक अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए विमान प्रचालन कर पाते हैं।

- अकादमी की अतुलनीय अवसंरचना है जिससे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों का कायाकल्प एक ऐसे आत्मविश्वासी वाणिज्यिक पॉयलट के रूप में हो पाता है जिसे प्रत्येक एयरलाइन अपने साथ जोड़ना चाहती है। यहां चार होस्टल (महिलाओं के लिए दो पृथक होस्टलों सहित) स्थापित हैं जिनमें 248 पुरूष एवं 48 महिला विद्यार्थी ट्विन शेयर आधार पर निवास कर सकती हैं। इग्रुआ परिसर में कर्मचारियों के लिए आवास परिसर भी है। प्रचालनात्मक क्षेत्र में समानांतर टैक्सी ट्रैक, डिस्पर्सल क्षेत्र तथा तीन हैंगरों सहित 6080 फुट रनवे है। इग्रआ ने निर्बाध उड़ान प्रशिक्षण को सक्षम करने के लिए यहां निर्धारित हवाई स्थान को चिह्नित किया है। एयरफील्ड पीएपीआई सहित रात की उड़ान सुविधाओं से सुसज्जित है। वीओआर/डीएमई और आईएलएस/डीएमई के संदर्भ में इग्रुआ के अपने स्वयं के एनएवी और लैंडिंग उपकरण हैं। इसकी अपनी अग्निशमन सुरक्षा सेवाएं, विमानन ईंधन स्टेशन और हवाई यातायात नियंत्रण केन्द्र हैं। भारतीय विमानन उद्योग की संवर्धित मांग को पूरा करने के लिए पायलट उम्मीदवारों की गुणवत्ता और मात्रा के वितरण की सुविधा के लिए यह स्वयं निहित व्यापक स्थापना सुविधा प्रदान करता है।

- **विमान बेड़ा** :कैलेंडर वर्ष 2021 के अंत में अकादमी के पास 18 विमानों का बेड़ा है। उड़ान प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले विमानों के प्रकार निम्नलिखित हैं:

  - तेरह डीए-40 विमान। डीए-40 विमान समकालीन ग्लास कॉकपिट से सुसज्जित है और यह एकल पिस्टन इंजन वाला विमान है, जिसमें वेरियेबल पिच प्रोपेलर और फिक्सड अंडरकैरेज है।
  - अकादमी के उड़ानबेड़े में ग्लास काकपिट युक्त तेरह डीए40 विमान उपलबध हैं।

  - अकादमी के पासएकट्रिनीडैड टीबी-20 विमान हैं। टीबी20विमान परिवर्ती प्रोपैल्लर, रिट्रेक्टेबल, अंडर कैरिज युक्त पिस्टन एकलइंजन विमान है जो आधुनिक दिक्कचालन सुविधाओं से सुसज्जित है।

- दो जिलिन जेड242एल विमान। ये अंडर कैरिज युक्त पिस्टनएकल इंजन विमान है जो आधुनिक दिक्कचालन सुविधाओं से सुसज्जित है।

- दो डीए42 विमान है। प्रशिक्षण का अन्तिम चरण इसविमान पर किया जाता है। यह दो इंजन वालाविमान है।यह विमानग्लास कॉकपिट, ऑटो पायलट और रीट्रैक्टेबल अंडरचार्ज से सुसज्जित है।

उपरोक्त विमानों का उपयोग उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है ताकि प्रशिक्षुओं को लाइन उन्मुख उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त करने में सुविधा हो। इग्रुआ के छात्रों को उनके वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस पर मल्टी-इंजन एंडोर्समेंट और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के साथ स्नातक किया जाता है।

7.5 प्रशिक्षण चरण

(क) ग्राउंड प्रशिक्षण

अकादेमी में आगमन पर, छात्र निम्नलिखित विषयों में ग्राउंड प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं:

i. विमान दिक्चालन - 135 घंटे

ii. रेडियो उपकरण - 045घंटे

iii. तकनीकी सामान्य - 115घंटे

iv. वायु मौसम विज्ञान - 085घंटे

v. वायु विनियम - 085घंटे

ग्राउंड प्रशिक्षण का उद्देश्य एक महत्वाकांक्षी पायलट को अनिवार्य सीपीएल के पश्चात एटीपीएल का प्रयास करने के लिए सक्षम बनाना है, और इसमें हैंगर और उड़ान प्रचालन केन्द्र में 465 क्लासरूम लेक्चर और समेकित कक्षाएं शामिल हैं, जिसमें सैद्धांतिक कक्षाओं के व्यावहारिक पहलुओं से उन्हें अवगत कराया जाता है।

यह लाइन ओरिएंटेड फ्लाइंग ट्रेनिंग (एलओएफटी) का आधार है, इस प्रकार उन्हें विमानन उद्योग में गतिशील विकास के अनुकूल बनाने के लिए तैयार करता है।

श्रव्य - दृश्य सहायक उपकरण

व्हाइट बोर्ड और प्रश्न प्रणाली की अवधारणा का लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ग्राउंड को बढ़ाने के लिए, अकादमी प्रत्येक विषय की व्यापक ज्ञान संवर्धन हेतु, जहां संभव हो, एनीमेशन के साथ ओवर-हेड प्रोजेक्शन प्रणाली का उपयोग करके श्रव्य दृश्य छवियों का उपयोग करती है। इग्रुआ ने डीजीसीए द्वारा विधिवत अनुमोदित पूर्ण ऑनलाइन ग्राउंड कक्षाएं भी विकसित की हैं।

(ख) उड़ान पूर्व स्थल प्रशिक्षण (PFGT)

उड़ान प्रशिक्षण अनुभवी उड़ान अनुदेशकोंद्वारा दिया जाता है। इसके साथ-साथ प्रत्येक सिमुलेटर अथवा विमान पर उड़ान सेपूर्व एवं पश्चातमहत्वपूर्ण मुद्दों परब्रीफिंग व डिब्रीफिंग दी जाती है।

(ग) सिमुलेटर प्रशिक्षण

एकल इंजिन प्रशिक्षण 180 डिग्री व्यू फिल्ड वाले विजुअल सिस्टम से युक्त दो डायमण्ड डीए40 फ्लाइट सिमुलेटर पर दिया जाता है। अकादमी के पास प्रारम्भिक उड़ान प्रशिक्षण एवं इन्स्ट्रूमेन्ट रेटिंग हेतु दो एकल इंजिन टीबी-20 दृश्यप्रणाली युक्त सिमुलेटर भी उपलब्ध हैं।

बहुइंजिन प्रशिक्षण हेतु सीएई विजुअल सिस्टम सहित एक डायमण्ड डीए42 फ्लाइट सिमुलेटर जिसमें 180 डिग्री विजुअल फील्ड उपलब्ध है।

(घ) सिम्युलेटर/उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

एकलइंजिनविमान हेतु:

(i) 20.00घंटे: एफ.एन.टी.पी पर सिमुलेटर प्रशिक्षण।

(ii) टीबी-20/डीए-40/ज़िलिन विमानों पर 185:00 घंटों का उड़ान प्रशिक्षण ।

बहु-इंजन विमान हेतु:

प्रशिक्षणार्थियों को मल्टी इंजिन रेटिंग पृष्ठांकन के साथ डीए-42 विमान पर इन्सट्रूमेन्ट रेटिंग प्रदान की जाती है। प्रशिक्षणार्थी इस विमान पर 15:00 घण्टों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें डीए42 सिमुलेटर पर 15:00 घण्टों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

7.6 कर्मी संसाधन प्रबंधन (सीआरएम) तथा मल्टी कर्मी कंवर्जन पाठ्यक्रम (एमसीसी)

स्थल एवं वायु प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियो के लिए सीआरएम का एक कैप्सुल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण दिया जाता है । वाणिज्यिक पॉयलट लाइसेंस प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत दो सप्ताह का एम सी सी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण दिया जाता है । इस अतिरिक्त पाठ्यक्रम से, वे एयरलाइनों में आमेलन के लिए तैयार हो पाते हैं।

7.7 प्रमुख उपलब्धियां

(क)विस्तार गतिविधियां:अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए, इग्रुआ ने आत्मनिर्भरता की ओर अपने मार्ग को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न नए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जैसे: -

(i) इग्रुआ के 77 सीपीएल धारकों के साथ-साथ बाहर से अंग्रेजी भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम आयोजित किया, जिसमें से 56 को प्रशिक्षण और परीक्षण दोनों तथा केवल 21 को केवल परीक्षण प्रदान किए गए।

(ii) 125 से अधिक प्रशिक्षुओं के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) पाठ्यक्रम संचालित किया गया है, जिसे आमतौर पर "ड्रोन पायलट प्रशिक्षण" कहा जाता है।

(iii) ड्रोन उड़ान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डीजीसीए द्वारा अनुमोदित सभी एफटीओ के 50 से अधिक "ड्रोन प्रशिक्षकों" के लिए "प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करें" पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है।

(iv) ड्रोन प्रशिक्षण में प्राप्त उपलब्धियों की तर्ज पर, मानेसर, गुरुग्राम और कर्नाटक के बेंगलुरु में चिह्नित स्थलों की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे विभिन्न राज्यों में और अधिक स्थल तैयार किए जा रहे हैं।

(v) भारतीय नागर विमानन उद्योग के लिए पायलटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सीपीएल धारकों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु दिनांक 19.01.2021 से 28.02.2021 की अवधि के दौरान इग्रुआ के लिए उपग्रह बेस के रूप में कर्नाटक में कलबुर्गी हवाईअड्डे से उड़ान प्रशिक्षण संचालित किया गया था। केवल 3 - 4 विमानों के उपयोग की सीमित सुविधाओं के बावजूद, कलबुर्गी हवाईअड्डे से 750 घंटे से अधिक की उड़ान भरी गई थी।

(vi) इग्रुआ के निष्पादन को बढ़ाने के लिए पूरे वर्ष प्रशिक्षण गतिविधियों को जारी रखने के लिए, डीजीसीए से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करके गोंदिया, महाराष्ट्र में उपग्रह बेस को स्थायी रूप से दूसरा उड़ान बेस बनाया गया है। यहां निरीक्षण और अनुरक्षण के लिए सभी सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

(vii) एफटीओ के लिए सीएफआई पुनश्चर्या पाठ्श्क्रम और एएमओ के लिए एएमई पुनश्चर्या पाठयक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है।

(viii) इग्रुआ को अपनी हिंदी वार्षिक पत्रिका“क्षितिज”के लिए तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है।

(ख) महत्वपूर्ण घटनाएं:

i) आज़ादी का अमृत महोत्सव:इग्रुआ ने प्रति सप्ताह सात दिन की उड़ान आरंभ की है, जिसकी घोषणा मार्च, 2021 में सचिव, नागर विमानन द्वारा इग्रुआ में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के उदघाटन के समय की गई थी। वर्ष के

दौरान आसपास के संस्थानों के छात्रों के लिए विमान और सिम्युलेटर का प्रदर्शन और स्कूली बच्चों और कैडेटों के लिए ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है।

ii) स्वच्छ भारत अभियान:स्वच्छ भारत पखवाड़ा के दौरान विशेष जोर देते हुए पूरे वर्ष स्वच्छता अभियान चलाया गया है।

iii) स्थापना दिवस:इग्रुआ ने दिनांक 07 नवंबर 21 को अपना "स्थापना दिवस" मनाया, जिसका सीधा प्रसारण हजारों लोगों ने देखा। स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित पूर्वछात्र अतिथियों में कैप्टन पुष्पिंदर सिंह, मुंख्य प्रचालन अधिकारी, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और महाप्रबंधक, एअर इंडिया लिमिटेड तथा श्रीमती हरप्रीत ए डी सिंह, सीईओ, एलायंस एयर, सम्मिलित थे।

7.8 सम्पन्न किए गए कार्य :

(क) उच्च उड़ान निष्पादन :महामारी के कारण विमानन उद्योग में मंदी के पश्चात संभावित उछाल की तैयारी के रूप में और केंद्र सरकार द्वारा आत्मानिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए, इग्रुआ ने स्नातकों की संख्या की तुलना में उड़ान की मात्रा को बढ़ाने के लिए सभी प्रशंसनीय प्रयास किए हैं, ताकि विमानन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस अवधि के दौरान अर्थात दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक, इग्रुआ पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 11641.05 घंटों की तुलना में इस वर्ष 19000:00 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम रहा है। पिछले वर्ष के दौरान 43 उत्तीर्ण कैडिटों की तुलना में समवर्ती अवधि के दौरान इस वर्ष कुल 66 कैडेट उत्तीर्ण हुए हैं।

(ख) उन्नत उड़ान संरक्षा: उड़ान संरक्षा के प्रतिकिसी प्रकार अवरोध के बिना उड़ान परिमाण में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।दुर्घटना/परिघटना दर में पिछले दस वर्ष में 83% की गिरावट आई है।

(ग) सीपीएल प्रशिक्षण के लिए नया पंजीकरण:

पॉयलट के कार्य के प्रति विकासपरक परिवर्तन, विशेषत: ग्रामीण भारत में, उत्पन्न हो रहे हैं। अब से पूर्व, केवल शहरी भारत से ही बहुत ही लोगों में पॉयलट बनने की महत्वकांक्षा होती थी। इग्रुआ में प्रवेश प्राप्ति के लिए भारतीय युवाओं के आवेदनों की संख्या से उनमें व्याप्त महत्कांक्षाओं को आंका जा सकता है। इस वर्ष इग्रुआ में प्रवेश परीक्षा के लिए 894 आवेदनको को अल्पसूचीबद्ध किया गया। वर्ष 2020 के दौरान कुल 121 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

(घ) प्रभावपूर्ण जनशक्ति प्रबंधन:

पिछले दस वर्ष के दौरान इग्रुआ की जनशक्ति300 सेघटकर251 होगई है जो कि प्रतिवर्ष की दर से 4.9% गिरावट हैऔर ऐसाइन परिस्थितियों में हुआ जब पिछले वर्ष के दौरान समग्र संगठनात्मक क्रियाकलापोंमें अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है तथा उड़ान घंटे लगभग दो गुणा हो गए हैं। सेवानिवृत्त / दिवंगतकर्मचारियों के स्थानपर राजस्व में कमी लाए जाने के मितव्ययी उपाय करते हुए कोई नियुक्ति नहीं की गईहै। इसके स्थान पर जनशक्ति की प्रभावी व्यवस्था कार्मिकों को ठेके अथवापुन:नियुक्ति , ऑटोमेशन, कार्य सहभाजन इत्यादि के माध्यम से किया गया है।.

(ड.) आर्थिक सहायता पर कम आश्रिता:

अकादमी द्वारा प्रत्येक संभव प्रयासों से गैर-अनिवार्य व्ययों को कम करके, भोजन व्यवस्था एवं होस्टल, मोटर परिवहन, जनरल स्टोर, बिजली, सिविल अनुरक्षण इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का प्रभावी एवं इष्टतम उपयोग करके, बेहतर वार्ता के माध्यम से सांविधिक अनिवार्य व्ययों को कम करके अपने व्ययों में कमी लाई गई है।
भारतीय तटरक्षकों से कैडेटों के प्रशिक्षण द्वारा अतिरिक्त राजस्व का सृजन, ड्रोन प्रशिक्षण से राजस्व, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और ईएलपी प्रशिक्षण और परीक्षण, उड़ान में वृद्धि के परिणामस्वरूप कैडेटों की संख्या में वृद्धि हुई,जिससे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और वार्षिक घाटे को कम किया गया है।

7.9 स्वच्छ भारत एवं पर्यावरण संरक्षण:

(क) नगर ठोस अपशिष्ट (MSW) प्रबंधन:

इग्रुआ में विधिवत स्थापित नगर ठोस अपशिष्ट व्यवस्था स्थापित है। सूखे अपशिष्ट, पॉलिथिन, प्लास्टिक बोतलों, टूटे गिलासों, पैकिंग सामग्री, मरम्मत / निर्माण के कचरे,

सूखे पत्तों, अस्पताल अपशिष्ट के अलावा लगभग 500 किलोग्राम बॉयो-डिग्रेडेबल रसोई अपशिष्ट प्रतिदिन गृहों, मैस किचन, भोजनालयों से एकत्र किया जाता है। इस अपशिष्ट का स्रोत के स्थल पर ही विलगन करके दो कचरे डिब्बों में डाला है जिनमें से एक बॉयो-डिग्रेडेबल (गीले) अपशिष्ट तथा दूसरा पॉलिथिन, प्लास्टिक बोतलें, पैकिंग सामग्री, कागज इत्यादि जैसे सूखे अपशिष्ट के लिए है। बॉयो-डिग्रेडेबल अपशिष्ट को वर्मिकल्चर के माध्यम से उपयोज्य बनाया जाता है तथा सूखे अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से निपटान कर दिया जाता है। परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

(ख) अपशिष्ट जल निपटान:

इग्रुआ में जल संसाधनों से उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के सुनिश्चय के लिए अंडरग्राउंड जल निकासी व्यवस्था एवं आधुनिक मल उपचार संयंत्र स्थापित है ।

(ग) सौर जल हीटर:

विद्यार्थियों के लिए गर्म पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ईंधन की खपत में कमी लाए जाने के एक उपाय के तौर पर होस्टलों की छत पर सौर पैनल स्थापित किए गए हैं।

(घ) पुरस्कार

वर्ष2021 में हिंदी पत्रिका क्षितिज के वार्षिक संस्करण के लिए इग्रुआ को तीसरा स्थान प्रदान किया गया है।

7.10 प्रदूषण नियंत्रण

इग्रुआ द्वारा ऐसा कोई ई निर्माण/उत्पादन नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप धुआं, अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट आदि का उत्सर्जन होता हो, जिससे वायु, पानी, मिट्टी, प्रकाश या ध्वनि प्रदूषण होता है। तथापि, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों के इंजनों को निर्धारित सीमा के भीतर धुंआ उत्सर्जित करने, भस्मीकरण, लैंडफिल, कंपोस्टिंग आदि द्वारा ठोस अपशिष्ट का निपटान करके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। अकादमी में हरित वातावरण बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से वनीकरण किया जा रहा है।

7.11 सिटीजन चार्टर

इग्रुआ का नागरिकचार्टर तैयार कर लिया गया है तथा यह इग्रुआ की वेबसाइटपर अपलोड किया गया है। नागरिक इग्रुआ की वेबसाइटwww.igrua.gov.in पर इसे देख सकते हैं।नागरिक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ)श्री संदीप पुरी और प्रथम अपीलीयअधिकारी (निदेशक, इग्रुआ) को आवेदनप्रस्तुत कर सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गतसूचना प्राप्त कर सकता है।

7.12 महिला कल्याण

इग्रुआ में कार्यरत तेरह(01 नियमित व 12 संविदागत)महिलाएं हैं तथा उनके कल्याण के कार्य, सामान्य प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से किए जाते है। अकादमी में तीनसदस्यों की एक समिति गठित की गई है जो अकादमी में कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रतियौन उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की देखरेख एवं समाधान के कार्य करती है।

7.13 शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए उपाय

अकादमी की कार्यप्रणाली इस प्रकार की है जिसमें लोक शिकायतों की प्राप्ति लगभग नहीं होती है।तथापि, लोक शिकायतों के निवारण हेतु संस्थान में प्रबन्धक, मानव संसाधनको नामित किया गया है। ऐसी किसी शिकायतों का निवारण/निपटान नियमों के फ्रेमवर्क के अंतर्गत किया जाता है।

7.14 सतर्कता:

एअर इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी को अकादमी कीसतर्कता गतिविधियों की देखरेख का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है।इस आशय के प्रयास किए गए हैं कि कर्मचारियों का जागरूकता स्तर बढाया जाए कि वे ड्यूटी के दौरान अथवा सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हों।

7.15 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियमऔर राजभाषा नियमों के विभिन्न प्रावधानो का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिएअकादमी लगातार आवश्यक कदम उठाती रही है। कर्मचारियों को देवनागरी, देवनागरी टंकण इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।देवनागरीटंकण

परीक्षा में सफल कर्मचारियोंको प्रोत्साहन प्रदान किये गये है।अकादमीमें राजभाषा प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है। कम्प्यूटरों को हिन्दी में प्रयोगके लिए विशेष साफ्टवेयर क्रय किया गया है जो प्रचलन में है। इग्रुआ द्वारा**"क्षितिज"** नामसे एक हिन्दी पत्रिका का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है।

7.16 खेल सुविधाएं

अकादमी में इनडोरऔर आउटडोर खेलों यथा स्क्वाश, बैडमिन्टन, बास्केटबाल, वालीबाल, फुटबाल, टेबल टेनिस, पूल टेबलऔर बहु-जिम उपकरणोंसे सुसज्जित ज़िम की व्यवस्था है।इसके अतिरिक्त प्रशिक्षओं और कार्मिकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अकादमी में स्विमिंग पुल की सुविधाभी उपलब्ध है। कैडेटों के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिकखेलों का आयोजन किया जाता है।.

7.17 सांस्कृतिक गतिविधियां

इग्रुआ अपने वातानुकूलित सभागार का विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों के लिए सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है ताकि उड़ान कैडेटों को पाठ्येतर गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इग्रुआ, अपने स्थापना दिवस समारोह के साथ हर वर्ष "फुल थ्रॉटल" सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है।

7.18 नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का क्रियान्वयन

विकलांग व्यक्तियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लागू किया गया है और जहां भी संभव हो, विकलांग व्यक्तियों पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है।

7.19पूर्वोत्तर में की गई विकास गतिविधियों से संबंधित मुद्दे

इग्रुआ एक स्वायत्त निकाय है,जिसका मुख्यालय केवल फुरसतगंज, अमेठी (जिला), उत्तर प्रदेश में है और इसलिए,ऐसा कोई मुद्दा नहीं है।

7.20 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

वर्ष1996 से नियमित कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं हुई है। दिनांक31.12.2021 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

संगठन का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा. कर्मचारियों की कुल संख्या	%	अ.जजा. कर्मचारियों की कुल संख्या	%	अ.पि.व. कर्मचारियों की कुल संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8
इग्रुआ	96	23	23.95	2	2.08	41	42.70

7.21 वरिष्ठ नागरिक कल्याण

सामाजिक न्याय औरअधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा वृद्ध व्यक्तियोंसंबंधी राष्ट्रीय नीति में की गई संकल्पना केअनुसार सभी संबंधितों को वृद्ध व्यक्तियों के प्रति उचित और तत्पर व्यवहार कासुनिश्चय करने के निदेश जारी किए गए हैं।

7.22 फीस संरचना

प्रारंभिक से मल्टी इंजन पृष्ठांकन सहित वाणिज्यिक पॉयलट लाइसेंस का प्रशिक्षण शुल्क 45.00 लाख रूपए है तथा आवास और भोजन के लिए (लगभग 12,000 रूपए प्रतिमाह) प्रभार लिए जाते हैं।

7.23 भावी योजनाएं

- विद्यार्थियों के प्रवेश को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 150 करना।
- एनएएल, बेंगलुरु द्वारा स्वदेश निर्मित पांच नए हंसा एनजी विमानों के साथ मौजूदा बेड़े में वृद्धि करना। इस संबंध में इग्रुआ और एनएएल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- एएमई स्कूल प्रारंभ करना।
- देशभर में और अधिक ड्रोन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

8. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

8.1 प्रस्तावना

श्री नरेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के परिणामस्वरूप,भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की। यह भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत गठित सांविधिक निकाय है, इसकी स्थापना सरकार की दिनांक 12.05.2009 की अधिसूचना संख्या जीएसआर317 (ई) द्वारा की गई। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।

8.2 संगठनात्मक स्वरूप

प्राधिकरण का संगठनात्मक स्वरूप नीचे दर्शाया गया है:

प्राधिकरण का संगठनात्मक स्वरूप नीचे दर्शाया गया है:

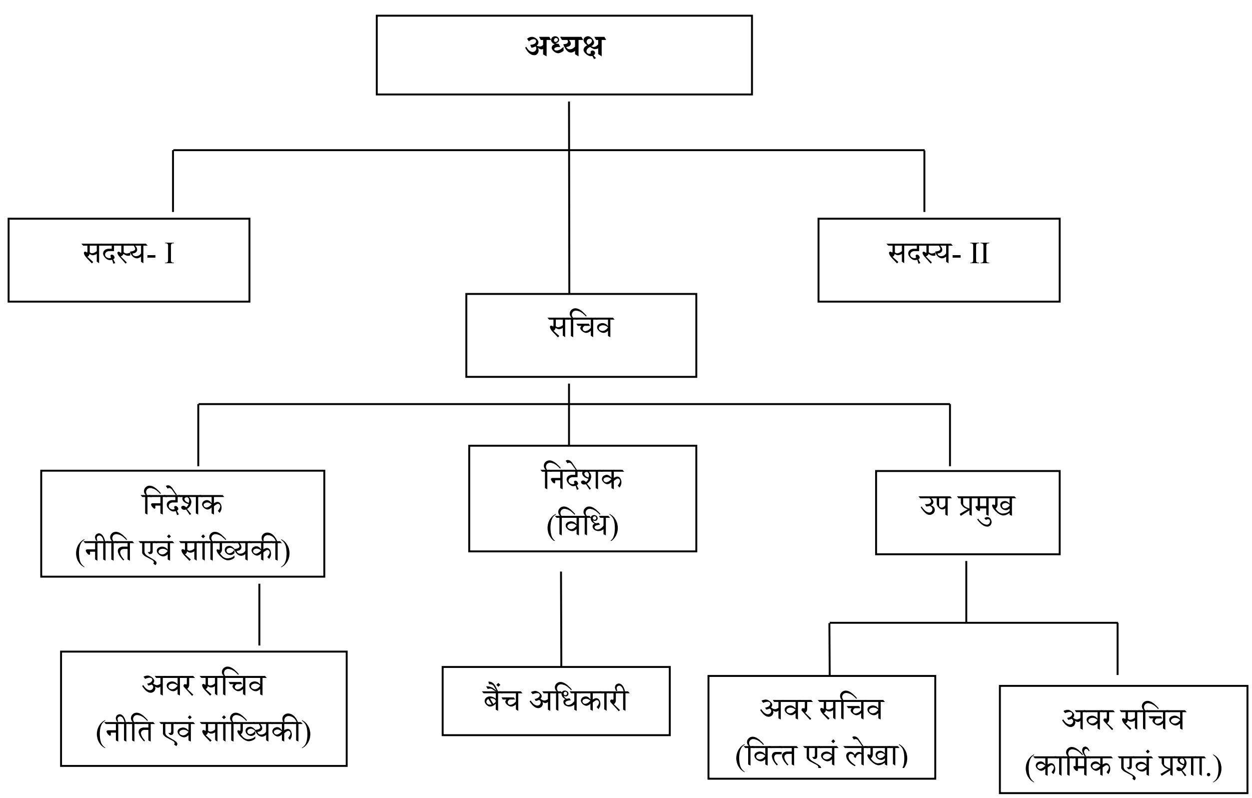

ऐरा के स्टाफ में विमानन क्षेत्र, वित्त क्षेत्र आदि में अनुभव प्राप्त विभिन्न केंद्रीय, राज्य सेवाओं और विभागों/संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी/कर्मचारी हैं।

8.3 विनियम का दायरा

8.3.1 ऐराअधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) के अनुसार प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

- वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करना
- प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में विकास शुल्क की राशि निर्धारित करना
- वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के तहत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 88 के तहत वसूले जाने वाले पीएसएफ की राशि निर्धारित करना
- सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित ऐसे निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करना, जो केन्द्रीय सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

8.3.2. ऐरा संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार और उक्त प्रावधान के अंतर्गत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए अनुसार वर्तमान में 26 हवाईअड्डों को प्रमुख हवाईअड्डे घोषित किया गया है। 31.12.2021 को निम्नलिखित हवाईअड्डों को"प्रमुख हवाईअड्डे"माना गया है :-

- इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,दिल्ली
- छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,मुम्बई
- कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,बैंगलुरू
- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा,हैदराबाद
- कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,कोच्चि
- चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चंडीगढ़
- चेन्नै अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,चेन्नै
- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,कोलकाता
- सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,अहमदाबाद
- त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,तिरुवनन्तपुरम
- चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,लखनऊ

- जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर
- लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,गुवाहाटी
- कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,कोझीकोड
- गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,गोवा
- पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,पुणे
- जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना
- गुरू रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,अमृतसर
- लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,वाराणसी
- बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,भुवनेश्वर
- स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा,रायपुर
- तिरूचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,तिरूचिरापल्ली
- मंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,मंगलूरू
- कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड, कन्नूर
- शेख उल अलम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,श्रीनगर
- शिर्डी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,शिर्डी

  ऐरा का प्रमुख उद्देश्य ऐरा संशोधन अधिनियम, 2021 के अनुसार प्रमुख हवाईअड्डे की परिभाषा को संशोधित कर'किसी हवाईअड्डे'को हवाईअड्डों के समूह में शामिल कर व्यापक कर दिया गया है।

- दिनांक 01 जनवरी, 2021से 31 दिसम्बर, 2021 तक की अवधि के दौरान भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) नेहवाईअड्डों और वैमानिक सेवाओं के विनियमन के लिए अपनी पद्धति के आधार पर निम्नलिखित आदेश जारी किए:

क्र. सं.	**आदेश संख्या**	**विषय**	**जारी करने की तारीख**
01	आदेश संख्या 64/2020-21	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,मुम्बई (बीओएम) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में	27.02.2021
02	आदेश संख्या	चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,चंडीगढ़ के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि(01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) के	20.08.2021

	07/2021-22	लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण।	
03	आदेश संख्या 08/2021-22	कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोच्चि के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 -31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण।	24.08/2021
04	आदेश संख्या 11/2021-22	कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,बंगलुरू के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि(01.04.2021-31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण।	28.08.2021
05	आदेश संख्या 12/2021-22	राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा(हैदराबाद)शमशाबाद,हैदराबाद के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि(01.04.2021-31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में	31.08.2021
06	आदेश संख्या11/2021-22 का परिशिष्ट	कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,बैंगलुरू(बीएलआर)के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि(01.04.2021- 31.03.2026)के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में- आदेश संख्या 11/2021-22 का परिशिष्ट	15.09.2021
स्वतंत्र सेवा प्रदाता(फ्यूल फॉर्म एवं आईटीपी सेवा)			
07	आदेश संख्या 06/2021-22	मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा**,**मुम्बई में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं प्रदान करने के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	13.08.2021
08	आदेश संख्या 14/2021-22	भारत स्टार्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसपीएल)के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय(सीएसएमआई)हवाईअड्डा,मुम्बई में तृतीय नियंत्रण अवधि(वित्त वर्ष2021-22 से वित्त वर्ष2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं प्रदान करने के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में	03.09.2021
09	आदेश संख्या	भारत स्टार्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसपीएल)के लिए कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा(केआईए), बंगलौर में	10.09.2021

	15/2021-22	तृतीय नियंत्रण अवधि(वित्त वर्ष2021-22 से वित्त वर्ष2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं(आईटीपी)प्रदान करने के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में	
10	आदेश संख्या 16/2021-22	इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड(आईओएसपीएल)के लिए कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए),बैंगलोर में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष2021-22 से वित्त वर्ष2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं(आईटीपी)प्रदान करने के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में	15.09.2021
11	आदेश संख्या 20/2021-22	मुम्बई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एमएएफएफएफएल)के संबंध में सीएसएमआई हवाईअड्डा,मुम्बई में तृतीय नियंत्रण अवधि(01.04.2021 से31.03.2026) के लिए ईंधन अवसंरचना प्रभार के निर्धारण के मामले में	24.09.2021
12	*आदेश संख्या 15/2021-22 का शुद्धि पत्र	भारत स्टार्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसपीएल)के लिए कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा(केआईए), बैंगलोर में तृतीय नियंत्रण अवधि(वित्त वर्ष2021-22 से वित्त वर्ष2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटो प्लेन सेवाएं (आईटीपी) प्रभार के निर्धारण के मामले में	26.11.2021
13	*आदेश संख्या 14/2021-22 का शुद्धि पत्र	भारत स्टार्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड(बीएसएसपीएल)के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा(सीएसएमआईए), मुम्बई में तृतीय नियंत्रण अवधि(वित्त वर्ष2021-22 से वित्त वर्ष2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं (आईटीपी) प्रदान करने के लिए इंटो प्लेन सेवा प्रभार के निर्धारण के मामले में	26.11.2021
14	आदेश संख्या 23/2021-22	देहली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (डीएएफएफपीएल) के संबंध में आईजीआई हवाईअड्डा,नई दिल्ली में ईंधन अवसंरचना प्रभारों के निर्धारण के मामले में(01.04.2021 से31.03.2026)	07.10.2021
15	आदेश संख्या	इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड(आईओएसपीएल) के लिए कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा(केआईए), बैंगलोर	07.12.2021

	30/2021-22	में तृतीय नियंत्रण अवधि(01.04.2021-31.03.2026) के लिए ईंधन अवसंरचना प्रभारों (एफआईसी) का निर्धारण	
स्वतंत्र सेवा प्रदाता (ग्राउंड हैंडलिंग)			
16	आदेश संख्या 29/2021-22	मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ कानिर्धारण	07.12.2021
17	आदेश संख्या 31/2021-22	मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,हैदराबाद में तृतीय नियंत्रण अवधि(वित्त वर्ष2021-22 से वित्त वर्ष2025-26) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण	23.12.2021
स्वतंत्र सेवा प्रदाता (कार्गो)			
18	आदेश संख्या 27/2021-22	मैसर्स गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (जीएसईसी) के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा(एसवीपीआईए),अहमदाबाद में तृतीय नियंत्रण अवधि(वित्त वर्ष2021-22 से वित्त वर्ष2025-26) के लिए कार्गो हैंडलिंग प्रभारों का निर्धारण	16.11.2021
19	आदेश संख्या 36/2020-21	एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए श्री गुरू रामदासजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष2019-20 से वित्त वर्ष2023-24) के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में	01.09.2020
20	आदेश संख्या 37/2020-21	एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष2019-20 से वित्त वर्ष2023-24) के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
अवधि बढ़ाने के लिए अंतरिम व्यवस्था			

21	आदेश संख्या 61/2020-21	मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड(मायल) में ईंधन थ्रूपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधानों संबंधी दिनांक08.10.2020 के आदेश संख्या47/2020-21 के मामले में-मौजूदा"प्रति लैंडिंग तदर्थ प्रभार" की वसूली31.12.2020 के बाद जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	13.01.2021
22	आदेश संख्या 44/2020-21 का परिशिष्ट	आदेश संख्या 44/2020-21 का परिशिष्ट-कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड(कायल) द्वारा किए जाने वाले कार्गो प्रचालनों के आर्थिक विनियमन के मामले में-कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरराष्ट्रीय निर्यात कार्गो के लिए तदर्थ आधार पर अतिरिक्त एक्स-रे प्रभारों के लिए कायल का अनुरोध	21.01.2021
23	आदेश संख्या 62/2020-21	कार्गो सुविधा,ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले हवाईअड्डा प्रचालकों/स्वतंत्र सेवा प्रदाता(ओं) द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 30.12.2020 के आदेश संख्या 58/2020-21 और दिनांक 13.01.2021 के आदेश संख्या 61/2020-21 के मामले में-मौजूदा टैरिफ की वसूली संगत नियंत्रण अवधि के लिए 31.01.2021 के बाद जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था	15.02.2021
24	आदेश संख्या 63/2020-21	मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (मायल) पर वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 29.01.2021 के आदेश संख्या 62/2020-21के मामले में-तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 15.02.2021 के बाद एफटीसी बंद किए जाने के बदले"प्रति लैंडिंग तदर्थ प्रभार"सहित मौजूदा वैमानिक टैरिफ की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था	15.02.2021
25	आदेश संख्या 65/2020-21	हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन के मामले में-मौजूदा टैरिफ की वसूली संगत नियंत्रण अवधि के लिए 31.03.2021 के बाद जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था	24.03.2021
26	आदेश संख्या	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,मुम्बई में परियोजना कार्य और मैट्रो कार्य के लिए विकास शुल्क	24.03.2021

	66/2020-21	(डीएफ) की वसूली के मामले में-डीएफ की वसूली की अवधि बढ़ाने के संबंध में	
27	आदेश संख्या 67/2020-21	कार्गो हैंडलिंग,ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन के मामले में- मौजूदा टैरिफ की वसूली संगत नियंत्रण अवधि के लिए 31.03.2021 के बाद जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था	25.03.2021
28	आदेश संख्या 68/2020-21	राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय (आरजीआई) हवाईअड्डा,हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तदर्थ टैरिफ	30.03.2021
29	आदेश संख्या 01/2021-22	हवाईअड्डा प्रचालक,अडानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**(**एएआईएएल**)** द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा**(**एसवीपीआईए**),**अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग (एयर साइड और सिटी साइड दोनों पर आयात एवं निर्यात) से संबंधित वैमानिक सेवाओं के लिए01.07.2021से31.03.2024 तक की अवधि के लिए अंतरिम आदेश	23.06.2021
30	आदेश संख्या 02/2021-22	चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा(सीएचआईएएल),चंडीगढ़ में कार्गो प्रचालनों के लिए टैरिफ का तदर्थ अनुमोदन,द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ (कार्गो टैरिफ सहित) का लंबित निर्धारण	24.06.2021
31	आदेश संख्या 03/2021-22	मैसर्स बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय (सीसीएसआई) हवाईअड्डा,लखनऊ में 01.07.2021 से 31.12.2021 तक छः माह की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का अनुमोदन	30.06.2021
32	आदेश संख्या 04/2021-22	एसपीवी मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (मोहाली) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,मोहाली में 19.07.2021 से 31.12.2021तक की अवधि के लिए प्रदान की जानेवाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ का तदर्थ	19.07.2021

		अनुमोदन	
33	आदेश संख्या 05/2021-22	एसपीवी मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएस) द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,अहमदाबाद में 01.08.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ का तदर्थ अनुमोदन	29.07.2021
34	आदेश संख्या 13/2021-22	मैसर्स जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएस) द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय (सीसीएसआई),हवाईअड्डा,लखनऊ में 01.09.2021 से 31.12.2021 तक चार माह की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ के मामले में	01.09.2021
35	आदेश संख्या 17/2021-22	हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 24.03.2021 के आदेश संख्या 65/2020-21 के मामले में-उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए मौजूदा टैरिफ की वसूली 30.09.2021 के बाद भी जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था	15.09.2021
36	आदेश संख्या 18/2021-22	कार्गो हैंडलिंग,ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 25.03.2021 के आदेश संख्या 67/2020-21 के मामले में-उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए मौजूदा टैरिफ की वसूली 30.09.2021 के बाद भी जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	15.09.2021
37	आदेश संख्या 19/2021-22	हवाईअड्डा प्रचालक एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 24.03.2021 के आदेश संख्या 65/2020-21 के मामले में-मौजूदा टैरिफ तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 30.09.2021 के बाद भी वसूल करने के लिए अंतरिम व्यवस्था	22.09.2021
38	*आदेश संख्या 21/2021-22*	मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,पुणे में ग्राउंड	01.10.2021

		हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए**01.1**0.2021से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ के मामले में	
39	आदेश संख्या 18/2021-22 का संशोधन	कार्गो हैंडलिंग,ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाएं- मौजूदा टैरिफ की वसूली उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए 30.09.2021 के बाद जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था	01.10.2021
40	आदेश संख्या 22/2021-22	जयपुर (जेआईए),त्रिवेन्द्रम (टीवीएम) और गुवाहाटी (जीएयू) के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों के संबंध में मौजूदा टैरिफ वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था के मामले में-नए प्रचालक मैसर्स अडानी द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करना	06.10.2021
41	आदेश संख्या 24/2021-22	मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा**,**कोचीन में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए टैरिफ निर्धारण के मामले में	14.10.2021
42	आदेश संख्या 25/2021-22	मैसर्स एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) द्वारा चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,चैन्नई में सीटीओ प्रचालनों से संबंधित वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन के मामले में -25.10.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए अंतरिम आदेश	25.10.2021
43	आदेश संख्या 26/2021-22	मैसर्स इंडोथाई कोलकाता प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,कोलकाता में 01.12.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	15.11.2021
44	आदेश संख्या 28/2021-22	एसपीवीमैसर्स जीएसएईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 18.11.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं	18.11.2021

		के लिए तदर्थ टैरिफ	

8.4 राजभाषा नीति:

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा सभी प्रयास किए गए। ऐरा में हिंदी में काम करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 1 से 15 सितम्बर, 2021 तक"**हिन्दी पखवाड़े**"का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और इन प्रतियोगिताओं में 57 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021तक की अवधि के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की सुविधा के लिए तिमाही आधार पर चार (04) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में सामूहिक रूप से कुल 92 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

वर्ष के दौरान ऐरा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार (04) तिमाही बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति के सभी सदस्यों के साथ आयोजित की गईं। प्राधिकरण में भारत सरकार की हिंदी प्रोत्साहन योजना लागू की गई है ताकि अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया जा सके। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इस योजना में 8 कार्मिकों ने भाग लिया और उन्हें कुल 30,000/- रूपए के पुरस्कार प्रदान किए गए।

8.5 वित्तीय निष्पादन

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) अधिनियम की धारा 34 के अनुसार केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त की जाती हैं। बजट आकलन 2021-22 में वेतन शीर्ष के अतंर्गत 4.00 करोड़ रूपए और गैर वेतन शीर्ष के अंतर्गत 6.00 करोड़ रूपए आबंटित किए गए।

दिनांक 31.12.2021 तक जारी की गई निधियां और किए गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रू.लाख में)

शीर्ष	2020-21 की अप्रयुक्त राशि	बजट आकलन (बीई) 2021-22	अन्य साधनों से प्राप्त आय	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 31.12.2021 तक जारी की गई निधि	कुल निधि	प्राधिकरण द्वारा 31.12.2021 तक खर्च की गई राशि	31.12.2021 को शेष राशि
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.) = (क+ग+घ)	(च)	(छ)
वेतन	77.10	400.00	*	400.00	477.10	374.13	102.97
गैर वेतन	44.42	600.00	*	600.00	644.42	436.98	207.44

* बैंक शेष पर अर्जित ब्याज = 1,71,333/ रूपए

8.6 महिला कल्याण जिसमें जैन्डर बजटीय डॉटा शामिल है:

इस कार्यालय में कुल 12 महिला कर्मचारी हैं जिनमें प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लोन पर तैनात तथा बाहरी स्रोत (ऑउट-सोर्स) से भरे गए स्टाफ के रूप में कार्यरत महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए पर्याप्त सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

8.7 जन शिकायत निवारण प्रक्रिया में सुधार के लिए की गई कार्रवाई :

ऐरा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के जन शिकायत पोर्टल में पंजीकृत है और इसे अलग प्रयोक्ता क्रिडेन्शल दिए गए हैं। शिकायतों की नियमित रूप से जांच की जाती है और जब भी जन शिकायत प्राप्त होती है इसका जवाब निर्धारित समय-सीमा के भीतर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) में

जन शिकायत के लिए उप प्रमुख (उप सचिव स्तर के अधिकारी) को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया । 31.12.2021 को कोई भी शिकायत लंबित नहीं है।

8.8 प्रदूषण नियंत्रण:

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण नागर विमानन मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय है जो भारत के प्रमुख हवाईअड्डों के टैरिफ निर्धारण का कार्य करता है और यह सीधे तौर पर किसी भी प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कार्य में संलिप्त नहीं है। परंतु प्राधिकरण हवाईअड्डों पर सौर/नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग, जल संरक्षण, पानी को रीसाइकल करना आदि जैसे पर्यावरण अनुकुल उपायों को प्रोत्साहित करता है।

8.9 दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व:

ऐरा में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति केवल प्रतिनियुक्ति आधार पर की जाती है। इसलिए ऐरा में नियुक्तियों के संबंध में आरक्षण नीति लागू नहीं है। तथापि ऐरा में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है :-

श्रेणी	कार्यरत कार्मिकों की संख्या	पदनाम	भर्ती की पद्धति
अनुसूचित जाति	•	•	प्रतिनियुक्ति पर
अनुसूचित जनजाति	01	निदेशक (नीति एवं साख्यिकी)	
अन्य पिछड़ा वर्ग	03	सहायक (02)	
		निजी सहायक (01)	

8.10 पूर्वोत्तर में किए गए विकास संबंधी कार्यकलापों से जुड़े मुद्दे:

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण नागर विमानन मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय होने के कारण इसे भारत के प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में टैरिफ निर्धारण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, और पूर्वोत्तर में विकास से संबंधित कोई भी कार्यकलाप करना इस प्राधिकरण का उद्देश्य नहीं है।

8.11 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण:

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण नागर विमानन मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय होने के कारण इसे भारत के प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में टैरिफ निर्धारण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और वरिष्ठ नागरिकों की कोई भी कल्याण योजना चलाना इस प्राधिकरण का कार्य नहीं है।

8.12 दिव्यांगों को सुविधाएं :

ऐरा में दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को कोई भी दिव्यांग व्यक्ति नियुक्त नहीं है परंतु प्राधिकरण सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है। ऐरा वेबसाइट www.aera.gov.inदिव्यांगों के लिए सुविधाजनक है।

8.13 सतर्कता विभाग के कार्यकलापों और उपलब्धियों संबंधी ब्यौरा:

रिपोर्ट की अवधि में ऐरा के कर्मचारियों के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला शुरू नहीं किया गया है और न ही लंबित है।

8.14 स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू की गई पहल:

लंबित मामलों के निपटान और कार्यालय में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान:

नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के परिणामस्वरूप प्राधिकरण में लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए 02 अक्तूबर, 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 तक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए गए :-

(i) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने पुराने दस्तावेज/फाइलें/रिपोर्टें आदि छांटकर अलग करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेकर परिश्रमपूर्वक कार्य किया,जिसके परिणामस्वरूप:-

1. लगभग 3500 किलोग्राम बेकार कागज को रीसाइकल किया गया
2. 200 वर्ग फुट भंडारण क्षेत्र खाली हो गया।
3. रीसाइकल किए गए बेकार कागज के बदले 210 रिम रीसाइकल किया गया कागज प्राप्त हुआ।

(ii) ऐरा भवन और इसके आस-पास के क्षेत्रों का सौंदर्य बढ़ाना।

(iii) बेकार फर्नीचर/ रद्दी सामान का निपटान।

(iv) लगभग 638.5 किग्रा ई-वेस्ट का पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान।

8.15 स्वच्छता पखवाड़ा :

नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार प्राधिकरण में दिनांक 15 अक्तूबर, 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 तक*स्वच्छता पखवाड़ा*मनाया गया। इस अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए :

- स्वच्छता पखवाड़ा संबंधी बैनर लगाना।
- ऐरा के सभी कार्मिकों ने स्वच्छता और अपशिष्ट को अलग करने के लिए प्रतिज्ञा ली।
- सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपने-अपने कार्यस्थल और दराज़ों आदि की सफाई की।
- ऐरा में“सफाईकर्मियों को संवदेनशील बनाना”विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई और सफाईकर्मियों को मास्क आदि जैसे सुरक्षा उपकरण वितरित किए गए।

- प्राधिकरण में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका विषय था“कार्यालय में स्वच्छता बनाए रखने का महत्व”।
- संबंधित तकनीकी स्टाफ द्वारा तकनीकी उपकरणों अर्थात लिफ्ट, एसी और सर्वर कक्ष आदि की सफाई की गई।
- अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा छत,पानी की टंकी सहित कार्यालय परिसर में और उसके आसपास के क्षेत्र की सफाई करने के लिए“श्रमदान” किया गया।
- कार्यालय में प्लास्टिक का प्रयोग न करने पर वार्ता आयोजित की गई और स्वच्छता पर वृत्तचित्र दिखाया गया।

8.16 विविध गतिविधियां/पहल:

- जनवरी, 2021में प्राधिकरण में सुरक्षाकर्मियों सहित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के पदाधिकारियों के लिए अग्नि सुरक्षा जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सभी कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
- ऐरा में फाइलों के संचलन के लिए एनआईसी का ई-आफिस मॉड्यूल शुरू किया गया जिससे कार्यालय का कार्य निर्बाध, कुशलतापूर्वक और पर्यावरण अनुकूल हो गया है।
- प्राधिकरण में 26.10.2021से 02.11.2021तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।
- 02.11.2021को“How to make corruption free India/देश को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाया जाए।”पर वाद-विवाद का आयोजन किया गया। कार्मिकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक पुरस्कार/ मानदेय भी दिया गया।
- भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव मनाने के लिए प्राधिकरण में‘आजादी का अमृत महोत्सव’ (भारत@75)के अंतर्गत विभिन्न मासिक गतिविधियां आयोजित की गई।
- राष्ट्रीय एकीकरण दिवस और सद्भावना दिवस पूरी गरिमा के साथ मनाए गए।
- ऐरा के कार्मिकों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक,नई दिल्ली का दौरा किया और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के शहीदों को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।

9. राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

9.1 प्रस्तावना

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू), नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाला एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना फुरसतगंज, रायबरेली, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 नामक संसद के अधिनियम द्वारा की गई है।

विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत में विमानन उद्योग के संवर्धन हेतु अग्रणी एवं उत्कृष्ट अनुसंधान उपलब्ध कराकर विमानन परिवेश में प्रीमियर उच्चतर शिक्षण संस्थान के रूप में की गई है। संसद के अधिनियम ने नागर विमानन के क्षेत्र में डिप्लोमा, स्नातक उपाधि और स्नातकोत्तर उपाधि देने के लिए विश्वविद्यालय को अधिकार प्रदान किया है।

9.2 उद्देश्य

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू) का उद्देश्य विमानन उद्योग के सभी उप-क्षेत्रों के प्रचालनों एवं प्रबंधनों में उत्कृष्ठता प्राप्त करने के लिए उद्योग और शिक्षा के समामेलन से विमानन अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्य को सुलभ बनाना व इन क्षेत्रों को संवर्धित करना है।

विश्वविद्यालय का प्रयोजन वर्तमान में और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानन उद्योग के भीतर कौशल की कमी को पुरा करने के लिए यथापेक्षित अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। आरजीएनयू की चरणबद्ध तरीके से स्नातक

कार्यक्रम, स्नातकोत्तर कार्यक्रम, स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम, पीएचडी कार्यक्रम तथा प्रमाणन (Certification) कार्यक्रम उपलब्ध करने की महत्वाकांक्षी योजना है।

9.3 अत्याधुनिक अवसंरचना

विश्वविद्यालय का बुनियादी ढांचा, में निम्नलिखित शामिल हैं: -

- उच्च प्रौद्योगिकी वाला आईटी अवसंरचना और स्मार्ट क्लास तकनीकी वाला 1.2 लाख वर्ग फुट का शैक्षिक ब्लॉक।
- डिजिटल पुस्तकालय हेतु समर्पित प्रावधानों सहित पुस्तकालय।
- वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सहित प्रत्येक 200 सीटों की क्षमता वाले दो सेमिनार हॉल।

स्पेस फ्रेम संरचना सहित ओपन एयर थियेटर;**ओपन एयर थियेटर**

संगोष्ठी हॉल

- विद्यार्थियों के लिए कैंटीन, चिकित्सा कक्ष तथा कॉमन रूम।
- निर्धारित पहुंच मार्ग और कार पार्किंग जैसी सुविधाएं।
- भूमिगत जल टैंक, यूपीपीसीएल से 33 केवीए समर्पित ऊर्जा आपूर्ति और 100% पावर बैकअप।
- 576 विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन एवं जिम सुविधाओं सहित वाई-फाई सक्षम हॉस्टल आवास व्यवस्था।

होस्टल ब्लॉक

अबतक, विश्वविद्यालय के अनेक प्राधिकरणों जैसे कार्यपालक परिषद, न्यायालय, शैक्षिक परिषद, वित्तीय समिति का गठन किया गया है और इन प्राधिकरणों की बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण जैसे संबद्धीकरण और मान्यता बोर्ड, स्कूल बोर्ड आदि के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

9.4 भावी योजनाएं

विमानन और एयरोस्पेस उद्योग में मानव संसाधन के विकास के लिए विश्वविद्यालय नेएचएएल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। एचएएल के परामर्श से, विश्वविद्यालय अपना दूसरा शैक्षणिक पाठ्यक्रम अर्थात विमानन प्रबंधन में एमबीए आरंभ करने की योजना बना रहा है। छात्रों और पेशेवरों को विमानन क्षेत्र में बेहतर अकादमिक और व्यावहारिक अनुभव देने के लिए विश्वविद्यालय भारत और विदेशों में विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के अवसर तलाश रहा है। विश्वविद्यालय का लक्ष्य व्यक्ति के ज्ञान संवर्धन और व्यक्तित्व विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है।

इस उद्देश्य के साथ, विश्वविद्यालय विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के संचालन के लिए इन संस्थानों के साथ सहयोग करने की संभावना का पता लगाने के लिए देश भर के विभिन्न संस्थानों जैसे आईआईटी (बॉम्बे), आईआईटी (कानपुर) आदि

के साथ चर्चा कर रहा है। इसके अतिरिक्त ईएनएसी और आईएसएई सुपेरियोजैसे विदेशी संस्थानों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

9.5 प्रदूषण नियंत्रण

चारदीवारी के निकट, पार्किंग तथा अकादमिक एवं आवासीय ब्लॉक के निकट स्थित अन्य हरित क्षेत्रों में वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके अंतर्गत 300 से अधिक वृक्षों का रोपण किया गया। परिसर के निर्माण के दौरान प्रदूषण का स्तर न्यूनतम करने के लिए प्रत्येक संभव उपाय किए गए थे। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन परिसर में अनेक वृक्षों का रोपण किया जा रहा है जिससे प्रदूषण का प्रभाव न्यूनतम हो सकेगा।

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के परिसर को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में गृहा (GRIHA) काउंसिल द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के अकादमिक एवं आवासीय भवनों की छत पर सौर संयंत्रों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

वायु प्रदूषण के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय का परिसर क्षेत्र धुम्रपान मुक्त है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय परिसर में प्लास्टिक के सिंगल उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

9.6 लैंगिक बजट डेटा सहित महिला कल्याण

विश्वविद्यालय परिसर (अकादमिक एवं आवासीय परिसर) में कन्या विद्यार्थियों एवं महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ''कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, 2013'' के प्रावधानों के अंतर्गत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। आंतरिक शिकायत समिति के प्रमुख क्रियाकलापों में विश्वविद्यालय परिसर में लैंगिक उत्पीड़न एवं लैंगिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति किसी प्रकार के उल्लंघन को संज्ञान में लेकर उनके प्रति उचित कार्रवाई करना है। छात्राओं की संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखकर होस्टल को महिला एवं पुरूष होस्टल क्षेत्र के रूप में दो भागों में विभाजित किया गया है।

9.7 लोक शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए उपाय

विश्वविद्यालय का प्रचालन इस पक्ष से सीधे संबंधित नहीं हैं। तथापि, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो लोक शिकायतों से संबंधित मामलों को देखते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सूचना अधिकार के अंतर्गत प्राप्त प्रश्नों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सीपीआईओ के रूप में भी नामित किया गया है।

9.8 31.12.2021 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

वर्तमान में, आरजीएनएयू में केवल एक नियमित कर्मचारी हैं जहां अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए प्रस्तुतिकरण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आरजीएनएयू शिक्षण और गैर-शिक्षण श्रेणियों में निचले और मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए भर्ती नियम तैयार करने की प्रक्रिया में है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों को रोजगार में आरक्षण देने संबंधी भारत सरकार के नियमों का इन पदों पर नियुक्ति के समय सख्ती से पालन किया जाएगा।

9.9 पूर्वोत्तर क्षेत्र में की गई विकास गतिविधियों से संबंधित मामले

यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए, यह देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से इसका कोई सरोकार नहीं है। तथापि, इस पहलू पर, विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में चलाए जाने वाले अनेक पाठ्यक्रमों में छात्रों/प्रशिक्षुओं के प्रवेश के समय विचार किया जाएगा।

9.10 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

विश्वविद्यालय की वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियां इस विशेष पहलू से संबंधित नहीं हैं।

9.11 दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधाएं

दिव्यांग व्यक्तियों के आसानी से आवागमन के लिए, शैक्षणिक भवन में रैंप प्रदान किए गए हैं। आरजीएनएयू के शैक्षणिक भवन में शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा आसान उपयोग के लिए अलग शौचालय भी बनाए गए हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों की सहायता के लिए अकादमिक भवन के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है।साथ ही, विश्वविद्यालय के छात्रावास और आवासीय ब्लॉकों में लिफ्टों का प्रावधान किया गया है।

9.12 सतर्कता विभाग की संबंधित गतिविधियों तथा उपलब्धियों का विवरण

वर्तमान में, विश्वविद्यालय में मात्र एक नियमित कर्मचारी है जो कि वित्त अधिकारी है।वर्तमान में, कार्यकारी रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी के माध्यम से सतर्कता से संबंधित मामलों को देख रहे हैं जिसके अंतर्गत यह वित्त अधिकारी, सतर्कता अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहा है।

9.13 नागरिक चार्टर

पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के द्वारा विश्वविद्यालय में शामिल होने पर सिटिजन चार्टर तैयार किया जाएगा।

9.14 सामाजिक कल्याण गतिविधियां

ज्ञानसृजन और साझाकरण के केंद्र के तौर पर विश्वविद्यालय एक स्थायी कल को सुनिश्चित करते हुए संसार की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अनेक अवसरों पर विश्वविद्यालय कैंपस में स्थानीय गाँव अर्थात तारौना के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की भेंट आयोजित की गई हैं जहां वे विश्वविद्यालय के अनेक कार्यों से परिचित हुए और विमानन क्षेत्र के प्रति प्रेरित हुए। पदों की भिन्नता के बावजूद, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा छात्रों के मध्य एकजुटता विकसित करने के लिए, समय-समय पर कुछ सामान्य कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे कि विश्वकर्मा पूजा, क्रिसमस ईवसैलीब्रेशन, दीपावली सैलीब्रेशन आदि का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का आयोजन “विविधता में एकता”की धारणा पर बल देने के लिए किया गया था।

10. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

10.1 प्रस्तावना

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) 1 अप्रैल 1995 को अस्तित्व में आया। भाविप्रा को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया है। यह देश में हवाई अड्डों पर वायु यातायात सेवाओं, यात्री टर्मिनलों, प्रचालन क्षेत्रों और कार्गो सुविधाओं के एकीकृत विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण और राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण को मिलाकर बनाया गया है।

10.2 भाविप्रा के मुख्य कार्य

- देश की क्षेत्रीय सीमाओं से परे तकविस्तारित भारतीय हवाई क्षेत्र का नियंत्रण और प्रबंधन (विशेष उपयोगकर्ता वायु क्षेत्र को छोड़कर) जैसा कि इकाओ द्वारा स्वीकार किया गया है।
- संचार, दिक्चालन और निगरानी साधनों का प्रावधान।
- प्रचालन क्षेत्रों जैसे रनवे, एप्रन, टैक्सीवे आदि का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण औरप्रचालन क्षेत्र में विमानों और वाहनों के यातायात के लिए जमीन आधारित लैंडिंग और मूवमेंट नियंत्रण साधनों का प्रावधान।
- यात्री टर्मिनलों का डिजाइन, विकास, प्रचालन और रखरखाव।
- अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनलों का विकास और प्रबंधन।
- यात्री टर्मिनलों में यात्री सुविधाओं और सूचना प्रणालियों का प्रावधान।

भाविप्रा भारत में अग्रणी हवाई अड्डा प्रचालक और एकमात्र वायु दिक्चालन सेवा प्रदाता है। यह 24 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (3 सिविल एन्क्लेव), 10 कस्टम हवाई अड्डों (4 सिविल एन्क्लेव), 81 (घरेलू हवाई अड्डों) और 21 अन्य सिविल एन्क्लेव सहित 136 हवाई अड्डों का स्वामी है और उनका रखरखाव करता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22के लिए भाविप्रा की अनुमानित वित्तीय उपलब्धि

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि
राजस्व	6012.31
व्यय	8450.98
कर पूर्व लाभ	-2438.67
कर उपरांत लाभ	-1938.67
लाभांश	541.19
लाभांश पर कर	कोईनहीं

अनुमानित राजस्व के मुख्य अंश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राजस्व
वायु दिक्चालन सेवाएँ	2150.00
वैमानिक हवाई अड्डा सेवाएँ	1450.00
गैर-वैमानिक हवाई अड्डा सेवाएँ	833.73
पी पी पी राजस्व सहित हवाई अड्डा पट्टा राजस्व	1181.30
अन्य आय	397.28
कुल राजस्व	6012.31

अनुमानित व्यय के मुख्य अंश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि
कर्मचारी लाभ व्यय	3800.00
प्रचालन व्यय	1750.00
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	706.67
वित्तीय प्रभार	294.21

मूल्यह्रास	1900.00
सुरक्षा व्यय	0
कुल व्यय	8450.98

वित्तीय वर्ष 2021-22 **के लिए राजकोष में योगदान (अनुमानित)**

(रुपए करोड़ में)

लाभांश	लाभांश कर	गारंटी शुल्क	आयकर	जी एस टी	कुल
0.00	0.00	2.46	200.00	494.00	696.46

नोट:

1. हालांकि भाविप्रा को वित्त वर्ष **2021-22** के लिए हानि होगी**,** वित्त वर्ष **2021-22** के लिए लाभांश की गणना निवल संपत्ति के **5%** की दर से डीआईपीएएम दिशानिर्देशों के आधार पर की गई है। इस संबंध में**,** अपनी वित्तीय स्थिति पर कोविड19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण**,** भाविप्रा**,** नागर विमानन मंत्रालय से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए किसी भी लाभांश के भुगतान से छूट प्रदान करने का अनुरोध करेगा।

2. भाविप्रा ने पहले ही ना. वि. मं. से भाविप्रा को वित्त वर्ष **2020-21** के लिए किसी भी लाभांश के भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष **2020-21** और वित्त वर्ष **2021-22** के लिए लाभांश राशि को अंशदान में राजकोष में नहीं दिखाया गया है।

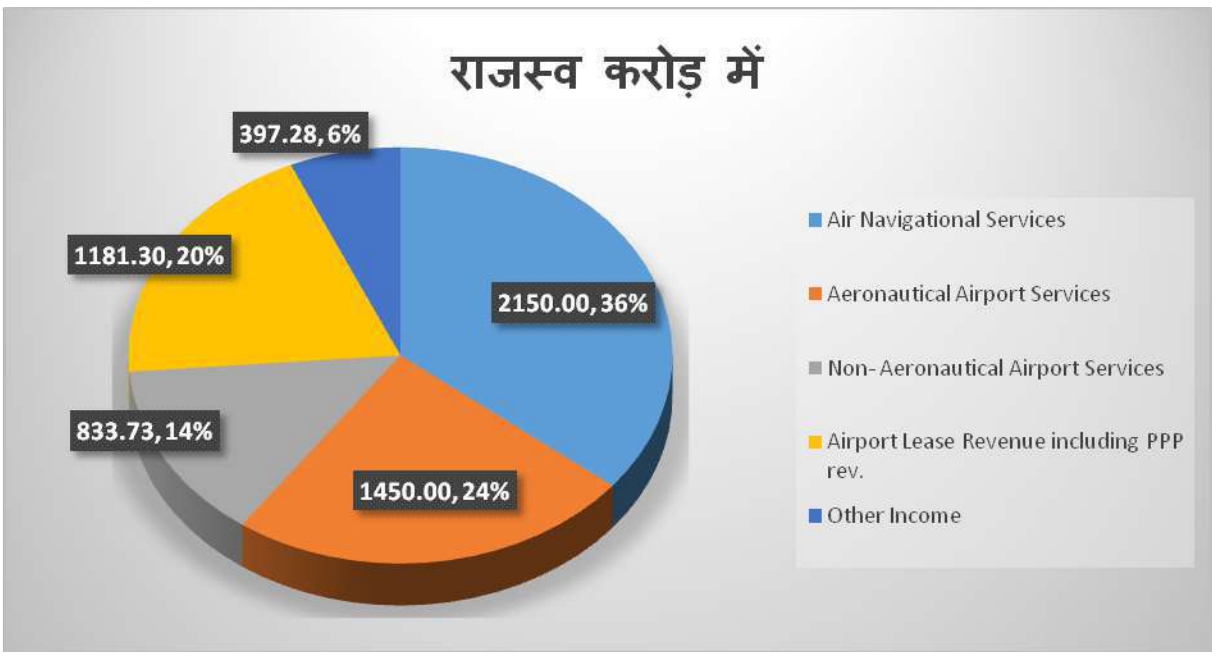

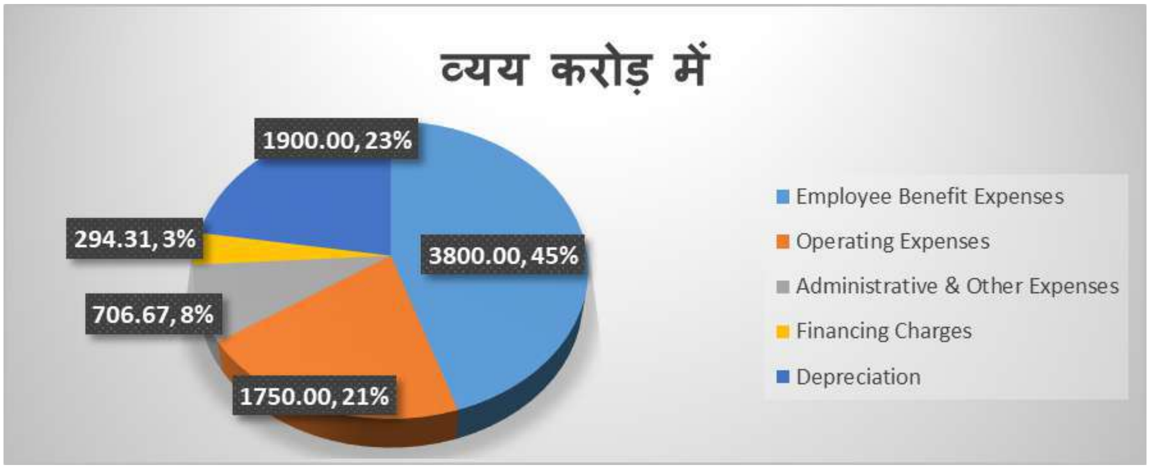

संचालित यातायात (2021 बनाम 2020)

2021 में, जब देश को कोविड -19 की व्यापक दूसरी लहर का सामना करना पड़ा, हवाई यात्री यातायात में मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्र द्वारा समर्थित एक प्रभावशाली सुधार देखा गया है। सभी भारतीय हवाई अड्डों को मिलाकर 2021 के दौरान 182 मिलियन यात्रियों को संभालने की उम्मीद है, जोकि 2020 में 143 मिलियन के मुकाबले 27% की वृद्धि दर्ज की जा रही है। **2020** की तुलना में वर्ष **2021** के दौरान कुल विमान की आवाजाही और माल ढुलाई में क्रमशः **29%** और **28%** की वृद्धि हुई है। **10.22** 2021 के दौरान संचालित किए गए यातायात का विवरण और 2020 के साथ तुलना नीचे दी गई है:

विवरण	**2021**	**2020**	**प्रतिशत परिवर्तन**
विमान संचालन (000, में)			
अंतरराष्ट्रीय	189.23	185.77	1.9
घरेलू	1543.22	1154.10	33.7
कुल	1732.45	1339.87	29.3
यात्री (लाख में)			
अंतरराष्ट्रीय	18.42	20.07	-8.2
घरेलू	163.85	123.13	33.1
कुल	182.27	143.20	27.3
माल (‘000 में मीट्रिक टन)			
अंतरराष्ट्रीय	1950.32	1518.09	28.5
घरेलू	1186.76	937.09	26.6
कुल	3137.08	2455.18	27.8

नोट: ***: - दिसंबर-2021 यातायात अनंतिम है।***

10.23 एसीआई-एएसक्यू पुरस्कार 2020

•एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा आयोजित हवाईअड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) सर्वेक्षण विश्व प्रसिद्ध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित वैश्विक मानदंड कार्यक्रम है जो यात्रियों की संतुष्टि को मापता है।

•एएसक्यू सर्वेक्षण 34 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में यात्रियों की संतुष्टि को मापता है जिसमें 8 प्रमुख श्रेणियां जैसे पहुंच, चेक-इन, सुरक्षा, हवाईअड्डा सुविधाएं, खाद्य और पेय, खुदरा, हवाईअड्डा पर्यावरण और आगमन सेवाएं शामिल हैं।

•एएसक्यू पुरस्कार द्वारा विश्व भर में उन हवाई अड्डों को सम्मानित किया जाता है, जो अपने यात्रियों की राय में सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव प्रदान करते हैं।

•वर्ष 2020 में, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में लगभग 348 हवाई अड्डों पर एसीआई-एएसक्यू सर्वेक्षण किया गया था। 2020 में, 28 भारतीय हवाई अड्डों ने एएसक्यू सर्वेक्षण में भाग लिया, जिनमें से 22 भाविप्रा हवाई अड्डे थे।

•कोलकाता, पुणे, अमृतसर, वाराणसी और चंडीगढ़ हवाई अड्डों ने नीचे दिए गए अनुसार दो श्रेणियों में छह एएसक्यू वार्षिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं:

क्रमांक	**हवाईअड्डा**	**पुरस्कार श्रेणी**
1	चंडीगढ़	आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रति वर्ष 2-5 मिलियन यात्री)
2	अमृतसर	आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रति वर्ष 2-5 मिलियन यात्री)
3	वाराणसी	आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रति वर्ष 2-5 मिलियन यात्री)
4	कोलकाता	क्षेत्र के अनुसार सर्वोत्तम स्वच्छता उपाय (एशिया प्रशांत)
5	चंडीगढ़	क्षेत्र के अनुसार सर्वोत्तम स्वच्छता उपाय (एशिया प्रशांत)
6	पुणे	क्षेत्र के अनुसार सर्वोत्तम स्वच्छता उपाय (एशिया प्रशांत)

10.3 प्रदूषण नियंत्रण

भा.वि.प्रा. द्वारा कचरा प्रबंधन के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण: भाविप्रा ने अपने हवाई अड्डों पर खाद्य कचरे को साइट पर खाद में परिवर्तित करने जैसी पहल की है। कागज और प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल करने वालों को सौंपा जा रहा है। प्रयुक्त तेल, ई-कचरा और जैव-चिकित्सा संबंधी कचरे का निपटान राज्य प्रदूषण बोर्ड को किया जा रहा है। भाविप्रा ने पेपर रीसाइक्लिंग यूनिट की स्थापना की है जो भाविप्रा के कार्यालयों से एकत्रित कागज के कचरे को पेपर स्टेशनरी उत्पादों में परिवर्तित करता है।

10.4 महिला कल्याण

1. पुरुषों और महिलाओं, दोनों को समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से भाविप्रा के प्रबंधन ने पहली बार कनिष्ठ सहायक (अग्निशमन सेवा) के पद पर महिला उम्मीदवारों की भर्ती को मंजूरी दी।

2. इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को कनिष्ठ सहायक (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए शारीरिक फिटनेस, लम्बाई, वजन और शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा में छूट दी गई है।

3. भर्ती गतिविधियों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य सेभाविप्रा भर्ती संबंधी अपनी सभी गतिविधियों में महिला उम्मीदवारों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लेता है।

4. महिला कर्मचारियों को अधिक से अधिक सहयोगी वातावरण प्रदान करने के निरंतर प्रयास मेंभाविप्रा के प्रबंधन ने अपनी महिला कर्मचारियों को आईवीएफ के साथ सरोगेसी संबंधी मामले में मातृत्व अवकाश के लाभों को प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. भाविप्रा में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुएएकल महिला कर्मचारियों के लिए छात्रावास आवास का प्रावधान शुरू किया गया है।

10.5 लोक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम

1. सभी हवाई अड्डों के लिए लोक शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी निगमित मुख्यालय में महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।

2. प्रत्येक हवाईअड्डे पर पहले से ही लोक शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनका विवरण यात्रियों और हवाई अड्डों के प्रयोगकर्ताओं के लाभ के लिए हवाई अड्डों के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है। लोक शिकायतों की निगरानी फील्ड स्टेशनों, क्षेत्रीय मुख्यालयों और निगमित मुख्यालय के संबंधित लोक शिकायत अधिकारी द्वारा दैनिक आधार पर की जाती है। प्रयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए सभी लोक शिकायत

अधिकारियों के समर्पित ईमेल आईडी बनाए गए हैं और उनका विवरण भाविप्रा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

3. नागरिकों/यात्रियों के लाभ के लिए शिकायत दर्ज करने हेतु उन्हें कई विकल्प दिए गए हैं जैसे; सीपीग्राम्स, पत्र, ई मेल, त्वरित प्रतिक्रिया कोड (क्यूआर कोड), भाविप्रा की वेबसाइट, सुझाव पेटी, रजिस्टर, टेलीफोन, ट्विटर या शिकायत करने का कोई अन्य माध्यम/प्रिंट मीडिया।

4. भाविप्रा के हवाई अड्डों सहित सभी संयुक्त उद्यमऔर निजी हवाई अड्डों को उचित नियंत्रण, निवारण और निगरानी के लिए भाविप्रा के सीपीग्राम्स पोर्टल में अधीनस्थ कार्यालय के रूप में जोड़ा गया है।

5. एयर सेवा, यात्रियों को सरल एवं निर्बाध विमान परिवहन अनुभव प्रदान करने वाली नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 2016 में प्रारंभ की गई पहल है। एयर सेवा प्लेटफॉर्म, विमान यात्रियों की शिकायतों के निवारण के लिए, विभिन्न विमानन हितधारकों यथा हवाई अड्डों, एयरलाइनों, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो आदि को एक साझा मंच पर लाता है और इस प्रकार विमानन क्षेत्र में उन विभिन्न हितधारकों को संघटित करता है जिनके साथ एक विमान यात्री को विमान यात्रा के दौरान व्यवहार करना पड़ता है। यह एक इंटरैक्टिव वेब पोर्टल (airsewa.gov.in) तथा एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफार्मों के लिए संगत मोबाइल ऐप के द्वारा काम करता है जिसमें शिकायत निवारण, उड़ान की स्थिति/समय-सारणी की जानकारी, हवाई अड्डे की जानकारी, शिकायतों के अग्रेषण, हितधारकों के बीच शिकायतों का हस्तांतरण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए एक प्रणाली शामिल है।

6. भाविप्रा में लोक शिकायत निवारण तंत्र के समुचित प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

7. लोक शिकायत पोर्टफोलियो में एक नया आयाम पहले ही जोड़ा जा चुका है, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से भी शिकायतों को तुरंत निपटाया जाता है, संसाधित किया जाता है और उनका निवारण किया जाता है।

10.6 दिनांक 31.12.2021 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

कार्मिकों की कुल संख्या : 16369

अनुसूचित जाति के कार्मिकों की कुल संख्या:	3442
अनुसूचित जाति के कार्मिकों का प्रतिशत:	21.03%
अनुसूचित जन जाति के कार्मिकों की कुल संख्या:	1371
अनुसूचित जन जाति के कार्मिकों का प्रतिशत:	8.38%
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कार्मिकों की कुल संख्या:	4117
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कार्मिकों का प्रतिशत:	25.1%

10.7 उत्तर-पूर्व में की गई विकास संबंधी गतिविधियों से संबंधित मुद्दे

कैलेंडरवर्ष2021केदौरानपूर्णकीगईपूंजीगतयोजनाएं

(राशि करोड़ रुपए में)

परियोजना स्थल	विवरण	कार्य पूर्ण होने की तारीख	पूर्णता लागत
अगरतला	अगरतला हवाई अड्डे पर आरईएसए का निर्माण।	20.01.2021	3.40
बारापानी	बारापानी हवाई अड्डे पर नई अधिगृहित भूमि की चारदीवारी के शेष भाग का निर्माण ।	22.02.2021	7.89
इंफाल	इंफाल हवाई अड्डे पर विद्युत एवं यांत्रिक कार्यशाला का निर्माण।	25.03.2021	9.50
अगरतला	अगरतला हवाई अड्डे पर रनवे के दोनों सिरों को क्रैश गेट तक जोड़ते हुएसीएफटी वाहन के लिए नई सड़क और रनवे को नए कूलिंग पिट से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण।	21.04.2021	8.236
बारापानी	संरक्षासंबंधीअवसंरचनाकाउन्नयन उपशीर्षः बारापानी हवाई अड्डे पर नई अधिगृहित भूमि के चारों ओर पेरिमीटर रोड का निर्माण।	25.06.2021	8.24
दीमापुर	दीमापुर हवाई अड्डे पर लिंक टैक्सीवे के साथ आइसोलेशन बे के निर्माण सहित रनवे, टैक्सीवे और एप्रन का सुदृढ़ीकरण।	31.08.2021	46.09
अगरतला	अगरतला हवाई अड्डे पर एमटी पूल और विद्युत एवं	31.08.2021	9.40

	यांत्रिक कार्यशाला का निर्माण ।		
अगरतला	अगरतला हवाई अड्डे पर भाविप्रा की कॉलोनी में भाविप्रा कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों का निर्माण।	30.09.2021	18.32
अगरतला	अगरतला हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण और संबंधित कार्य।	31.12.2021	505.76

कैलेंडर वर्ष 2021के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रगति पर पूंजीगतप रियोजनाएं।

(राशि करोड़ रुपए में)

परियोजना स्थल	विवरण	भौतिक प्रगति	पीडीसी	अनुमोदित लागत
अगरतला	कार्गो भवन का निर्माण।	80.00%	31.03.2022	14.36
अगरतला	हैंगर का निर्माण ।	97.9%	31.01.2022	34.16
बारापानी	रनवे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा संबद्ध कार्य।	72.00%	31.08.2022	34.00
डिब्रूगढ़	हैंगर का निर्माण (फोरक्लोज्ड)	43.00%	31.12.2021	21.70
	हैंगर का निर्माण (शेष कार्य)	_	31.08.2022	8.520
	प्रचालन क्षेत्र में मौजूदा खुले नाले को तोड़कर उसी स्थान पर नए ढके हुए नाले का निर्माण।	87.00%	31.05.2022	39.91
	एटीसी टावर और तकनीकी ब्लॉक का निर्माण।	40.00%	31.03.2023	44.28
	मौजूदा रनवे-05 (लचीला) की री-कारपेटिंग और नएरिजिड रनवे फुटपाथ के साथ संविलयन और अन्य संबद्ध कार्य।	1.00%	10.01.2023	50.54
गुवाहाटी	नए टर्मिनल भवन, कंट्रोल टावर, हैंगर, फायर स्टेशन, कार पार्क, सबस्टेशन, कार्गो और सहायक भवनों का निर्माण। (पीपीपी	42.25%	31.03.2023	1232.00

	के तहत 08.10.2021 को मैसर्स अदानी को सौंप दिया गया)			
इंफाल	इंफाल हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल का निर्माण।	65.00%	30.09.2022	15.93
	हैंगर, संबंधित एप्रन और लिंक टैक्सीवे का निर्माण।	41.4%	31.12.2022	35.90
ईटानगर	होलोंगी हवाई अड्डे पर नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण। प्रचालन क्षेत्र में रनवे, एप्रन का विकास और संबद्ध कार्य ।	58.00%	31.12.2022	645.63
	टर्मिनल भवन, कार पार्किंग, तकनीकी ब्लॉक, आवासीय क्वार्टर, वि. एवं यांत्रिक कार्यशाला, चिकित्सा केंद्र का निर्माण और शेष सिटी साइड विकास।	8.00%	31.03.2023	
सिलचर	सिविल एन्क्लेव में एप्रन का विस्तार और न्यू लिंक टैक्सीवे का निर्माण।	82.00%	30.06.2022	21.40
तेजु	तेजू हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का निर्माण और संबद्ध कार्य (शेष कार्य)।	78.50%	31.12.2022	67.00

कैलेंडर वर्ष 2021 के अंतर्गत पूर्वोत्तर में योजनागत परियोजनाएं

(राशि करोड़ रुपये में)

परियोजना स्थल	विवरण	लागत	स्थिति	टिप्पणियां

इंफाल	एप्रन बे सहित नए टर्मिनल भवन का निर्माण	499.00	सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की बैठक 07.06.2021 कोहुई थी, परियोजना को परियोजना लागत को कम करने की सिफारिश के साथ अनुमोदित किया गया था | तदनुसारडीपीआर की समीक्षा की गई और परियोजना लागत को संसोधित पोस्ट कोविद यातायात-अनुमान के अनुरूप घटाकर रु.499 करोड़ किया गया | भाविप्रा बोर्ड ने 204 वी बोर्ड बैठक में रूपये 499 करोड़ के लिए एए/एस प्रदान किया है और ई निविदा कार्यवाई चल रही है |	प्रारंभ होने की संभावित तिथि जुलाई-2022 पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि जुलाई-2024।

10.8 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

1. 28 भाविप्रा हवाई अड्डों पर समर्पित क्या मैं सहायता कर सकता हूँ काउंटर उपलब्ध है |
2. भाविप्रा के 10 हवाई अड्डों पर बैटरी से चलने वाले वाहन गोल्फ कार्ट की सुविधा उपलब्ध है |

10.9 विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सुगमता की 10 सुविधाओं पर साझा किए गए सामान्य दिशानिर्देशों को हवाई अड्डों को सुगम बनाने के लिए सभी भाविप्रा हवाई अड्डों के साथ साझा किया गया है, जिसमें शामिल हैं

क. सुगम मार्गपहुँच
ख. सुगम पार्किंग
ग. भवन में सुगम प्रवेश
घ. सुगम रिसेप्शन(हेल्पडेस्क)
ङ. सुगम गलियारा स्पर्शिय फर्श
च. सुगम लिफ्ट
छ. हैंडरेल के साथ सीढ़ी (मुख्य यात्री संचालन क्षेत्र)
ज. सुगम शौचालय
झ. सुगम पेयजल सुविधा
ञ. साइनेज

2. वर्तमान में, 87 भाविप्रा हवाई अड्डों में से 79 को 10 सुगमता सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। शेष 8 भाविप्रा हवाई अड्डों पर 31.03.2022 तक इन 10 सुगमता सुविधाओं को प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

3. 28भाविप्रा हवाई अड्डों पर पहले से ही एयरोब्रिज की सुविधा है।
4. वर्तमान में, 03 भाविप्रा हवाई अड्डों अर्थात् कालीकट, चेन्नई और कोलकाता में एम्बुलिफ्ट सुविधा है।
5. वर्तमान में, 28 भाविप्रा हवाई अड्डों पर काउंटर उपलब्ध कराये गए "क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ" है| सहायता डेस्क के कर्मियों को सभी दिव्यांगजनों के साथ कुशलता से संवाद करने का प्रशिक्षण है दिया जा रहा, जिसमें श्रवण बाधित और मूक व्यक्तियों के लिए सांक (बधिर और मूक) सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण शामिल है |

10.10 सतर्कता विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों से संबंधित विवरण; तथा

सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, पूरे देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 26 अक्टूबर से 01 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 मनाया गया। निगमित कार्यालय, सभी पांच क्षेत्रीय मुख्यालयों और सभी हवाई अड्डों पर समर्पित टीमों का गठन किया गया।

जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) अभियान का व्यापक प्रचार बैनर, स्टैंडी, पोस्टर, टीवी, वाणिज्यिक टीवी, भाविप्रा वेबसाइट और पूरे भारत के

विभिन्न हवाई अड्डों पर आगंतुकों और यात्रियों को हैंडआउट आदि के वितरण के माध्यम से किया गया था।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भाविप्रा के कुल 372 अधिकारियों ने निगमित सतर्कता विभाग, भाविप्रा द्वारा आयोजित 04 वर्चुअल कार्यशालाओं और 02 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

जांच के लिए उठाए गए मामलों की स्थिति, विभागीय जांच, जिन मामलों में जुर्माना लगाया गया है, के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

1.जांच के लिए उठाये गए कुल मामले 25

2.अधिकारियों की कुल संख्या जिन पर दीर्घ शास्ति अधिरोपित की गई 7

3.ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या जिनके विरूद्ध लघुशासति लगाई गई है 34

3. उन अधिकारियों की कुल संख्या जिन पर लघु शास्ति अधिरोपित की गई |सतर्कता विभाग ने प्रणाली और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए निरीक्षण और तकनीकी निर्देश परिपत्र/ जारी करने सहित विभिन्न प्रचलित कदम उठाये ताकि चूओक की घटना को कम किया जा सके और संगठन को देश आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान के लिए अपने उदेश्य को प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

10.11 नागरिक चार्टर

1. 45 भाविप्रा हवाई अड्डों पर निशुल्क वाईफाई सेवा उपलब्ध है।
2. 49 भाविप्रा हवाई अड्डों पर चिकित्सा निरीक्षण इकाई स्थापित है और भाविप्रा के शेष प्रचालित हवाई अड्डों पर प्राथमिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध है।

10.12 वर्ष 2021 के दौरान की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों का सार इस प्रकार है:

मालदीव में हनीमाधू हवाई अड्डे का विकास:

अपने पड़ोस में विमानन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार के रणनीतिक महत्व को देखते हुए, भाविप्रा ने मालदीव में हनीमाधू हवाई अड्डे के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और ईपीसी निविदा के लिए पर्याप्त निविदा दस्तावेज तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं लेने हेतु सितंबर, 2020 में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना को सितंबर 2021 में भाविप्रा द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। उक्त परियोजना पर भारत की ऋण सीमा के माध्यम से विचार किया गया था।

मालदीव मेंगान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास:

अपने पड़ोस में विमानन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार के रणनीतिक महत्व को देखते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मालदीव में गान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुनर्विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और ईपीसी निविदा के लिए पर्याप्त निविदा दस्तावेज तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं लेने हेतु मार्च, 2021 में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उक्त परियोजना पर भारत की ऋण सीमा के माध्यम से विचार किया गया था ।

हवाई क्षेत्र का लचीला उपयोग

2013 में सचिवों की कैबिनेट समिति ने भारत में एयरस्पेस के लचीले उपयोग(एफयूए) की अवधारणा को अपनाया और एफयूए को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय उच्च स्तरीय हवाई क्षेत्र नीति निकाय (एनएचएलएपीबी) की स्थापना की। एनएचएलएपीबी के अध्यक्ष नागर विमानन सचिव हैं और इसमें एमओडी, आईएसआरओ और डीजीसीए के सदस्य हैं। 2014 में, एनएचएलएपीबी ने नागरिक और सैन्य द्वारा भारत में एफ़यूए के कार्यान्वयन का विवरण देते हुए हवाई क्षेत्र के लचीले उपयोग पर मैनुअल जारी किया।

एफ़यूए एक हवाई क्षेत्र प्रबंधन अवधारणा है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि हवाई क्षेत्र को विशुद्ध रूप से नागरिक या सैन्य के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे एक निरंतरता के रूप में होना चाहिए जिसमें सभी उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को अधिकतम संभव सीमा तक समायोजित किया जाता है।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, भारत सरकार ने महामारी केदौर से उबरने में सहायता करते हुए नागर विमानन को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया।

नागर विमानन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कम रूटिंग प्रदान करने के लिए कंडीशनल रूट्स (सीडीआर) स्थापित करने और सीडीआर उपलब्धता को प्रकाशित करने के लिए एयरस्पेस मैनेजमेंट सेल (एएमसी) स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। तदनुसार, 116 सीडीआर स्थापित किए गए और 4 सीडीआर प्रक्रिया में हैं। भाविप्रा और सेना (आईएएफ और नौसेना) के अधिकारियों के साथ दिल्ली और चेन्नई में स्थापित एएमसी, आगामी दिन के लिए सीडीआर की उपलब्धता को सूचित करते हुए 1500 आईएसटी पर दैनिक आधार पर एयरस्पेस यूज प्लान (एयूपी) प्रकाशित करते हैं।

साथ ही, भारतीय सेना की सहमति के आधार पर, 24 खतरे वाले क्षेत्रों को गैर-अधिसूचित कर दिया गया है और दो (सेना) खतरे वाले क्षेत्रों की ऊपरी सीमा को 37,000 फीट से घटाकर 10,000 फीट कर दिया गया है ताकि इस तरह जारी किये गये हवाई क्षेत्र का उपयोग नागरिक उड़ानों के लिए किया जा सके |

11. एअर इंडिया लिमिटेड

11.1 परिचय

नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 30 मार्च, 2007 को किया गया था। दिनांक 24 नवम्बर, 2010 से "नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड" का नाम बदलकर "एअर इंडिया लिमिटेड" कर दिया गया। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एवं निगमित कार्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी का निगमित संचालन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, सरकारी निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित होते हैं। कंपनी ने अपने प्रचालनों में जवाबदेही, पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता के उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं। कंपनी अपने ग्राहकों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एअर इंडिया अपनी सहायक कंपनियों - एलाइंस एयर एविएशन लि.(एएएएल) तथा एअर इंडिया एक्सप्रैस लि. (एआईएक्सएल) के साथ विभिन्न घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों पर प्रचालन करती है।

11.2 प्राधिकृत शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 35,000,00,00,000है, जो 10/-रुपए प्रति के 35,000,00,00,00इक्विटी शेयरों में विभाजित है। 01 दिसम्बर, 2021 को कंपनी की जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी 32,665,22,00,000/- रुपए है जो 10/-रुपए प्रति के 3266,52,20,000पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

11.3 विमानबेड़ा

एअर इंडिया	
विमान प्रकार	**संख्या**
ए 319	20

ए 320	36
ए 321	20*
एयरबस फैमिली	76
बी 777	16**
बी 747	04
बी 787-800	27
बोइंग फैमिली	47
कुल एअर इंडिया	**123**
एअर इंडिया एक्सप्रेस	
बी 737-800	24
कुल एअर इंडिया एक्सप्रेस	**24**
एलाइंस एअर	
एटीआर 72	18
एलाइंस एअर कुल	**18**
कुल विमान एआई ग्रुप	**165**

नोट: *321 विमान बेड़े के 20 विमानों में से एक विमान (वीटीपीपीए) डीआरडीओ को स्थानांतरित करने के लिए सेवा से हटा लिया गया है और इसका डीरजिस्ट्रेशन लंबित है।

नोट: **18 बी 777 विमान बेडें में से दो विमान (वीटी-एएलवी और वीटी-एएलडब्ल्यू) सेवा से हटा दिए गए है और इन्हें 28 मार्च, 2021 को भारतीय वायु सेना को हस्तांतरित करने के लिए डीरजिस्र्टड कर दिया गया है।

11.3.1 विमान बेड़े की उपयोगिता तथा प्रेषण विश्वसनीयता

दिसम्बर, 2021 में एअर इंडिया लि. के नैरो बॉडी विमान बेड़े की विमान बेड़ा क्षमता तथा तकनीकी प्रेषण विश्वसनीयता निम्नानुसार है:-

प्रकार	टीडीआर (%) (दिसम्बर 2021)	विमान बेड़ा क्षमता (दिसम्बर 2021)
ए319	99.67	20
ए320	99.42	36
ए321	98.39	20*(सक्रिय बेडा 19)
ए 320 विमान फैमिली	99.23	76(सक्रिय बेडा75)
बी747	अनुपलब्ध (शून्य उडानें)	04
बी777	93.83	16**
बी 787	97.42	27
बोइंग फैमिली	96.86	47

(*ए321 विमान बेड़े के 20 विमानों में से एक विमान (वीटीपीपीए) डीआरडीओ को स्थानांतरित करने के लिए सेवा से हटा लिया गया है और इसका डीरजिस्ट्रेशन लंबित है)।

(**18 बी 777 विमान बेडें में से दो विमान (वीटी-एएलवी और वीटी-एएलडब्ल्यू) सेवा से हटा दिए गए है और इन्हें 28 मार्च, 2021 को भारतीय वायु सेना को हस्तांतरित करने के लिए डीरजिस्र्टड कर दिया गया है)।

11.4 वित्तीय निष्पादन - एअर इंडिया लिमिटेड

(करोड़ रूपए में)

विवरण	अप्रैल से नवम्बर		2020-21 (वास्तविक)	2019-20 (वास्तविक)	2018-19 (वास्तविक)	2017-18 (वास्तविक)
	(2020-21)	(2019-20)				
यात्री राजस्व	6,277.83	3,886.05	7,372.13	22,619.70	*20,774*.16	17,744.09
प्रचालनात्मक राजस्व	8,336.70	5,243.59	10,343.30	22,710.61	25,508.82	23,00368
प्रचालनात्मक व्यय	12,791.11	9,458.70	15,246.96	32,370.92	30,194.06	24,661.77
प्रचालनात्मक लाभ/(हानि)	(4,454.41)	(4,215.11)	(4,903.66)	(4(660.31)	(4,685.24)	(1,65809)
कुल राजस्व (असाधारण तथा समग्र आय सहित)	8,670.25	5,328.54	12,037.56	28,307.35	26,349.02	23,777.68
कुल व्यय	15590.33	12232.73	19083.33	36290.18	34905.37	29125.86
निवल लाभ/हानि कर पश्चात्	(6920.08)	(6904.19)	(7083.91)	(7982.83)	(8556.35)	(5348.18)
ईबीआईटीडीए	(2,919.86)	2,829.16)	(1,305.74)	(2343.10)	2,066.34)	944.50

11.4.1 प्रचालनात्मक निष्पादन

विवरण	इकाई	अप्रैल से नवम्बर		2020-21 (वास्तविक)	2019-20 (वास्तविक)	2018-19 (वास्तविक)	2017-18 (वास्तविक)
		(2021-22)	(2020-21)				
एएस के एम(अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	21469	11755	23690	63186	62134	57722
आरपीकेएम (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	13852	7534	16207	50395	49063	45970
यात्री भार घटक	(%)	64.5	64.1	68.4	79.8	79.0	79.60
वहन किए गए यात्रियों की संख्या (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	6.32	2.52	6.2	22.1	21.8	20.7

11.4.2 वास्तविक/वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

(I) 2019-20 की तुलना में 2020-21

कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रचालनात्मक/वित्तीय पैरामीटर में सुधार दर्शाया है जो निम्नलिखित है :-

(क) वित्तीय फ्रंट में सुधार

- निवल हानिमें 898.91 करोड़ रुपए अर्थात् 11.3% की कमी आई है जो 2019-20 में 7,982.82 करोड़ रुपए की तुलना में 2020-21 में 7,083.91 करोड़ रुपए हो गई जिसके निम्नलिखित कारण थे:

- कोविड -19 महामारी के कारणएएएसकेएम प्रचालन में 62.5% की कमी आई है। तदनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में प्रचालन राजस्व 27,710.61 करोड़ से घटकर 10,343.30 करोड़ हो गया है जिसका मुख्य कारण यात्री राजस्व में 15,247.57 करोड़ रूपए की कमी होना है।

- इसी तरह, प्रचालनों में कमी के कारणप्रचालन लागत व्यय 32,370.92 करोड रूपए से घटकर *15*,246.96करोड रुपए हो गया है जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित है:
  - एटीएफ लागत में 6,863.40 करोड़ रुपए(73.0*%*) की कमी - जिसका कारण एएसकेएम में 62.5*%* तथा एटीएफ दरों में 41.97*%* की कटौती के कारण प्रचालनों में कमी थी।

  - विमान अनुरक्षण लागतों में 1778 करोड् रूपए की कमी हुई।
  - लैडिंग एवं पार्किंग प्रभार में 992 करोड रूपए की कमी आई।
  - यात्री सुविधा व्यय में 673 करोड रूपए की कमी आई।
  - आरक्षण प्रभार में 824 करोड रूपए की कमी आई।
  - बुकिंग एजेंसी कमिशन में 405 करोड रूपए की कमी आई।
  - हैंडलिंग प्रभार में 927 करोड रूपए की कमी आई।
  - मूल्यह्रास व्यय, ओबसोलेसेंस प्रभारों संदेहास्पद ऋणों के प्रावधानों में 298 करोड रूपए की बढोतरी हुई ।
  - वित्तीय वर्ष 2019-20 के रू. 75.66/यूएसडी की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के वर्ष के अंत में क्लोजिंग दर रू. 73.11/यूएसडी होने के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में समग्र विदेशी मुद्रा विनिमय में 4127 करोड रूपए की बढोतरी हुई।

(ख) प्रचालनात्मक फ्रंट में सुधार

- प्रदत्त क्षमता(एएसकेएम) 201*9*-20 में 63186.00 मिलियन से 62.5% घटकर वर्ष 2020-21 में 23690मिलियन हुआ।

- क्षमता का उपयोग(आरपीकेएम) 2019-20 में 50395.00 मिलियन से 67.8% घटकर वर्ष 2020-21 में 16207.00 मिलियन हुआ ।
- ले जाए गए यात्रियों की संख्या 2019-20 में 22.05 मिलियन थी जो 2020-21 में घटका 6.20 मिलियन हो गई अर्थात् 72% की कमी हुई ।

(II) 2021-22 (अप्रैल से नवम्बर, 2021)

अप्रैल से नवम्बर, 2020की तुलना में अप्रैल से नवम्बर, 2021की अवधि में कंपनी के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है:

- प्रचालनात्मक हानि अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 4,215.11 करोड़ रुपए के हानि की तुलना में इस अवधि के दौरान 4,454.41 करोड़ रुपए थी अर्थात 239.30 करोड़ रुपए (**5.6%)** की वृद्धि हुई।

- यात्री राजस्व अप्रैल से नवम्बर, 2020में 3,886.05 करोड़ रुपए की तुलना में अप्रैल से नवम्बर, 2021के दौरान 6,277.83 करोड़ रुपए था अर्थात् 2,391.78 करोड़ रुपए (61.6%) की वृद्धि हुई, यह वृद्धि मुख्य रूप से 82.6% एएसकेएम के परिचालन में वृद्धि परंतु आंशिक रूप से कम पैक्स उपज के कारण हुई ।

- अप्रैल से नवम्बर, 2020 में 2829.16 करोड रुपए के ईबीआईटीडीए की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2021के दौरान ईबीआईटीडीए 2919.86 करोड रुपए से ऋणात्मकथा।

- प्रचालनात्मक फ्रंट पर,एएसकेएम की क्षमता में 9714 मिलियन अर्थात् 82.6% (अप्रैल-नवंबर 2020 में 11,755 मिलियन से अप्रैल-नवंबर 2021 में 21,469 मिलियन) की वृद्धि की गई है।

- इसी प्रकार,आरपीकेएम के संदर्भ में क्षमता उपयोग भी 83.8% बढ गया अर्थात अप्रैल-नवंबर 2020 में 7,534 मिलियन से बढ़कर अप्रैल-नवंबर 2021 में 13,852 मिलियन हो गया है।

- यील्ड प्रति आरपीकेएम में 0.63 रुपए अर्थात् 12.1% की हानि हुई (अप्रैल से नवंबर, 2020में 5.16 से अप्रैल से नवम्बर, 2021 में 4.53 रुपए हो गया)।

- यात्री भार घटक अप्रैल से नवम्बर, 2020में 64.1% से बढकरअप्रैल-नवम्बर, 2021में 64.5% हो गया।

11.5 कोविड 19 महामारी के दौरान एअर इंडिया द्वारा उठाए गए कदम

11.5.1 वंदे भारत मिशन

कोविड - 19 के आरंभ होने के उपरांत, पूर्व की भांति, एअर इंडिया ने भारत को पुन: गौरवान्वित किया।

इवैक्यूएशन सागा को जारी रखते हुए, एअर इंडिया ने वंदे भारत मिशन और एयर बबल समझौते के तहत विभिन्न देशों/गंतव्यों के लिए उड़ानें प्रचालित कीं। विभिन्न उड़ानें उन गंतव्यों के लिए प्रचालित की गईं जहां पहले कभी किसी भारतीय वाहक ने प्रचालन नहीं किया। अब तक एअर इंडिया ने प्रचालनों के 15 चरण पूरे किए हैं और 16वां चरण चल रहा है। 17 जनवरी 2022 तक, एअर इंडिया ग्रुप ने कुल 49666 उड़ानें (इनबाउंड और आउटबाउंड) प्रचालित की हैं और कुल 6683671 यात्रियों (इनबाउंड और आउटबाउंड) को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया है।

11.5.2 एयर बबल व्यवस्थाएं

एयर ट्रांसपोर्ट बबल व्यवस्था दो देशों (द्विपक्षीय के स्थान पर) के बीच एक अस्थायी व्यवस्था है और इसका उद्देश्य जब कोविड -19 महामारी के परिणामस्वरूप भारत के लिए/से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें निलंबित हों गई हों तब वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से आरंभ करना है। ये प्रकृति में पारस्परिक हैं, जिसका अर्थ है कि दोनों देशों की एयरलाइनों को समान लाभ प्राप्त हैं। वर्तमान में, भारत ने 35 देशों अर्थात् अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतर, रूस, रवांडा, सऊदी अरब (01 जनवरी 2022 से प्रभावी), सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विटजरलैंड, तंजानिया, यूएई, यूके, यूक्रेन, यूएसए और उजबेकिस्तान के साथ एयर ट्रांस्पोर्ट बबल व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है।

इन एयर बबल व्यवस्थाओं के तहत, एअर इंडिया ग्रुप 20 देशों अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, केन्या, कुवैत, मालदीव, नेपाल, ओमान, कतर, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, यूके और यूएसए को/से प्रचालन कर रहा है। ।

11.5.3 कोविड-19 के दौरान कार्गो प्रचालन

कोविड - महामारी से उत्पन्न सभी चुनौतियों और उद्योग के अभी भी प्रभाव से उबरने के बावजूद, एअर इंडिया कार्गो में पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और कैलेंडर वर्ष 2021 में कुल मिलाकर लगभग 136800 टन कार्गो का परिवहन किया गया। इसमें से लगभग 59900 टन कार्गो का परिवहन एअर इंडिया के घरेलू नेटवर्क पर और लगभग 76900 टन का परिवहन इसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में अपलिफ्ट किया गया ।

अप्रैल 2021 के आसपास कोविड 19 की दूसरी लहर के भारत में गंभीर रूप से प्रभावित होने और संपूर्ण राष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा के साथ, एअर इंडिया एक बार फिर इस अवसर पर आगे आकर सियोल और रोम से भारत में जिओलाइट' तथा अन्य जीवन रक्षक चिकित्सा सामान के लगभग 295 टन के अति-संवेदनशील शिपमैंट में लाने के लिए मेसर्स डीआरडीओ के लिए 17 चार्टर प्रचालित किए।

इनके अलावा, भारत और हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, सियोल और ढाका जैसे कुछ प्रमुख शहरों के बीच लगभग 128 चार्टर प्रचालित किए गए - जिसमें लगभग 3150 टन कार्गो (जिसमें मुख्य रूप से कोविड से संबंधित चिकित्सा आपूर्ति शामिल है) को भारत में लाया गया।

इसके अलावा, कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान एअर इंडिया द्वारा प्रचालित वंदे भारत/एयर बबल व्यवस्था और घरेलू उड़ानों पर लगभग 1550 टन कोविड संबंधित राहत सामग्री (ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर/पीपीई किट्स/ दवाएं/टीके आदि) का परिवहन किया गया।

साथ ही, यात्रियों द्वारा कम यात्रा करने और अधिशेष क्षमता की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, कुछ उच्च मांग वाले सेक्टरों में 'केवल कार्गो' उड़ानें (फ्रेटर) आरंभ की गईं।

एआई ने लगातार फ्रेटर शेड्यूल बनाए रखा और इस वर्ष भारत-हांगकांग-भारत और भारत-सियोल-भारत के बीच लगभग 141 कार्गो उड़ानों का प्रचालन किया, जिससे इन मार्गों पर कुल लगभग 4400 टन कार्गो को अपलिफ्ट किया गया।

इन 'केवल कार्गो' उड़ानों पर क्षमता उपयोग/राजस्व उत्पादन को अधिकतम करने के लिए - यात्री केबिन में भी कार्गो ले जाने के लिए डीजीसीए से विशेष अनुमोदन लिया गया

और इसके लिए एसओपी को एआई नेटवर्क में सभी संबंधितों को प्रसारित किया गया है ताकि इन नव अवधारणा का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

फिर भी, दुनिया भर में हमारी सेल्स टीमों द्वारा बाजार में पेश किए जा रहे समग्र उत्पाद को बेहतर बनाने और वर्तमान कार्गो पैदावार में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए जबरदस्त गुंजाइश है।

11.6 विपणन/ग्राहक पहल:

11.6.1 स्टार एलाइंस

एअर इंडिया 11 जुलाई, 2014 को स्टार एलायंस की सदस्य बनी। 26 एलायन्स सदस्यों वाली स्टार एलायन्स 19,000 दैनिक प्रस्थान ऑफर करती है। 5000 विमानों का उनका संयुक्त विमान बेड़ा पूरे विश्व में 195 देशों में 1,300 गंतव्यों के लिए उड़ान भरता है और एअर इंडिया को विशाल ग्लोबल एयरलाइन एलायंस बनाता है। सभी ग्राहक जिन्होंने स्टार वाहकों द्वारा उड़ान भरने का विकल्प चुना है, वे यात्री सेवाओं में वृद्धि एवं सुखद यात्रा अनुभव सहित लाभों का आनंद लेते हैं, जिसमें निर्बाध स्थानांतरण एवं कोड शेयरिंग उड़ानों, स्टार एलाइंस नेटवर्क में समन्वित शेड्यूल से यात्रियों के प्रतीक्षा समय में कमी, यात्री स्टार एलायंस नेटवर्क के किसी भी सदस्य एयरलाइनों पर क्वालीफाइंग उड़ानें लेकर अधिक फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्ज अर्जित कर सकते हैं। किसी भी स्टार एलायंस सदस्य वाहक पर रिडेम्पशन सुविधा भी उपलब्ध है, स्टार एलायंस गोल्ड के सदस्यों को विश्व भर में 1000 से अधिक लाउंज की सुविधा उपलब्ध है, वे अधिक बैगेज छूट, चेक-इन में प्राथमिकता, प्रतीक्षा-सूची में प्राथमिकता तथा प्राथमिकता के आधार पर बोर्डिंग सुविधा पाने के पात्र हैं।

ब्रांड वेल्यू के अतिरिक्त, एलाइंस के वाहक सदस्यों को विभिन्न अन्य फीचर्स के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होते हैं। एअर इंडिया के स्टार एलायंस से जुड़ने से यात्री राजस्व/संख्या, फ्रिक्वेंट फ्लायर लाभों, कोड-शेयर व्यवस्थाओं के संदर्भ में एअर इंडिया के निष्पादन में वृद्धि हुई है और एअर इंडिया स्टार एलायंस राउंड द वर्ल्ड फेयर्स और कॉरपोरेट प्लस एग्रीमेंटस जैसे उन विभिन्न उत्पादों के लाभों का उपयोग कर रहे हैं जो स्टार एलायंस जैसे प्रतिष्ठित एलायंस का सदस्य होने के नाते ऑफर किए जा सकते हैं।

11.6.2 एअर इंडिया वेबसाइट/इंटरनेट बुकिंग इंजन(आईबीई)

एअर इंडिया वेबसाइट विश्वभर की 29 स्थानीय मुद्राओं में बुकिंग भुगतान स्वीकार करती है। एअर इंडिया वेबसाइट दिव्यांगजनों के प्रयोग के अनुकूल है। रीअल टाइम इंटीग्रेशन के माध्यम से स्टार एलाइंस की सदस्य एयरलाइनों पर एअर इंडिया की वेबसाइट के माध्यम से फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम के माइल्स के उपयोग की अनुमति है। एअर इंडिया की वेबसाइट अपने ग्राहकों को नवीनतम भुगतान की सुविधा जैसे भीम यूपीआई, पे टीएम, पेटीएम के डिजिटल वॉलेट, मोबीक्विक, पेज़ेप्प, फोनपे, ईजीक्लिक,जियोमनी इत्यादि के साथ भी जोड़ा गया है जो नेट बैंकिंग के भुगतान विकल्पों के साथ क्रेडिट/डेबिट कार्डों, चयनित क्रेडिट कार्डो पर ईएमआई विकल्प अन्य नियमित भुगतान के गेटवे के साथ एकीकृत हैं।

एअर इंडिया ने वेबसाइट को प्रतिस्पर्धी विक्रय चैनल बनाने के लिए नवीकृत किया है।

- नेटवर्क राजस्व मे वेब राजस्व का योगदान चालू वित्त वर्ष के दिसम्बर 2021 तक 22% है अप्रैल-दिसम्बर,2021 की अवधि के लिए वेब के माध्यम से राजस्व 1593.13 करोड़ रूपए था ।
- एअर इंडिया ने वेब चैक-इन तथा मोबाइल चैक-इन प्रक्रिया प्रवाह को भारत सरकार द्वारा स्थापित कोविड मानदंडों के अनुसार अपग्रेड किया है तथा संपर्क रहित चैक-इन 85% हो गए।
- एअर इंडिया में सीट चयन, अतिरिक्त सामान और अपग्रेड जैसे सहायक राजस्व विकल्प पहले से ही उपलब्ध हैं।
- एअर इंडिया बुकिंग इंजन के निर्बाध उपयोग के लिए एअर इंडिया ने हाल में निम्नलिखित संवर्धन को सक्षम करने की प्रक्रिया में है-
    - i यातायात बीमा
    - ii एआरआर (ऑटोमेटेड रिफंड तथा रि-इशु)

11.6.3 एअर इंडिया मोबाइल ऐप

एअर इंडिया ने 24 अक्तूबर, 2016 को अपने नए और बेहतर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जो कि एंड्रॉइड और आई ओ एस प्लेटफॉर्म दोनो पर विश्व भर में कही भी एअर इंडिया की उड़ानों में शीघ्र, आसान और सुविधाजनक बुकिंग के लिए है। यात्री एअर

इंडिया द्वारा प्रचालित सभी उड़ानों के लिए चैक-इन कर सकते हैं। नए मोबाइल ऐप का कुल डाउन लोड 3.89 मिलियन प्लस है।

- वित्त वर्ष 2021-22 में एअर इंडिया मोबाइल ऐप द्वारा राजस्व 179.50 करोड़ भारतीय रुपए था (31 दिसम्बर 2021 तक)।
- यात्री एअर इंडिया द्वारा प्रचालित सभी उड़ानों के लिए चैक-इन कर सकते हैं।
- एअर इंडिया मोबाइल ऐप पर आप एफ एफ पी माइल्स रिडीम कर सकते हैं।
- मोबाइल एप में ऑटोमेटेड री-इश्यू तथा रिफंड (ए आर आर) मॉड्यूल एक बार शेड्यूल उड़ान प्रचालन शुरू होते ही लाइव होने के लिए तैयार है ।

11.6.4 डिजिटलाइजेशन

कोविड - 19 के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एअर इंडिया ने अपने एयरपोर्ट के एसओपी में संशोधन किया ताकि जहां भी संभव हो, यात्री के साथ संपर्क रहित बातचीत सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य के लिए डिजिटलाइजेशन पर अधिक जोर दिया गया और यात्रियों को ऑनलाइन बुक करने, रद्द करने और धनवापसी करने और चेक इन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

11 6.5. यात्री सुविधा

- यात्रियों की सुविधा के लिए यह सुनिश्चित किया गया कि हेल्पडेस्क नंबर पूरे लॉकडाउन अवधि के दौरान चालू रहे और कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गईं। कोविड की अवधि के दौरान प्रतिदिन औसतन 14725कॉल्स का उत्तर दिया गया, जबकि कोविड के बाद प्रति दिन 11100कॉल्स का उत्तर दिया गया है।
- यात्रियों के लिए अपने प्रश्नों और शिकायतों को दर्ज करने के लिए वेबसाइट पर सुविधा प्रदान की गई।
- बेहतर ग्राहक सेवा और वॉयस कॉल निर्भरता को कम करने के लिए चैट और चैट बॉट को तैनात किया गया।

11.6.6 लोक शिकायत मामलों का निवारण :

चालू कलैण्डर वर्ष (01.01.21 से 31.12.2021 में प्राप्त जन शिकायतों की कुल संख्या **7469** है और कुल लोक शिकायतों का निपटारा **7599** है।

11.7 एअर इंडिया का उत्तर-पूर्व के लिए मौजूदा प्रचालन

मार्ग	फ्रीक्वेंसी/सप्ताह	विमान
कोलकाता-डिब्रूगढ-कोलकाता	5 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319
कोलकाता-दीमापुर-कोलकाता	6 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319
कोलकाता-इम्फाल-आइजल एवं वापसी	2 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319
कोलकाता-आइजल-कोलकाता	2 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319
कोलकाता-इम्फाल-कोलकाता	4 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319
दिल्ली-गुवाहाटी-इम्फाल एवं वापसी	7 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 321
दिल्ली-गुवाहाटी-दिल्ली	4 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 320
कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता	7 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319
कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता	2 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 321
कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता	3 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 320
कोलकाता-सिल्चर-कोलकाता	7 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319
कोलकाता-अगरतला-कोलकाता	14 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 319
दिल्ली-अगरतला-दिल्ली	4 उड़ानें प्रति सप्ताह	ए 320

11.7.1वर्ष 2021-22 के दौरान आरंभ की गई नई उड़ानें/गंतव्य घरेलू

क्रम सं.	सेक्टर	प्रभावी तिथि
1.	मुंबई- नांदेड़	27नवंबर, 2021
2.	नांदेड़-मुंबई	24 नवंबर, 2021

11.8 01.12.2021 को एअर इंडिया में प्रत्येक ग्रुप में अनु.जाति/अनु.ज.जाति/ओबीसी का प्रतिनिधित्व- नियमित कर्मचारी-01.12.2021 को एअर इंडिया में नियमित अनु.जाति/अनु.ज.जाति/ओबीसी तथा महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व - नियमित कर्मचारी का विवरण निम्नानुसार है :

ग्रुप		कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु.जाति का कुल प्रतिनिधित्व	प्रतिशत (%)	अनु.ज.जाति का कुल प्रतिनिधित्व	प्रतिशत (%)	ओबीसी का कुल प्रतिनिधित्व	प्रतिशत (%)
ए	सबसे निचले स्तर के अलावा	2613	458	17.52	171	6.54	210	8.03
ए 1	सबसे निचला स्तर	1297	214	16.49	113	8.71	36	2.77
बी		2049	336	16.39	157	7.66	311	15.17
सी		64	07	10.93	08	12.50	07	10.93
डी	सफाई कर्मचारियों को छोड़कर	999	310	31.03	85	8.50	77	7.70
डी 1	सफाई कर्मचारी	332	195	58.70	14	4.21	13	3.91
	कुल :	**7354**	**1520**	**20.66**	**548**	**7.45**	**654**	**8.89**

11.9 महिला कल्याण

एअर इंडिया विश्व के उन कुछ संगठनों में से है जो उच्च कौशल वाले व्यवसाय जैसे फ्लाइंग या विमान की मेंन्टेनेंस के लिए महिला कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। वर्तमान में कुल 04 कार्यकारी निदेशकों में से 02 महिला कार्यकारी निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त कुल 10 कार्यपालक निदेशकों में से 05 महिला कार्यपालक निदेशक हैं। इसके अलावा एअर इंडिया में कुल *30* महाप्रबंधकों में से *07* महिला महाप्रबंधक हैं। 01.12.2021 के अनुसार सहायक कंपनियों को छोड़कर एअर इंडिया की कार्मिक शक्ति में *7354* स्थायी कर्मचारी हैं जिनमें से 2239 महिला कर्मचारी हैं जो कुल कार्मिक शक्ति का *30.44%* है। इनमें से 121 महिला कार्यपालक तथा *130* महिला पायलट (15 कार्यपालक पायलटों सहित) हैं।

कंपनी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखती है जिसमें सुरक्षित कार्य वातावरण, विश्राम कक्ष, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तथा छुट्टियां और अन्य लाभ सम्मिलित हैं। एयरपोर्टों और प्रचालनात्मक क्षेत्रों में रात्रि शिफ्टों में कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को निवास स्थान से कार्यस्थल तक पिक-अप एंड ड्रॉप सुविधा प्रदान की जाती है।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध तथा निवारण) अधिनियम, *2013* के अनुपालन में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक मकेनिज़्म है, जिसे एअर इंडिया में लागू किया गया है। एअर इंडिया लिमिटेड की महिला कर्मचारियों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा शिकायतों की जांच के लिए शिकायत समिति का गठन कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में निगमित मुख्यालय स्तर पर तथा सभी क्षेत्रों में किया गया है।

एअर इंडिया महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सकारात्मक और स्वस्थ जीवन के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करती है जोकि संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ/डॉक्टरों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। चिकित्सा सेवा विभाग भी महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न स्पेशल हैल्थ चैक्स तथा स्वास्थ्य मामलों से संबंधित लैक्चरों का आयोजन कराता है। जेंडर सेंसिटाइजेशन तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध तथा निवारण) अधिनियम, *2013* पर कार्यक्रम का भी आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर किया जा रहा है।

एअर इंडिया प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों के साथ-साथ नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में महिला विकास का समर्थन करती है। विशेषीकृत तकनीकी क्षेत्रों की हैंडलिंग महिलाओं द्वारा कराए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए एअर इंडिया पहली

एयरलाइन रही है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस का आयोजन किया जाता है तथा बहुत सारे इंटरएक्टिव कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो ज्ञान में वृद्धि करते हैं तथा एयरलाइन्स में महिलाओं की उपलब्धियों के गौरव को भी प्रकट करते हैं। वार्षिक आधार पर, महिला पायलटों, महिला केबिन क्रू, गुणवत्ता एवं सुरक्षा ऑडिटर्स, महिला सिम्युलेटर इंजीनियरों, विमान को प्रमाणित करने वाली इंजीनियरों तथा उड़ानों को रिलीज करने वाली महिला फ्लाइट डिस्पैचर्स सहित सभी महिला क्रू उड़ानों (ऑल वूमेन क्रू फ्लाइट) के साथ महिला दिवस मनाया जाता है।

11.10 प्रदूषण नियंत्रण

एअर इंडिया में निगमित पर्यावरणीय कक्ष स्थापित है। इस पर्यावरणीय कक्ष में क्वालीफाइड और प्रोफेशनल एक्सपरटाइज़ वाली टीम मौजूद है। यह टीम विशेष रूप से पर्यावरण के संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों को देखती है। एअर इंडिया अपने 'पर्यावरणीय कक्ष' के माध्यम से सभी लागू नियमों और विनियमों का पालन करती है और अपने पर्यावरण संबंधी निष्पादन में सुधार के लिए आवधिक रूप से अपनी पॉलिसी की समीक्षा द्वारा आवश्यकताओं से अधिक अनुपालन करने का प्रयास करती है। एअर इंडिया ने प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं जिनमें फ्यूल एफिशिएंसी गैप एनालिसिस प्रोग्राम (एफईजीए), शोर को कम करने संबंधी प्रक्रियाएं, वेस्ट प्रबंधन, पर्यावरण जागरूकता, फ्लाइट प्लानिंग सिस्टम, इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), नई तकनीक के विमान बेड़े का आगमन तथा तकनीक में निवेश इत्यादि सम्मिलित है।

11.11 पुरस्कार और उपलब्धियां

- भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत से ही एअर इंडिया पूरे भारत में और कुछ विदेशी देशों में टीके और संबंधित उपकरण ले जाकर सरकार के टीकाकरण मिशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- एअर इंडिया ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण जैसे ऑक्सीजन कंसंटेटर, बीआईपीएपी मशीन, वेंटिलेटर, दवाएं आदि ले जाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधन जुटाए थे। एअर इंडिया ने ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से डीआरडीओ के लिए जिओलाइट भी पहुँचाए।

- एअर इंडिया द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित विभिन्न गतिविधियां, जिसमें एयरलाइन की प्रतिष्ठित कला को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी शामिल थी, आयोजित की गई ।
- धरोहर-ए वॉयेज थ्रू 75 इयर्स शीर्षक वाली एक कला प्रदर्शनी-, दिनांक, 27 और 28 नवंबर, 2021 को एअर इंडिया बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई में में आयोजित की गई जिसमें एअर इंडिया की शास्त्रीय और समकालीन कला और मूर्तिकला की रेंज पर प्रकाश डालते हुए- हमारे देश की महान कलाकारों और मूर्तिकारों द्वारा दृश्य कला की समृद्ध परंपरा की एक झलक प्रस्तुत की गई ।
- इस अवसर पर माननीय नागर विमानन मंत्री द्वारा एक स्मारक ब्रोशर और एक कैलेंडर लॉन्च किया गया।
- माननीय नागर विमानन मंत्री द्वारा पत्नी के साथ एअर इंडिया भवन के अग्रभाग पर कला प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एअर इंडिया पर एक प्रसिद्ध विंटेज फिल्म भी दिखाई गई। उद्योग जगत के प्रमुख, कला और संस्कृति बिरादरी, शोबिज, कला से जुड़े शाही वंश सहित विशिष्ट अतिथियों ने इस अवसर पर शिरकत की। इस आयोजन की प्रत्येक स्तर पर सराहना की गई और मीडिया द्वारा इसे कवर भी किया गया।
- एअर इंडिया को दिसंबर, 2021 में वार्षिक विश्व यात्रा पुरस्कारों में एशिया की अग्रणी एयरलाइन - प्रथम श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वैश्विक यात्रा और पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को स्वीकार करने, पुरस्कृत करने और जश्न मनाने का कार्य करता है।

11.12 दिव्यांगजन तथा कम मोबिलिटी वाले व्यक्तियों को सुविधाएं

एअर इंडिया आई सी ए ओ तथा आई ए टी ए के अंतर्गत वर्णित अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार हवाई यात्रा करने वाले दिव्यांग यात्रियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। डीजीसीए द्वारा "कैरिज बाय एयर-पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड/ऑर पर्सन्स विद रेड्यूज़्ड मोबिलिटी" पर नोटिफाइड सी ए आर, सेक्शन 3 सीरिज़ एम पार्ट-I,इश्यू III,आर ई वी 4 दिनांक 12 जुलाई, 2016 का अनुपालन करती है।
एअर इंडिया 26 सदस्य एयरलाइनों के संगठन स्टार एलायंस की भी सदस्य है। इन सुविधाओं में रैम्प एक्सेस तथा बुकिंग कार्यालयों में व्हीलचेयर समर्थित एक्सेस तथा यात्रियों की हैंडलिंग में प्राथमिकता सम्मिलित है। एअर इंडिया ऐसे एयरपोर्टों पर परिचालन करती है जो दिव्यांग जनों के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों वाली

सुविधाओं का अनुपालन करते हैं। एअर इंडिया उड़ानों की बुकिंग के समय व्हीलचेयर की मांग को अग्रिम सूचना के आधार पर प्रदान करती है। एअर इंडिया के स्टेशनों पर प्रस्थान,आगमन और ट्रांजिट पर आवश्यकता होने पर एस्कॉर्ट बोर्डिंग प्रदान की जाती है। एअर इंडिया राष्ट्रीय निर्देशों एवं दिशा निर्देशों के अनुपालन में अपने विभिन्न कार्यालयों में दिव्यांगजनों को रोज़गार भी प्रदान करती है। एअर इंडिया तथा इसके ग्राउंड हैंडलर्स एयरपोर्टों पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के आधार पर सी ए आर में निर्दिष्टानुसार दिव्यांगजनों तथा कम मोबिलिटी वाले यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए तय दिशा-निर्देशों को पूरा के लिए एअर इंडिया की वेबसाईट www.airindia.in XHTML 1.0 ट्राजिशनल का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है तथा यह वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C द्वारा निर्धारित वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस (डब्ल्यू सी ए जी) 2.0 के एए स्तर का पालन भी करती है। अनुपालन स्टेटमैंट एअर इंडिया की वेबसाइट के होम पृष्ठ "एक्सेसिबिलिटी स्टेटमैंट" लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है। दिव्यांगजनों तथा कम मोबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी को एअर इंडिया की वेबसाइट में "यात्रा संबंधी जानाकारी उड़ान भरने से पूर्व-दिव्यांगजनों को सहायता के अंतर्गत देखा जा सकता है।

11.13 सहायक कंपनियां

एअर इंडिया लिमिटेडकी निम्नलिखित पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियांहैं, और 31 मार्च, 2021 को इन सहायक कंपनियों में कंपनी का निवेश निम्नानुसार है :-

- ए आई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड 138.42 करोड़ रुपए
- एअर इंडिया एक्सप्रैस लिमिटेड 780.00 करोड़ रुपए
- एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड 166.67 करोड़ रुपए
- एलाइंस एयर एविएशन लिमिटेड 402.25 करोड़ रुपए
- होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 110.60 करोड़ रुपये (भारत सरकार 27.00 करोड़ रुपये)*

- एआईएसएटीएस (ग्राउंड हैंडलिंग पर एयर इंडिया लिमिटेड और सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज (एसएटीएस) के बीच संयुक्त उद्यम समझौता):

एआईएसएटीएस एयर इंडिया लिमिटेड (एआई) और एसएटीएस लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है जहां दोनों संयुक्त उद्यम भागीदारों प्रत्येक संयुक्त उद्यम के गठन के समय 33.33 करोड़ने समान रूप से रुपये का निवेश किया है।

11.13.1 एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईएएसएल) (पूर्व में एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि. (एआईएटीएसएल):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2020-21	2019-20 (पुन: प्रस्तुत)
कुल आय	334.12	696.16
कर पूर्व लाभ/(हानि)	-223.09	118.13

एअर इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लि. ने 1 फरवरी, 2013 से कार्य आरंभ किया तथा अप्रैल 2014 से स्वतंत्र रूप से अपने प्रचालन आरंभ किए। वर्तमान में, कंपनी भारत में 105 एयरपोर्टों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है (79 ऑनलाइन स्टेशनों में जीएच सेट-अप और 26 ऑफलाइन स्टेशन हैं, जीएच सेट-अप विकसित करना और आवश्यकता पड़ने पर हैंडलिंग प्रदान करना)। एअर इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों जैसे एअर इंडिया एक्सप्रैस तथा एलाइंस एयर की उड़ानों को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, यह 56 विदेशी शेड्यूल्ड एयरलाइनों, 3 घरेलू शेड्यूल्ड एयरलाइनों,01 घरेलू शेड्यूल्ड कार्गो एयरलाइन,4 क्षेत्रीय एयरलाइनों,08 सीज़नल चार्टर एयरलाइनों, नाशवान कार्गो हैंडलिंग सेवाएं लेने वाली 22 विदेशी एयरलाइनों को भी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है। कोविड -19 महामारी तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हो जाने के कारण शेड्यूल एयरलाइन प्रचालन अभी भी रूका हुआ है तथा डीजीसीए के पूर्व अनुमोदन से केवल यात्रियों को स्वदेश वापस लाने वाली उड़ानों, एयर बबल फ्लाइट्स का ही प्रचालन किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड द्वारा एअर इंडिया, एलाइंस एयर, एअर इंडिया एक्सप्रैस की लगभग 76,600 उड़ानों तथा कस्टमर एयरलाइनों की लगभग 56470 उड़ानों की हैंडलिंग किए जाने की संभावना है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लि. पर कोई ऋण नहीं है तथा स्वायत्त संचालन के बाद से

2019-20 तक लगातार 6 वें वर्षों के लिए मुनाफा कमाने के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2020-2021 में नुकसान के साथ समाप्त हुआ है।

11.13.2 एअर इंडिया एक्सप्रैस लिमिटेड (एआईएक्सएल):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2020-21	2019-20 (पुन: प्रस्तुत)
कुल आय	2,039.42	5,264.64
कर पूर्व लाभ/(हानि)*	100.10	503.95
कर पश्चात लाभ (हानि)	100.10	499.93
कुल आय	99.63	498.53

*असाधारण मदों सहित

एअर इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एआईएक्सएल ने 'एअर इंडिया एक्सप्रैस' के ब्राण्ड नाम से 29 अप्रैल, 2005 से लीज़ पर लिए गए 3 बी737-800 विमानों के साथ प्रति सप्ताह 26 उड़ानों का प्रचालन आरंभ किया। आरंभ में, एआईएक्सएल ने केरल के 3 शहरों से खाड़ी में 6 स्थानों के लिए उड़ानों का प्रचालन किया। एअर इंडिया एक्सप्रैस ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 99.63 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एआईएक्सएल ने प्रति विमान 5.6 घंटे प्रतिदिन के औसत से विमान का प्रचालन किया। एआईएक्सएल द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में 4.84 मिलियन यात्रियों की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में 1.47 मिलियन यात्री ले जाए गए। एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 31 दिसंबर 2021 के अनुसार 20 भारतीय स्टेशनों तथा मध्य पूर्व व दक्षिण पूर्व एशिया में 14 अंतरराष्ट्रीय स्टेशनों के नेटवर्क के साथ 539 साप्ताहिक प्रस्थान प्रचालित किए।

एअर इंडिया एक्सप्रेस को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा इसके समग्र प्रदर्शन और व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के प्रयासों की मान्यता के रूप में भारत का आइकॉनिक ब्रांड 2021 का नाम दिया गया है। एअर इंडिया एक्सप्रेस को इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा वर्ष 2021 के लिए 'महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल' के रूप में भी उद्धृत किया गया है। यह एक प्रतिष्ठित मान्यता है और संगठन में महिला सहयोगियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत का प्रतिफल है।

11.13.3 एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2020-21	2019-20
कुल आय	1185.54	1427.59
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(9.58)	55.58

वित्त वर्ष 2020-21 में एआईईएसएल ने औसत आधार पर एअर इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों अर्थात एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और एलायंस एविएशन लिमिटेड के लगभग 60 विमानों की हैंडलिगं की। एआईईएसएल ने रक्षा के साथ-साथ तीसरे पार्टी के निजी एयरलाइन ऑपरेटरों को एमआरओ सेवाएं भी प्रदान कीं, जहां एआईईएसएल की क्षमता है।

एआईईएसएल ने 2020-21 में घरेलू ऑपरेटरों अर्थात - एयर एशिया इंडिया, टाटा एसआईए एयरलाइंस, स्पाइसजेट, गोएयर और इंडिगो एयरलाइंस के लिए बेस मेंटनैंस कार्य किया । इसके अलावा, एआईईएसएल ने विमानन अनुसंधान केंद्र, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, एचएएल और डीआरडीओ के लिए मेजर मेंटेनेंस कार्य भी किया है। 2020-21 में, एआईईएसएलने रिलायंस आरसीडीएल, जिंदल स्टील (जेएसडब्ल्यू), क्लब वन एयर चार्टर्स और ब्लूडार्ट एविएशन एयरक्राफ्ट जैसे निजी पार्टियों के विमानों की मेंटेनेंस की। इसके अलावा, एआईईएसएल ने लाइन मेंटनैंस कार्य के लिए 27 इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ तकनीकी प्रबंधन समझौता किया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, एआईईएसएलने नई इंटरनेशनल एयरलाइंस अर्थात - बैम्बू एयरवेज, पीस एयर, एससीएटीएयरलाइंस, ड्रू जेट, एयर एशिया बरहाद उनके लाइन मेंटनैंस के लिए के साथ एसजीएचए (स्टैंडर्ड ग्राउंड हैंडलिंग एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए ।

2020-21 में कोविड वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान, एआईईएसएल ने एयर बबल समझौते के तहत देश वापसी की उड़ानों, कार्गो राहत, चार्टर्स उड़ानों और एनएसओ उड़ानों को ट्रांजिट और तकनीकी हैंडलिंग सहायता प्रदान की है।

वैश्विकमहामारी के दौरान एआईईएसएल एमटीओ त्रिवेंद्रम ने बी 737 जीएएनएफएएम को प्रशिक्षण प्रदान किया है, नेपाल की हिमालय एयरलाइंस को प्रशिक्षण दिया है और जिसे क्लाइंट ने सराहा है। एआईईएसएल ने सीएआर-147 (बेसिक) के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 36 संस्थानों के साथ समझौता किया है, लेकिन एआईईएसएल ने कोविड चरण 1 और कोविड चरण 2 के दौरान समय-समय पर संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार

के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और विनियमन के कारण निर्धारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संघर्ष किया। .

वर्तमान में, एआईईएसएल के पास कतर, कुवैत, जीसीएए (यूएई), सीएए सिंगापुर, सीएए श्रीलंका, सीएए नेपाल, सीएए थाईलैंड, सीएए ओमान, सीएए मलेशिया और सीएएबी, बांग्लादेश जैसे 10 विदेशी सीएए अनुमोदन हैं। एआईईएसएल ने तीसरे पार्टी एयरलाइनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी बी737 बेस मेंटनैंस सुविधा को दिल्ली बेस तक बढ़ा दिया है।

एआईईएसएल ने मैसर्स स्पाइसजेट बी737 फ्लीट के लिए 10 हैवी मेंटनैंस किया है। एमआरओ नागपुर में जेट इंजन शॉप ने जेनएक्स और जीई90 टेस्ट सेल की स्थापना की है और क्यूआरटी का प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे लगभग 3 मिलियन अमरीकी डालर या 20 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर की बचत हुई है।

एआईईएसएल ने हैंगर और मेंटनैंस सहायता प्रदान करने के लिए ज़ूम एयर के साथ समझौता ज्ञापन किया था और एआईईएसएल ने बिना किसीपर्याप्त खर्च के 1.2 करोड़ रुपये अर्जित किए।

एआईईएसएल ने नेपाल में काठमांडू, श्रीलंका में कोलंबो और अबू धाबी आदि में एक एमआरओ इकाई खोलने की योजना बनाई है। जहां उसे पर्याप्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। एआईईएसएल ने दुबई में एआई के बी787 विमानों की उड़ान हैंडलिंग की भी योजना बनाई है और शारजाह और दुबई में तीसरे पार्टी के वीटी पंजीकृत विमान के लिए अनुमोदन के लिए आवेदन भी किया है।

2021-22 के लिए एआईईएसएल की भविष्य की योजना

- **ए 320 प्रकार के विमानों के लैंडिंग गियर परियोजना-** चरण II की शुरूआत हो गई है और उपकरण और सुविधा अपग्रेडेशन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- **डीआरडीओएयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एईडबल्यू &सीएस) प्रोजेक्ट** - एआईईएसएलडीआरडीओको 7 ए 320 विमानों का फेसिलिटेटिगं (निरीक्षण और हस्तांतरण प्रक्रिया) कर रहा है, जिसमें से 1 (एक) विमान पहले ही
  स्थानांतरित कर दिया गया है और एआईईएसएल ने उसके लिए मेंटनैंस समझौता किया है। अन्य 6 (छह) विमानों की स्थानांतरण प्रक्रिया वर्ष 2022 के अंत तक

पूरी होने की उम्मीद है।स्थानांतरण के बाद पूरा रखरखाव (अनुसूची जांच सहित) एआईईएसएल द्वारा किया जाएगा।

एआईईएसएल ने (एसईएसएफ) विमान के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए भारतीय वायु सेना के साथ समझौता ज्ञापन किया है। एआईईएसएल 2 बी777-ईआर विमानों को पूर्ण रखरखाव सहायता प्रदान करेगा जो वीवीआईपी की सेवाओं के लिए तैयार किए गए हैं। अनुरक्षण सहायता के साथ, एआईईएसएल इन विमानों को घटक और खरीद सहायता भी प्रदान करेगाा एआईईएसएल, नागपुर और तिरूवनन्तपुरम सुविधाओं में बोइंग ए/सी की क्षमता और सुविधा थी। प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के साथ और मांग को पूरा करने के लिए, इन सुविधाओं को ए 320 विमान बेड़े के आधार के लिए भी विकसित किया जा रहा एआईईएसएल के पास नागर विमानन महानिदेशालय, एफएए (संघीय उड़ान प्रशासन), ईएएसए (यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी), सीएएएस (सिंगापुर का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण), आईएसओ - 9001:2000, आईओएसए (आईएटीए ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट) से अनुमोदन प्राप्त है। इसकी विभिन्न शॉप्स और सुविधाओं के लिए एआईईएसएल ने कुवैत, कतर, जीएसीए-यूएई, सीएएएस-सिंगापुर, सीएएएसएल-श्रीलंका, सीएएएन-नेपाल और सीएएटी-थाईलैंड जैसे विभिन्न विदेशी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों से भी अनुमोदन प्राप्त किया।

11.13.4 एलाइंस एअर एविएशन लि0 (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लि0 के नाम से जानी जाती थी) (एएएल)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
कुल आय	459.23	1181.15
लाभ/(हानि) कर पश्चात	(359.93)	(201.00)

एलाइंस एअर एविएशन लि0 (एएएल) एअर इंडिया लि0 की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एलाइंस एअर ब्रांड नाम के तहत संचालित होती है, ने 15 अप्रैल, 1996 से प्रचालन शुरू किया। एलाइंस एअर एविएशन लि0 (जिसे पहले एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लि0 के नाम से जाना जाता था) में से एक है। देश में अग्रणी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय एयरलाइंस एअर इंडिया के नेटवर्क के साथ पूर्ण तालमेल के साथ भारत में टियर II और टियर III शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करती है।

कंपनी के पास 18 एटीआर 72-600 विमानों का बेडा है। मौजूदा बेड़े को 47 स्टेशनों के नेटवर्क पर प्रतिदिन लगभग 64 उड़ानें संचालित करने के लिए तैनात किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में नागर विमानन मंत्रालय की सलाह के अनुसार कोविड-19 महामारी और उसके बाद के संचालन में कमी के कारण उड़ानों और स्टेशनों में कमी आई थी। एक बार स्थिति में सुधार होने के बाद आने वाले वर्षों में बेड़े और उसके नेटवर्क को और बढ़ाने की योजना है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)

सरकार द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) उड़े देश का आम नागरिक'' (उड़ान) की शुरूआत के साथ, एलाइंस एअर के लिए अनारक्षित और सेवा में नहीं एयरपोर्टों के लिए कई नए मार्ग खुल गए हैं। 27 अप्रैल, 2017 से प्रभावी एलाइंस एअर उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन थी। इस योजना के तहत शिमला/दिल्ली सेक्टर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

अब तक एलाइंस एअर ने आरसीएस उड़ान 4.1 राउंड में इसे दिए गए 117 मार्गों में से 79 मार्गों को शुरू किया है। शेष मार्गों पर उड़ानें शुरू करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, बशर्ते कि एटीआर 72 प्रकार के विमानों के लिए एयरपोर्टों को चालू किया जा रहा हो।

11.13.5 होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 (एचसीआई)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**2020-21**	**2019-20**
कुल आय	24.96	67.62
लाभ/(हानि) कर पूर्व	96.62	(65.55)

एचसीआई की चार यूनिट्स हैं। सेंटॉर होटल, दिल्ली शेफेयर, दिल्ली, शेफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई और सेंटॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर। यह आईजीआई एयरपोर्ट पर टी-3 लाउंज और नरीमन प्वाइंट, मुंबई और जीएसडी, नई दिल्ली में एअर इंडिया के कर्मचारियों के लिए कैंटीन भी संचालित करता है।

11.13.6 ग्राउंड हैंडलिंग पर एअर इंडिया लि0 और सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसिज़ (एसएटीएस) के बीच संयुक्त उद्यम समझौता

एअर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसिज प्रा0 लि0 (एआईएसएटीएस), एअर इंडिया लि0 (एआई) और सैट्स लि0 का एक संयुक्त उद्यम है जहां दोनों संयुक्त उद्यम भागीदारों ने समान रूप से प्रत्येक संयुक्त उद्यम के गठन के समय 33.33 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 31 मार्च, 2020 तक एआईएसएटीएस को जारी भुगतान शेयर पूंजी 80,84,99,500 रुपए (प्रत्येक 10/- रुपए के 8,08,49,950 इक्विटी शेयर में विभाजित) एआई के निवेश का 50% हिस्सा 40,42,49,750/-रुपए (40424975 निवेश शेयर @ 10/- रुपए प्रत्येक) 31 मार्च, 2021 को शेयरधारकों की निवल संपत्ति 463 करोड़ रुपए है।

एअर इंडिया द्वारा निवेश की गई राशि 11 वर्षों में 40.42 करोड़ रुपए से 231 करोड़ रुपए बढ़ गई है (463 करोड़ रुपए का आधा)। उपरोक्त के अतिरिक्त, एआईएसएटीएस ने वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में 15 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2015-16 में 7.5 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 में 5 प्रतिशततथा वित्त वर्ष 2018-19 में 3 प्रतिशत का लाभांश भी घोषित किया है। एअर इंडिया को इस संयुक्त उद्यम से अब तक कुल लाभांश 26.45 करोड़ रुपए मिला है।

संयुक्त उद्यम वर्तमान में एक वर्ष में एक लाख से अधिक उड़ानों का प्रचालन कर रहा है, जिसमें बेंगलूरू, हैदराबाद, दिल्ली, मंगलरू और तिरूवंनन्तपुरम में एअर इंडिया और इसकी समूह कंपनियां शामिल हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एआईएसएटीएस का राजस्व और कर पश्चात हानि क्रमश: 408 करोड़ रुपए और 29 करोड़ रुपए तथा संपत्ति, उपकरण में निवेश का लिखित मूल्य 31 मार्च, 2021 में 185 करोड़ रुपए था।

11.14 सिटीजन चार्टर

एअर इंडिया की सिटीजन चार्टर www.airindia.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

11.15 एअर इंडिया में विनिवेश

एअर इंडिया प्रतिवर्ष लगातार घाटे में चल रही है और एक अवधि में भारी नुकसान हुआ है। नीति आयोग ने 12 मई, 2017 को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश पर अपनी सिफारिशों में एअर इंडिया के भारी घाटे का उल्लेख करते हुए कहा था कि एक परिपक्व और प्रतिस्पर्धी विमानन बाज़ार में आगे वित्तीय सहायता का अधिक

उपयोग नहीं होगा।सरकार के वित्तीय संसाधनों और एएलएल और इसकी सहायक कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश के लिए अनुशंसित की। एअर इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया जून, 2017 में सीसीईए की सैद्धांतिक मंजूरी के साथ शुरू हुई थी। सीसीईए ने विनिवेश प्रक्रिया के लिए एअर इंडिया स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) के निर्माण को भी मंजूरी दी।

एआईएसएएम ने एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी और एयर इंडिया एसएटीएस में 50% हिस्सेदारी के साथ एयर इंडिया में भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश का निर्णय लिया। एआईएसएएम के मार्गदर्शन में विनिवेश प्रक्रिया को अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसकी अध्यक्षता निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव द्वारा सह-अध्यक्षता में की गई थी। आईएमजी की सिफारिशों पर सीजीडी द्वारा विचार किया गया है और अंत में एआईएएसएम द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह (सीजीडी) और अधिकार प्राप्त एअर इंडिया को शामिल करते हुए बहुस्तरीय निर्णय लेने के माध्यम से बोलीदाताओं की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विनिवेश प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से किया गया है। शीर्ष मंत्रिस्तरीय स्तर पर भारत विशिष्ट वैकिल्पक तंत्र (एआईएसएएम) लेन-देन सलाहकार, कानूनी सलाहकार परिसंपतिमूल्यांकनकर्त्ता अपने-अपने क्षेत्रों के पेशेवरों ने पूरी प्रकिया का समर्थन किया है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) अधिकार प्राप्त एअर इंडिया स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) ने मैसर्स टैलेस प्राइवेट लि0 की उच्चतम मूल्य बोली को मंजूरी दी, जो मैसर्स टाटा संस प्राइवेट लि0 की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एअर इंडिया लि0 में भारत सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता के साथ-साथ एआईएक्सएल तथा एआई सैट्स में भी एअर इंडिया की इक्विटी शेयर होल्डिंग हैं।

शेयर खरीद समझौता 25 अक्तूबर, 2021 को निष्पादित किया गया है। सरकार एअर इंडिया और रणनीतिक साझेदार की ओर से शर्ते भी थी। शर्तों को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। समापन लेन-देन जनवरी, 2022 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

12. पवन हंस लिमिटेड

12.1 संगठन

पवन हंस लिमिटेड का निगमन नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्याधीन अक्तूबर, 1985 ('हेलीकॉप्टर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' के नाम से) तेल एवं गैस क्षेत्र में अपतटीय खननके उद्देश्य से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराने, पर्वतीय एवं अगम्य क्षेत्रों में प्रचालन करने, यात्रा एवं पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए चार्टर उड़ानें उपलब्ध करवाने, विमान अनुरक्षण इंजीनियरों, पॉयलटों हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने, सीप्लेन का प्रचालन करने, संरक्षा ऑडिट एवं उत्कृष्टता के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त संस्थान की स्थापना करने तथा हेलीपोर्टों एवं हेलीपैडों जैसी अवसंरचनों का विकास करने के लिए किया गया था। पवन हंस का पंजीकृत कार्यालय तथा निगमित कार्यालय नोएडा स्थित है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई, नई दिल्ली में स्थित हैं।

12.2 पूंजी एवं संगठन संरचना

कम्पनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमश: 560 करोड़ रुपए तथा 557.482 करोड़ रुपए है। भारत के राष्ट्रपति तथा ओएनजीसी लिमिटेड की शेयरधारिता का अनुपात 51:49 है। 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार पवन हंस लिमिटेड निवल सम्पति 981.55 करोड़ रुपए है।

पवन हंस के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशकों सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा 5 अंशकालिक निदेशक [संयुक्त सचिव-नागर विमानन मंत्रालय, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार,नागर विमानन मंत्रालय, निदेशक (अपतट)-ओएनजीसी तथा एसीएएस (टी एवं एच)-वायु सेना] हैं।

12.3 विमान बेड़ा प्रोफाइल

पवन हंस एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर प्रचालकों में से एक है तथा इसका 42 हेलीकॉप्टरों का पूर्णत: संतुलित अपनाप्रचालनात्मक विमान बेड़ा एवं पट्टे पर प्राप्त 1 एएलएच/ध्रुव हेलीकॉप्टरों विमान बेड़ा सम्पूर्ण भारत में प्रचालन कर रहा है। पवन हंस द्वारा अपनी स्थापना के पश्चात से अपने बेड़े से 10 लाख से अधिक उड़ान घंटों के प्रचालन तथा 25 लाख लैंडिंग की गई हैं।

31.12.2021 की स्थिति के अनुसार कम्पनी का प्रचालनात्मक विमान बेड़ा निम्नानुसार है:-

हेलीकॉप्टर प्रकार	**हेलीकॉप्टरों की संख्या**	**औसत आयु (वर्ष)**
डॉफिनएसए365एन	17	34
डॉफिन एएस365 एन3	14	13
बैल्ल -407	3	18
बैल्ल 206एल4	2	26
एएस 350 बी3	2	11
एमआई-172	3	14
एएलएच/ध्रुव (पट्टे पर)	1	16
योग	**42**	

निदेशक मंडल द्वाराचार डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टरों, जो 33 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं तथा अप्रचलन के कारण काफी समय से ग्राउंड किए गए हैं, के संबंध में " अक्षम परिसम्पत्ति " का अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

12.4 बेड़ा परिनियोजन

अपतटीय प्रचालन

तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड के अपतटीय प्रचालनों हेतु बम्बई अपतटीय प्लेटफार्म पर स्थित ड्रिलिंग रिग्स तक उनके व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण आपूर्तियों के वहन के लिए पवन हंस द्वारा राउंड द क्लॉक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं । ओएनजीसी के साथ किए गए करार के अंतर्गत वर्तमान में 5 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनमें से आपात निकासी के उद्देश्य से रात्रि एम्बूलेंस के लिए नियत हेलीकॉप्टर के अलावा मुख्य प्लेटफार्म पर 1 डॉफिन हेलीकॉप्टर रात भर तैनात रहते हैं ।

तटीय प्रचालन

कम्पनी द्वारा अनेक राज्य सरकारों नामत: मिजोरम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, संघ राज्यक्षेत्र दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन तथा

लक्षद्वीप, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख और सीआरपीएफ को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एनटीपीसी, जैसे कारपोरेट के लिए और चार्टर सेवाओं के लिए भी कम्पनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

मिजोरम में पवन हंस ने मैडिवैक सॉर्टिज किया और सीरशीप से आइजल तक रोगी सहित 03 परिचारक एवं परिवार के सदस्यों को इवाकुवेट किया ।

यात्री सेवाएं

पवन हंस द्वारा फाटा से पवित्र श्राइन केदारनाथ के लिए प्रत्येक वर्ष यात्रा सीजन अर्थात मई-जून एवं सितम्बर-अक्टूबर के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

12.5 पवन हंस लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश

भारत सरकार द्वारा पवन हंस लिमिटेड में प्रबंधन नियंत्रण के अंतरण के साथ भारत सरकार की समग्र 51% शेयरधारिता का विनिवेश किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा इसके संबंध में प्रक्रिया जारी है।

12.6 मानव संसाधन प्रबंधन

31 दिसंबर , 2020 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की 668 जनशक्ति की तुलना में 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की कुल 612 (जिनमें 304 स्थाई

कर्मचारी तथा 308 संविदारत कर्मचारी है) जनशक्ति हैं , जिनमें 113 पॉयलट, 92 विमान अनुरक्षण इंजीनियर,57 अधिशासी, 131 तकनीशियन तथा 219 अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारी हैं ।

12.7 संरक्षा उपाय

कम्पनी द्वारा अपने प्रचालनों एवं अनुरक्षण क्रियाकलापों के लिए अनवरत आधार पर संरक्षा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। ग्लोबल डोमेन विशेषज्ञों के माध्यम से अपेक्षा के आधार पर तृतीय पक्ष संरक्षा (एसएमएस) ऑडिट करवाए जाते हैं। कंपनी की मुख्य गतिविधि के रूप में संरक्षा को शामिल करने के लिए कंपनी की संरक्षा नीति को भी संशोधित किया गया है।

12.8 वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रचालन

वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही के दौरान पूरा विश्व कोविड -19 वैश्विक महामारी की चपेट में आ गया था। इसका बढ़ता प्रभाव मार्च, 2020 के दौरान भारत में दिखाई देने लगा। इस वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए भारत सरकार ने 25-3-2020 से देश भर में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया था। इस अवधि के दौरान-, कंपनी द्वारा फंसे हुए यात्रियों की निकासी, चिकित्सा बचाव उड़ानें शुरू करने और देश के सबसे दुर्गम एवं अगम्य क्षेत्रों तक कार्गो पहुंचाने के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। कंपनी के चालक दल के सदस्यों ने एक माह की अवधि में विस्तारित काल से अधिक समय तक कार्य करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। महामारी ने कंपनी के उड़ान घंटों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला।

पवन हंस ने लोगों के कोविड सैम्पल और दवाओं को जम्मू से श्रीनगर पहुँचाया

12.9 वित्तीय निष्पादन

क) वित्तीय परिणाम

(रुपए लाख में)

विवरण	**2020-21** **राशि**	**2019-2020** **राशि**
क) परिचालन से राजस्व	37289.63	34593.16
ख) अन्य आय	2881.32	3081.68
ग) अन्य आय सहित राजस्व	40170.95	37674.84
घ) व्यय		
i) प्रचालनात्मक एवं गैर-प्रचालनात्मक व्यय	35481.97	38789.46
ii) मूल्यह्रास एवं परिशोधन	6559.82	7261.69
योग	42041.79	46051.15

ड.) कर पूर्व लाभ/(हानि)	(1870.84)	(8376.31)
च) (i) पूर्व वर्ष के आय कर/आस्थगित देयता के लिए प्रावधान (ii) न्यूनतम आनुकल्पिक कर(एमएटी)	(1074.25) 90.00	(7530.06) -
छ) कर पश्चात निवल लाभ / (हानि)	(886.59)	(846.25)

ख) लाभांश

वर्ष 2020-21 के दौरान हुई हानियों के कारण पवन हंस लिमिटेड द्वारा समीक्षाधीन वर्ष में किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

12.10 नव प्रयास

पीएचएल ने हिमाचल प्रदेश राज्य में वर्ष 2019 में चंडीगढ़ से शिमला, कुल्लू और धर्मशाला में अपनी आरसीएस सेवाएं शुरू की। विवरण निम्नानुसार है :

क) चंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ (सप्ताह में छह दिन) 28 फरवरी 2019 से प्रभावी।
ख) शिमला-कुलु-शिमला (सप्ताह में तीन दिन) 13 मई 2019 से प्रभावी।
ग) शिमला-धर्मशाला-शिमला (सप्ताह में तीन दिन) 14 मई 2019 से प्रभावी।

इस मार्ग को 9 दिसंबर, 2021 से मंडी और रामपुर तक बढ़ा दिया गया है । नए मार्ग निम्नानुसार हैं :

क) चंडीगढ़-शिमला-मंडी-कुलु-मंडी-शिमला-चंडीगढ़ (सप्ताह में तीन दिन), 9 दिसंबर 2021 से
ख) चंडीगढ़-शिमला-मंडी-धर्मशाला-मंडी-शिमला-चंडीगढ़ (सप्ताह में तीन दिन), 9 दिसंबर 2021 से
ग) शिमला-रामपुर-शिमला (सप्ताह में तीन दिन), 9 दिसंबर 2021 से प्रभावी।

पवन हंस लिमिटेड ने 2020 में RCS UDAN 2.0 के तहत उत्तराखंड में अपनी सेवाएं शुरू की। नेटवर्क निम्नानुसार है :

देहरादून-न्यू टिहरी-श्रीनगर-गौचर-श्रीनगर-न्यू टिहरी-देहरादून (सप्ताह में तीन दिन) 29 जुलाई 2020 से प्रभावी। पवन हंस लिमिटेड ने 2021 में आरसीएस उड़ान 4.1 के तहत अपनी सेवाओं का विस्तार किया। विवरण इस प्रकार है :

क) देहरादून-गौचर-देहरादून (सप्ताह में छह दिन) 8 अक्टूबर 2021 से प्रभावी।

ख) देहरादून-श्रीनगर-देहरादून (सप्ताह में तीन दिन) 8 अक्टूबर 2021 से प्रभावी।

ग) देहरादून-हल्दवानी/पंतनगर-पिथौरागढ़-पंतनगर/हल्दवानी-देहरादून (सप्ताह में छह दिन) 8 अक्टूबर 2021 से प्रभावी ।

उत्तराखंड में क्षेत्रीय सम्पर्कता सेवा उड़ान-II के अंतर्गत देहरादून- न्यू टिहरी-श्रीनगर-गौचर-श्रीनगर- न्यू टिहरी- देहरादून के लिए सेवा का शुरूआत ।

12.11 उदयीमान परिदृश्य

पवन हंस भारत की विशालतम हेलीकॉप्टर कम्पनी है तथा इसके प्रचालनात्मक एवं अनुरक्षण मानक उच्चतर श्रेणी के हैं । पवन हंस द्वारा संरक्षा एवं निष्पादन के क्षेत्र में चौमुखी उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास किए जाते हैं ।

पवन हंस ने प्रथम बार अपना विजन दस्तावेज ''रणनीतिक निगमित योजना:2020'' तथा ''नई व्यवसाय योजना 2027'' का निर्माण किया है । तथापि, प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश को दृष्टिगत यह योजना रणनीतिक प्रक्रिया के चलते फिलहाल लंबित स्थिति में है । तदनुसार, मुख्य योजना के आधार पर एक पंचवर्षीय मध्यावधि व्यवसाय योजना 2019-2024 प्रक्षेपित की गई है।

12.12 दिल्ली में हेलीपोर्ट / हेलीपैड

पवन हंस द्वारा रोहिणी, दिल्ली में भारत के प्रथम एकीकृत हेलीपोर्ट का विकास एवं प्रचालनात्मक किया गया है ।

मार्च, 2020 में बेगमपैट हवाई अड्डा,हेदराबाद में नागर विमानन सेक्टर "विंग्स इंडिया" अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन के दौरान पवन हंस की भागीदारी ।

12.13 स्वच्छ भारत अभियान

पवन हंस ने 15 से 31 अक्तूबर, 2021 तक की अवधि के दौरान नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित स्वच्छ्ता पखवाड़ा मनाया , जो कि पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के वर्ष 2021 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर के अनुसार था । इस अवधि के दौरान कार्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन किया गया, जैसे कि स्वच्छ्ता पर जागरूकता पैदा करने के लिए बैनर, पोस्टर, निबंध और स्लोगन लेखन, कचरा प्रबंधन पर कार्यशाला और साथ ही श्रम पदयात्रा और श्रमदान आदि । सरकारी मिडिल स्कूल सेक्टर-15, नोएडा (उत्तर प्रदेश), श्रम पदयात्रा, श्रमदान, वृक्षारोपण और प्रतियोगिताएं (निबंध और नारा लेखन और

चित्रांकन) का आयोजन किया गया । इस अवसर पर ली गई तस्वीरों की झलक साझा की जा रही है।

(ऊपर चित्र-1 में एकदम दाईं ओर, श्री संजीव राजदान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएचएल, पीएचएल के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाते हुए, चित्र-2 में सरकारी मिडिल स्कूल, सेक्टर-15 ,नोएडा (यूपी) के छात्र स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के दौरान पीएचएल द्वारा जागरूकता पैदा करने के लिए तैयार की गई स्टैंडी को पढ़ते हुए ।

(ऊपर चित्र -3 में, एयर कमोडोर टी.ए.दयासागर, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी और प्रचालन) और पवन हंस के अन्य अधिकारी और कर्मचारी, पंजाब नेशनल बैंक और मैसर्स सुम्मी मदरसन्स लिमिटेड के कर्मचारियों के साथ सेक्टर -1, नोएडा में स्वच्छता पखवाड़ा-2021 के दौरान श्रमपद यात्रा शुरू करने के लिए और चित्र -4 में समूह फोटोग्राफ।

12.14 प्रदूषण के उपशमन के लिए नीतिगत विवरण का कार्यान्वयन

पवन हंस द्वारा दिल्ली तथा मुम्बई में स्थित अपने कार्यालय परिसरों के आसपास वृक्षारोपणों के माध्यम से प्रदूषण मुक्त वातावरण के निर्माण के प्रति प्रयास किए गए हैं।

12.15 महिला कल्याण

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक प्रताड़ना (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत कम्पनी में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में निवारण, प्रतिषेध प्रतितोष समिति का गठन किया गया है। पवन हंस लिमिटेड ने दिनांक 29.10.2021 को अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, नोएडा में महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), अधिनियम 2013 विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया और नई दिल्ली और मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। ।

12.16 लोक शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए उपाय

पवन हंस द्वारा मुख्यत: ओएनजीसी, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि जैसे चयनित ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक करार किए जाते हैं। तदनुसार शिकायतों की प्राप्ति न्यूनतम है तथा इनका निवारण निर्धारित समयावधि में उचित रूप से कर लिया जाता है। पवन हंस में किसी भी प्रकार की लोक शिकायत के समाधान के लिए सीपीजीआरएएमएस सहित लोक शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित की गई है। इसके अलावा, लोक शिकायत निवारण व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की प्रक्रिया निगमित कार्यालय में नोडल अधिकारी तथा क्षेत्रों में शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की जाती है।

12.17 **31.12.2021** की स्थिति के अनुसार अ.जा./अ.जजा. तथा अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व

संगठन का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	योग - अ.जा कर्मचारी	प्रतिशत (%)	योग - अ.जजा कर्मचारी	प्रतिशत (%)	योग - अ.पि.व. कर्मचारी	प्रतिशत (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
पवन हंस लिमिटेड	304	57	18.75	29	9.54	28	9.21

12.18 पूर्वोतर क्षेत्र के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं

पवन हंस द्वारा अनेक राज्य सरकारों को नामत: मिजोरम, त्रिपुरा तथा सिक्किम को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

12.19 सतर्कता

कम्पनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की देखरेख में एक सतर्कता विभाग स्थापित किया गया है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए ई-निविदा, ई-टिकटिंग, ई-भुगतान तथा फाईल ट्रैकिंग का कार्यान्वयन किया गया है ।अधिप्राप्तियोंके प्रति पारदर्शिता के सुनिश्चय के लिए पारदर्शिता अंतरराष्ट्रीय भारत के साथ नवंबर,2011 को सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किया गया है । निदेशक मंडल द्वारा कम्पनी के लिए सचेतक नीति अनुमोदित कर दी गई है।

12.20 राजभाषा नीति

विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की दिशा में हिन्दी दिवस / पखवाड़ा का आयोजन, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन(14.09.2021 से 28.09.2021), नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाने तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम ,1976 का अनुपालन किए जाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यान्वयन किए गए हैं, पवन हंस को नागर विमानन मंत्रालय से वर्ष 2021 के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में पवन हंस की गृह पत्रिका **"हंसध्वनि"** को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया है तथा इसके लिए श्री राजीव बंसल ,सचिव नागर विमानन द्वारा श्री संजीव राजदान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,पवन हंस लिमिटेड को शील्ड प्रदान किया गया है ।

चित्र में, श्री संजीव राजदान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटैड, श्री राजीव बंसल, सचिव, नागर विमानन मंत्रालय से शील्ड प्राप्त करते हुए।

12.21 सिटीजन चार्टर / वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

कंपनी ने नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अपनी वेबसाइट पर सिटीजन चार्टर प्रकाशित किया है पवन हंस हेलीकॉप्टर प्रचालन के दौरान जहां भी आवश्यकता हो,वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करके उनके कल्याण की देखभाल कर रहे हैं ।

13. मंत्रालय में लेखा संगठन

13.1 सचिव (नागर विमानन), नागर विमानन मंत्रालय के प्रमुख लेखा प्राधिकारी है। वह संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए) और मंत्रालय के मुख्य वित्तीय नियंत्रक के माध्यम से और उनकी सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

13.2 मुख्य वित्तीय नियंत्रक, लेखांकन संगठन के "विभाग प्रमुख" हैं और वित्तीय सलाहकार के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं।

सिविल लेखा नियमावली के पैरा 1.3 के अनुसार, मुख्य लेखा प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से मुख्य वित्तीय नियंत्रक, मुख्य रूप से इनके लिए जिम्मेदार है: -

(क) वेतन और लेखा कार्यालयों / प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सभी भुगतानों की व्यवस्था करना, सिवाय जहां कुछ प्रकार के भुगतान करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी अधिकृत हैं।

(ख) मंत्रालय के खातों का संकलन और समेकन और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करना; अपने मंत्रालय की अनुदान मांगों के वार्षिक विनियोग लेखे तैयार करना, उनका विधिवत अंकेक्षण करवाना और उन्हें मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर के बाद सीजीए को प्रस्तुत करना।

(ग) मंत्रालय के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों और वेतन एवं लेखा कार्यालयों के भुगतान और लेखा अभिलेखों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना।

लेखा संगठन में प्रधान लेखा कार्यालय, पांच वेतन और लेखा कार्यालय (दिल्ली में दो और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में एक-एक) और नई दिल्ली में स्थित एक आंतरिक लेखा परीक्षा विंग शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के लिए बजटीय प्रावधान निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व अनुभाग	**3184.15**
पूंजी अनुभाग	**40.52**
कुल	**3224.67**

13.3 प्रधान लेखा कार्यालय

नागर विमानन मंत्रालय का प्रधान लेखा कार्यालय मुख्य रूप से इनके लिए जिम्मेदार है:

- नागर विमानन मंत्रालय के खातों का नागर लेखा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार और लेखा महानियंत्रक द्वारा निर्धारित तरीके से समेकन।
- नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों के मासिक लेखे और वार्षिक विनियोग लेखे तैयार करना, वित्त मंत्रालय के महालेखाकार को केंद्रीय लेनदेन का विवरण और वित्त लेखा के लिए सामग्री प्रस्तुत करना।
- विदेश मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसे विभिन्न एजेंट मंत्रालयों को अंतर विभागीय प्राधिकरण जारी करना।
- लेखा मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण के लिए वेतन और लेखा कार्यालय को तकनीकी सलाह देना और लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना।
- रसीद बजट और पेंशन बजट तैयार करना।
- पीएफएमएस,एनटीआरपी से संबंधित कार्यों का समन्वय और ईएटी मॉड्यूल का कार्यान्वयन।

13.4 वेतन और लेखा कार्यालय

नागर विमानन मंत्रालय के तहत वेतन और लेखा कार्यालय, पूंजी प्रदान करने, व्यय नियंत्रण और अन्य प्राप्तियों और भुगतान कार्यों के लिए निम्नानुसार जिम्मेदार हैं: -

- भुगतान के लिए मंत्रालय के नॉन-चेक ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स (एनसीडीडीओ) द्वारा जमा किए गए बिलों की पूर्व-जांच।
- चेक ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स (सीडीडीओ) को "लेटर ऑफ क्रेडिट" जारी करने के माध्यम से एक निश्चित स्तर तक संचालित करने के लिए धन का आवंटन। लखनऊ में रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त तथाबेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई में रेलवे सुरक्षा कार्यालयों के आयुक्त, चार सीडीडीओ हैं।
- नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता अनुदान/इक्विटी का भुगतान जारी करना।
- एकत्रित प्राप्तियों और उनके द्वारा अधिकृत भुगतानों के आधार पर मासिक खाते का संकलन और विधिवत मिलान करने और चेक आहरण और संवितरण

अधिकारियों (सीडीडीओ) के खातों को शामिल करना और इसे प्रधान लेखा कार्यालय में जमा करना।

- सामान्य भविष्य निधि खातों का रखरखाव, और ट्रस्टी बैंकों को नई पेंशन योजना के योगदान का प्रेषण। आवक और जावक दावों का निपटान। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण आदि का प्राधिकरण/भुगतान।
- सभी संबंधित प्राधिकारियों/संभागों को लेखांकन सूचना उपलब्ध कराना।
- डीडीएस एंड आर शीर्षों के तहत शेष राशि की समीक्षा।

13.5 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई, सीधे मुख्य वित्तीय नियंत्रक के अधीन काम करती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वित्तीय सलाहकार और मंत्रालय के सचिव के पास रहती है। नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा विंग समान है, जिसमें चार सहायक लेखा अधिकारियों और चार लेखाकारों / वरिष्ठ लेखाकारों की संख्या स्वीकृत की गई है। आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन की भूमिका, लेखा और वित्तीय मामलों में नियमों और विनियमों, प्रणाली और प्रक्रिया के आवेदन की सीमा का पता लगाने के लिए कार्यकारी कार्यालयों में बनाए गए प्रारंभिक खाते की नमूना जांच करना है। लेखापरीक्षा उद्देश्यों और आंतरिक लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा रैनडम सैंपलिंग के सिद्धांत पर की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र संचालन है और इसका उद्देश्य जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण लाकर संगठन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करना है।
नागर विमानन मंत्रालय में प्रधान लेखा कार्यालय, वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ-साथ आहरण और संवितरण अधिकारियों के कार्यालय, आंतरिक लेखा परीक्षा के अधिकार क्षेत्र में हैं। इन कार्यालयों के अतिरिक्त स्वायत्त निकायों/अनुदानी संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की आवश्यकता होती है।
वर्ष के दौरान डीजीसीए (मुख्यालय) नई दिल्ली के कार्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। आंतरिक लेखापरीक्षा के बकाया पैराओं की स्थिति निम्नानुसार है।

इकाइयों की संख्या	दिनांक 31.12.2021 को बकाया पैरा
54	781

13.6 शिकायतों का निवारण:

प्रधान लेखा कार्यालय को मुख्य रूप से पेंशनभोगियों/ पेंशनभोगियों के परिवार और सीपीजीआरएएम पोर्टल से शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, शिकायतें मेल/डाक के माध्यम से भी प्राप्त होती थीं। अधिकांश शिकायतें पेंशन लाभ जारी करने से संबंधित हैं। ऐसी शिकायतों को कम करने के लिए, प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

13.7 भुगतान और प्राप्तियों के डिजिटलीकरण के लिए पहल:

वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय के लेखा संगठन ने कार्यान्वयन एजेंसी स्तर तक, लेखांकन कार्यों में समग्र सुधार और पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के पूर्ण रोल आउट द्वारा भुगतान वितरण प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से चालू कर दिया है।

13.8 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी किए गए निधि पर नज़र रखने के लिए एक ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन सूचना और निर्णय समर्थन प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से काम करती है।

पीएफएमएस फंड ट्रांसफर के लिए एक केंद्रीकृत और पूरी तरह से संचालित आईटी एप्लिकेशन होने के कारण "एकदम सही समय पर बजट जारी करने" की सुविधा प्रदान करने और अंतिम स्तर के लाभार्थियों तक फंड के उपयोग की पूरी निगरानी करने की स्थिति में है। वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार स्वायत्त निकायों/अनुदान प्राप्त संस्थानों से भी ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से पीएफएमएस संचालित करने का अनुरोध किया जाता है।

मंत्रालय के संबंध में पीएओ, सीडीडीओ, एनसीडीडीओ की स्थिति निम्नानुसार है:

पीएओ	सीडीडीओ	एनसीडीडीओ
05	04	44

सभी पीएओ और डीडीओ पीएफएमएस से जुड़ गए हैं और इसके ईआईएस मॉड्यूल को लागू किया है। सभी संबंधित रिपोर्ट पीएफएमएस के माध्यम से तैयार की जा रही हैं।

13.9 गैर कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी)

लेखा महानियंत्रक द्वारा विकसित गैर कर रसीद पोर्टल, मैनुअल प्रणाली की देरी और अक्षमताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक प्रारम्भ से अंत तक का समाधान है। डिजिटल इंडिया पहल के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए, आर्थिक मामलों के मंत्रालय के वित्त विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सभी गैर-कर राजस्व रसीद एकत्र करने के लिए भारतकोष के तहत एनटीआर पोर्टल के उपयोग को सर्वव्यापी बना दिया है। इसके अनुपालन में मंत्रालय अब भारतकोष के माध्यम से राजस्व प्राप्तियों की ऑनलाइन छूट की सुविधा प्रदान करने वाले एनटीआर पोर्टल के साथ एकीकृत हो गया है। सभी शुल्क, लाभांश, गारंटी शुल्क आदि अब एनटीआरपी के माध्यम से प्रवाहित हो रहे हैं।

चालू वित्त वर्ष में 31 दिसम्बर, 2021 तक एनटीआरपी के माध्यम से 2617.47 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

14. महिला कल्याण

14.1 प्रस्तावना

नागर विमानन मंत्रालय ने महिलाओं के कल्याण के लिए तथा स्टाफ की महिला सदस्यों को सुविधाजनक एवं परेशानी रहित काम का माहौल प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं। नागर विमानन मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों में आंतरिक शिकायत समितियों का भी गठन किया गया है जो कार्य-स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई और से उत्पीड़न को रोकने के लिए उपचारी उपाय सुझाती है। मंत्रालय और इसके संगठनों में महिला कल्याण की स्थिति/यौन उत्पीड़न के मामलों की आवधिक रूप से निगरानी की जाती है और जहां जरूरत हो, आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

14.2 नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

महिला कर्मचारियों की समस्याएं, जब भी रिपोर्ट की जाती हैं, तो इस विषय पर सरकार की नीति की विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और उनका समाधान किया जाता है । कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए मंत्रालय में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है ।

14.3 रेलवे संरक्षा आयोग

रेल संरक्षा आयोग के कार्यालय सामान्यतः रेलवे कार्यालय परिसरों में स्थित हैं और वे सुविधाएं जो वहाँ दी जाती हैं जैसे प्रसाधन, शिशुगृह और टिफन रूम इत्यादि, आयोग के महिला कर्मचारियों को भी प्राप्त हैं। महिला कर्मचारी रेलवे के महिला कल्याण संगठन की महिला समिति में प्रतिभागी भी हैं। जहाँ तक संभव है भारत सरकार द्वारा समय-समय पर महिला कर्मचारियों के कल्याण पर जारी अनुदेशों को क्रियान्वित किया जाता है।

14.4 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पुरुषों और महिलाओं, दोनों को समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि सेभाविप्रा के प्रबंधन ने पहली बार कनिष्ठ सहायक (अग्निशमन सेवा) के पद पर महिला उम्मीदवारों की भर्ती को मंज़ूरी दी।

इसके अलावामहिला उम्मीदवारों को कनिष्ठ सहायक (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए शारीरिक फिटनेस, लम्बाई,   वजन और शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा में छूट दी गई है।

भर्ती गतिविधियों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य सेभाविप्रा भर्ती संबंधी अपनी सभी गतिविधियों में महिला उम्मीदवारों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लेता है।

महिला कर्मचारियों को अधिक से अधिक सहयोगी वातावरण प्रदान करने के निरंतर प्रयास मेंभाविप्रा के प्रबंधन ने अपनी महिला कर्मचारियों को आईवीएफ के साथ सरोगेसी संबंधी मामले में मातृत्व अवकाश के लाभों को प्रदान करने का निर्णय लिया।

भाविप्रा में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुएएकल महिला कर्मचारियों के लिए छात्रावास आवास का प्रावधान शुरू किया गया है।

14.5 एअर इंडिया लिमिटेड

एअर इंडिया विश्व के उन कुछ संगठनों में से है जो उच्च कौशल वाले व्यवसाय जैसे फ्लाइंग या विमान की मेंन्टेनेंस के लिए महिला कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। वर्तमान में कुल 04 कार्यकारी निदेशकों में से 02 महिला कार्यकारी निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त कुल 10 कार्यपालक निदेशकों में से 05 महिला कार्यपालक निदेशक हैं। इसके अलावा एअर इंडिया में कुल 30 महाप्रबंधकों में से 07 महिला महाप्रबंधक हैं। 01.12.2021 के अनुसार सहायक कंपनियों को छोड़कर एअर इंडिया की कार्मिक शक्ति में 7354 स्थायी कर्मचारी हैं जिनमें से *2*239 महिला कर्मचारी हैं जो कुल कार्मिक शक्ति का 30.44% है। इनमें से 121 महिला कार्यपालक तथा 130 महिला पायलट (15 कार्यपालक पायलटों सहित) हैं।

कंपनी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखती है जिसमें सुरक्षित कार्य वातावरण, विश्राम कक्ष, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तथा छुट्टियां और अन्य लाभ सम्मिलित हैं। एयरपोर्टों और प्रचालनात्मक क्षेत्रों में रात्रि शिफ्टों में कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को निवास स्थान से कार्यस्थल तक पिक-अप एंड ड्रॉप सुविधा प्रदान की जाती है।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध तथा निवारण) अधिनियम, *2013* के अनुपालन में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक मकेनिज़्म है,

जिसे एअर इंडिया में लागू किया गया है। एअर इंडिया लिमिटेड की महिला कर्मचारियों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा शिकायतों की जांच के लिए शिकायत समिति का गठन कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में निगमित मुख्यालय स्तर पर तथा सभी क्षेत्रों में किया गया है।

एअर इंडिया महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सकारात्मक और स्वस्थ जीवन के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करती है जोकि संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ/डॉक्टरों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। चिकित्सा सेवा विभाग भी महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न स्पेशल हैल्थ चैक्स तथा स्वास्थ्य मामलों से संबंधित लैक्चरों का आयोजन कराता है। जेंडर सैंसिटाइजेशन तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध तथा निवारण) अधिनियम, *2013* पर कार्यक्रम का भी आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर किया जा रहा है।

एअर इंडिया प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों के साथ-साथ नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में महिला विकास का समर्थन करती है। विशेषीकृत तकनीकी क्षेत्रों की हैंडलिंग महिलाओं द्वारा कराए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए एअर इंडिया पहली एयरलाइन रही है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस का आयोजन किया जाता है तथा बहुत सारे इंटरएक्टिव कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो ज्ञान में वृद्धि करते हैं तथा एयरलाइन्स में महिलाओं की उपलब्धियों के गौरव को भी प्रकट करते हैं। वार्षिक आधार पर, महिला पायलटों, महिला केबिन क्रू, गुणवत्ता एवं सुरक्षा ऑडिटर्स, महिला सिम्युलेटर इंजीनियरों, विमान को प्रमाणित करने वाली इंजीनियरों तथा उड़ानों को रिलीज करने वाली महिला फ्लाइट डिस्पैचर्स सहित सभी महिला क्रू उड़ानों (ऑल वूमेन क्रू फ्लाइट) के साथ महिला दिवस मनाया जाता है।

14.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

इग्रुआ मेंकार्यरततेरह (01नियमित व12संविदागत)महिलाएं हैं तथा उनके कल्याण के कार्य,सामान्य प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से किए जाते है। अकादमी में तीनसदस्यों की एक समिति गठित की गई है जो अकादमी में कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रतियौन उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतोंकी देखरेखएवं समाधान के कार्य करती है।

14.7 पवन हंस लिमिटेड

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक प्रताड़ना (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत कम्पनी में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में निवारण, प्रतिषेध प्रतितोष समिति का गठन किया गया है। पवन हंस लिमिटेड ने दिनांक 29.10.2021 को अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, नोएडा में महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), अधिनियम 2013 विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया और नई दिल्ली और मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। ।

14.8 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

इस कार्यालय में कुल 12 महिला कर्मचारी हैं जिनमें प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लोन पर तैनात तथा बाहरी स्रोत (ऑउट-सोर्स) से भरे गए स्टाफ के रूप में कार्यरत महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए पर्याप्त सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

14.9 राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं और महिला कर्मचारियों (दोनों अकादमिक और साथ ही आवासीय परिसर) की सुरक्षा के लिए, ''कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। आईसीसी का व्यापक कार्य, विश्वविद्यालय परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक न्याय के मूल सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन पर ध्यान देना है और इसके विरुद्ध जैसा उचित समझा जाए, कार्रवाई करना है। छात्राओं की संरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यात्राओं और छात्रों के छात्रावास में बंटवारा करते हुए छात्रावास परिसर को दो भागों में बांटा गया है।

***

15. निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

15.1 दिशा-निर्देशों को लागू करना

नागर विमानन मंत्रालय तथा इसके अनुषंगी कार्यालय निःशक्त व्यक्तियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं और निःशक्त व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखने के लिए सरकार के निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर निशक्त व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को आराम/सुविधाएं प्रदान करने के लिए, यात्रियों को किसी प्रकार के भेदभाव से बचाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सम्मानित यात्रियों को उनकी विमान यात्रा के दौरान सभी संभव सहायता प्राप्त होनी चाहिए, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा "हवाईअड्डों पर यात्रा करने वाले सम्मानित लोगों के लिए सुविधाएं/शिष्टाचार" तथा "नि:शक्त व्यक्तियों और/या कम गतिशीलव्यक्तियों का विमान द्वारा परिवहन" पर नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर), खंड-3, विमान परिवहन, श्रृंखला-एम, भाग-1 पर विमान परिवहन परिपत्र 01/2014 जारी किया गया है। सीएआर में ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की ओर भी ध्यान दिया गया है जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है बशर्ते कि एयरलाइन से अग्रिम तौर पर सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाए।डीजीसीए ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा आसान पहुंच के लिए एक व्हील चेयर की खरीद की है। निःशक्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए नागर विमानन महानिदेशालयमें रैंप का निर्माण किया गया है। डीजीसीए केवल निःशक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए एक वॉश रूम के निर्माण की प्रक्रिया में है।

15.2 नागर विमानन महानिदेशालय

डीजीसीए ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा आसान पहुंच के लिए एक व्हील चेयर की खरीद की है। नागर विमानन महानिदेशालय में निःशक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए विशेष रैंप्स और शौचालयों का निर्माण किया गया है।

15.3 नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

नि:शक्त यात्रियों और/या कम गतिशीलता वाले यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए और ऐसे यात्रियों के स्क्रीनिंग अनुभव में सुधार के साथ-साथ गतिशीलता सहायता और सहायक उपकरणों के साथ, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई है, और जनता के विचार प्राप्त करने हेतु बीसीएएस की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इससे हवाई यात्रा स्क्रीनिंग प्रक्रिया में

सुधार होगा और यह सुनिश्चित होगा कि सभी व्यक्तियों को, उनकी व्यक्तिगत जरूरतों और स्थितियों की परवाह किए बिना, सम्मान, सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार किया जाता है।

15.4 रेलवे सुरक्षा आयोग

रे. सं. आ. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य करता है।

15.5 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सुगमता की 10 सुविधाओं पर साझा किए गए सामान्य दिशानिर्देशों को हवाई अड्डों को सुगम बनाने के लिए सभी भाविप्रा हवाई अड्डों के साथ साझा किया गया है, जिसमें शामिल हैं
    - सुगम मार्गपहुँच
    - सुगम पार्किंग
    - भवन में सुगम प्रवेश
    - सुगम रिसेप्शन(हेल्पडेस्क)
    - सुगम गलियारा स्पर्शिय फर्श
    - सुगम लिफ्ट
    - हैंडरेल के साथ सीढ़ी (मुख्या यात्री संचालन क्षेत्र)
    - सुगम शौचालय
    - सुगम पेयजल सुविधा
    - साइनेज
- वर्तमान में, 87 भाविप्रा हवाई अड्डों में से 79 को 10 सुगमता सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। शेष 8 भाविप्रा हवाई अड्डों पर 31.03.2022 तक इन 10 सुगमता सुविधाओं को प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।
- 28 भाविप्रा हवाई अड्डों पर पहले से ही एयरोब्रिज की सुविधा है।
- वर्तमान में, 03 भाविप्रा हवाई अड्डों अर्थात् कालीकट, चेन्नई और कोलकाता में एम्बुलिफ्ट सुविधा है।
- वर्तमान में, 28 भाविप्रा हवाई अड्डों पर काउंटर उपलब्ध कराये गए “क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ” है| सहायता डेस्क के कर्मियों को सभी दिव्यांगजनों के साथ कुशलता से संवाद करने का प्रशिक्षण है दिया जा रहा, जिसमें श्रवण बाधित और मूक व्यक्तियों के लिए सांक (बधिर और मूक) सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण शामिल है |

15.6 एअर इंडिया लिमिटेड

एअर इंडिया आई सी ए ओ तथा आई ए टी ए के अंतर्गत वर्णित अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार हवाई यात्रा करने वाले दिव्यांग यात्रियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। डीजीसीए द्वारा "कैरिज बाय एयर-पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड/ऑर पर्सन्स विद रेड्यूज़्ड मोबिलिटी" पर नोटिफाइड सी ए आर, सेक्श्न 3 सीरिज़ एम पार्ट-I,इश्यू III,आर ई वी 4 दिनांक 12 जुलाई, 2016 का अनुपालन करती है।
एअर इंडिया 26 सदस्य एयरलाइनों के संगठन स्टार एलायंस की भी सदस्य है। इन सुविधाओं में रैम्प एक्सेस तथा बुकिंग कार्यालयों में व्हीलचेयर समर्थित एक्सेस तथा यात्रियों की हैंडलिंग में प्राथमिकता सम्मिलित है। एअर इंडिया ऐसे एयरपोर्टों पर परिचालन करती है जो दिव्यांग जनों के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों वाली सुविधाओं का अनुपालन करते हैं। एअर इंडिया उड़ानों की बुकिंग के समय व्हीलचेयर की मांग को अग्रिम सूचना के आधार पर प्रदान करती है। एअर इंडिया के स्टेशनों पर प्रस्थान,आगमन और ट्रांजिट पर आवश्यकता होने पर एस्कॉर्ट बोर्डिंग प्रदान की जाती है। एअर इंडिया राष्ट्रीय निर्देशों एवं दिशा निर्देशों के अनुपालन में अपने विभिन्न कार्यालयों में दिव्यांगजनों को रोज़गार भी प्रदान करती है। एअर इंडिया तथा इसके ग्राउंड हैंडलर्स एयरपोर्टों पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के आधार पर सी ए आर में निर्दिष्टानुसार दिव्यांगजनों तथा कम मोबिलिटी वाले यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।
भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए तय दिशा-निर्देशों को पूरा करने के लिए एअर इंडिया की वेबसाईट www.airindia.in XHTML 1.0 ट्राजिशनल का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है तथा यह वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3Cद्वारा निर्धारित वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस (डब्ल्यू सी ए जी) 2.0 के एए स्तर का पालन भी करती है। अनुपालन स्टेटमैंट एअर इंडिया की वेबसाइट के होम पृष्ठ "एक्सेसिबिलिटी स्टेटमैंट" लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है। दिव्यांगजनों तथा कम मोबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी को एअर इंडिया की वेबसाइट में "यात्रा संबंधी जानाकारी उड़ान भरने से पूर्व-दिव्यांगजनों को सहायता के अंतर्गत देखा जा सकता है।

15.7 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

विकलांग व्यक्तियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लागू किया गया है और जहां भी संभव हो, विकलांग व्यक्तियों पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है।

15.8 राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

निःशक्त लोगों के लिए आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, शैक्षणिक भवन में रैंप प्रदान किए गए हैं। आरजीएनएयूके शैक्षणिक भवन में शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा आसान उपयोग के लिए अलग शौचालय भी बनाए गए हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों की सहायता के लिए अकादमिक भवन के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है।

15.9 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

ऐरा में दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को कोई भी दिव्यांग व्यक्ति नियुक्त नहीं है परंतु प्राधिकरण सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है। ऐरा वेबसाइट www.aera.gov.inदिव्यांगों के लिए सुविधाजनक है।

***

16. आईसीएओ की परिषद में भारत के प्रतिनिधि (आरओआई)

16.1 परिचय

इंटरनेशनलसिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (आईसीएओ) की स्थापना दिसंबर 1944 में इंटरनेशनलसिविल एविएशन पर शिकागो अभिसमय के तहत हुई थी। वर्तमान में 193 संविदाकारी देश इस अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता हैं।संगठन एक एसेंबली, 36 निर्वाचित सदस्यों की एक परिषद और एक सचिवालय से बना है।मुख्य अधिकारी परिषद के अध्यक्ष और महासचिव होते हैं, जो इस पद के लिए चुने जाते हैं।भारत आईसीएओ के पहले सदस्यों में से एक है।

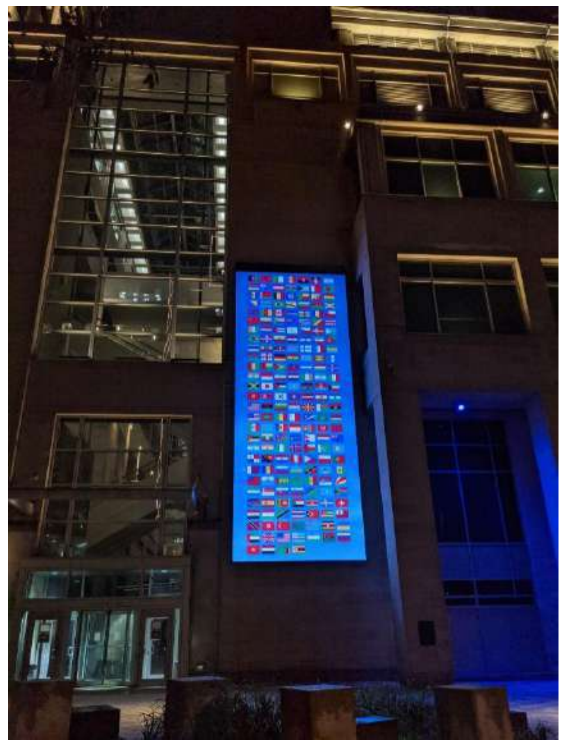

एसेंबली, 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है जिसमें सभी 191 संविदाकारी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इकाओ का संप्रभु निकाय है। संगठन के कार्य की विस्तारपूर्वक समीक्षा करने, और आने वाले वर्षों के लिए नीति निर्धारित करने के लिए, इसकी बैठक हर तीन वर्ष में होती है। इसमें त्रैवार्षिक बजट पर मतदान भी किया जाता है।

संगठन का शासी निकाय **काउंसिल** है, जिसका चुनाव एसेंबली द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, इसमें 36 सदस्य देश शामिल हैं। एसेंबली तीन केटेगरी के अधीन काउंसिल के सदस्य देशों का चुनाव करती है: हवाई परिवहन में प्रमुख महत्व वाले देश, वे देश जिनका हवाई

दिक्चालन के लिए सुविधाएं मुहैया कराने में सबसे अधिक योगदान है, और वे देश जिनका नामन यह सुनिश्चित करेगा कि विश्व के सभी प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। शासी निकाय के रूप में, काउंसिल इकाओ के कार्य को निरंतर दिशा प्रदान करती है। काउंसिल में ही मानकों और अनुशंसित परिपाटियों का अंगीकरण किया जाता है और इन्हें अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय के अनुबंधों के रूप में समाविष्ट किया जाता है। काउंसिल को हवाई दिक्चालन आयोग (तकनीकी मामले), हवाई परिवहन समिति (आर्थिक मामले), हवाई दिक्चालन सेवाओं पर संयुक्त समर्थन संबंधी समिति और वित्त समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

16.2 आईसीएओ में भारत के प्रतिनिधि

भारत आईसीएओ में भारत के प्रतिनिधिमंडल का एक स्थायी कार्यालय है जिसमें भारत के प्रतिनिधि (आरओआई), तकनीकी सलाहकार और दो अन्य गैर कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं।

आईसीएओ परिषद में आरओआई की अतिरिक्त जिम्मेदारियां।

विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष।

डॉ शेफाली जुनेजा इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं।भारत को यह स्थान एक दशक से अधिक समय के बाद मिला है।

लिंग (gender) पर छोटे समूह के अध्यक्ष (2021)

उद्योग सलाहकार मंच के उद्घाटन सत्र के लिए तदर्थ समूह के अध्यक्ष।

नवाचार पर छोटे समूह के अध्यक्ष।

लिंग (gender) प्रतिनिधित्व में सुधार पर आईसीएओ परिषद की घोषणा

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, आईसीएओ परिषद ने आईसीएओ के शासी और तकनीकी निकायों में सर्वसम्मति से "आईसीएओ के शासी और तकनीकी निकायों में लिंग प्रतिनिधित्व में सुधार पर घोषणा" को अपनाकर लिंग (gender) प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया।

अपनी समितियों, पैनल, कार्य समूहों, उपाध्यक्षों और अध्यक्षों के चुनाव सहित टास्क फोर्स में लिंग संतुलन बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें और आईसीएओ के सदस्य देशों से:

- विमानन में महिलाओं की भूमिका को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने और उनकी सफलता का प्रसार करने का आहवान करें। विशेष रूप से आईसीएओ में, उन्हें शिक्षा से लेकर भर्ती और कैरियर के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करना;

और

- महिलाके बराबरी के स्तर में सुधार की दृष्टि से आईसीएओ के प्रतिनिधियों, एयर नेविगेशन कमीशन (एएनसी)के नामित, और आईसीएओ पैनलों और अन्य समूहों के प्रस्तावित सदस्यों को नामित करते समय योग्य महिला उम्मीदवारों के नामांकन को उचित सम्मान और प्राथमिकता दें।

16.3 2021 में आईसीएओ के नियमित बजट में योगदान और 2022 में प्रतिबद्धता

एकसदस्य देश के रूप में, भारत ने 2021 के दौरान आईसीएओ के नियमित बजट में 577,477 कनाडा डॉलरऔर 330,505 अमेरिकी डॉलरका योगदान दिया। भारत आईसीएओके नियमित बजट (स्केल: ए 39-32 0.85% के आधार पर) में 2022 में 620,193 कनाडा डॉलर और 339,857 अमेरिकी डॉलरका योगदान करेगा।

16.4 2021 की परिषद और एएनसी सत्र

जनवरी से दिसंबर 2021 तक समिति और परिषद चरण के निम्नलिखित सत्र आयोजित / निर्धारित किए गए:

सत्र संख्या	**समिति चरण**	**परिषद चरण**
222 वांसत्र	11 वीं- 28 जनवरी2021	20 फरवरी - 12 मार्च 2021
223 वांसत्र	26 मार्च - 14 मई 2021	07 से 25 जून 2021
224 वांसत्र	13 सितंबर -01 अक्टूबर2021	25 अक्टूबर - 12 नवंबर 2021

परिषद के लिए तकनीकी मामलों पर कागजात तैयार करने के लिए समिति/परिषद चरण केदौरान एयर नेविगेशन आयोग (एएनसी) की बैठकें समानांतर में आयोजित की

गईं।एएनसीबैठकों में आरओआई के तकनीकी सलाहकार द्वारा देश पर्यवेक्षक के रूप मेंभाग लिया जाता है ताकि जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां महत्वपूर्ण इनपुट प्रदानकिया जा सके।जनवरी से दिसंबर 2021 तक निम्नलिखित एएनसी सत्र आयोजित/निर्धारित किए गए:

एएनसी सत्र	**अवधि**
216 वांसत्र	14 जनवरी - 15 मार्च 2021
217 वांसत्र	27 अप्रैल - 25 जून 2021
218 वांसत्र	13 सितंबर - 12 नवंबर 2021

इन सत्रों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सभी सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया।पूरेवर्ष के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे 5G हस्तक्षेप, स्वास्थ्यप्रमाणपत्र, साइबर सुरक्षा, विमानन पुनर्प्राप्ति आदि को नागर विमानन मंत्रालय, डीजीसीएऔरअन्य हितधारकों को ईमेल, रिपोर्ट, समाचार पत्र आदि के माध्यम से फ़्लैगकिया गया।

16.5 पर्यावरण के मुद्दें।

भारत के प्रतिनिधि मंडल ने पर्यावरण के मुद्दों पर ब्रिक्स और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के अन्य समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के आईसीएओपरिषद के सदस्यों को एक साथ लाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं।प्रतिनिधिमंडलने समान विचारधारा वाले राज्यों के परिषद प्रतिनिधियों और सीएईपी सदस्योंकी बैठकें आयोजित करने में भी अग्रणी भूमिका निभाई है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को दूर करने के लिए आईसीएओमें एक एकीकृत और मजबूत मोर्चा सफल रहा है।सीओआरएसआईए (CORSIA) समीक्षा, एलटीएजीआदि के मुद्दे पर पर्यावरणीय मामलों में कई सफलताएँ मिलीं, लेकिन बड़ी सफलता तब मिली जब विकासशील देशों की संतुष्टि के लिए सीओआरएसआईए (CORSIA) पात्र ईंधन के लिए स्थिरता मानदंड का मूल्यांकन संशोधित किया गया। परिषद के स्थिरता मानदंड को अपनाने में आरओआई डॉ शेफाली जुनेजा की भूमिका की सराहना आईसीएओ के अध्यक्ष ने माननीय नागर विमानन मंत्री को लिखे पत्र में किया है। परिषद में समान विचारधारा वाले राज्यों के साथ परामर्श सहित इन मुद्दों पर समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।नागरविमानन मंत्रालय और डीजीसीए इंडिया के मार्गदर्शन और समर्थन के

साथ सफलपरिणाम चतुर कूटनीति, कठोर बातचीत, चतुर रणनीति और भारत के नेतृत्व कापरिणाम रहे हैं। 27 जनवरी 2022 को परिषद यानी ब्राजील, चीन, मिस्र, नाइजीरिया, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और जाम्बिया में समान विचारधारा वाले राज्यों के वरिष्ठअधिकारियों की एक बैठक होगी। 41 [वीं]एसेंबली में यह पहल सभी विकासशील देशों को एक साथ लाएगी और उम्मीद है कि एलटीएजी और सीओआरएसआईए (CORSIA) समीक्षा के मुद्दों पर सफलता मिलेगी।

एलटीएजी के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के कार्यालय के साथ सफलतापूर्वक समन्वयित किया गया है।इसनेआईसीएओ में यूएन पीआर से आरओआई और एलटीएजी पर भारत की स्थिति के लिएराजनयिक पहुँच में विदेश मंत्रालय से नागर विमानन मंत्रालय तक दृढ़ समर्थन को सक्षम किया है।

इस कार्यालय ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भारतीय नागर विमानन क्षेत्रों के योगदान में योगदान के लिए भी कई कदम उठाए हैं। कुछ का उल्लेख करने के लिए: भारत की सतत विमानन ईंधन नीति के लिए इनपुट, पर्यावरणीय मुद्दों पर आईएटीए के साथ जुड़ाव, सर्वोत्तम प्रथाओं की श्रृंखला में द्विपक्षीय बैठकें (नीचे जे में विवरण) और आईसीएओ वेबिनार में भारतीय वक्ताओं की सुविधा।

16.6 उद्घाटन आईसीएओ उद्योग सलाहकार फोरम (29 और 30 जून 2021)

आईसीएओपरिषद में भारत के प्रतिनिधि, डॉ शेफाली जुनेजा छोटे तदर्थ समूह केअध्यक्ष थे, जिसमें आईसीएओ परिषद के चुनिंदा सदस्य, एयर नेविगेशन आयुक्त, उद्योग के प्रतिनिधि और आईसीएओ सचिवालय के अधिकारी शामिल थे, जिनकेमार्गदर्शन में आईसीएओ ने उद्घाटन आईसीएफ का आयोजन किया।उद्योग संघों के प्रतिनिधि भी समूह का हिस्सा थे।

आईसीएफकी उद्घाटन बैठक में विमान निर्माताओं, एयरलाइंस, हवाई अड्डों, एएनएसपी औरप्रौद्योगिकी कंपनियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों की सबसे बड़ी विमाननकंपनियों के प्रतिभागी शामिल हुए।एयरबस, बोइंग, चांगी एयरपोर्ट, हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रोल्स रॉयस, डसॉल्टएविएशन, ASECNA, इथियोपियन एयरलाइंस Aireon के सीईओ तथा कई अन्य लोग भी शामिल थे।

उद्घाटन आईसीएफ सत्र ने भविष्य के आईसीएओ उद्योग सलाहकार मंचों के लिए बेंचमार्क और रास्ते निर्धारित किए हैं।आईसीएफ के आयोजन में भारत के नेतृत्व की सभी ने प्रशंसा की।

16.7 **उच्च स्तरीय कोविड सम्मेलन।**

आईसीएओने 12 से 22 अक्टूबर 2021 तक "वैश्विक महामारी से परे विमाननपुनर्प्राप्ति, लचीलापन और स्थिरता के लिए एक दृष्टि" के विषय के तहतकोविड-19 (HLCC 2021) पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया।

कोविड 19 मुद्दों के राजनीतिक महत्व और वर्चुअल मीटिंग प्रारूप के संयोजन ने 56 मंत्रियों और उप मंत्रियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 24 प्रमुखों द्वारा रिकॉर्ड उच्च संख्या में उपस्थिति को आकर्षित किया।सम्मेलन में मंत्रियों, उप मंत्रियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों द्वारा 27 लिखित बयान और 21 वीडियो बयान दिए गए।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सम्मेलन में भारत की उपस्थिति के लिए समन्वय भी किया।**भारत के माननीय नागरविमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया**का बयान (लिखित और वीडियो) इस लिंक पर देखा जा सकता है।https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021/Pages/statements.aspx

https://www.icao.tv/icao-high-level-conference-on-covid-19-hlcc-2021/season:1

एचएलसीसी 21 के सभी सत्रों की रिकॉर्डिंग आईसीएओ टीवी पर उपलब्ध है,

https://www.icao.tv/icao-high-level-conference-on-covid-19

सभी दस्तावेज वेबसाइट पर उपलब्ध हैं,

https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021/Pages/default.aspx

16.8 **बाधा रहित यात्रा के लिए दृश्यमान डिजिटल मुहरों के साथ स्वास्थ्य प्रमाणपत्र।**

आईसीएओने दुनिया भर में अंतःप्रचालनीय उपयोग के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (कोविड-19 परीक्षण और वैक्सीन प्रमाणपत्र सहित) के लिए तकनीकी विनिर्देश जारी किएहैं।भारतीय

प्रतिनिधिमंडलने आईसीएओ के साथ भारत के टीके और अन्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों के संरेखणके महत्व को महसूस किया और जब विनिर्देश अभी भी मसौदा चरण में थेऔर आईसीएओ सचिवालय और नागर विमानन मंत्रालय, एमओएचएफडब्ल्यू, विदेश मंत्रालय के बीच एक बैठक का आयोजन किया ताकि पुन: संरेखण का प्रयास किया जा सके।

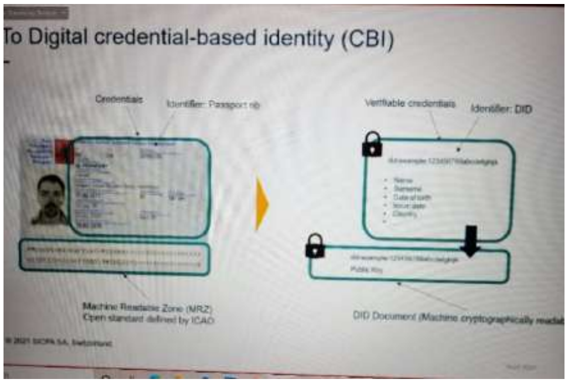

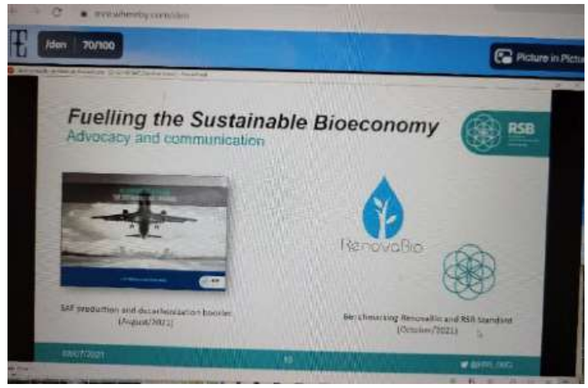

16.9 सर्वोत्तम अभ्यास श्रृंखला

2021 में भारत के प्रतिनिधिमंडल ने एक नई पहल "सर्वश्रेष्ठ अभ्यास श्रृंखला" शुरू की।भारतमें हितधारकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीयनेताओं/उपलब्धियों के बीच प्रतिनिधिमंडल द्वारा बैठकें आयोजित की जाती हैंताकि भारत में हितधारक ज्ञान प्राप्त कर सकें और सहयोग के अवसरों का पतालगा सकें।अब तक ऐसी चार बैठकें हो चुकी हैं।

1) जैव ईंधन पर ब्राजील-भारत कार्यशाला

सस्टेनेबलएविएशन फ्यूल पर ब्राजील-भारत संगोष्ठी का आयोजन 8 जुलाई 2021 को 'ब्राजीलमें एसएएफ क्षमता और परिप्रेक्ष्य' को साझा करने के लिए किया गया था।ब्राजीलके वक्ताओं ने ब्राजील की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद द्वारा शुरू किए गए "फ्यूचर फ्यूल्स प्रोग्राम" और "फ्यूलिंग द सस्टेनेबल बायोफ्यूल इकोनॉमी"नामक परियोजना के बारे में जानकारी साझा की, जिसे ब्राजील द्वाराअंतर्राष्ट्रीय एनजीओ आरएसबी और बोइंग के समर्थन से लागू किया जा रहा है।

2) **सतत विमानन ईंधन पर नीदरलैंड - भारत कार्यशाला**

एसएएफका वैश्विक उत्पादन 2030 तक 5000 मिलियन टनतक पहुंचने की उम्मीद है। नीदरलैंडबड़े पैमाने पर सिंथेटिक विमानन ईंधन के उत्पादन की योजना बना रहा है।आईसीएओमें भारत और नीदरलैंड प्रतिनिधिमंडल

(एबीआईएस समूह का प्रतिनिधित्व) के प्रतिनिधिमंडल ने 26 अक्टूबर 2021 को सिंथेटिक ईंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को इस बारे में जानकारी दी गई

- सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के क्षेत्र में सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से नीदरलैंड में व्यापक कार्य चल रहा है।
- कार्बनउत्सर्जन में कमी के लिए नीदरलैंड में राष्ट्रीय समझौते (2050: एनएल सेप्रस्थान करने वाले विमानन के लिए 2005 के उत्सर्जन स्तर की तुलना में 50% की कमी) और नीतिगत ध्यान नीदरलैंड में दिया जा रहा है
- एसएएफ के विभिन्न मार्ग और प्रत्येक मार्ग की क्षमता।
- नीदरलैंड में हरित हाइड्रोजन और सिंथेटिक मिट्टी के तेल का उत्पादन।

जैसे-जैसेडीकार्बोनाइजेशन के लिए एविएशन इंडस्ट्री से मांग और उम्मीदें बढ़ती हैं, एसएएफ डीकार्बोनाइजेशन हासिल करने के लिए प्रमुखता हासिल कर रहा है।भारत में एसएएफ के उत्पादन के साथ-साथ खपत और निर्यात की अपार संभावनाएं हैं।

3) पर्यावरण के मुद्दों पर आईएटीए-भारत बैठक

इस श्रृंखला में तीसरी बैठक 13 जनवरी 2022 को आईएटीए और भारत में विभिन्नहितधारकों के बीच विमानन पर्यावरण के मुद्दों पर आयोजित की गई थी। बैठक परध्यान केंद्रित किया गया था;

i) सीओआरएसआईए (CORSIA) समीक्षा, ii) दीर्घकालिक आकांक्षात्मक लक्ष्य, iii) ईयूईटीएससंशोधन।

पर्यावरणीयमुद्दों पर आईएटीएके दृष्टिकोण के बारे में सीखने और सीओआरएसआईए (CORSIA) समीक्षा, एलटीएजीऔर EU-ETS प्रस्ताव के मुद्दों में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिएबैठक बहुत प्रभावी थी।एसएएफ नीति पर आईएटीए के साथ एक और बैठक की योजना है।

4) डीएफएस - आरपीएएस और हवाई क्षेत्र के लचीले उपयोग पर एएआई की बैठक

इस तरह की चौथी बैठक 17 जनवरी 2022 को जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के सहयोग से जर्मनी के एयर नेविगेशन सेवाप्रदाताओं (ड्यूश फ्लुगसिचेरंग जीएमबीएच, डीएफएस) और भारत (भारतीयविमानपत्तन प्राधिकरण, एएआई) के बीच आयोजित की गई थी।यह बैठक 17 जनवरी 2022 को 1230 से 1430 UTC तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित की गई थी।चर्चा के दो मुख्य विषय थे,

- हवाई क्षेत्र में यूएएस का सुरक्षित एकीकरण
- एटीएम में नागरिक-सैन्य सहयोग

16.10 आईसीएओ में भारत

पूरे वर्ष आरओआई के कार्यालय ने आईसीएओ में भारत के कद को सुधारने के अपने प्रयासों को जारी रखा।कुछ प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i) आईसीएओ परिषद के भाग II से भाग I तक भारत की प्रगति के लिए कदम उठाने का प्रयास

ii) भारत के लिए एयर नेविगेशन कमीशन में स्थान लेने का प्रयास

iii) सेकेंडमेंट पॉलिसी रखने के लिए भारत के लिए इनपुट सबमिट करें

iv) आईसीएओ पैनल में भारत की भागीदारी की प्रभावकारिता में सुधार के प्रयास

v) देशों द्वारा प्रेषित पत्रों की प्रतिक्रिया में सुधार के प्रयास

कार्यालय ने समाचार पत्रों के प्रकाशन और ट्विटर अकाउंट के माध्यम से सूचना साझा करने के अपने प्रयास भी जारी रखे हैं।

16.11 भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष के दौरान कई वेबिनार और बैठकों में भाग लिया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं:

1) सीएपीए वेबिनार - एयर नेविगेशन सेवाओं का पुनर्निर्माण- 02/01/2021 राष्ट्रीयस्तर के सम्मेलन ने भारत में एयर नेविगेशन सेवाओं के निगमीकरण के मामले परचर्चा की।

2) सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सम्मेलन -08/02/2021।यूरोप के उद्योग जगत के नेताओं की विशेषता वाले उच्च-स्तरीय सम्मेलन में टिकाऊ ईंधन के भविष्य पर चर्चा हुई।

3) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस - उच्च स्तरीय संवाद। 08/03/2021 भारत की प्रतिनिधि, डॉ शेफाली जुनेजा आईसीएओ द्वारा विमानन क्षेत्र मेंमहिलाओं के लिए

कोविड-19 महामारी द्वारा बनाई गई चुनौतियों और अवसरों, विमानन उद्योग की स्थिरता और लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण कीदिशा में प्रगति पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिएआयोजित इस में एक पैनल स्पीकर थीं।

4) आईसीएओ ड्रोन सक्षम संगोष्ठी। 13-15 और 20-21 अप्रैल 2021। संगोष्ठी ने विमानन उद्योग के इस तेजी से विकसित होरहे क्षेत्र में मौजूदा प्रौद्योगिकियों, चल रहे अनुसंधान और विकास केसाथ-साथ वाणिज्यिक और गैर-व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार को प्रदर्शितकिया।

5) आईसीएओएलटीएजीजीएलएडीबैठक।

दीर्घकालिकआकांक्षात्मक लक्ष्य - वैश्विक स्तर के विमानन संवाद आईसीएओ द्वारा पूरेआईसीएओ क्षेत्रों में 9 से 14 मई 2021 तक आयोजित किए गए थे। राष्ट्रपतिद्वारा आईसीएओ परिषद की ओर से आरओआई को एक पर्यवेक्षक के रूप में नामितकिया गया था।

6) TRIP2021 और यात्री डेटा एक्सचेंज फोरम: 25, 26 मई 2021 को सोलहवीं यात्री पहचानकार्यक्रम संगोष्ठी (TRIP2021) के बाद 27, 28 मई 2021 को पहला संयुक्तआईसीएओ/अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (INTERPOL) यात्री डेटा एक्सचेंजफोरम आयोजित किया गया।

7) 10 जून, 2021 को आईएटीएसस्टेनेबल एविएशन फ्यूल संगोष्ठी

8) 18 नवंबर 2021 को ड्रोन इनोवेशन राउंडटेबल पर फोकस बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ऑपरेशंस (बीवीएलओएस)।

9) 22 नवंबर 2021 को फ्लाइंग फॉरेस्ट फायर फाइटिंग डायलॉग।

10) 29 और 30 नवंबर 2021 को हरित हवाई अड्डों की संगोष्ठी।

11) 8 से 10 दिसंबर 2021 तक ओबस्टकल लिमिटेशन सरफेस संगोष्ठी(OLSS 2021)।

2021 एक बहुत ही व्यस्त और फलदायी वर्ष रहा। वर्ष 2022 के भी इसी प्रकार व्यस्त होने की उम्मीद है क्योंकि आईसीएओ एसेंबली का 41 [वां]सत्र सितंबर 2022 में आयोजित होना निर्धारित है।

*** * *रिपोर्ट समाप्त* * ***

सत्यमेव जयते

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF

CIVIL AVIATION